खण्ड-390, अंक-3
मंगलवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(28 फरवरी, 1989 ई0)

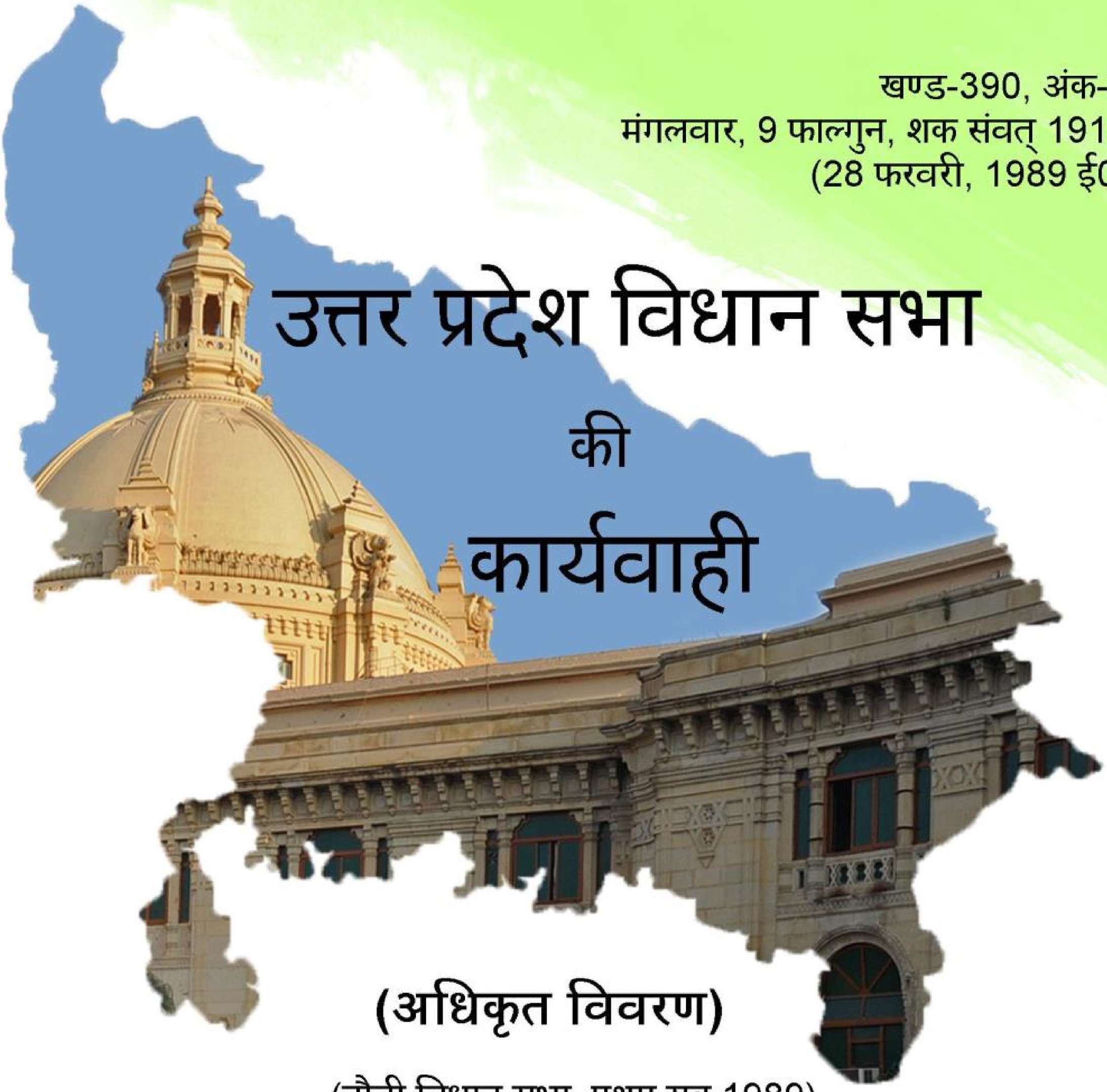

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–86
सिंचाई विभाग द्वारा बजट साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	87–89
जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89–90
जिला मुजफ्फरनगर की मण्डी समिति खतौली में किसानों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जिला अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90–91
जिला बहराइच में नानपारा बाई पास के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जिला बांदा की तहसील नरैनी के अन्तर्गत ग्राम रक्सी में हरिजनों की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जिला बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	92–97
बलियां के तत्कालीन जिलाधिकारी (श्री अशोक कुमार) के विरुद्ध जांच कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97–98
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1985–86 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन... (सदन के पटल पर रखा गया)	68
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मडण्ल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988... (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	98
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों को वायुयान द्वारा (यात्रा सुविधा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989... (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	98
कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिनांक 24 फरवरी, 1989 को विधान सभा में चर्चा के पश्चात् गठित विधायकों की 9 सदस्यीय समिति द्वारा सम्बद्ध पक्षों से किये गये विचार-विमर्श का संक्षिप्त प्रतिवेदन... (सदन के पटल पर रखा गया)	98
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का आठवां प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	98
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम निगम संयुक्त समिति का नवां प्रति-प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया)	99
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का दसवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया)	99

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन . . . (प्रस्तुत किया गया)	99
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	99-115
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) . . . (जारी)	115-148
सिंचाई विभाग के बजट पर चर्चा हेतु बढ़ाया गया समय	148-158
सिंचाई विभाग के बजट पर चर्चा हेतु . . . . (स्वीकृत)	158
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) . . . . (स्वीकृत)	158-173
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कर कराधान संशोधन अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कर कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 . . . (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	173-176
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्रीकर-कराधान (संशोधन), विधेयक, 1989	176-177
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	177
आबकारी अधिकारियों को प्रभावित करके जनपद लखनऊ से 5 लाख लीटर अल्कोहल निकलवाकर बाराबंकी फैजाबाद तथा आजमगढ़ जनपदों को भेजे जाने से लगभग 1.50 करोड़ रुपये बचाने तथा जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	178-179
शुगर मिल, नवाबगंज, जिला गोण्डा के बन्द कर दिये जाने से लगभग 1,500 मजदूरों के बेरोजगार हो जाने एवं गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन	179
जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में 6 माह से भर्ती श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय के प्रति डाक्टरों और नर्सों के अमानुषिक व्यवहार तथा लापरवाही से उनकी मृत्यु के विषय के अन्तर्गत चर्चा	179-181
नत्थियां	181-193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 1989 ई0

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अब्दुल वहीद कुरेशी, श्री (मेरठ)
अमर नाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री (देवरिया)
अशरफ इमाम, श्रीमती (मिर्जापुर)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
आर0 एन0 पाठक, श्री (कानपुर)
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री (बुलन्दशहर)
ओमवती, श्रीमती (बिजनौर)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कनक सिंह, श्री (गाजियाबाद)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशन लाल दिलेर, श्री (अलीगढ़)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दीप चन्द्र सोनकर, श्री (जौनपुर)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बद्री सिंह, श्री (जालौन)
बहादुर सिंह, श्री (आगरा)
बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री (बुलन्दशहर)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भोपाल सिंह, श्री (मेरठ)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मंगल देव, श्री (गोन्डा)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
महाबीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
रतन स्वरुप राही, श्री (बुलन्दशहर)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
रामगोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम चन्द्र शर्मा, श्री (वाराणसी)
राम जनम, श्री (आजमगढ़)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम पाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम लक्षन, श्री (गोरखपुर)

लक्ष्मी नारायण, श्री (मथुरा)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शारदा प्रसाद बिन्द, श्री (वाराणसी)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शूरबीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरी गढ़वाल)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संजय सिंह, डाक्टर (सुल्तानपुर)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सत्यपालसिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सतीश चन्द्र, श्री (आगरा)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
हफीज भारती, श्री (आजमगढ़)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरशरण सिंह, श्री (मेरठ)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)

विधान सभा सदस्य पदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 1989 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बरेली सहकारी चीनी मिल, सेमीखेड़ा के बन्द होने का कारण

**1--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि सहकारी चीनी मिल, सेमीखेड़ा, बरेली में पिराई प्रारम्भ होने के एक सप्ताह बाद ही 3 नवम्बर, 1988 को बहुत बड़ी खराबी आ गई व फैक्ट्री बन्द हो गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? इसके लिये दोषी कौन था तथा दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

जी हां।

दिनांक 3 नवम्बर, 1988 को मिल के पावर हाउस टरबाइन में तकनीकी खराबी आ जाने से मिल को बन्द कराना पड़ा। इसके लिये कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, सेमीखेड़ा, बरेली की यह फैक्ट्री 3 साल पहले ही बनकर तैयार हुई है और बिलकुल नयी फैक्ट्री है, किन्तु कुछ दिन बाद ही इसमें खराबी आ गयी और यह फैक्ट्री बन्द हो गयी। मंत्री जी का कहना है कि पावर टरबाइन में खराबी आ गयी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन 6-7 महीनों में यह फैक्ट्री पेराई बन्द होने के कारण बन्द रहती है उस पीरियड में इस मशीन के रख रखाव संबंधी सभी चीजों को ठीक क्यों नहीं करवाया गया ? अगर इस पीरियड में इसे ठीक करवाया गया होता तो यह मिल 3 नवम्बर से 20 नवम्बर तक तकनीकी खराबी आ जाने के कारण बन्द न होती। मैं जानना चाहता हूं कि जिन दिनों पेराई न होने पर मिल बन्द रखी थी उन दिनों इसको पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं करवाया गया ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, यह मशीन मैसर्स के0 सी0 पी0 लि0, मद्रास द्वारा लगाई गयी थी जिसकी गारन्टी अवधि 2 पेराई सत्र होती है और वह समाप्त हो गयी। इस चीनी मिल ने अपना प्रारम्भिक पेराई सत्र 1984-85 में 28 नवम्बर, 1984 में आरम्भ किया था। यह चीनी मिल 1988-89 में 29 अक्तूबर, 1988 से 31 अक्तूबर, 1988 तक चली। 1 नवम्बर, 1988 को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 4 बजे तक चली।

(व्यवधान)

3 नवम्बर, 1988 को प्रातः 3 बजे यह बन्द हुई। बन्द होने का कारण यांत्रिक खराबी है। उसकी स्थानीय इंजीनियर्स ने देखने की कोशिश की कि इस चीनी मिल में खराबी कहां से आ गयी, उन्होंने उसके पार्ट्स खोले, तो उसमें पत्ती की खराबी पाई गयी। उसे पूरा खोल कर देखा, तो उसके होल्डर में नट-बोल्ट टूटा हुआ पाया गया, जोकि स्थानीय स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता था, इसलिये संबंधित कम्पनी को कहा गया तो उसने 7 दिसम्बर तक का समय मांगा, लेकिन उसके पहले ही 20 नवम्बर तक उसने चीनी

मिल को ठीक कर दिया, तब से चीनी मिल बराबर चल रही है, गन्ना किसानों का गन्ना लिया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि यह खराबी क्यों हुई। खराबी क्यों हुई हम उसका कारण जानना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि जितने दिन पेराई नहीं हुई, उससे काश्तकारों का नुकसान हुआ, तो उसकी क्षति पूर्ति कैसे करेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

उसका नोजेल ब्लैड खराब हो गया था, उस खराबी का कारण यह था कि उस मशीन के पार्ट जो थे, उसके नट-बोल्ट टूट गये थे, जिसकी वजह से यह सब खराबी हो गयी थी। उसके बाद उसको ठीक कराने का प्रयास किया गया, तो वह स्थानीय स्तर पर ठीक नहीं हो सका, तो संबंधित कम्पनी से कहा गया और उसने 7 दिसम्बर तक का समय मांगा लेकिन उसने 20 नवम्बर तक ही उसे ठीक कर दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां—

दूसरे प्रश्न का भी जवाब दे दीजिये मान्यवर। इनके नट-बोल्ट ठीक हैं, यह देख लीजिए।

(कोई उत्तर नहीं आया)।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य रामपुर यह पूछ रहे हैं कि जो नट-बोल्ट की खराबी के कारण पेराई नहीं हो सकी और काश्तकारों का नुकसान हुआ, तो उसकी क्षति पूर्ति कैसे करेंगे। जो गन्ना नहीं पेरा गया, उसकी क्षति पूर्ति करायेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, क्षतिपूर्ति का सवाल तो नहीं बनता। सवाल यह बनता है कि गन्ना किसानों का गन्ना ले लिया जाय और उसकी पेराई विधिवत कर ली जाय। इसके लिये जब चीनी मिल बन्द होगी, तो गन्ना किसानों का गन्ना दूसरी सहकारी चीनी मिलों को डाइवर्ट कर दिया गया, सितारगंज, बीसलपुर और बदायूं को डाइवर्ट कर दिया गया। इस सहकारी चीनी मिलों में गन्ना किसानों के गन्ना लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि उस मिल के बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें हुई, ज्ञापन भी दिये गये, उसमें बहुत से भ्रष्टाचार हुए, कमीशन के माध्यम से, उसकी जांच भी शासन से कराई गयी। जांच के पश्चात् यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसमें बड़ा घपला किया गया, मिल खराब रही और पेराई बन्द रही, मशीन खराब खरीदी गयी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके बारे में शासन ने जांच करायी, तो क्या तथ्य सामने आया और उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की।

दूसरा प्रश्न यह है कि जिस समय यह मिल खराब हो गयी 6–7 दिन तक और जिनको पहले कलेन्डर की पर्चियां बांटी जा चुकी थीं, वे सेन्टर्स पर जाते रहे और उसके बाद गन्ना उनका डाइवर्ट किया 14 दिन के लिये डाइवर्ट हुआ है तो इस सम्बन्ध में जो काश्तकारों को असुविधा हुई है और गन्ना अभी भी क्षेत्र में है, बैकलाग पूरा नहीं हुआ है तो मैं चाहता हूं कि वह गन्ना पूरा पिर जाय और पूरी व्यवस्था हो जाय और क्या उस समय की अव्यवस्था के लिये काश्तकारों की क्षतिपूर्ति को किया गया है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

मान्यवर, जैसा कि माननीय विधायक जी यह कह रहे हैं, यह बहुत सी शिकायतें उस चीनी मिल की खराबी के मामले में की गयी, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है । यदि आपको कोई सूचना होगी तो बता देंगे । आपको अगर होगी, जानकारी खराबियों की शिकायत की गयी थी तो उसको बता देंगे, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी होगी तो की जायगी उसमें कोई दोषी होगा तो कार्यवाही कर दी जायेगी लेकिन जहां तक गन्ना किसानों के गन्ने का सवाल है तुरन्त किसानों का गन्ना दूसरी चीनी मिलों को डायवर्ट करने का आदेश कर दिया गया था । सितारगंज को 4 हजार कुन्टल, बीसलपुर को 4 हजार कुन्टल, बहेड़ी को 3 हजार कुन्टल, बदायूं को 3 हजार कुन्टल, इसी तरह से बहेड़ी चीनी मिल से सम्बन्धित जो गन्ना किसान थे उनका गन्ना इन सहकारी चीनी मिलों को डाइवर्ट किया गया वह गन्ना वहां पर जा रहा था, बीच में फिर जब 20 नवम्बर को चीनी मिल चल गयी तो बराबर गन्ना किसानों का गन्ना लिया जा रहा है उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई किसान को नहीं हो रही है ।

श्री मैनेजर सिंह––

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिल के बन्द होने के कारण जो गन्ना मिल गेट पर आ गया था उसे 4–5 दिन के बाद दूसरी मिलों को भेजा गया तो इस बीच जो सूखन ईख में हुई उसके सूखने से जो रस की क्षति हुई उस क्षति को क्या आप पूर्ति कराने की कृपा करेंगे और जो गन्ना दूसरी मिल को डाइवर्ट किया गया उसका किराया आपने दिया या किसान के सर पर गया ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

मान्यवर, जो गन्ना किसानों का लिया जा रहा था वह समग्र चीनी मिलों द्वारा पेरा गया । जब चीनी मिल में खराबी हो गयी तो उसका गन्ना लिया ही नहीं गया सेमीखेड़ा चीनी मिल द्वारा तो उनका गन्ना सूखने का सवाल ही नहीं पैदा होता फिर जब डाइवर्ट किया गया तो उनको पर्चियां दी गयीं तो फिर उनका गन्ना दूसरी चीनी मिलों को ले जाया गया ।

श्री हरदेव––

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह निश्चित जानकारी हुई है कि जनपद गोरखपुर घुघुली से हमारे रसड़ा किसान सहकारी चीनी मिल में 3 लाख 50 हजार रुपया आया ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––

इससे ताल्लुक नहीं है ।

श्री हरदेव––

मान्यवर, 3 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान रसड़ा मिल से हुआ है । माननीय मंत्री जी कृपया इन काश्तकारों की जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गन्ना बोया जाता है या लगाया जाता है, जरा इनसे यह पुछवा दीजिये ?

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । पहला प्रश्न जो माननीय जौहरी जी ने किया उसका उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले सीजन में इतनी हानि के बाद उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी ? क्या चीफ इंजीनियर, जनरल मैनेजर और फैक्टरी के स्टाफ की नहीं थी, क्योंकि कहा गया कि के0 सी0 पी0 ने टर्न के बेसिस पर इसको लगाया था तो रख-रखाव की जिम्मेदारी स्टाफ की थी, जो रख-रखाव करता है और सर्टीफाई करता है कि यह प्लान्ट सही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके रख-रखाव पर जो धन व्यय किया गया, पिछले पेराई सीजन के बाद और उसके बाद सर्टीफाई किया गया प्लान्ट और मशीनरी सही है, जिसमें प्लान्ट टर्बाइन भी शामिल है, तो जब टर्बाइन दो दिन के बाद खराब हो गयी तो क्या कारण था कि रख-रखाव करने वाले इंजीनियरों पर गैर जिम्मेदारी से सर्टीफाई कर दिया कि टर्बाइन सही है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मैंने यह बताया कि यह वर्ष 1984-85 में चीनी मिल चली थी । दो वर्ष की इसमें गारन्टी थी । वर्ष 1988 में आकर चीनी मिल चली तो उस समय की स्थिति ऐसी थी जिससे यह नहीं कहा जा सकता था कि यह खराब है । जब 29 अक्तूबर, 1988 को चली तो 10,490 क्विन्टल. . ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, यह सब बात बता चुके हैं, लेकिन जिनकी रख-रखाव और अनुश्रवण की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने प्रमाणित किया कि टर्बाइन सही है और फिर टर्बाइन खराब हो गयी, तो क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि जो प्रमाण-पत्र दिया गया वह सही नहीं था । माननीय मंत्री जी उसके बारे में आंकड़े की बात करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले पेराई सत्र के बाद सही होने का प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, हम स्थिति बता दे रहे हैं, उससे अगर आपका संदेह दूर नहीं होता है तो उसको भी बता दें । यह मिल चल रही थी और गन्ने की कमी की वजह से बन्द हुई । लेकिन खराबी का एहसास हुआ तो देखा गया तो पता चला कि यह खराब है । जो रख-रखाव की जिम्मेदारी है, यह तो चीनी मिल के लोगों की जिम्मेदारी है लेकिन जब चीनी मिल प्रारम्भ हुई और जितना गन्ना पेरा जाना चाहिये, उतनी क्षमता के अनुसार गन्ने की पेराई हुई तो उस समय ऐसी कोई चीज नहीं बनती कि कोई दोषी है । मशीन में खराबी हो सकती है । जो खराबी हुई तो उसको दुरुस्त करने की कार्यवाही की गयी ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मेरा आरोप था कि यह मशीनरी घटिया दर्जे की खरीदी गयी इसलिये फेल हो गयी । माननीय मंत्री जी ने क्या कोई विकल्प की व्यवस्था की है कि अगर कोई फाल्ट हो

जाता है तो पावर लेने की कोई व्यवस्था की है । टर्बाइन खराब हो जाय तो हाइडिल से बिजली लेने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, चीनी मिल चल रही है और उसकी मशीनरी खराब हो जाती है तो निश्चित रूप से बदलने वाली चीज बदल दी जायगी और मरम्मत वाली चीज की मरम्मत की जायेगी। व्यवस्था तो रहती ही है ।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमानों के निर्धारण हेतु समता समिति का गठन

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री हरिश्चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1988 में राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमानों के निर्धारण हेतु भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री कृपा नरायन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समता समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने रिपोर्ट पूर्ण कर ली है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और कब तक रिपोर्ट पूर्ण कर ली जायेगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विलम्ब नहीं हुआ है । समिति से यथा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय पूरे प्रदेश में राजकीय कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सचिवालय के कर्मचारी भी विरोध मना रहे हैं । जिलों–जिलों में सभी कार्यालयों में काम ठप्प है और उनकी मांग और शिकायत एक ही है कि सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार किया था कि केन्द्र और राज्य के वेतनमान और उपलब्धियां भत्ते वगैरह बराबर कर दिये जायेंगे, लेकिन सरकार ने केवल टालने का प्रयास करके समता समिति बना दी। मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति का जब गठन किया गया था, कृपा नारायण जी की अध्यक्षता में, उस समय समिति से क्या अपेक्षा की गयी थी कि कब तक रिपोर्ट आ जायगी ? अब तक रिपोर्ट नहीं आयी है और सरकार की ओर से अनेक बहाने बना दिये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति को कोई निर्देश दिया गया था कि अमुक समय तक समिति की रिपोर्ट आ जानी चाहिये ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जब समिति का गठन किया गया था, समिति के गठन की आवश्यकता इसलिये हुई थी जो यहां पर यानी शासन ने सिद्धान्ततः यह मान लिया था समानता की बात, पद जो यहां हैं और जो केन्द्र सरकार में है उनके वेतनमानों में तो उतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत थी, जिनके पद केन्द्र सरकार में नहीं है कि उनके पे स्केल क्या हों इसके लिये श्रीमन् समता समिति का गठन किया गया। जैसा कि माननीय सदस्य गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि इसको क्या-क्या कहा गया, मान्यवर, इसकी समय सीमा निर्धारित

नहीं की गयी थी यह कहा गया था कि शीघ्र से शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे दें। जब समिति का गठन हुआ था तो इस समिति के समक्ष विभिन्न संघों ने करीब 157 सेवा संघों ने साक्ष्यों के लिये निवेदन किया कि समता समिति हमारा साक्ष्य सुन ले। तब से लेकर 53 उन्होंने मीटिंग की और इनके साक्ष्य निपटाये गये, केवल 9 साक्ष्य होने रह गय हैं यही विलम्ब का मुख्य कारण था। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सवाल है कि समता समिति की रिपोर्ट कब तक आने की अपेक्षा है, श्रीमन् मार्च के लास्ट सप्ताह तक उनकी रिपोर्ट आने की संभावना है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस समिति का गठन पदों की स्क्रीनिंग के लिये किया गया और इसकी रिपोर्ट शीघ्र आ जायेगी। अब आपने समय बांध दिया है। अगर उस समय तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती है, तो क्या कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् जो आज हम कर्मचारियों को दे रहे हैं उसमें और जो वहां मिल रहा है ज्यादा फर्क नहीं है, किन्हीं-किन्हीं श्रेणियों में तो उससे ज्यादा भी है। अन्तरिम राहत अलग से किया जाय, यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, श्रीमन् उसकी अलग से घोषणा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उतना तो हम दे रहे हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

सचिवालय के बाहर, यानी जो दूसरे कार्यालयों के कर्मचारी हैं तृतीय श्रेणी कर्मचारी वह हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांग यही है कि केन्द्र और राज्य के समान और सचिवालय के समान उनको वेतन भत्ते दिये जायं। क्या उनका यह बिन्दु समिति को संदर्भित है? यदि नहीं, तो क्या इस बिन्दु को संदर्भित करायेंगे? उनकी मुख्य मांग यही है कि सचिवालय के समान उनको वेतन भत्ते दिये जायं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् कर्मचारियों की जो मांग थी वह यह थी कि पदों के हिसाब से, जो केन्द्र में वेतनमान हैं उनके पदनाम के बराबर उनके वेतनमान किये जायं, यही उनकी मुख्य मांग थी, समता समिति में उन्हें कोई बिन्दु उठाना है तो यह संदर्भित किया गया है कि वह कोई भी बिन्दु उठा सकते हैं।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में राजकीय कर्मचारी हड़ताल पर हैं, मंत्री जी ने कहा कि मार्च के अन्त तक समता समिति की रिपोर्ट आ जायेगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जो काम ठप्प पड़ा है उसको देखते हुए उन कर्मचारियों को काम पर लाने का कोई प्रयत्न करेंगे, उनसे कोई बातचीत करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय—

मान्यवर, आज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सब जगह काम ठप्प पड़ा है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुन लें। मार्च तक इन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ जायगी समता समिति की। हड़ताल के कारण कर्मचारियों का सब जगह काम ठप्प पड़ा है मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ प्रयास करेंगे, ताकि सरकारी कर्मचारी काम पर वापस आ जायं ?

श्री अध्यक्ष—

बातचीत कीजिये, कोशिश कीजिये।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां, जरूर करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जो राजकीय शिक्षक हैं, उनको राजकीय कर्मचारी मानते हुए समता समिति के सम्मुख अपनी बात कहने के लिये सरकार ने इजाजत दी थी, तो क्या उनका कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, उनका प्रतिवेदन मिला है और वह समता समिति के समक्ष विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं दो बातें जानना चाहता हूं। पहली तो यह कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी अलग-अलग छतों के नीचे काम करते हैं, उनके वेतनमानों में डिस्पैरिटी है, क्या उसको भी दूर करने के लिये सरकार ने कोई प्रयास किया है। दूसरी बात यह कि जो मिनिस्टीरियल सर्विसेज तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है, उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिये 14, 15 व 16 को सांकेतिक हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं को न सुनकर जो दमनात्मक रवैया अपनाया और राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को एक सरकुलर भेज दिया कि उन कर्मचारियों को जबरिया ज्वाइन कराया जाय अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायें, इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकाल की हड़ताल में तब्दील हो गयी और यह बजट सत्र चल रहा है, सारे प्रदेश में कामकाज ठप्प हो गया है मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस राजाज्ञा को वापस लेकर और अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाकर उन कर्मचारियों से कोई समझौता वार्ता करने की पहल करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न किया है, इसमें श्रीमन् विसंगतियों का कोई सवाल नहीं रह गया है। वेतन समिति को विसंगतियां पहले से सन्दर्भित थीं, क्योंकि पदों के हिसाब से जो वेतन केन्द्र में है, उनको समता समिति ने पहले ही स्वीकार कर लिया है और जो पद वहां नहीं हैं, उनको समता समिति देख रही है और

विभिन्न संघों की मांगे भी यही थी कि उनका केन्द्र के समान वेतन कर दिया जाय दूसरी बात जो कही गयी है, उसके संबंध में जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है कि 197 संघों के साक्ष्य के लिये प्रतिवेदन आये थे और यह शासन ने या किसी और ने नहीं कहा था कि इतने लोग आयें। अब उन्होंने 53 बैठकें की हैं और केवल 9 साक्ष्य रह गये हैं, इसलिये जैसे ही यह 9 साक्ष्य पूरे हो जायेंगे, रिपोर्ट आ जायगी और जो कार्यवाही करने की बात है, वह तो चलता ही रहता है, उस पर बाद में विचार कर लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो आदेश दिया गया है, नौकरी से निकाल देने के लिये, क्या उसको वापस लेकर सरकार कोई समझौता वार्ता की पहल करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

अब वह जबाब दे चुके हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद में बढ़ रहे अपराधों विषयक शिकायती-पत्रों पर कृत कार्यवाही

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 12 अगस्त, 1988 का पत्र तथा मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित दिनांक 26 अगस्त, 1988 का पत्र, जिसमें फैजाबाद में बढ़ रहे अपराधों की शिकायत की गयी है और हत्या, बलात्कार आदि घटनाओं पर चिन्ता प्रकट की गयी है, सरकार को मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

जी हां । दोनों पत्रों पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 183 पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें अपहरण, हत्या, मारपीट, बलात्कार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पर प्राणघातक हमला तथा देशी शराब की दुकान खुलवाने की बात को इन्होंने तस्लीम किया है और उस पर विवरण भी दे दिया है कि कार्यवाही हो रही है । श्रीमान् मेरा पूछने का मतलब यह नहीं था कि क्या कार्यवाही हो रही है, यह तो सभी जानते हैं । मेरा पूछने का मतलब था कि यह सरकार जो अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध करवा रही है साथ ही पुलिस का संरक्षण भी अपराधियों को प्राप्त है, इस बारे में श्रीमन् मैं आपका संरक्षण चाहूंगा जैसा कि मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 86 में भी कहा है कि राज्य मंत्री, श्री सीताराम निषाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को एक पत्र लिख कर वर्तमान थानाध्यक्ष, गोसाईगंज पर कस्बा गोसाइगंज में डकैती डलवाने और ग्राम बतासपुर में हरिजनों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसे गृह मंत्री ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है । माननीय मंत्री जी का उत्तर है "जी हां" । इसी पृष्ठभूमि में मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम

से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह अनुचित राजनैतिक दबाव और पुलिस की मिली-भगत से डकैतियों और इस तरह के नृशंस अपराध हो रहे हैं, जिन्हें मैं नहीं आपके राज्य मंत्री ने लिखा है, इसको रोकने के लिये आपने आज तक क्या कार्यवही की और अभी तक जितने मामलों की आपने विवेचना की है, उनमें से किन-किन मामलों में राजनैतिक हस्तक्षेप के अपराध पाये गये हैं ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो राजनैतिक दबाव की बात कही है ,मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनैतिक दबाव का प्रश्न पैदा नहीं होता है । जितनी भी जानकारी आपने चाही, वह सब आपको मिल गई । पुलिस ने बड़ी सतर्कता से काम किया है । आपने इस प्रश्न में कम से कम 20 जानकारियां चाही थीं, सबके जवाब आपको दिये गये हैं । जहां तक आंकड़ों का सवाल है, आप देखेंगे कि इसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । जो भी दोषी पाये गये, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई । किस-किस माध्यम से कार्यवाही कराई गई, उसकी भी जानकारी दी गई है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का उद्धरण दिया, जिसमें स्वयं सरकार ने और राज्य मंत्री ने लिखा है कि गोसाईगंज के थानेदार ने मिलकर डकैतों से डकैती डलवाई । वहीं जब मैंने चिट्ठी में लिखा, तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से अपराध नहीं बढ़ रहे हैं और कोई राजनैतिक दबाव नहीं होता है । श्री शीतला सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्रमजीवी पत्रकार संघ के, उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ और पुलिस द्वारा श्री सुरेश कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया । एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में श्री शीतला सिंह जी ने स्वयं कहा है कि यह मेरे को मारने में नहीं था । अब इस तरह की विवेचना आपकी पुलिस कर रही है । जब पत्राकारों का दबाव बढ़ा, तो एक निरीह आदमी को पकड़ कर आपकी पुलिस ने गिरफ्तार दिखा दिया और कह दिया कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है । इसी तरह के कई अन्य मामले हैं । श्री सूर्य नारायण द्विवेदी, ग्राम बतासपुर द्वारा मु0 अ0 सं0 111/88 को पंजीकृत किये जाने का जिक्र माननीय मंत्री जी ने इस संलग्नक में किया है । मैं इस मामले में स्वयं जिलाधिकारी से मिला था । मैंने कहा कि इस पर जांच करा ली जाय, अगर कोई इल-लीगल कब्जा कर रहा है, तो उसे आप रोकें अन्यथा इस पर कार्यवाही की जाय । जिलाधिकारी ने आदेश दिया । सी0 ओ0 और एस0 डी0 एम0 मौके पर गये । उन्होंने पाया कि श्री द्विवेदी जी का ही खेत है और उन्हीं की खतौनी है । उसके बाद राज्य मंत्री जी का एक पत्र गया और उसे फसल काटने से रोक दिया गया । उस बेचारे के 22 बीघे के खेत में जो फसल खड़ी थी वह सड़ गई और नष्ट हो गई । थाने वालों से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब के मौखिक आदेश हैं क्योंकि राज्य मंत्री जी का दबाव है । मैं कोई शैडो लेकर नहीं चलता, मैं कोई डकैतों का गिरोह नहीं पालता । जब इस तरह से माननीय मंत्री जी का जवाब आयेगा, तो मुझ जैसे लोगों का क्या होगा ? मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बतायें कि क्या यह बात सही है कि नहीं, बतासपुर वाले मामले में राज्य

मंत्री, श्री सीता राम निषाद जी ने एक पत्र लिखा है एस0 एस0 पी0 को, वह क्या है । क्या उसकी एक प्रति वह इस सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, श्री शीतला सिंह जी के सम्बन्ध में जो अभियुक्त पाये गये, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और सारे तथ्यों से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया गया । अगर किसी मामले पर उचित कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसा उनको लगता है तो वह बतायें, उस पर वही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का बहुत लम्बा-चौड़ा उत्तर आया है । समय बहुत कम है । इनके उत्तर के साथ जो संलग्नक है उसके पैराग्राफ 1 में लिखा है कि 6 जुलाई, 1988 को रिपोर्ट लिखी गयी और 20 अगस्त, 1988 को मुकदमा कायम हुआ है । इसमें यह बतायें कि लाश कितने दिन बाद मिली और इतने विलम्ब से रिपोर्ट क्यों लिखी गयी तथा मुल्जिमान कौन हैं ?

दूसरे पैराग्राफ में सवर्णों और हरिजनों के बीच कहा-सुनी के विषय में लिखा है दफा 107/116 कायम होना बताया है । क्या इस कहा-सुनी में पुलिस ने सुलह-सफाई करा दी ? यदि हां, तो सुलहनामा जरूरी है या नहीं ? यदि नहीं है, तो कौन सी धारा कायम की गयी ?

तीसरे पैराग्राफ में. . . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले इसको हो जाने दीजिये ।

श्री सईदुज्जमा—

जहां तक हरिजनों के सम्बन्ध में बताया है, दोनों पक्षों का वहीं फैसला हो गया था, कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं रह गयी थी ।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि 6 जुलाई, 1988 को मुकदमा लिखा गया और 20 अगस्त, 1988 को अदालत में मुल्जिमान को हाजिर किया जाता है, इस बीच में क्या कार्यवाही की गयी ? 6 जुलाई, 1988 को जो एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी थी, उसकी लाश कब मिली थी ?

श्री सईदुज्जमा—

इसमें दो अभियुक्तों, श्री गुरु वर्मा और श्री राम पाल पाण्डे को पुलिस ने 24 अप्रैल, 1988 को बन्दी बनाकर जेल भेज दिया था, बाकी अभियुक्तों के खिलाफ. . . . ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं पूछ रहा हूं कि लाश किस दिन मिली है और किन-किन लोगों को शुबहे में गिरफ्तार किया है ?

श्री सईदुज्जमा—

पुलिस ने जगह-जगह पर रेड किया, पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इतना अहम प्रश्न है, लम्बा जवाब है, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पत्र माननीय सीताराम निषाद् राज्य मंत्री ने लिखा .....

(घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

पहले मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाय। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि लाश कब मिली और किस दिन मुल्जिम गिरफ्तार किये गये ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री अध्यक्ष, गृह राज्य मंत्री को संबोधित करते हुए) आपके पास सूचना हो तो दे दीजिये।

(माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, इस पर नियम 49 में चर्चा स्वीकार कर लीजिये।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दे दीजिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, ये समुचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इसे या तो स्थगित कर दें या प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको स्थगित करता हूं।

प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरों को कार्य पर लगाने की योजना

*2—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इस समय प्रदेश में छः हजार से अधिक डिग्री होल्डर इंजीनियर बेरोजगार हैं ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश में प्रति वर्ष एक हजार प्रशिक्षित इंजीनियर नये तैयार हो जाते हैं ? यदि हां, तो इन बेरोजगार इंजीनियरों को काम पर लगाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

उत्तर प्रदेश में डिग्री होल्डर इंजीनियरों के सेवायोजन के संबंध में नोडल सेन्टर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के अनुसार 1985 तक के डिग्री होल्डर इंजीनियर, जो 1986 के अन्त तक बेरोजगार थे, की संख्या 348 बताई गई है।

प्रदेश में स्थित इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों/डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों में इंजीनियरिंग एवं तकनीकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रवेश की क्षमता 2709 है।

इंजीनियरिंग स्नातकों में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है, किन्तु इन्हें रोजगार प्राप्त करने में कुछ समय अवश्य लगता है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि यह सरकार सवालों के जवाब इस तरह से तोड़-मरोड़ कर दे रही है जिससे लगता है कि हमारे लिये सवाल करने का महत्व ही कुछ नहीं रह गया है। इस प्रश्न के उत्तर को ही आप देख लें कि मैंने पूछा था कि छः हजार से अधिक डिग्री होल्डर इंजीनियर्स बेरोजगार हैं और इसका उत्तर आया है कि 1985 तक के इंजीनियर्स, जो कि 1986 तक बेरोजगार थे, की संख्या 348 थी। यानी कि 1985 से 1988 तक तीन वर्ष हो चुके हैं, जब कि यह कहते हैं कि प्रति वर्ष इसमें प्रवेश की क्षमता 2709 है, यानी कि इतने इंजीनियर्स प्रति वर्ष तैयार होते हैं तो इनको यदि आप दुगुना और तिगुना कर लें तो इनकी संख्या हजारों में हो जाती है।

अब मैं प्रश्न पर आता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1983 के बाद से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में जो सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियां की गयी हैं उनके अतिरिक्त पांच हजार से अधिक स्थान अब भी रिक्त पड़े हुए हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का कहना सही नहीं है। सन् 1985 से 1484 इंजीनियर्स भर्ती किये गये, 1986 में 1068 तथा 1987 में 1680 इंजीनियर्स भर्ती किये गये हैं। भारत सरकार ने आई0 टी0 आई0, कानपुर की स्टडी करायी थी उसके तहत ही मैंने यह आंकड़े आपको बतलाये हैं कि प्रति वर्ष डेढ़ हजार इंजीनियर्स की भर्ती की गयी है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि 1987-88 में कितने इंजीनियर्स की भर्ती हुई है? क्या आप वर्क चार्ज पर और एडहाक एप्वाइन्टमेन्ट जो करते हैं, उनको भी आप भर्ती ही मानते हैं? रेगुलर एप्वाइन्टमेन्ट बाकायदा एडवरटीजमेन्ट अखबारों में देकर और फिर उसका इन्टरव्यू करके उस पर नियुक्तियां की जाती हैं। इस तरह की नियुक्तियां 1986, 1987 तथा 1988 में कितनी की गयी है और प्रदेश में उनके तहत कितने स्थान रिक्त हुए हैं? हजारों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कब तक भर्ती कर लिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इंजीनियर्स की नियुक्ति व चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। वैसे आपने वर्क चार्ज के बारे में जो कहा तो यह भी उस भर्ती के एक पार्ट में आता है

और वर्ष 1987–88 में भी ऐसा ही हुआ है और इसी प्रकार से जहां तक आपने रिक्त पदों की बात कही, वहां विभिन्न विभागों की स्थिति इस प्रकार है, परिवहन में 13 पद हैं, चिकित्सा में 6 पद हैं, उद्योग में 8 पद रिक्त हैं और पी0 डब्ल्यू0 डी0 में 231 पद रिक्त हैं। सिंचाई की सूचना इस समय हमारे पास नहीं है। अन्त में मान्यवर, मैं आपको यह भी बता दूं कि पी0 डब्ल्यू डी0 में अभी इसी वर्ष पब्लिकेशन के माध्यम से 226 पदों पर भर्ती की गयी है।

*3—श्री सरदार सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुसूचित जाति के निजी सचिव ग्रेड–2 का कोटा पूरा न किये जाने का कारण

*1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व मंत्री द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुसूचित जाति के निजी सचिव ग्रेड–2 की आरक्षण कोटा निजी सचिव ग्रेड–1 में पूरा न किए जाने के लिये एक पत्र प्रेषित किया था, जिस पर उन्होंने अपने पत्र संख्या–सी0 एम0 ख0 को–3/मंत्री/57–231–88–11, दिनांक 21 दिसम्बर, 1988 व पूर्व पत्र संख्या सी0 एम0 ख0 को–3/मंत्री/39–232–88–11, दिनांक 5 नवम्बर 1988 द्वारा कार्यवाही के आदेश दिये थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के 5 वर्ष से अधिक के अनुभाग अधिकारियों को अनुसचिव के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी है? यदि हां, तो निजी सचिव ग्रेड 2 को पदोन्नत न किये जाने का क्या कारण है और इनकी पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां।

निजी सचिव (ग्रेड–2) के पदों पर नियमित पदोन्नति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। आयोग को पद हेतु अभियाचन भेजा जा चुका है। आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर ही निजी सचिव (ग्रेड–2) के पद पर नियमित पदोन्नति/स्थायीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा। अनुसूचित जाति के ऐसे अनुभाग अधिकारियों को ही अनुसचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जो अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी थे और अनुभाग अधिकारी के रूप में या किसी उच्चतर पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे। निजी सचिव (ग्रेड–1) के पदों पर पदोन्नति ऐसे स्थायी निजी सचिव (ग्रेड–2) के अभ्यर्थियों में से की जाती है जिन्होंने निजी सचिव (ग्रेड–2) के पद पर कम से कम 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो। उक्त दोनों शर्तों को पूरा करने वाला अनुसूचित जाति का कोई भी अभ्यर्थी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन उत्तर नहीं दिया गया है। मान्यवर, निजी सचिव (ग्रेड–2) और निजी सचिव (ग्रेड–1) इसी प्रकार से अनुसचिव (ग्रेड–1) और संयुक्त सचिव आदि के पदों में सचिवालय प्रशासन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति सम्बन्धी कोटा कितना होना चाहिये और वर्तमान में कितना है?

श्री प्रमोद कुमार—

17 अनुभागाधिकारियों को इस अनुसूचित जाति के कोटे के आधार पर प्रोन्नत किया गया है और जहां तक अनुसचिव, ग्रेड-1 के कोटे की बात है, वह 15.48 प्रतिशत पूरा है और इसी प्रकार से ग्रेड-2 में इस समय लोगों की होनी चाहिये। दूसरे जहां तक विनियमितीकरण की बात है, वह तो हम करते नहीं हैं, उसे लोक सेवा आयोग करता है, इस हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे गये हैं, अब मैंने अनुस्मारक भेजे जाने के आदेश दे दिये हैं, जब वहां से विनियमितीकरण हो जायेगा तो इन्हें भी कर दिया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर बराबर यह देखा जा रहा है कि शासन जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट तौर पर देना नहीं चाहता है तो हरबार और हर विभाग वाले यही उत्तर दे देते हैं कि अभी लोक सेवा आयोग में मामला पेंडिंग है, अनुभव यही बताया जाता है कि कम है और कहीं पर कोई और बहाना बता दिया जाता है, जब कि शासन की यह जिम्मेदारी है कि प्रदेश के प्रत्येक विभाग का कोटा अनुसूचित जाति के लोगों का पूरा करे, जो इन बहानों की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर मैं प्रश्न पर आ रहा हूं, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज हर विभाग का चाहे कोई विभाग हो प्रदेश का कहीं पर भी आरक्षण पूरा नहीं है, इसके कारण क्या हैं और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सचिवालय स्थित पदों को भरने के लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है, वह अधियाचन कब तक आ जायेगा, इसके अतिरिक्त क्या सरकार प्रदेश के समस्त विभागों में आरक्षण पूरा हो जाये, इसके लिये कोई निश्चित कार्यक्रम बनायेगी और जहां पर इन कार्यक्रमों के तहत भी आरक्षण यदि पूरा न हो, तो ऐसे लोगों के प्रति कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मैं सरकार की नीति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की सदैव यह नीति रही है कि जहां पर भी अर्हतायें पूरी हो जायें, ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को कतई नजरअन्दाज न किया जाय और तत्काल ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाय और कोटा पूरा किया जाय और यदि किसी मामले में अर्हतायें पूरी नहीं हैं, उनको पूरा किये बगैर तब तक शासन के लिये कर पाना भी सम्भव नहीं है, इसी संदर्भ में मैं एक चीज और बता दूं जिसे इस सरकार ने इसी उद्देश्य से किया है ताकि लोक सेवा आयोग व अन्य किसी भी संस्था द्वारा वहां किसी भी मामले में, जहां पर अर्हतायें पूरी हों किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो इसके लिये एक "सब-सर्विसेज कमीशन" बनाया है। 3 नवम्बर, 1988 को ही आदेश इस आशय से निर्गत किये गये हैं, जिसके परिधि में लोक सेवा आयोग भी आयेगा। इसमें पहले अभ्यर्थियों की अर्हतायें ही देखी जायेंगी, अगर वह अभ्यर्थी और वह अर्हता पूरी कर लेंगे तो वह अर्ह हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नवीं 'घ' प्रश्न संख्या-1

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक बहुत जरूरी प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष—

12 बजने में 10 मिनट रह गये हैं। क्या इसी पर चलते रहेंगे।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने बताया है कि जब तक 2 शर्तें पूरी नहीं कर लेंगे उनकी पदोन्नति नहीं हो पायेगी ।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द—

आप मेरा ख्याल नहीं करेंगे तो हम लोग कहां जायेंगे । आपका जो रवैया है वह पक्षपातपूर्ण है । आप हमारा ख्याल ही नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारा ख्याल रखें ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

तो मान्यवर, मैं पूछ रहा था कि जो अनुभाग अधिकारी हैं उनको 3-3 तदर्थ प्रोन्नतियां दी गयी हैं । तो क्या कारण है कि निजी सचिव, ग्रेड-2 के लोगों को तदर्थ पदोन्नति न दिये जाने का क्या कारण है ? जब अनुभाग अधिकारियों को तदर्थ प्रोन्नति देने का प्रावधान है और उस कैडर के लोगों को यह सुविधा दी भी गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों को यह सुविधा न दिये जाने का क्या कारण है । यदि आप इन लोगों को नहीं दे सकते हैं तो क्या जिन लोगों को यह सुविधा प्रदान की गयी है उसको वापस करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार—

इस प्रकार के अनुभाग अधिकारियों को तदर्थ प्रोन्नति दी गयी है जो 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे और अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी थे लेकिन जो प्रकरण उठाया गया है उसमें लोग न तो स्थायी हैं और न ही उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी की है । 3 नवम्बर, 1988 को शासन ने एक जी0ओ0 निकाला है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग से चयनित नहीं होता है और उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा करता है तो उसको यह सुविधा दे दी जायेगी । यदि स्थान रिक्त हो ।

[मंगलवार दिनांक 28 फरवरी, 1989 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिल्ली बोट क्लब पर धरने के समय केन्द्र सरकार को दिया गया ज्ञापन

*1.—श्री जय दीप सिंह बरार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1988 के अंतिम सप्ताह में भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली बोट क्लब पर ऐतिहासिक धरने के समय यूनियन द्वारा केन्द्र सरकार को दिए गए ज्ञापन के फलस्वरूप उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में विचार-विमर्श हेतु बुलाया गया था ? यदि हां, तो यूनियन की कौन-कौन सी मांगों के संबंध में केन्द्र सरकार ने मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श किया था तथा राज्य सरकार का दृष्टिकोण इस संबंध में क्या था और है ?

राज्य विकास एवं प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जय दीप सिंह बरार—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों द्वारा दिल्ली में धरना दिया गया था और हजारों किसान वहां पर धरने पर बैठे थे तो क्या

माननीय मंत्री जी ने यह जानने का प्रयास किया कि उन किसानों की मांगें क्या थीं और उन मांगों के प्रति सरकार का रवैया क्या था इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं बुलाया गया था। इसलिये इसमें यह कहना कि उनकी क्या मांगें थीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया था तो....

(व्यवधान)

श्री जय दीप सिंह बरार—

मान्यवर, मंत्री जी प्रश्न का उत्तर तोड़-मरोड़ कर दे रहे हैं। मैंने यह कहा कि क्या यह मसला शासन के संज्ञान में है ? प्रदेश के लाखों किसान दिल्ली धरना देने के लिये गये थे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा प्रयास किया कि यहां का किसान जब लाखों की तादाद में दिल्ली धरने पर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या ज्ञापन दिया था और उन्होंने इस संबंध में क्या प्रयास किये ? यदि हां तो क्या प्रयास किये और यदि नहीं तो कह दें कोई प्रयास नहीं किया गया। यह मेरा सीधा सा प्रश्न है।

श्री गौरी शंकर —

श्रीमन्, हमारी सदाशयता पर शंका करने का माननीय सदस्य का कोई औचित्य नहीं है और न ही उन्हें शंका करनी चाहिये, जो उन्होंने तोड़ मरोड़ की बात कही, यह तोड़ फोड़ काम तो उनके सहयोगी ही कर सकते हैं हमारी ओर से ऐसी बात नहीं है। मैंने साफ उत्तर दिया है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलाया ही नहीं गया है तो मांग-पत्र उन्हें देने की बात ही नहीं उठती है। मंत्रि-परिषद् का कोई भी प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया था ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कैसा धरना था, क्या हुआ, । वहां पर धरना हुआ इसकी सूचना आपके जरिये ही मिल रही है।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत नादान मालूम पड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री किरन पाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है भारतीय किसान यूनियन के नुमाइंदों ने केन्द्रीय मंत्रि मन्डल के मंत्री श्री राजेश पाइलेट से वार्ता की थी और उसके अन्तर्गत श्री राजेश पाइलेट ने किसान यूनियन के लोगों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जानकारी कराकर सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका दूसरा ही प्रश्न है। आपने पाइलेट जी के लिये कहा जब कि यह मुख्य मंत्री जी से संबंधित सवाल है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में भारतीय किसान यूनियन नाम की कोई यूनियन है या नहीं ? यदि है तो पिछले दो सालों में उनकी कोई मांगें सरकार तक आयी हैं ? यदि हां, तो वह क्या-क्या हैं ?

श्री गौरी शंकर —

श्रीमन्, यह तो अलग से प्रश्न है। कौन यूनियन है, कौन नहीं है। आप चाहेंगे तो इसकी पूरी सूची आपको दे देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी यूनियन हैं।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, प्रश्न जो किया गया है वह भारतीय किसान यूनियन के नाम से ही किया गया है और यहां पर एक बड़ा मूवमेन्ट भी इसका चल रहा है। उसमें कितने ही लोग मारे जा चुके हैं। पूरे देश में यह चल रहा है। माननीय मंत्री जी बता दें कि वे इस यूनियन के नाम से वाकिफ हैं या नहीं।..... (व्यवधान)। मान्यवर, आप नादानी का सबूत नहीं बनना चाहेंगे, जैसा माननीय मंत्री जी बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप पिछले दो वर्ष की मांगों के बारे में पूछ रहे हैं। यह वे अभी कैसे बतायेंगे।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने किसान यूनियन और उसके धरने तथा मांगों आदि से अनभिज्ञता प्रकट की और जानबूझकर यह बात उन्होंने कही। सारे समाचार पत्रों में यह बात आई और लोक सभा अध्यक्ष, श्री बलराम जाखड़ व केन्द्रीय मंत्री, श्री राजेश पायलट तथा अन्य सारे नेताओं ने उनसे बात की है, जो समाचार पत्रों में आया है। वह इसके बावजूद भी इस प्रकार से अनभिज्ञता प्रकट कर इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में भी जो जानकारी उनको है वह स्पष्ट कर दें।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर पत्रावली में जो बात है वही मैंने आपकी अनुमति से माननीय सदस्यगण के सम्मुख प्रस्तुत की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह कहा है और लिखा है कि उनको किसी प्रकार के तथाकथित धरने में नहीं बुलाया गया था इसलिये किसी प्रकार की जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं है।

श्री नेजर सिंह—

मान्यवर अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित उन्होंने कहा कि उन्होंने किसान यूनियन का नाम ही नहीं सुना है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय टिकैत का नाम क्या उन्होंने सुना है जिन्होंने आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री को अपने पैर तले धूप में खड़ा कर दिया था और आपके खाद्य मंत्री जी ने बीच-बचाव किया था तो क्या उस टिकैत के किसान यूनियन का नाम सुना है या नहीं वह बता दें।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, कभी अखबारों में जरूर कुछ आया लेकिन जिस दिल्ली धरने में बुलाये जाने का प्रश्न है उसमें मैंने कहा मैं नहीं जानता (व्यवधान) जिस धरने की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं इस तरह का धरना-वरना कोई हुआ था मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मुझे समझ में नहीं आता कि शासन को इस बात के लिये बधाई दूं कि उन्होंने अपनी अकुशलता और अक्षमता को स्वीकार किया। प्रदेश के लाखों किसानों ने धरना दिया और उन्हें इस बात की जानकारी न हो तो उनकी इस अकुशलता और अक्षमता को स्वीकार करने के लिये बधाई देता हूं। तो क्या उनको इसी तरह से जानकारी प्राप्त होगी जैसे केन्द्र सरकार को मिडरवाले की जानकारी 4 साल बाद प्राप्त हुई तो क्या उसी तरह किसान यूनियन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी यदि नहीं तो क्या प्रदेश के लाखों किसानों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनकी क्या मांग है? उससे इस सदन को अवगत करायेंगे।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि पिछले समय ही माननीय सदस्य बरार जी के प्रश्न में मेरठ के घरने की सूचना माननीय सदन को दी गयी थी। लेकिन यह प्रश्न जो दिल्ली की तथाकथित रैली के संबंध में बता रहे हैं इसकी सूचना नहीं है वैसे शासन सदैव सजग चुस्त और एफिशिएन्ट है। उसकी दक्षता जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार, कोई चीज होती है तो उसमें सजग रहती है और कहीं बुलाया नहीं जाता है, तो हम किसी के कार्यों में दखल नहीं देते हैं। (व्यवधान)

जनपद बाराबंकी व फैजाबाद की तहसील बीकापुर में ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत

*2—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गत रबी की फसल वर्ष 1988-89 में मार्च ओला वृष्टि के कारण जनपद बाराबंकी व फैजाबाद की तहसील बीकापुर में 90 प्रतिशत फसल बरबाद हुई थी ? यदि हां, तो ओला प्रभावित किसानों को कौन-कौन सी राहत दी गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बाराबंकी में दिनांक 14 फरवरी, 1988 तथा 19 मार्च, 1988 को ओला वृष्टि से रबी की फसलें प्रभावित हुईं जहां केवल 73 ग्रामों में 75 से 100 प्रतिशत की अनुमानित क्षति हुई।

दिनांक 14 फरवरी, 1988 को जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर में ओला वृष्टि हुई थी जहां 81 ग्रामों में क्षति का अनुमान 75 से 100 प्रतिशत तक रहा।

बाराबंकी जनपद में भूराजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई, जिसके उपरान्त सीलिंग लगान में 85.40 पैसे तथा मालगुजारी में 6,41,545.95 रु0 की छूट दी गई। ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जनपद बाराबंकी के 12 विकास खण्डों के 112 न्याय पंचायतों में 184 कार्य कराये गये, जिसके फलस्वरूप 3,69,681 मानव दिवस का सृजन हुआ।

जनपद फैजाबाद के ओला प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किये गये तथा राजकीय देयों की वसूली तीन माह तक स्थगित कर दी गई। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कराई गई। रोजगार के अवसर हेतु तीस लाख रुपये का कार्य कराया गया।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रश्न के उत्तर का स्वयं अवलोकन करें, उन्होंने उत्तर में स्वीकार किया है कि बाराबंकी में 75 से 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है और तहसील बीकापुर में भी इतना ही नुकसान हुआ है। परन्तु बाराबंकी की जनता को राहत देने के लिये 6 लाख 41 हजार रुपये की मालगुजारी में छूट दी गयी, तो क्या अब वह बीकापुर में हुई क्षति के लिये भी राजस्व माफी करने पर विचार करेंगे।

श्री माता प्रसाद—

अभी फैजाबाद की सूचना पर राजस्व परिषद् पर्यवेक्षण कर रहा है, वहां से आने के बाद वहां की भी छूट दे दी जायेगी।

कर्नल बेलारी सिंह—

केवल बाराबंकी और फैजाबाद में ही ओला वृष्टि से क्षति नहीं हुई थी, बल्कि बस्ती में भी बहुत क्षति हुई थी, तो क्या वहां के किसानों को भी सुविधा देने की वह कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

वहां के लिये सूचना की आवश्यकता होगी । वहां किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो वहां के लिये भी लगान माफी की जायेगी ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे--

पिछले वर्ष ओला वृष्टि से किसानों और ग्राम वासियों को जो नुकसान हुआ था, उसके लिये लेखपाल द्वारा लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन अभी तक हमारे जनपद गाजीपुर में मुआवजा नहीं हुआ है, तो क्या वह उनकी राहत देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

जनपद गाजीपुर के सम्बन्ध में भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

आज ही कार्य सूची में एक अन्य सवाल है, जिसमें मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बाराबंकी जनपद से 582 गांवों में 75 प्रतिशत से अधिक ओला वृष्टि से क्षति हुई है, तो क्या इन 582 गांवों का भू-राजस्व माफ कर दिया गया है ?

श्री माता प्रसाद--

बाराबंकी में 582 गांव प्रभावित अवश्य हुये थे, लेकिन इसमें से 173 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत तक ही क्षति हुई थी और 300 गांवों में 60 से 74 प्रतिशत तक क्षति हुई थी और शेष 109 गांवों में 50 से 59 प्रतिशत तक क्षति हुई थी । तो जहां 75 से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई थी पूरी माफी कर दी गयी है और 300 गांवों में जहां 60 से 74 प्रतिशत हानि थी 60 पैसा मालगुजारी माफ की गयी है और 50 से 59 प्रतिशत हानि वाले 109 गांवों में 50 पैसा की माफी की गयी है ।

श्री हरि शंकर तिवारी--

इन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिये शासन की क्या कोई सामान्य नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री माता प्रसाद--

हर जिले में प्राकृतिक आपदाओं के लिये रुपया दे दिया जाता है । सरकार की तरफ से और जब प्राकृतिक आपदायें आती हैं तो मनुष्य की क्षति होती है तो 5 हजार रुपया दिया जाता है बड़ा पशु मरे तो एक हजार और छोटा पशु मरे तो ढाई सौ रुपये तक दिया जाता है । बड़ा मकान गिरता है तो उसमें एक हजार और आंशिक क्षति होती है तो उसके लिये 200 रुपये दिये जाते हैं साथ ही अनावर्तक सहायता के रूप में 500 रुपये तक उनको खाने आदि के लिए दिया जाता है ।

श्री मित्रसेन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली फरवरी में जो ओला वृष्टि हुई है, बाराबंकी की रिपोर्ट तो उनको प्राप्त हो गई और उन्होंने उनका राजस्व माफ कर दिया, हमारे जिले के बीकापुर के 81 गांवों में जो इतनी ही क्षति हुई है तो उनकी वसूली गरीब किसानों से मार-मार कर की जा रही है । बड़े लोग रह जायेंगे, जब आप माफ करेंगे, तो बड़ों को फायदा मिलेगा छोटे रह जायेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाकर बाराबंकी की तरह बीकापुर तहसील का लगान माफ, समय के अन्दर करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

जहां इस तरह की आपदायें आती हैं उनसे वसूली नहीं की जाती है । जहां इस तरह की आपदायें आती हैं वहां से छूट के कागज बनकर जब पूरे आ जाते हैं तो उसका राजस्व परिषद् से परीक्षण किया जाता है उसके बाद ही लगान माफ की जाती है ।

*3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद उन्नाव थाना मौरावां के थानाध्यक्ष, कतिपय पुलिस कर्मियों एवं नागरिकों के विरुद्ध हत्या विषयक आरोपों की जांच व कृत कार्यवाही

*4—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि वर्ष 1987 में थाना मौरावां में थानाध्यक्ष समेत कुछ पुलिस कर्मियों व नागरिकों पर ग्राम बरौला में एक व्यक्ति की हत्या करने तथा हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था और थाने की पुलिस भी लाइन हाजिर हुई थी ? यदि हां, तो क्या मृतक के परिवार वालों ने प्राथमिकी में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो क्या एस0 पी0, उन्नाव ने इसकी विवेचना सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से कराने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है ?

श्री सईदुज्जमा—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1987 में नहीं, अपितु वर्ष 1986 में श्री सूरज पाल सिंह पुत्र श्री बचान सिंह, निवासी कस्टौलवा, कस्बा थाना पुरवा ने दिनांक 16 अक्तूबर, 1986 को थाना मौरावां, जनपद उन्नाव में 5 व्यक्तियों सर्वश्री दाताराम यादव, राम नाथ बेडिया, राम प्रसाद, छोटे लाल एवं हरिशंकर यादव के विरुद्ध मु0 अ0 सं0—200/86 धारा 364 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया । किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ । विवेचना से मामला हत्या का पाये जाने पर उक्त अभियोग को धारा 147/302/201 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । इस प्रकरण की क्षेत्राधिकारी पुरवा द्वारा की गई जांच में अन्तरिम जांच आख्या की संस्तुति के आधार पर थानाध्यक्ष जगरूप सिंह, उप निरीक्षक, मुन्ना लाल तिवारी व उप निरीक्षक, लालाराम गंगवार को दिनांक 21 अक्तूबर, 1986 को पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधारपर उपर्युक्त प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को 16 जनवरी, 1987 को सौंप दी गयी, जो अभी प्रचलित है । अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जून 1986 में प्रश्नगत हत्या हुई थी । माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है, कि उसमें जो अभियुक्त हैं वह अत्यन्त आदरणीय हैं, अन्य जनपदों के हिस्ट्रीशीटरों में से एक हैं । दूसरी बात गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई, उसमें क्षेत्राधिकारी के स्तर के अधिकारी ने उसकी जांच कर ली और मामले को हत्या के मुकदमें में परिवर्तित कर दिया, फिर अपने उस जांच को सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया, इसमें जो जांच करेगा वह सी0 ओ0 से नीचे स्तर का होता है, तो सी0 आई0 डी0 के इन्स्पेक्टर से इसमें जांच कराने का क्या औचित्य है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब क्षेत्राधिकारी ने जांच कर ली और उसे 302 के मामले में परिवर्तित कर दिया, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसे संदिग्ध क्यों कर दिया गया ?

श्री सईदुज्जमा—

इस मामले में तीन अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसमें कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा लाश को हटाये जाने की बात आई थी, तो इसको देखते हुये कि कहीं पुलिस द्वारा तो इसमें कोई गल्ती नहीं हो गई है इसको सी0 आई0 डी0 जांच के लिये भेजा गया है मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षण के लिये वहां की मिट्टी और सामान आदि भेजा गया है अभी परीक्षण आख्या प्राप्त नहीं हुई है । इस अभियोग के वादी के कथन में बाबूराम पासी की पत्नी द्वारा बताये गये साक्षीगण

अपने इस कथन का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि अभियुक्तगण मृतक उदयराज सिंह को बाबूराम के घर से शराब पिलाने के लिये ले गये थे इस प्रकार मृतक उदयराज सिंह को आखिरी बार जिन्दा देखने के साक्षी अपने कथनों का समर्थन नहीं कर रहे हैं । इसी कारण किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है । तो मान्यवर, यह चीजें परीक्षण के लिये गयी हैं और इसमें अभी जांच प्रचलित है ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि प्रायः यह देखा गया है कि सी0आई0डी0 की जांच में निरन्तर विलम्ब होता है जिससे विषय की गम्भीरता समाप्त हो जाती है और ऐसा माना जाने लगता है कि सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का मकसद उस पूरे प्रकरण को टालना है । गम्भीर विषयों की जांच जब सी0 आई0 डी0 को सौंपी जाती है तो उसमें वर्षों लग जाते हैं । क्या इस बात को देखते हुये सी0 आई0 डी0 की जांच के लिये कोई समय निर्धारित कर दिया जायगा कि 3 महीने के अन्दर पूरे प्रकरण की जांच करके सी0 आई0 डी0 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया करे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे ताल्लुक नहीं रखता है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि दिनांक 16-10-85 को थाना मौरावां में रिपोर्ट लिखी गयी आई0 पी0 सी0 334 के तहत और फिर आपने बताया है कि उसको धारा 147/302 में कनवर्ट किया गया है । मेरा प्रश्न है कि जो उसमें मुलजिम पाये गये हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है । जो आपने 364 के मुकदमे को कनवर्ट किया है तो वह किस डेट को कनवर्ट किया गया है । तीसरा मेरा सवाल है कि जब ए0 पी0 को मालूम हुआ कि लाश हटायी गयी है तो उसकी डेट क्या थी ? मेरे इन तीन प्रश्नों का जवाब दिलवा दें ।

श्री सईदुज्जमा—

क्रिमिनल हिस्ट्री तो मौजूद नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री उनके पास नहीं है । मेरे बाकी प्रश्नों का जवाब दिलवा दें कि मुकदमा किस डेट को 302 में कनवर्ट किया गया और जब ए0 पी0 को मालूम हुआ कि लाश हटायी गयी है तो उसकी डेट क्या है ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, 16 जनवरी, 1986 को यह मुकदमा 364 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था । इसमें किसी पुलिस कर्मी की शिकायत नहीं की गयी थी । 20 जनवरी, 1986 को यह मुकदमा कनवर्ट किया गया । क्षेत्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह पुलिस कर्मी उनके यहां रहने के लायक नहीं हैं क्योंकि यह साक्ष्य पर प्रभाव डाल सकते हैं । तो इनको देखते हुये उनको वहां से हटा दिया गया । इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 कर रही है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, जब क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट आ गयी और उनकी रिपोर्ट पर मुकदमे को धारा 364 से 302 में कनवर्ट कर दिया गया, तो उनको गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त ।

*5—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[नियम 28 (19) के अन्तर्गत निरस्त]

नोट—नत्थी "घ" के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जनपद मेरठ में एक नयी चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव

*6—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में गन्ने के अधिक उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए एक नयी चीनी मिल खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त चीनी मिल को लगाये जाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां । जनपद मेरठ की तहसील मवाना के मऊखास स्थल पर 2500 टी0 सी0 डी0 क्षमता की एक चीनी मिल सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लगाये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को 9 फरवरी, 1989 को भेजा गया है । चूंकि लाइसेंस स्वीकृति का अधिकार भारत सरकार को है अतः लाइसेंस स्वीकृत हो जाने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्य की जायेगी ।

जौनपुर की तहसील शाहगंज गुरनी एवं खेतासराय में परिवहन निगम का बस अड्डा व बुकिंग आफिस खोलने की मांग

*7—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की तहसील शाहगंज, गुरनी व खेतासराय में परिवहन निगम के बसों के लिये कोई बस अड्डा व बुकिंग आफिस नहीं है जिसके कारण वहां यात्रियों को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में बुकिंग आफिस व बस अड्डा खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी नहीं ।

शाहगंज में परिवहन निगम का बस स्टेशन पूर्व से ही स्थापित है । गुरनी व खेतासराय में निगम का कोई बस अड्डा बुकिंग आफिस नहीं है किन्तु उक्त स्थान पर निगम का फेयर स्टाप्स है जहां सभी बसें रुक कर यात्रियों को परिवहन सुविधा पहुंचाती हैं । ऐसी स्थिति में वहां के यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं है ।

जहां तक गुरनी तथा खेतासराय में बस अड्डा बनाने के सम्बन्ध में इस विषय में उल्लेखनीय है कि निगम की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा पहले से निर्माणाधीन कार्यों पर हो रहे व्यय के कारण डिपो स्टेशनों को छोड़ कर अन्यत्र बस स्टेशन आदि न बनाये जाने की नीति है । निगम की नीति को देखते हुये फिलहाल इन स्थानों पर बस स्टेशन बनाना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद नैनीताल की सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं की जल व वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु दिये निर्देश

*8—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं, जनपद नैनीताल से भारी जलवायु प्रदूषण हो रहा है जिससे उक्त क्षेत्र के नागरिकों व जानवरों

के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो प्रदूषण की रोकथाम के लिये सरकार ने कोई निर्देश दिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उद्योग द्वारा स्थापित शुद्धिकरण संयंत्रों द्वारा पूर्ण रूप से शुद्धिकरण न कर पाने के कारण प्रदूषण की संभावना बनी रहती है किन्तु स्वास्थ्य के लिये कोई गंभीर खतरा नहीं है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा उद्योग की सहमति (वायु) अस्वीकार कर दी गयी है तथा उपचार व्यवस्था के और सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिये गये हैं। जलीय उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की दिशा में की गयी प्रगति के प्रकाश में उद्योग को सशर्त सहमति (जल) निर्गत की गयी है।

उद्योग में दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले परिचालकों को नियंत्रित करने वाले कन्डेन्सर को उचित रूप से नियंत्रित करने हेतु तथा पार्टिकुलेट की मात्रा के संबंध में उचित उपचार व्यवस्था के निर्देश एवं शुद्धिकरण संयंत्र के आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया अन्तर्गत खुखुन्दू थानाक्षेत्र में बढ़ रही चोरी आदि के विरुद्ध जनतापार्टी के तत्वाधान में हुई सभा में पत्थरबाजी की जांच

*9—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत खुखुन्दू थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी, डकैती, हत्या, लूट व समाज के निर्बल वर्गों के उत्पीड़न के विरुद्ध दिनांक 5 अगस्त, 1988 को जनता पार्टी के तत्वाधान में घेराव व सभा के अवांछनीय तत्वों ने पुलिस की गठजोड़ से भंग कर दिया तथा नेताओं पर टमाटर ईंटा आदि से चोट पहुंचायी गयी तथा परगनाधिकारी मलेमपुर (देवरिया) को भी चोट पहुंचाई गयी? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

गृहमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

जी नहीं। बल्कि वास्तविकता यह है कि श्री हरिकेवल प्रसाद मू0 पू0 विधायक की अध्यक्षता में दिनांक 5 अगस्त, 1988 को जनता पार्टी के तत्वाधान में शिवाजी इन्टर कालेज, खुखुन्दू के प्रांगण में सभा प्रारम्भ हुई, सभा के दौरान मंच पर उपस्थित कुछ वक्ताओं द्वारा अपने भाषण में पुलिस व प्रशासन के विरुद्ध अवांछनीय टिप्पणी की गई और अपशब्दों का प्रयोग किया गया। भाषण कर्ताओं के अपशब्दों से कालेज के छात्रों एवं उपस्थित जनता में प्रतिक्रिया हुई। छात्रों एवं जनता के कुछ लोगों ने आक्रोश होकर पत्थरबाजी की जांच से यह प्रकाश में आया कि श्री हरिकेवल प्रसाद के कुछ समर्थकों द्वारा जवाबी पत्थरबाजी के दौरान परगनाधिकारी, मलेमपुर के वाहन पर भी कुछ पत्थर पड़े। मौजिया में प्रथम मंच पर उपस्थित लोगों के गालीनुमा भाषणों के कारण ही न हो पाया। घटना के संबंध में किसी पक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागार विभाग में नियुक्त शिक्षकों की वेतन भत्तों में वृद्धि की मांग

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों में नियुक्त लगभग 65 शिक्षकों की सेवा शर्तें एवं वेतन क्रम क्या हैं। क्या मंत्री जी इनकी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके वेतन भत्तों में वृद्धि पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं होमगार्ड व पेंशन राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह एडवोकेट)—

कारागार विभाग में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा नियमावली, 1983 से नियंत्रित होती हैं। उनके वेतन-मान निम्नवत् हैं—

प्रधानाध्यापक—रु0 400-10-470-द0 रो0-10-500-15-560-द0 रो0-15-620।

अध्यापक—(क) रु0 365-8-405-10-425-द0 रो0-10-485-द0 रो0-10-495-12-555 (हाई स्कूल और प्रशिक्षित के लिए)।

(ख) रु0 350-7-380-8-396-द0 रो0-8-46-10-500, जो हाई स्कूल नहीं हैं, किन्तु प्रशिक्षित हैं।

(ग) रु0 335-नियत वेतन अप्रशिक्षित के लिए।

वेतन भत्तों का मामला समता समिति के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंचवर्षीय जिला स्तरीय योजना तैयार करने हेतु जिलों का चयन

*11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पंचवर्षीय जिलास्तरीय योजना तैयार करने के लिये कौन-कौन जिले अभी तक चयनित किये गये हैं? योजना की रूपरेखा का आधार क्या होगा? वर्तमान में चालू जिला सेक्टर की योजना से यह प्रस्तावित जिला-स्तरीय योजना किस रूप में भिन्न होगी? जिलास्तरीय योजना के लिये वित्तीय प्राविधान किस प्रकार किया जायेगा?

नियोजन मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)—

प्रदेश में जिला योजना संरचना की पद्धति एवं प्रक्रिया में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में प्रयोगात्मक रूप में सीतापुर तथा फतेहपुर जनपद को चुना गया है। सीतापुर जनपद की योजना संरचना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के तकनीकी मार्गदर्शन में तथा फतेहपुर जनपद की जिला योजना संरचना क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान के तकनीकी मार्ग दर्शन में की जा रही है।

वर्तमान वार्षिक योजना की तुलना में इन योजनाओं में केन्द्रीय योजना आयोग से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से संसाधनों का सर्वेक्षण अभिज्ञान, दीर्घकालीन कार्यों की रूपरेखा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मूलभूत आवश्यकताओं का अभिज्ञान एवं प्राथमिकता का निर्धारण, राज्य सेक्टर तथा अन्य योजनाओं का एकीकरण, प्रभावी अनुश्रवण तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के प्रति निवायन के संबंध में सुझाव आदि पर विवेचना की जायेगी।

जिला सेक्टर परिव्यय से जनपद को प्राप्त होने वाले अंश के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रोनिधानित योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं के केन्द्रीय अंश, संस्थागत वित्त, पंचायती राज, सहकारी समितियां, स्वायत्तशासी संस्थाओं, लोगों की निजी पूंजी तथा अन्य स्रोतों से अधिक से अधिक संसाधन जुटा कर जिला योजनाओं को वित्त पोषित किया जायेगा, ताकि विद्यमान संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

जनपद बाराबंकी के गावों में ओलावृष्टि से फसल की क्षति

*12—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20 मार्च, 1988 को उस वर्ष के दूसरी बार के भयानक ओलावृष्टि से जनपद बाराबंकी के सैकड़ों गावों की फसल

पूर्णतया नष्ट हो गयी और ग्राम सोनौली, परगना सूरजपुर, तहसील रामसनेही घाट में 15 लोग घायल हो गये तथा एक बच्चे की मृत्यु हो गयी थी। क्या फसल की भीषण बर्बादी को ध्यान में रखते हुए सरकार इन ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों को आर्थिक अनुदान, तकावी एवं बीज व खाद हेतु आर्थिक सहायता की व्यवस्था करायेगी?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं।

ओलावृष्टि दिनांक 19 मार्च, 1988 को हुयी जिससे 582 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई।

इस ओलावृष्टि से ग्राम सोनौली, परगना सूरजपुर, तहसील राम सनेही घाट में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी बच्चे की मृत्यु हुई।

ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों को बीज एवं खाद हेतु 16,500 रु0 की धनराशि तकावी अनुदान के रूप में दी गयी है तथा 63 ग्रामों में राहत कार्य कराये गये, जिससे 46,666 मानव दिवसों का सृजन हुआ।

ग्रामीण आबादी की भूमि की हदबन्दी कराने पर विचार

*13—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले झगड़े एवं मुकदमें में अधिकांश आबादी से संबंधित है क्योंकि आबादी में न तो नम्बरिंग है और न ही ग्रामवासियों की भूमि की कोई हदबन्दी है? यदि हां, तो जनहित एवं भूमि व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु ग्रामीण आबादी की हदबन्दी करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

ग्रामीण आबादी के बन्दोबस्त कराये जाने के लिये विधिक व्यवस्था प्रस्तावित राजस्व संहिता विधेयक में की जा रही है।

जनपद बलिया के विधायकों को जिलाधिकारी, अशोक कुमार के विरुद्ध प्रेषित शिकायतों की जांच हेतु कृत कार्यवाही

*14—श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के आठों विधायकों को जिलाधिकारी, बलिया, अशोक कुमार के विरुद्ध प्रेषित शिकायतों की जांच आयुक्त, वाराणसी को दी गयी थी? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि आयुक्त, वाराणसी जांच हेतु बलिया नहीं गये और न माननीय विधायकों से सम्पर्क किया? यदि हां, तो आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, प्रश्नगत जांच आयुक्त, वाराणसी मण्डल को सौंपी गई थी।

माननीय विधायकों द्वारा मण्डलायुक्त को समय-समय पर उनके बलिया प्रवास के अवसर पर अथवा मण्डलीय मुख्यालय पर जिन तथ्यों से अवगत कराया गया उनको ध्यान में रखते हुये मण्डलायुक्त द्वारा प्रश्नगत जांच गोपनीय ढंग से की गई। अतः मण्डलायुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद से जरीनपुर तक जाने वाली प्राइवेट बसों को परमिट देने की मांग

*15—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री फर्रुखाबाद से जरीनपुर तक आने-जाने वाली प्राइवेट बसों को जनता की सुविधा के लिये बदायूं तक का रूट परमिट प्रदान करने का आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रमोद कुमार—

न्यायालय की निषेधाज्ञा के कारण इस मार्ग पर सीधी बस सेवा हेतु परमिट जारी करना सम्भव नहीं है ।

*16—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पंजाब से आने वाले शस्त्र लाइसेन्सों के पंजीकरण की रोकथाम

*17—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पंजाब से शस्त्र लाइसेन्स बनकर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में आ रहे हैं और यहां पंजीकृत किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस खतरनाक स्थिति को रोकने के लिये शासन की ओर से कड़े कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

ऐसी जानकारी मिली है कि पंजाब से कुछ शस्त्र लाइसेन्स बनकर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आये हैं और यहां पंजीकृत किये गये हैं ।

प्रदेश के बाहर से आ रहे आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों के बारे में विशेष सतर्कता बरतने व उनका पुलिस द्वारा सत्यापन कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को समुचित निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष, घनघटा द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच

*18—श्री औसान सिंह—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि थानाध्यक्ष, घनघटा, जिला बस्ती के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ओर से 18 जून, 1988 को विशाल प्रदर्शन थानाध्यक्ष के भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार व हरिजन उत्पीड़न को लेकर किया गया था ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

दिनांक 18 जून, 1988 को थानाध्यक्ष, घनघटा के विरुद्ध भा0 ज0 पा0 के मुहम्मद अयूब अन्सारी व श्री बद्री प्रसाद यादव की अध्यक्षता में करीब 20–25 स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा सभा की गई थी, परन्तु कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था ।

जांच से थानाध्यक्ष, घनघटा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना सहकारी समितियों से गन्ना मूल्य का भुगतान न कराकर सीधे मिल से कराने का औचित्य

*19—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समितियों से गन्ना मूल्य भुगतान कराकर सीधे मिल से भुगतान कराने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे मिल कौन-कौन से हैं जिसमें उक्त व्यवस्था लागू की जा रही है और उसका क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपद गाजियाबाद एवं दिल्ली प्रदेश के मध्य स्थायी सीमा निर्धारित कराने पर विचार

*20—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद गाजियाबाद एवं दिल्ली प्रदेश के मध्य कोई स्थायी सीमा निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन दोनों प्रदेशों के बीच स्थायी सीमा निर्धारित करेगा ?

श्री माता प्रसाद—

भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा तत्कालीन गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या 350/33, दिनांक 14 दिसम्बर, 1933 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद तथा दिल्ली प्रदेश के मध्य कुछ स्थलों पर सीमा ग्रामों की सीमाओं के आधार पर निर्धारित है और कुछ स्थलों पर यमुना नदी की गहरी धारा के आधार पर निर्धारित है ।

अतारांकित प्रश्न

चकबन्दी विभाग के चकबन्दीकर्त्ताओं को सुपरवाइजर कानूनगो के बराबर वेतन का भुगतान किया जाना

1—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या 4296-84--501-रा0-8, दिनांक 12 मार्च, 1988 के द्वारा चकबन्दी विभाग में कार्यरत चकबन्दीकर्त्ताओं को सुपरवाइजर कानूनगो के बराबर वेतन देने का निर्देश जारी हुआ है ? यदि हाँ, तो प्रदेश के किन जिलों में अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है तथा कितने कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर में प्रकाशित ग्रामों के अभिलेख चकबन्दी कार्यालय को सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर, फैजाबाद को हस्तान्तरित किया जाना

2—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में दिनांक 22 फरवरी, 1986 को धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रामों के अभिलेख चकबन्दी कार्यालय को सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर, फैजाबाद से हस्तान्तरित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

119 ग्रामों में से केवल 7 ग्रामों के अभिलेख अभी प्राप्त नहीं कराये गये हैं । लिखा-पढ़ी की गयी है ।

जनपद वाराणसी के वर्ष 1987 में सूखा राहत कार्य तथा अतिवृष्टि से ध्वस्त आवासीय मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा

3—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 के सूखा व अतिवृष्टि से हुई क्षति के संबंध में सूखा राहत कार्य तथा अतिवृष्टि से ध्वस्त आवासीय मकानों की क्षतिपूर्ति के लिये वाराणसी जनपद को क्रमशः अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और उनका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

श्री माता प्रसाद—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1987 में सूखा व अतिवृष्टि के कारण राहत कार्यों हेतु जनपद वाराणसी के सिंचाई विभाग को 65.80 रु0 लाख जल निगम को 37.50 लाख, रु0 विकास/परियोजना विभाग को 60.00 रु0 लाख, कृषि विभाग को 68.89 लाख, रु0 उद्यान विभाग को 2.83 लाख रु0 तथा पशुपालन विभाग को 0.50 लाख रु0 अर्थात् कुल 235.54 लाख रु0 आवंटित किये गये। अतिवृष्टि से आवासीय मकानों के लिये अनुदान हेतु राजस्व विभाग द्वारा 21.00 लाख रु0 आवंटित किये गये थे।

आवंटित धनराशियों का उपयोग विभागवार निम्न प्रकार किया गया—

(1) सिंचाई विभाग द्वारा 53.64 लाख रु0 व्यय करके नहरों की गिल्ट सफाई नालों/ड्रेनों/जलाशयों/सीमान्त बन्धों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण सुधार विशेष मरम्मत एवं आधुनिकीकरण आदि कार्यों को कराया गया।

जल निगम द्वारा आवंटित धनराशि में से ग्रामीण क्षेत्रों में 310 इण्डिया मार्क-2 के हैन्डपम्पों तथा नगरीय क्षेत्रों में 30 हैन्डपम्पों की स्थापना की गई। विकास/परियोजना विभाग द्वारा 44.00 लाख रु0 एवं 642.45 मीट्रिक टन खाद्यान्न व्यय करके ग्रामीण क्षेत्रों में 114.64 किमी0 कच्ची सड़क, 40.28 किलोमीटर मूल निर्माण, 196.915 किमी0 बरहा, 12.20 किलोमीटर कच्ची नाली, एक तालाब तथा भूमि संरक्षण का कार्य कराया गया। कृषि विभाग द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर अनुदान वितरित करके कुल लगभग 6.589 लाख रु0 व्यय किया गया।

उद्यान विभाग द्वारा अगेती आलू कार्यक्रम के लिये प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 2.731 लाख रु0 व्यय किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा हेतु 49,945 रु0 की औषधि का क्रय करके किया गया। राजस्व विभाग द्वारा गृह अनुदान के रूप में प्राप्त 21.00 लाख रु0 का उपयोग जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों के स्वामियों को गृह अनुदान के रूप में वितरित कर दिया गया।

सूचना विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध विज्ञापन देने की जांच हेतु श्री मूल चन्द्र, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कृत कार्यवाही।

4—श्री मूल चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सूचना विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध विज्ञापन देने के बारे में उच्चस्तरीय जांच के लिये प्रशासकर्ता का पत्र सं0 1045 उनके कार्यालय में तारीख 24 सितम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना एवं संसदीय राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद की फर्म दुर्गा स्टील फ्लायर्स द्वारा बिक्री कर वंचना सम्बन्धी श्री [illegible] सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही ।

5—श्री मूलचन्द्र—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि गाजियाबाद की फर्म दुर्गा स्टील फ्लायर्स द्वारा वर्ष 1980-81 में खरीद को छिपाकर बिक्री कर वंचना करने के बारे में श्री [illegible], सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 1049 मुख्य मंत्री जी को तारीख 4 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । तथापि इसी विषय पर पत्र संख्या 1099/88, दि0 1 अक्तूबर, 1988 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न में संदर्भित पत्र पर आयुक्त, बिक्री कर से आख्या मांगी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ में बिक्री कर की चोरी के विषय में श्री [illegible], सदस्य, विधान सभा का पत्र ।

6—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के संदर्भ में क्या वित्तमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री [illegible], सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 1041 मुख्य मंत्री जी को तारीख 24 सितम्बर, 1988 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

विचारोपरान्त पत्र निक्षेप कर दिया गया है ।

लखनऊ बिक्री कर कार्यालय के खण्ड-11 के अधिकारी के चार्ज में अनियमितता

7—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दोषी अधिकारियों को किस प्रकार और कब दण्डित किया गया ? दण्डित करने की तिथि से इनको किस-किस पद पर रखा गया ? डायरियों के पन्ने गायब होने की जांच किस अधिकारी ने की थी ? क्या जांच रपट सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को दिनांक 1 मार्च, 1983 के आदेश द्वारा निन्दनीय प्रविष्टि देकर दण्डित किया गया ।

बिक्री कर अधिकारी के संवर्ग में आने वाले विभिन्न पदों पर तैनातियां दी गईं ।

जांच तत्कालीन सहायक आयुक्त/उपायुक्त (शा0), बिक्री कर, लखनऊ द्वारा की गई थी ।

जांच रपट सदन के पटल पर रखने की उपयोगिता नहीं प्रतीत होती ।

लखनऊ में बिक्रीकर अधिकारी श्री आर0 के0 केशरवानी द्वारा मकान बनाने की जांच के संबंध में श्री खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र

8—श्री मूल चन्द्र—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में बिक्रीकर अधिकारी श्री आर0 के0 केशरवानी द्वारा नवल किशोर रोड पर मकान बनाने की जांच के बारे में सदस्य, विधान परिषद्,

श्री खान अब्दुल वहूद खां का पत्र संख्या 625 मुख्य सचिव को दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य का पत्र संख्या 625, दिनांक 13 अक्तूबर, 1987 विभाग में उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य से पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा चुका है, उपलब्ध होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

रायबरेली में नियुक्त बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध व्यापारियों की शिकायतों पर जांच

9—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 147 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री सिंह की हत्या किस तारीख को हुई? 1984 से उक्त तारीख तक यह अधिकारी कहां-कहां पर और किस-किस पद पर तैनात रहे? इस अधिकारी की जांच में असाधारण विलम्ब 5 वर्ष का क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 11 मार्च, 1988 को।

(1) बिक्री-कर अधिकारी, सचल दल, लखनऊ जनवरी, 1984 से मई, 1984 तक,

(2) बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0), लखनऊ जून, 1984 से जुलाई, 1985 तक।

(3) बिक्रीकर अधिकारी (ए) इटावा जुलाई, 1985 से 11 मार्च, 1988 तक

अधिकारी के विरुद्ध अन्तिम रूप से आरोप-पत्र दिये जाने तथा सतर्कता जांच करने का निर्णय जून, 1986 में लिया गया, जांच अधिकारी ने जांच 29 फरवरी, 1988 को पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस जांच के आधार पर निर्णय लिये जाने से पूर्व ही 11 मार्च, 1988 को उनकी हत्या कर दिये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही सतर्कता जांच को समाप्त कर दिये जाने का निर्णय लिया गया। जांच में किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं हुआ। जांच में विलम्ब के लिये किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं है।

लखीमपुर-खीरी के एक बिक्रीकर अधिकारी द्वारा सुविधा शुल्क मांगने पर कृत कार्यवाही

10—यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखीमपुर-खीरी के एक बिक्रीकर अधिकारी के द्वारा सुविधा शुल्क मांगने के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वहूद खां का पत्र सं0 512 मा0 वित्त राज्य मंत्री को तारीख 23 मई, 1988 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांचोपरान्त पाई गयी अनियमितताओं के लिए श्री ए0 के0 मौर्य, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।

11—श्री यदुनाथ सिंह—

(दिनांक 21 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 27 द्वारा उत्तरित)

12—श्री यदुनाथ सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

13—श्री यदुनाथ सिंह—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

श्री मधुसूदन, निवासी ग्राम बन्दनपुर, थाना गोसाईगंज, फैजाबाद के हिस्ट्रीशीट खोलने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

14—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री मधुसूदन निवासी ग्राम बन्दनपुर, थाना गोसाईगंज जनपद फैजाबाद को हिस्ट्रीसीट खोलने से संबंधित श्री नेक चन्द्र पाण्डेय विधायक का कोई पत्र माह जून, 1988 में गृह सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर विन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

जी हां। पत्र में अंकित तथ्यों की जांच से ज्ञात हुआ कि मधुसूदन तिवारी के विरुद्ध वर्ष 1984 में एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 435 भा0 दं0 वि0 थाना गोसाईगंज पर पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचना से आरोप सिद्ध होने पर श्री तिवारी एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1985 में एक मु0 अ0 सं0 14/85 धारा 395/39 भा0 द0 वि0 बनाम 8-9 बदमाश नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग की विवेचना में अंतिम रूप से श्री मधुसूदन तिवारी का प्रकाश में आना सही नहीं पाया गया। अन्य कोई मुकदमा मधुसूदन तिवारी के विरुद्ध थाना गोसाईगंज व महराजगंज में पंजीकृत होना और उसमें प्रकाश में आना एवं वांछित होना नहीं पाया गया।

उक्त दोनों मुकदमों के कायम होने के समय थानाध्यक्ष श्री टी0एन0 राय थे और इनके पहले थानाध्यक्ष, श्री राम करन यादव रहे, परन्तु श्री यादव के समय में मधुसूदन तिवारी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। अतः श्री राम करन यादव द्वारा हिस्ट्रीशीट खोले जाने का कोई औचित्य नहीं था। जांच से मधुसूदन तिवारी के रिश्तेदार स्थानीय डाक्टर के कहने पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, अकबरपुर श्री राधेश्याम मिश्रा द्वारा हिस्ट्रीशीट खाका दबाने की बात गलत पाई गयी। मधुसूदन तिवारी वर्तमान में भी थाना गोसाईगंज व महराजगंज के किसी मुकदमें में प्रकाश में नहीं आया है। अतः उसके विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोले जाने की कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री रघुवीर सिंह राणा, भूतपूर्व सैनिक, ग्राम गिवाली, जनपद पौड़ी-गढ़वाल को भूमि आवंटित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री गजराज सिंह—

15—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुवीर सिंह राणा, भूतपूर्व सैनिक, निवासी ग्राम गिवाली, पोस्ट-नौगांव खाल, पट्टी पिंगला पाखा, जिला पौड़ी गढ़वाल को भूमि आवंटन किये जाने हेतु वर्ष 1957 में सेलेक्शन बोर्ड नं0 0609/2257/डी/22/5/57 बैठा था जिसमें 25 एकड़ भूमि स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनकी भूमि आवंटित किये जाने का मामला अभी जिलाधिकारी, बिजनौर के कार्यालय में लम्बित है? क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, बिजनौर के अपने पत्रांक 215/पुनर्वास योजना/डी एल आई सी (25-86), दिनांक 15 जून, 1986 द्वारा उक्त सैनिक को 10 एकड़ भूमि ग्राम रसूलाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर में आवंटित किये जाने हेतु सहमति मांगी गयी थी जो उन्हें दे दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त सैनिक को अब तक भूमि का आवंटन न किये जाने का क्या कारण है तथा उनको कब तक भूमि का आवंटन कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद—

श्री रघुवीर सिंह राणा को कोई भूमि स्वीकृत नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी बिजनौर ने संदर्भित पत्र द्वारा श्री रणवीर सिंह राणा को 10 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने की सहमति मांगी थी ।

अतः श्री रघुवीर सिंह राणा को भूमि आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

16—चौधरी श्याम लाल—

(5वें मंगलवार के लिये स्थगित)

उत्तर प्रदेश में खोले गये 39 नये थानों में जारचा (गाजियाबाद) की स्थिति

17—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष उ0 प्र0 में 39 नये थाने खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्या जारचा भी (गाजियाबाद) उन थानों में से एक है जिसके लिये लगभग दो एकड़ भूमि का प्राविधान ग्राम सभा की भूमि में से कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह थाना एन0 टी0पी0सी0 धौलाना दादरी मार्ग पर मंसूरी थाने के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है ? क्या इस थाने को पुनः जारचा में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां । पिछले वर्ष प्रदेश में जो थाने स्वीकृत किये गये थे उनमें जनपद गाजियाबाद के लिये कोई थाना सम्मिलित नहीं था । थाना जारचा की स्वीकृति पूर्व में ही दिनांक 31 जुलाई, 1986 के शासनादेश द्वारा दी गयी थी ।

ग्राम समाज द्वारा 10 बीघा भूमि थाना जारचा के लिये पुलिस विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर, 1988 को हस्तान्तरित की गई है ।

थाना जारचा की स्वीकृति होने के उपरांत ग्राम जारचा में उपयुक्त भूमि भवन उपलब्ध न होने के कारण थाना जारचा के क्षेत्र में ही थाना मंसूरी व धौलाना के बार्डर पर भारत सरकार के संस्थान एन0 टी0 पी0 सी0 के परिसर भवन में ही थाना के लिये उपयुक्त भवन, पुलिस कर्मियों के लिये बैरक तथा आवास, बिजली व पानी सहित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने पर थाना जारचा उसी भवन में स्थापित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था ।

ग्राम समाज द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर थाना भवन बनाने में काफी समय लगने की सम्भावना है । ग्राम जारचा के प्रधान द्वारा एक किराये का भवन उपलब्ध कराया गया है जो पूरे थाने के लिये पर्याप्त नहीं है, फिर भी दिनांक 19 जनवरी, 1989 को उसमें अधिकांश पुलिस बल स्थानान्तरित कर थाना कार्यरत किया जा चुका है ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस की प्रकाश टाकीज में कथित युवक को जहर देकर मारने की घटना की जांच ।

18—डा0 बंगाली सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के तहसील हाथरस के प्रकाश टाकीज में 23 सितम्बर, 1988 को सरे आम एक युवक (प्रेमपाल) को जहर देकर मार डाला गया तथा उसके घर वालों द्वारा बार-बार अधिकारियों से प्रार्थना करने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23 सितम्बर, 1988 को शहर हाथरस के प्रकाश टाकीज के मैनेजर ने रात 9 बजकर 10 मिनट पर थाना कोतवाली, हाथरस में लिखित सूचना दी कि शाम के शो छूटने पर उन्हें सूचना मिली कि टाकीज में एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है । इस सूचना पर पुलिस द्वारा मृतक अज्ञात की शिनाख्त करायी गयी किन्तु कोई मौके पर शिनाख्त नहीं कर सका । दिनांक 14 सितम्बर, 1988 को मृतक अज्ञात का पंचायतनामा भर कर पोस्ट मार्टम कराया गया । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण अज्ञात रहा । अतः मृतक का विसरा सुरक्षित रखा गया तथा दरयाफ्त हाल जारी करके जांच आरम्भ की गयी । मृतक के शव के फोटो को समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, जिसको देखकर मृतक के घरवालों ने अज्ञात मृतक का नाम प्रेमपाल, निवासी ममौता खुर्द, थाना सासनी बताया । मृतक का विसरा परीक्षण के लिये भेजा गया है, जिसका परिणाम अभी प्रतीक्षित है । विसरा परिणाम ज्ञात होने पर विवेचना को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

श्री बसन्त लाल परगना मजिस्ट्रेट, मांट, जनपद मथुरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं स्थानान्तरण ।

19—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी में है कि मथुरा जनपद में ही परगना मजिस्ट्रेट मांट श्री बंसल लाल को 4 वर्ष हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन के खिलाफ नगरपालिका, कोसी कलां, जनपद मथुरा तथा अन्य तहसीलों में की गई अनियमितता, धन के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच शासन के आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी (एफ0 एण्ड आर0) मथुरा, द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गम्भीर शिकायतों की जांच जिले के बाहर के किसी उच्च अधिकारी से कराने तथा श्री बंसल लाल का मथुरा से स्थानान्तरण निष्पक्ष जांच के लिये करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां,

श्री बसन्त लाल, परगना मजिस्ट्रेट, मांट, जनपद मथुरा में दिनांक 4 अगस्त, 1984 से तैनात हैं । इनके विरुद्ध नगरपालिका, कोसी कलां तथा अन्य तहसीलों में की गयी अनियमितता, धन के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मथुरा द्वारा की जा रही है तथा अपर जिलाधिकारी ने अपनी एक जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी, मथुरा को प्रस्तुत कर दी है । उक्त संदर्भ में जिलाधिकारी, मथुरा की जांच आख्या व संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा जांच जिले के बाहर के किसी उच्च अधिकारी से कराये जाने पर विचार किया जायेगा । श्री बसन्त लाल को जनपद मथुरा में 4 वर्ष पूरे हो गये हैं अतएव इस वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण में इनका स्थानान्तरण दिया जायेगा ।

फैजाबाद, थाना कुमार गंज में दिनांक 24 फरवरी, 1986 को अंकित कराई रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग ।

20—श्री मित्रसेन यादव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ0 स0 83 ए 86 के अन्तर्गत धारा 147/323/504, 325, दिनांक 24 फरवरी, 1986 को रिपोर्ट थाना कुमारगंज, फैजाबाद में अंकित कराई गई है ? यदि हां, तो उक्त प्राथमिकी किस अधिकारी के जांचोपरान्त अंकित कराई गई और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ? विलम्ब के लिये कौन लोग दोषी हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय के सम्बन्ध में डा0 दिनेश जौहरी के पत्र पर कृत-कार्यवाही

21—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

माननीय विधायक को उनके दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 के पत्र के संदर्भ में माननीय राज्यमंत्री, वित्त, संस्थागत वित्त एवं न्याय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1015/89-प्रा0 शि0-1, दिनांक 23 फरवरी, 1989 द्वारा कृत-कार्यवाही से अवगत करा दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कारागारों में 20 वर्ष से अधिक समय काटने वाले आजन्म कारावास भोगी बन्दियों की संख्या एवं उन्हें प्रोवेशन पर छोड़ने पर विचार

22—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय कारागारों में क्रमशः कितने ऐसे आजन्म कारावास भोगी बन्दी हैं, जिन्होंने वास्तविक सजा बीस साल से अधिक काट ली है और उन्हें अभी तक प्रोवेशन पर नहीं छोड़ा गया है ? क्या सरकार ऐसे सभी बन्दियों को शीघ्र छोड़ने का आदेश देगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसमें फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार के कितने बन्दी हैं ?

नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कारागारों में 126 ऐसे आजन्म कारावास भोगी बन्दी हैं, जिन्होंने वास्तविक सजा बीस साल से अधिक काट ली और उन्हें अभी तक प्रोवेशन पर नहीं छोड़ा गया है ।

उक्त बन्दियों में से 82 ऐसे बन्दी हैं जो "उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938" की धारा 2 के अधीन प्रोबेशन पर छोड़े जाने के लिये पात्र नहीं हैं, केवल शेष 44 बन्दी प्रोबेशन पर छोड़े जाने पर विचार किये जाने के पात्र हैं । पात्र बंदियों की मुक्ति के मामलों पर सर्वप्रथम नियमानुसार गठित प्रोबेशन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुतियों पर शासन द्वारा नियमानुसार गुण व गुण के आधार पर विचार किया जाता है । विचारोपरान्त मुक्ति योग्य पाये गये बन्दियों को लाइसेन्स पर मुक्त किया जाता रहा है और अब भी मुक्त किया जाता है ।

इसमें फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार के 73 बन्दी हैं ।

श्री भगवान सिंह वर्मा, संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

23—श्री कनक सिंह—

द्वितीय पत्र 1986 के पहले मंगलवार के अतारा0 प्र0 सं0 49 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मेरठ के ग्राम बड़कली में चकबन्दी कार्य एवं किसानों को कब्जा दिया जाना

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ की तहसील सरधना के परगना दौराला के अन्तर्गत ग्राम बड़कली में चकबन्दी कार्य वर्ष 1986 में पूरा हो गया? यदि हां, तो चकों पर किसानों को कब्जा दिला दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बड़कली में काफी दलबन्दी है तथा चकबन्दी कार्यवाही में विभिन्न पक्षों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता रहा है। एक पक्ष ने मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया था, जो 30 नवम्बर, 1987 को निरस्त हुआ। अनेक शिकायतें भी प्राप्त हुई जाने पर विनिमय अनुपात निर्धारित करने में त्रुटियां प्रकाश में आयीं, अतः पुनः विनिमय अनुपात निर्धारित कर चक निर्माण कार्य सम्पन्न कराने के आदेश पारित किये गये हैं। इस कार्यवाही के पश्चात आपत्ति व अपीलों के निस्तारण के पश्चात कब्जा परिवर्तन संभव है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वार्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाओं का निशुल्क एवं सशुल्क वितरण का विवरण

25—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या सूचना मंत्री, कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा कितनी मासिक व साप्ताहिक पत्रिकायें निकलती हैं और उनका वितरण निशुल्क और सशुल्क कितना है? क्या यह सच है कि प्रकाशन संख्या जितनी बतायी जाती है, उतनी संख्या में पत्रिकायें व साप्ताहिक वितरित व प्रकाशित नहीं होते? क्या सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच करवायी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र—

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा तीन मासिक पत्रिकायें निकाली जाती हैं। साप्ताहिक कोई पत्रिका नहीं निकाली जाती है। इन मासिक पत्रिकाओं का निःशुल्क वितरण निम्नवत है:—

नाम	वितरण संख्या		
	निःशुल्क	सशुल्क	आरक्षित प्रतियां
1—उत्तर प्रदेश हिन्दी मासिक	5021	92	387
2—उत्तर प्रदेश समाचार दर्शन मासिक	4881	..	119
3—नया दौर उर्दू मासिक	752	7,219	24

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

26—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(4थे सोमवार में अता० प्र० सं० 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

पी० सी० एस० परीक्षा के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक पद हेतु चयनित एवं लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर चयनित की नियुक्ति की संस्तुति के बावजूद नियुक्ति न किये जाने का औचित्य

27—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रिय दर्शन मालवीय तथा पांच अन्य लोगों का मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को सम्बोधित दिनांक 17 नवम्बर, 1988 का प्रार्थना-पत्र मिल गया है, जिसमे शिकायत की गयी है कि 1985 की पी० सी० एस० परीक्षा के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु चयनित होने और लोक सेवा आयोग द्वारा ए० आर० टी० ओ० पद पर मेरिट व वरीयता क्रम से नियुक्त करने की संस्तुति के बावजूद इन लोगों की नियुक्ति अभी तक नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और इनकी नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ?

श्री प्रमोद कुमार—

संदर्भित पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1988 प्राप्त नहीं हुआ है ।

जहां तक, सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1985 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु चुने गये अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षा में असफल होने पर संवर्ग के पुनः आवंटन के फलस्वरूप सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद पर नियुक्त किये जाने का सम्बन्ध है, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद पर पूर्व से कार्यरत तीन अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण निम्न तीन अभ्यर्थियों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर अभी नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है ।

(1) श्री ब्रजेश कुमार

(2) श्री प्रिय दर्शन मालवीय,

(3) श्री निर्मल प्रसाद

जनपद गाजीपुर कोतवाली के एस० आई० श्री एम० पी० तिवारी द्वारा श्री बख्शन जंदी के घर लूटपाट करने आदि के प्रकरण की जांच

28—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 नवम्बर, 1988 को जनपद गाजीपुर कोतवाली के एस० आई०, श्री एम० पी० तिवारी ने अपने हमराह कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर थाना मोनहरा स्थित ग्राम हुसेनपुर में बख्शन जंदी के मकान में घुस कर लूटपाट की और बख्शन जंदी को बुरी तरह मारपीट कर कोतवाली में बन्द कर दिया ? क्या बख्शन जंदी के भाई अहमद मिलाल जंदी ने इस घटना की सूचना तत्काल टेलीग्राम द्वारा पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को दी ? पुलिस अधीक्षक को तार किस समय दिया गया तथा बख्शन जंदी को गिरफ्तारी किस समय व किस स्थान पर दर्शायी गयी है ? क्या पुलिस अधीक्षक ने उपरोक्त प्रकरण की जांच करवायी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 14 नवम्बर, 1988 को थाना कोतवाली गाजीपुर के उ० नि० श्री एम० पी० तिवारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली, गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 323/324/308/504/506 भा० दं० वि० के विवेचक के साथ अभियुक्तों की तलाश में ग्राम हुसेनपुर, थाना मोनहरा, गाजीपुर गये और रात में नामजद अभियुक्त बख्शन उर्फ अहमद हिलाल जंदी के मकान पर पहुंच कर उसे आवाज दी तो अभियुक्त बख्शन बाहर आया और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया । अतः उसे आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया ।

उसने अपराध में प्रयुक्त लोहे की राड शहर गाजीपुर चल कर देने को कहा । अतः उसे थाना कोतवाली लाकर हवालात में बन्द कर दिया गया । यह सही है कि अभियुक्त बख्शन के भाई श्री अहमद मिशाल जैदी ने घटना की सूचना तार द्वारा पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को दी । तार पर समय 23–55 दिनांक 15 नवम्बर, 1988 अंकित है जिसे काट कर 14 नवम्बर, 1988 बनाया गया है । अभियुक्त बख्शन जैदी की गिरफ्तारी थाना नोनहरा के ग्राम हुसेनपुर में रात्रि लगभग 24–15 बजे की गयी है । पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ने श्री अहमद मिशाल जैदी के प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, मुहम्मदाबाद से कराई । जांच से आरोप अप्रमाणित रहे ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरतापुर बांड में सीलिंग की वितरित भूमि से आवंटियों की बेदखली

29—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरतापुर बांड में 10 बीघा सीलिंग मद की भूमि, जो पात्र व्यक्तियों में वितरित कर दी गयी थी तथा क्या उस भूमि से आवंटी व्यक्तियों को बेदखल कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सीलिंग मद की उक्त 10 बीघा भूमि पर पुनः पात्र व्यक्तियों को कब्जा दखल दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के ग्राम कनुवान में प्राप्त सीलिंग की भूमि को भूमिहीनों में वितरण की मांग

30—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के ग्राम कनुवान में 25 बीघा कुछ धूर जमीन सीलिंग मद में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो यह भूमि कब तक भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित कर के उनके कब्जे दखल में दे दी जायेगी ? क्या मंत्री जी उक्त भूमि के आवंटन के लिए समयबद्ध आदेश जिलाधिकारी को भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के ग्राम कनुवान में सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कोई भूमि प्राप्त नहीं हुयी है । अतः भूमि आवंटित किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नकटी क्षेत्र में सीलिंग मद में प्राप्त भूमि के वितरण की मांग

31—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नकटी कोल में 12 बिगहा 16 बिस्वा, जमीन सीलिंग मद में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो यह भूमि कब तक भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित करके उनके कब्जे दखल में दे दी जायेगी ? क्या मंत्री जी उक्त भूमि के आवंटन के लिये समयबद्ध आदेश जिलाधिकारी को भेजने का आदेश करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नकटी कोल में सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों के अधीन अभी तक कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई है । अतिरिक्त भूमि घोषित

किये जाने विषयक न्यायिक कार्यवाही अभी लम्बित है । निर्णयोपरान्त ही आवंटन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में सीलिंग मद में ली गई भूमि का विवरण

32—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में सीलिंग मद में किन-किन गावों से कितनी-कितनी भूमि ली गयी और उनमें से किन-किन गावों में पात्र व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि वितरित कर कब्जा दखल करा दिया गया ? उक्त सीलिंग भूमि जो निकाली गयी है उनमें से कितनी भूमि पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ।

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

33—श्री यदुनाथ सिंह—

(लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त) ।

आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय के बिक्रीकर अधिकारी, सचलदल द्वारा अवैध हल्दी की बरामदगी

34—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगल हेतु निर्धारित अता० प्र० सं० 87 के उत्तर में संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं० 625 मुख्य मंत्री को ता० 9 जून, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 625, दिनांक 9 जून, 1988 प्राप्त नहीं हुआ है । अतः पत्र पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला गाजियाबाद, हापुड़ में बिक्री कर अधिकारी की पिटाई विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

35—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1984 में हापुड़, जिला गाजियाबाद में बिक्रीकर अधिकारी (एस० आई० पी०) को बाजार वालों ने पिटाई कर दी थी और इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं० 895 व स्मृति पत्र सं० 929 मा० मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में क्रमशः ता० 16 जून, 1988 व 18 अगस्त, 1988 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य के प्रश्नगत पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं है । माननीय सदस्य से वर्णित पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा चुका है । उपलब्ध होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

36—श्री यदुनाथ सिंह—

(लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,)

राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर बकाया वृत्तिकर धनराशि

37—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि तत्कालीन आयुक्त, बिक्रीकर श्री जी0 गणेश के एक परिपत्र सं0 वि0 ब0 वृत्तिकर 62 (83–84)–2555/बिक्री कर संग्रह, दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 के अनुसार राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर वृत्तिकर की बकाया राशि एक करोड़ रुपया से ऊपर थी ? यदि हां, तो इस बकाया राशि से तारीख 30 जून, 1988 तक कितना वसूला गया, कितना बकाया है ? इसे सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से न काटे जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बस्ती, ग्राम भिटहा में ग्राम सभा भूमि नं0 35 पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

38—श्री सुखपाल पान्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भिटहा तप्पा, फिदाईपुर, परगना महुली, पूरब, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में ग्राम सभा भूमि नं0 35 पर गोमती प्रसाद चतुर्वेदी आदि द्वारा अवैध निर्माण करा लिया गया है ? क्या इस अवैध निर्माण के नींव पड़ने के समय ही श्री कोदई प्रसाद चतुर्वेदी आदि के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 22 फरवरी, 1986 को तहसीलदार महोदय, खलीलाबाद द्वारा अवैध निर्माण को रोकवाने हेतु आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त लोगों द्वारा ग्राम सभा की भूमि चकरोड, नाली एवं ग्राम के मुख्य सामूहिक मार्ग पर आज भी अवैध कब्जे हो रहे हैं ? क्या गोमती प्रसाद चतुर्वेदी पर जुर्माने आदि की जो रकम लगाई गई थी, वसूल कर ली गई तथा उनको उक्त नं0 से बेदखल करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

भूखण्ड संख्या 35 जो खलिहान दर्ज है, में केवल 2 बिस्वा भूमि को मेंड़ बना कर घेर लिया गया था ।

जी हां । मेंड़बन्दी करते समय ही इसे रोकने का आदेश तहसीलदार, खलीलाबाद द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1986 को दिया गया था ।

जी नहीं । इस समय कोई अवैध कब्जा नहीं किया जा रहा है ।

रु0 186 जुर्माना वसूल कर लिया गया है और भूखण्ड संख्या 100 मि0 0–1–5 से बेदखल कर दिया गया है । शेष छः नम्बरान से बेदखली तथा अवशेष जुर्माने की धनराशि रु0 4,539 की वसूली मुंसिफ, न्यायालय, खलीलाबाद तथा जिलाधिकारी, बस्ती के न्यायालय से स्थगित कर दी गयी है ।

जनपद प्रतापगढ़ के अकारोपुर निवासी श्री राम गरीब यादव के अपहरण विषयक दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

39—श्री सुखपाल पान्डे—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1987 में प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता थाने के अकारोपुर गांव के निवासी श्री राम गरीब यादव के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

जांच से पाया गया कि श्री राम गरीब यादव घरेलू कारणों से कुछ दिनों के लिये घर छोड़ कर बाहर चला गया था, जो फिर घर वापस आकर रहने लगा है । श्री यादव के अपहरण की घटना असत्य पाई गयी । अतः इस अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गयी ।

जनपद बस्ती, ग्राम हरेवा शुक्ल, तहसील हरैया शुक्ल के कतिपय हरिजनों के आवासीय पट्टे विषयक प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

40—श्री सुखपाल पान्डे—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरेवा शुक्ल, तहसील हरैया, जनपद बस्ती के कतिपय हरिजनों ने एक प्रार्थना-पत्र आवासीय पट्टा हेतु अपर जिलाधिकारी, वित्त राजस्व, बस्ती को दिनांक 2 मार्च, 1987 को दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि लेखपाल और नायब-तहसीलदार विक्रम जीत ने बिना भूमि प्रबन्धक समिति को सूचना दिये ग्राम हरेवा शुक्ल के बजाय ग्राम बड़रिया बाबू के गांव में गाटा सं0 121 का पट्टा परगनाधिकारी से अनुमोदित करवा दिया है ? यदि हां, तो उक्त पट्टे के अवैध अनुमोदन के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

आवासीय पट्टे का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित करने में आनाकानी करने के कारण परगनाधिकारी ने स्वविवेक से आवंटन की कार्यवाही करायी है ।

पट्टे अवैध नहीं है । अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है ।

उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

गाजियाबाद के जिला गन्ना अधिकारी के द्वारा किये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतों की जांच

41—श्री कनक सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1988 जो गन्ना आयुक्त, को सम्बोधित था तथा जिसके साथ श्री जय प्रकाश वर्मा, निवासी सिम्भावली मिल द्वारा जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतों की जांच हेतु आवेदन किया था, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में अपने जिस पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1988 का उल्लेख किया है वह प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 के साथ श्री जय प्रकाश वर्मा का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है । उक्त शिकायती-पत्र पर जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

1982 की सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता में अनुसूचित जाति के सुरक्षित स्थानों से श्री नाथू राम सागर के रिक्त स्थान पर नियुक्ति का विवरण

42—श्री कनक सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982 की सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता में दस स्थान पी0 स 0 एस0 (डिप्टी कलेक्टर) के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित थे ? क्या यह सच है कि श्री नाथूराम सगर ने अपनी नियुक्ति किसी अन्य विभाग में होने के कारण उक्त पद ग्रहण नहीं किया जिसकी वजह से एक स्थान (डिप्टी कलेक्टर) का खाली रहा ? क्या उस स्थान पर किसी की नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो किस अभ्यर्थी की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । 1982 की सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में केवल 9(नौ) स्थान पी0 सी0 एस0 (डिप्टी कलेक्टर) के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित थे । यह

सच है कि श्री नाथूराम सगर ने किसी अन्य विभाग में नियुक्ति पा जाने के कारण डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति ग्रहण नहीं की और डिप्टी कलेक्टर का एक पद खाली रहा । उस स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गई क्योंकि नियमानुसार परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक से एक वर्ष के बाद हुई रिक्ति में प्रतीक्षा सूची से नाम नहीं लिये जाते हैं तथा यह रिक्ति परीक्षाफल घोषित होने के एक वर्ष बाद हुई थी ।

जिला नैनीताल अन्तर्गत महतोष मोड़ काण्ड के विरोध में गठित संघर्ष समिति के ज्ञापन पर कृत कार्यवाही ।

43—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रुद्रपुर, जिला नैनीताल के उनके दौरे पर दिनांक 28 अक्तूबर, 1988 को नैनीताल जिला अन्तर्गत महतोषमोड़ काण्ड के विरोध में गठित संघर्ष समिति की ओर से एक ज्ञापन तथा इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1988 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां,

प्रश्नगत मामले की करायी गयी जांच से यह पाया गया कि प्रश्नगत घटना दुर्गा पूजा के अवसर पर एकत्रित भीड़ को नियंत्रित किये जाने के प्रयास में मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा भीड़ के कतिपय व्यक्तियों के मध्य वाद-विवाद हो गया था । जिससे भीड़ में भगदड़ मच गयी । भीड़ के उत्तेजित लोगों द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गयी । कथित महिलाओं के साथ बलात्कार होने की सत्यता की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत हुई है फिर भी घटना के पक्ष में जो साक्ष्य उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर बालात्कारियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है ।

जांच के दौरान यह पाया गया कि यह घटना भावावेश में आकर घटित हुई थी । वर्तमान में वहां का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना हुआ है ।

बांदा जिले में बरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 की जमीनों का मुआवजा किसानों को न देने का औचित्य

44—श्री राम संजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बांदा जिले में बरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया (औद्योगिक क्षेत्र) फेज 2 की जमीनों का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया ? क्या मुआवजा न वितरित करने कारण किसान अपनी जमीनों का कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं जिससे योजना पर काम रुका पड़ा है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी बांदा ने 19 अक्तूबर, 1987 को रेड सम्बन्धी आदेश विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा के पास भेज दिये थे जिसके आधार पर मुआवजा की धनराशि निर्धारित करके भुगतान कर देना था ? क्या यह भी सही है कि यू0 पी0 एस0आई0डी0, कानपुर द्वारा मुआवजा वितरण हेतु सत्ताइस लाख रुपये अग्रिम जमा कर दिया गया था, जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा (स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर) के पास मौजूद है ? यदि हां, तो मुआवजा का भुगतान न करने के लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? मुआवजा का भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत धारा 6(1) की विज्ञप्ति दिनांक 9 मार्च, 1987 को की गई । अभिनिर्णय की घोषणा दिनांक 30 जनवरी, 1989 को की गई है तथा प्रतिकर वितरण के लिये 23 फरवरी, 1989 तिथि नियत थी । उक्त तिथि को 39 कृषकों को मुबलिग रु0 6,05,858.51 का भुगतान किया गया है । शेष 28 कृषक भुगतान

लेने नहीं आये । उनके उपस्थित होने पर उन्हें प्रतिकर वितरित किया जायेगा । धारा 6 (1) की विज्ञप्ति के बाद अधिनिर्णय दो वर्ष की अवधि में घोषित किया जाना कानूनन अपेक्षित है ।

जी नहीं । अध्याप्ति निकाय को उपगत अधिगृहीत भूमि का कब्जा दिनांक 28 मार्च, 987 को हस्तान्तरित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

जी हां । सत्ताइस लाख रुपये यू0पी0 एस0आई0डी0सी0, कानपुर द्वारा माह फरवरी, 1986 में उपलब्ध कराया गया था । उपरोक्त प्राप्त धनराशि में से ग्लास फैक्ट्री के प्रतिकर भुगतान के पश्चात् बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के लिये कुल 15,01,113.49 रुपये की धनराशि प्रतिकर वितरण हेतु अवशेष जमा है ।

प्रश्न नहीं उठता है । प्रकरण में कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित अवधियों के अन्दर सम्पादित हो रहे हैं ।

प्रतिकर भुगतान हेतु नियत तिथि 23 फरवरी, 1989 को 39 कृषकों को मुआवजा 5,05,858-51 का भुगतान कर दिया गया है । शेष 28 प्रभावित कृषक उक्त नियत तिथि को भुगतान लेने हेतु नहीं आये ।

45—श्री राम सजीवन—

[दिनांक 22 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0सं0 101 द्वारा उत्तरित]

46—श्री राम सजीवन—

[5 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

प्रदेश के फिल्म विकास निगमों को प्रदेश में प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर की आय का 5 प्रतिशत अनुदान फिल्म उद्योग के विकास हेतु न देने का कारण

47—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के शासनादेश सं0 104/18/84एफ0 (1), दिनांक 5 नवम्बर, 1984 के माध्यम से प्रदेश के फिल्म विकास निगमों को प्रदेश में प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर की आय का 5 प्रतिशत अनुदान फिल्म उद्योग के विकास के लिये देने के लिये निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो यह धनराशि प्रदेश के चलचित्र निगम को जो प्रदेश में फिल्म विकास के कार्यों के लिये है, को क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदेश में मनोरंजन कर का कुल कितना धन एकत्र होता है, तथा भारत सरकार के उक्त निर्देश के अनुसार प्रदेश के चलचित्र निगम को फिल्म उद्योग के विकास के लिये 5 प्रतिशत के रूप में अनुदान कितना देय होगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां ।

मनोरंजन कर राज्य की आय का स्वतंत्र स्रोत है । राज्य के फिल्म उद्योग के विकास की आवश्यकता को मनोरंजन कर के साथ जोड़ना और मनोरंजन कर की आय का कुछ प्रतिशत हमेशा के लिये दिया जाना उचित नहीं समझा गया ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 में मनोरंजन कर से कुल रुपये 53.89 करोड़ की आय हुई थी, जिसका 5 प्रतिशत रुपया 2,69,45,000 होता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, घुघली, जनपद गोरखपुर के फोरमैन श्री पी0 एन0 विश्वकर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच ।

48—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, घुघली, जनपद गोरखपुर के फोरमैन श्री

पी0 एन0 विश्वकर्मा के विरुद्ध घटिया सामान के खरीद करने तथा अन्य संगीन आरोपों से लिप्त हो जाने का मामला जांचोपरान्त गत वर्ष ही प्रकाश में आ गया था तथा इस इकाई से तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक तथा निगम के मुख्यालय से सम्बन्धित टेक्निकल विशेषज्ञ ने श्री विश्वकर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील घोसी, ग्राम धरमपुर के बन्दोबस्त के लेखपाल व कानूनगो के विरुद्ध शिकायती-प्रार्थना-पत्र पर जांच

49—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम धरमपुर बिसुनपुर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के बन्दोबस्त के लेखपाल व कानूनगो के विरुद्ध शिकायत के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र की जांच कब किस अधिकारी ने की और क्या परिणाम निकला ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

ग्राम धरमपुर बिशुनपुर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ वर्तमान जनपद मऊ के बन्दोबस्त के लेखपाल श्री शमशेर सिंह व कानूनगो श्री वृन्दा प्रसाद गुप्त के विरुद्ध शिकायत पर श्री तुलसीराम गंगवार, तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी तथा प्रथम दृष्टया साक्ष्य तथ्य के आधार पर निलम्बित किया गया । जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर सेवा में बहाल किया गया है ।. कानूनगो श्री गुप्ता को आरोप पत्र दिया गया है, जो परगनाधिकारी, बलिया, जो जांच अधिकारी हैं, के यहां विचाराधीन है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा शाहपुर डांडा के प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

50—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम सभा सहपुर डांडा, जनपद आजमगढ़ के प्रधान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच कब और किस अधिकारी ने की और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

ग्राम शाहपुर डांडा के प्रधान के विरुद्ध धारा 95 जी0 प0 रा0 अ0 के अन्तर्गत कार्यवाही परगनाधिकारी, मऊ द्वारा की गयी थी, परन्तु आरोप प्रमाणित न होने पर यह कार्यवाही उनके आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1988 द्वारा समाप्त कर दी गयी। शिकायतकर्ताओं द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन मण्डलायुक्त, गोरखपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया जो विचाराधीन है ।

जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा दरियाबाद, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी के ग्राम प्रधान द्वारा अनुदान धनराशि हड़पने के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच

31—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा दरियाबाद, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी के ग्राम प्रधान द्वारा अनुदान की राशि को हड़पने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र मय संलग्नक दिनांक 22 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच कब और किस अधिकारी ने की तथा क्या परिणाम निकला?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं ।

अपितु श्री राम अवतार चौरसिया आदि के ग्राम प्रधान के विरुद्ध दो शिकायती प्रार्थना-पत्र 17 जून, 1987 व 13 जुलाई, 1987 क्रमशः दिनांक 20 जून, 1987 व 18 जुलाई, 1987 को जनपद में प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक द्वारा स्थल पर दिनांक 4 दिसम्बर, 1987 को की गयी और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा खर्चा लगवाने हेतु दिये गये अनुदान एवं उसके उपयोग का सत्यापन भी कराया गया । रोकड़ पंजी में आय एवं व्यय की प्रविष्टियां सही पायी गयीं ।

जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के बाढ़ से पीड़ित ग्रामों में बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा की जा रही धांधली व भ्रष्टाचार की जांच पर कृत कार्यवाही

52—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनोखे लाल यादव, ग्राम परसिया बेरामगिरी आदि परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र जो घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ितों, क्षेत्र के ग्रामों में होने वाले बन्दोबस्त के कर्मचारियों की धांधली व भ्रष्टाचार के संबंध में था, के साथ प्रश्नकर्ता का पत्रांक 845/ज0 पा0 /87, दिनांक 11 जुलाई 1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की जांच कब और किस अधिकारी ने की और क्या परिणाम निकला ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1987 प्राप्त हुआ है, प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में सर्वे कर्मचारियों के विरुद्ध पहले भी शिकायतें प्राप्त हुयी थीं जिसकी जांच सहायक अभिलेख अधिकारी, बलिया द्वारा की गयी थी। जांच के फलस्वरूप एक लेखपाल तथा एक कानूनगो को निलंबित किया गया है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में ग्राम कुंवर पुरवा में बांध के दक्षिण की भूमि की चकबन्दी कराये जाने की योजना

53—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील में ग्राम कुंवर पुरवा में बांध के दक्षिण की भूमि जो बाढ़ ग्रस्त नहीं है, की चकबन्दी कराये जाने की योजना शासन ने स्वीकार कर ली है? यदि हां, तो उक्त ग्राम की चकबन्दी का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के गौरा ब्लाक के गांवों को सदर तहसील में सम्मिलित करने का कारण

54—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद की पट्टी तहसील का गौरा ब्लाक के गांव जो सदर तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले थे, अभी तक सम्मिलित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद—

इस प्रस्ताव पर आयुक्त, इलाहाबाद मन्डल एवं राजस्व परिषद् की आख्या एवं संस्तुति मांगी गयी जिसके प्राप्त होने पर यथा समय यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

55—श्री राजेन्द्र शर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

56—श्री मित्र सेन—

[दिनांक 8 मार्च, 1988 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]।

श्री फकीरे लाल, ग्राम लोदियापुर, थाना पसगंवा, जनपद लखीमपुर को जान से मारेजाने की धमकी के संबंध में थाना पसगवां में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

57—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फकीरे लाल, ग्राम लोदियापुर, थाना पसगवां, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 1987 को उन्हें श्री क्षेत्रपाल पुत्र श्री किम्मल, श्री दिनेश कुमारपुत्र श्री क्षेत्र पाल निवासी लोदियापुर, थाना पसगवां, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पसगवां, जनपद खीरी में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री फकीरे लाल, निवासी ग्राम लोदियापुर, थाना पसगंवा, जनपद खीरी द्वारा श्री क्षेत्रपाल एवं दिनेश कुमार, निवासी लोदियापुर, जनपद खीरी के विरुद्ध दिनांक 7 अक्तूबर, 1987 को वादी की कांता एवं लाठी से मार कर घायल कर देने के आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पंसगवा, जनपद खीरी में दर्ज कराई गई। उसके आधार पर थाना पंसगवा पर मु0 अ0 सं0 166/87 धारा 324/323 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर उक्त मुकदमें में धारा 325 भा0 दं0 वि0 का भी अपराध पाया गया। दिनांक 13 अक्तूबर, 1987 को उक्त दोनों नामजद अभियुक्त हाजिर अदालत हुए। विवेचना के उपरान्त उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323/324/325, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 19 अक्तूबर 1987 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

एस0 ओ0 श्री लक्षी राम, तालकटोरा के विरूद्ध शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग

58—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 ओ0 श्री लक्षीराम, तालकटोरा के विरुद्ध श्री के0 एन0 शुक्ल महामंत्री, मानवकल्याण परिषद्, दौदाखेड़ा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शिकयती पत्रों सहित मा0 श्री सरजू पान्डेय, एम0 एल0 सी0 का दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें वर्णित तथ्यों की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

प्रश्नगत मामले में क्षेत्राधिकारी, आलमबाग, लखनऊ द्वारा जांच की गई। जांच से श्री लखीराम, थानाध्यक्ष, तालकटोरा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

59—श्री राम सजीवन—

[उर सोमवार में अता0 प्र0 सं0 122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री सुधीर कुमार सिन्हा, सेक्टर सी–56/1 मानकनगर, लखनऊ को सहायक आयुक्त, बिक्री कर, बरेली द्वारा टंकण/लिपिक के पद की परीक्षा में बुलाये जाने संबंधी शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही

60—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सहायक आयुक्त (शा), बिक्रीकर, बरेली ने पत्र सं0 2509 द्वारा श्री सुधीर कुमार सिन्हा, सेक्टर सी–56/1, मानक नगर, लखनऊ को लिपिक/टंकक के पद के लिये परीक्षा देने हेतु बुलाया था और पत्र में परीक्षा की तिथि अप्रैल, 1987 लिखा था ? इस संबंध में विधान परिषद् सदस्य खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 565 मुख्य सचिव को ता0 8 सितम्बर, 1987 को व स्मृति–पत्र सं0 681 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20 जून, 1988 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

श्री सिन्हा को परीक्षा में मंगलेने हेतु प्रेषित पत्र की कार्यालय प्रति में परीक्षा की तिथि 8 मई, 1987 अंकित है।

जी हां।

पत्र संख्या 565, दिनांक 7 सितम्बर, 1987 प्राप्त हुआ परन्तु स्मृति पत्र संख्या 681, दिनांक 20 जून, 1988 उपलब्ध नहीं हुआ है।

माननीय सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां को उनके पत्र सं0 565 का उत्तर दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ की फर्म स्टील फैबरीकेटर्स फूलबाग कालोनी की बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा की गई जांच के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

61—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ की फर्म स्टील फेबरीकेटर्स फूलबाग कालोनी की जांच बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा ता0 4 नवम्बर, 1986 को की गयी थी और अभिलेख अभिग्रहीत किये गये थे ? क्या इस संबंध में सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 513 वित्त राज्य मंत्री को ता0 23 मई, 1988 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जी हां।

माननीय विधायक श्री खान अब्दुल वदूद खां को उनके उक्त पत्र का उत्तर भेज दिया गया। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के बिक्री कर अधिकारी श्री एस0 एस0 जमाल के विरुद्ध राजस्व हानि की शिकायत

62--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 87 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्र0सं0 41 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 883 पर कराई गई जांच की रिपोर्ट क्या है ? क्या उक्त जांच रपट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रथम सत्र, 87 के 1 ले मंगल के लिये निर्धारित प्रश्न सं0 41 के उत्तर में मा0 सदस्य को अवगत कराया जा चुका है कि जांच रिपोर्ट में संबंधित अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। अतएव जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

63--श्री यदुनाथ सिंह--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

64--श्री मूल चन्द्र--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय द्वारा बकाये बिक्रीकर की की गई वसूली का विवरण

65--श्री मूल चन्द्र--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में बिक्रीकर बकाया को वसूलने के लिये दो डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) व दो बिक्री कर अधिकारी (संग्रह) व पूरा स्टाफ तैनात है ? यदि हां, तो वर्ष 1986-87 व 1987-88 में प्रारम्भ में कितना रुपया बकाया था ? दोनों वर्षों में अलग-अलग कितना रुपया वसूला गया और सरकारी खजाने में जमा किया गया ? इन दोनों वर्षों में अलग-अलग अधिकारियों/कर्मचारियों को कितना वेतन मय एलाउन्स के दिया गया, इन दोनों वर्षों में अलग-अलग कितने रुपयों का पेट्रोल डीजल खरीदा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

वर्ष 1986-87 में रु0 26,10,05,760.45 व वर्ष 1987-88 में रु0 53,63,74,024.88 बकाया था। वर्ष 86-87 में रु0 5,83,78,349 2 व वर्ष 1987-88 में रु0 8,77,44,123.64 की वसूली करके सरकारी खजाने में जमा किया गया।

वर्ष 1986-87 में क्रमशः रु0 79,580.10/व 19,80,511 70 व वर्ष 1987-88 में रु0 1,23,648.25 व 28,63,083.20 रु0 वेतन के रूप में दिया गया। वर्ष 86-87 में रु0 14,633.45 व वर्ष 1987 में रु0 13,827.65 का पेट्रोल/डीजल खरीदा गया।

परिवहन निगम की कानपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

66--श्री मूल चन्द्र--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि परिवहन निगम की कानपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में चल रहे 15 भ्रष्टाचार मामलों में चल रही जांच के बारे में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र

संख्या–339 मुख्य मंत्री को तारीख 11 दिसम्बर, 1985 व पत्र संख्या 945 तत्कालीन परिवहन मंत्री को ता0 24 जून, 1986 को मिले हैं ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रमोद कुमार––

जी हां। उक्त पत्रों में मुख्य रूप से निम्न तीन आरोप लगाये गये थे––

(1) केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में विदेशी कल पुर्जों के नाम पर नकली कल पुर्जों का क्रय।

(2) वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 में 30 एयरकूल बसों के निर्माण से निगम को हानि।

(3) केन्द्रीय कार्यशाला से सम्बन्धित 15 मामलों में चल रही जांच के दौरान अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों को प्रोन्नत किया जाना। आरोप संख्या 1 की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई थी और मामले में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करके उनकी चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गई है।

आरोप संख्या 2 एवं 3 की जांच निगम के सतर्कता सेल द्वारा की गई और यह पाया गया कि निगम द्वारा 38 एयरकूल बसों के निर्माण में व्यय की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली बसों के किराये को बढ़ाकर कर ली गई थी अतः उक्त मामले में निगम को हानि नहीं हुई।

आरोप संख्या 3 के सम्बन्ध में मामलों तथा अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट स्थिति बताना सम्भव नहीं है। वैसे जो भी मामले प्रकाश में आते हैं उन पर समुचित कार्यवाही कर ली जाती है।

67––श्री मूल चन्द्र––

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

असिस्टेन्ट कमिश्नर शासकीय बिक्रीकर, मुजफ्फरनगर द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के लिये उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निन्दा प्रस्ताव

68––श्री मूल चन्द्र––

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 टी0 सी0 1988 पृष्ठ 24 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा असिस्टेन्ट कमिश्नर शासकीय बिक्रीकर, मुजफ्फरनगर (कैप्टन ए0के0 खरे) के विरुद्ध अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के सम्बन्ध में निन्दा प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

ईंट भट्टों पर कर निर्धारण प्रक्रिया में समानता व एकरूपता रखने के उद्देश्य से सहायक आयुक्तों को यह निर्देश दिये गये थे कि अभिलेखों की जांच पड़ताल के आधार पर बिक्रीकर की दरों का आकलन करके वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मार्ग-दर्शन सुझाव दें दे। श्री खरे ने त्रुटिवश मार्गदर्शन निर्देशों को एक आदेश के रूप में प्रसारित कर दिया, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1987 के निर्णय में यह उल्लेख किया है कि श्री खरे को इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

चूंकि श्री खरे द्वारा की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की कदाशयता नहीं पाई गई अतएव उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राकेश कुमार अग्रवाल, खांडसारी इन्सपेक्टर, हापुड़, तृतीय, गाजियाबाद, के घोटाले के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

69––श्री रिछपाल सिंह बंसल––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 जुलाई, 1988 का कोई पत्र, जो श्री राकेश कुमार अग्रवाल, खांडसारी इन्सपेक्टर, हापुड़–तृतीय, गाजियाबाद के घोटालों

के सम्बन्ध में था, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही हुई ? कौन कर्मचारी व अधिकारी उपरोक्त घोटालों में सम्बन्धित हैं ? क्या सरकार उन्हें दण्डित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

उक्त पत्र के साथ संलग्न शिकायती-पत्र के आधार पर श्री राकेश कुमार अग्रवाल, खांडसारी निरीक्षक, हापुड़-तृतीय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

मे सर्स चेतन प्रकाश एण्ड कम्पनी, ग्राम व पोस्ट गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद के चालू होने व गन्ना खरीद की तिथि

70—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे सर्स चेतन प्रकाश एण्ड कम्पनी, ग्राम व पोस्ट गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद की इकाई, सत्र 1987-88 में किस तारीख से चालू दिखाई गयी है और गन्ना खरीद किस तारीख से किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मे सर्स चेतन प्रकाश एण्ड कम्पनी, ग्राम व पोस्ट गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद की इकाई सत्र 1987-88 में दिनांक 15 दिसम्बर, 1987 से चालू दिखाई गयी है और गन्ना खरीद भी दिनांक 15 दिसम्बर, 1987 से किया गया है ।

श्री हरद्वारी पुत्र मेहरबान, ग्राम खैया, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद के सम्बन्ध में फर्जी कर्जा तौर से काश्तकारों के नाम दर्ज कराने के लिये प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच

71—श्री कनक सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1988, जो गन्ना आयुक्त को सम्बोधित था, जिसमें गन्ना ग्राम सेवक समिति, मेरठ ने श्री हरद्वारी पुत्र मेहरबान, ग्राम खैया, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद के नाम 16 कट्टे यूरिया वर्ष 1987 में फर्जी तौर से निकालने और फर्जी काश्तकार के नाम दर्शाये जाने की शिकायत की गयी थी, की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1988 प्राप्त हुआ परन्तु प्राप्त शिकायती-पत्र में श्री हरद्वारी पुत्र मेहरबान, ग्राम खैया, तहसील गढ़मुक्तेश्वर के नाम 16 कट्टे यूरिया वर्ष 1987 में फर्जी तौर से निकालने तथा फर्जी काश्तकार के नाम दर्शाये जाने का उल्लेख नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शीशपाल सिंह, ग्राम मानक चौक, जनपद गाजियाबाद द्वारा फर्जी बैंक खाता खोल कर हजारों रुपया हड़पने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

72—श्री कनक सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1988, जो जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सम्बोधित था जिसमें श्री शीशपाल सिंह पुत्र करन सिंह, ग्राम मानक चौक, तहसील गढ़ व श्री सुभाष, ग्राम लालपुर, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद द्वारा फर्जी बैंक खाता खोलकर श्री रामपाल सिंह, सुरगड़ सिंह आदि ग्राम खैया, तहसील गढ़ का लगभग दस हजार रुपये हड़पने और अब दूसरी फर्म सिन्धू मोटर व जनरल फाइनेन्स के नाम पर खोलकर धोखा, धड़ी करने की शिकायत की गयी थी, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रश्नगत पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1988 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के आधार पर थाना बाबूगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या–219 धारा 420/406 भा0 दं0 वि0 अभियुक्तगण शोशपाल सिंह व सुभाष के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना की जा रही है। अभियुक्तगणों की तलाश जारी है एवं सन्दर्भित फर्म में जमा किये गये धन की तसदीक की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

73—श्री कनक सिंह—

(3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री रघुवंश उपाध्याय, अध्यक्ष, गन्ना समिति, घुघली, गोरखपुर द्वारा मार्ग व्यय, दैनिक भत्ते व अग्रिम की ली गई धनराशि का विवरण

74—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुवंश उपाध्याय, अध्यक्ष, गन्ना समिति, घुघली, गोरखपुर ने इस पद पर चुने जाने के बाद मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ते के रूप में कितनी धनराशि ली है तथा कितना अग्रिम भुगतान लिया जिसका 15 जुलाई, 1988 तक समायोजन नहीं हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में गन्ना समिति, सिसवा, लक्ष्मीगंज, पिपराइच, छितौनी में कितनी धनराशि यात्रा–भत्ता के रूप में ली गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री रघुवंश प्रसाद उपाध्याय, सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, घुघली, गोरखपुर ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता के मद में अंकन रु0 4271.50 एवं 3500.00 अग्रिम लिया है। इस अग्रिम धनराशि का समायोजन 15 जुलाई, 1988 तक नहीं हुआ है।

उक्त अवधि में गन्ना समिति वार यात्रा भत्ता के रूप में निम्न प्रकार व्यय हुआ—

1—सिसवा	रु0 शून्य
2—लक्ष्मीगंज	,, 1987.50
3—पिपराइच	,, 410.00
4—छितौनी	,, 1475.00

75—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

(5वें मंगलवार के लिये स्थगित)

उत्तर प्रदेश आयुक्त द्वारा गन्ना समिति, सिसवा, गोरखपुर के दो संचालकों का निलम्बन

76—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ माह पूर्व गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने गन्ना समिति, सिसवा, गोरखपुर के दो संचालकों को अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि सिसवा समिति ने केवल एक ही संचालक के विरुद्ध उक्त आदेश का क्रियान्वयन किया दूसरे के खिलाफ नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के गनेश, ग्राम कोरया, थाना मधुबन का शीशम का पेड़ काटने विषयक शिकायती-पत्र पर जांच

77—श्री विष्णु देव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें मधुबन थाने में जनपद आजमगढ़ के नायब दरोगा की मदद से विश्वनाथ द्वारा गनेश, ग्राम कोरया, थाना मधुबन, जनपद आजमगढ़ का शीशम के पेड़ काटने के सम्बन्ध में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच कब किस अधिकारी ने की, किसके-किसके बयान लिये तथा क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्रार्थना पत्र पर जांच दिनांक 30 मई, 1988 को क्षेत्राधिकारी, घोसी द्वारा कराई गयी । श्री गनेश पुत्र रघुनाथ एवं उ0नि0 मेवाराम भारती के बयान लिये गये । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रार्थी व विश्वनाथ आदि के मध्य शीशम के पेड़ का विवाद चल रहा था । दिनांक 20 दिसम्बर, 1987 को विश्वनाथ के लड़के एवं उसके सहयोगियों द्वारा पेड़ काटने की सूचना मिलने पर उ0नि0 श्री मेवाराम भारती ने पेड़ काटना रुकवा कर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 15 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की तथा आरोप-पत्र क्रमशः दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 व 31 जनवरी, 1988 को प्रेषित किया गया जो सम्प्रति विचाराधीन न्यायालय है ।

श्री रवीन्द्र नाथ यादव, निवासी ग्राम बस्ती निधियांव, जिला आजमगढ़ के यहां डकैती होने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर जांच

78—श्री विष्णुदेव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ यादव, निवासी ग्राम बस्ती निधियांव, पो0 कमल सागर, जिला आजमगढ़, जिनके यहां गत 21/22 दिसम्बर, 1982 को भीषण डकैती हुई थी और डकैतों द्वारा उनके परिवार के आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल किये गये थे, का शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 3 मार्च, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ था । यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । जांच से डकैती की घटना बनावटी पायी गई और श्री रवीन्द्र नाथ यादव को शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम बरोहा, तहसील घोसी के घाघरा नदी के कटाव से उजड़े परिवारों को बसाने हेतु पत्र

79—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरोहा, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के घाघरा नदी के कटाव से उजड़े हुए अधिकांश परिवारों को बसाने के लिए बांध के उत्तर पर पट्टा करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1985 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं, पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता । उल्लेखनीय है कि कटाव से उजड़े हुए परिवार अपनी सुविधानुसार बगल के गांव कुंवरपुरवा, गजियापुर में बस गये हैं ।

श्री चतुर सिंह पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी बहरावली, थाना छाता, जनपद मथुरा को रिवाल्वर लाइसेंस देने हेतु प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

80—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 को अपने पत्र के साथ श्री चतुर सिंह पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी बहरावली, थाना छाता, जनपद मथुरा का प्रार्थना-पत्र इनकी जानमाल की रक्षा हेतु रिवाल्वर का लाइसेंस देने हेतु दिया था ? यदि हां, तो महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा वीरता के लिए शौर्यचक्र प्राप्त करने वाले श्री चतुर सिंह को रिवाल्वर का लाइसेंस अब तक न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनकी सुरक्षा हेतु अविलम्ब लाइसेंस देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

श्री चतुर सिंह पहले से ही बन्दूक के लाइसेंसी हैं । उन्हें रिवाल्वर लाइसेंस दिये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा भेजा गया प्रस्ताव शासन को पहले प्राप्त नहीं हुआ था । इस प्रस्ताव के शासन में प्राप्त न होने के संबंध में जांच के आदेश दिये गये हैं । अब सम्पूर्ण भारत के लिए वैध लाइसेंस जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में आयुध नियमावली में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही अपेक्षित है ।

मथुरा डिपो में चालकों, परिचालकों की भर्ती की मांग

81—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मथुरा डिपो में कन्डक्टर्स व ड्राइवरों की भारी कमी के कारण उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों की सेवा में भारी व्यवधान बना रहता है ? यदि हां, तो मथुरा डिपो में वर्तमान में कितने ड्राइवर व कन्डक्टरों की कमी है ? क्या सरकार मथुरा डिपो को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यकतानुसार उक्त कर्मचारियों की भर्ती करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

(अ), (ब) निर्धारित मानक के आधार पर मथुरा डिपो में चालक/परिचालकों की कोई कमी नहीं है अतएव फिलहाल कोई भर्ती विचाराधीन नहीं है ।

जिला लखनऊ, मौजा गुरोली, परगना व तहसील मोहनलाल गंज की चकबन्दी में सुरक्षित आबादी हेतु छोड़ी गई भूमि खण्ड संख्या 544

82—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा सरई गुदौली, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के अन्तर्गत गाटा संख्या 544 व 547 2 पिछली चकबन्दी सन् 1962 व 63 में आबादी के लिए छोड़ी गयी थी । उक्त ग्राम के निवासी श्री अवध लाल पुत्र खरगू ने अबकी पुनः मौजूदा चकबन्दी में फर्जी पट्टा बनवा करके अपने नाम चक बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि श्री अवध लाल के सगे भाई श्री राम स्वरूप पूर्व लेखपाल पद पर होने के कारण अपने भाई के नाम फर्जी पट्टा बनवा कर चक बनवाया है ? यदि हां, तो क्या वह सुरक्षित आबादी के लिए छोड़ी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

भूमि खण्ड संख्या 544 रकबा 0—6—0 (छः बिसवा) सुरक्षित आबादी हेतु छोड़ी गई थी, संख्या 547 नहीं ।

केवल इतना सत्य है कि श्री राम स्वरूप पूर्व लेखपाल श्री अवध लाल के सगे भाई थे । शेष सत्य नहीं ।

परगनाधिकारी मोहनलाल गंज के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 1968, वाद संख्या 30 द्वारा गाटा सं0 544-मि0 0-5-0 ग्राम समाज सरई से खारिज करके अवध लाल पुत्र खरगू के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ और खातेदार द्वारा 20 गुना मालगुजारी जमा कर तहसीलदार मोहनलालगंज के आदेश दिनांक 13 फरवरी, 1969 द्वारा वर्ष 1376 फसली से भूमिधर अंकित हुआ। अब चकबन्दी क्रिया के दौरान 544-मि0 0-5-06 न्यायिक आदेशों द्वारा श्री अवध लाल के चक में प्रदिष्ट किया गया। इसी गाटे से 0-0-15 चकरोड हेतु चकबंदी क्रियाओं में काटी गई तथा वर्तमान समय में 544-मि0 0-1-0 अब भी आबादी हेतु सुरक्षित है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों के कर्मचारियों के आवागमन हेतु बस सेवा की व्यवस्था

83—श्री राज किशोर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री टिकैत राय लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों के कर्मचारियों की आवागमन की असुविधा को ध्यान में रखते हुए तत्काल नगर बस चलाने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां। कार्यालय समय पर प्रतिदिन प्रातः 9-15 बजे एक सेवा टिकैत राय कालोनी से दारुल सफा राजकीय कर्मचारियों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त दिनांक 11 जनवरी, 1989 से एक बस द्वारा 17 फेरे राजाजी पुरम से दारुल सफा के मध्य टिकैत राय राजकीय कालोनी होकर संचालित किए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना सहकारी समिति, मसौधा, फैजाबाद के चयनित अध्यक्ष की पात्रता का विवरण

84—श्री मित्र सेन —

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना सहकारी समिति, मसौधा, फैजाबाद के अध्यक्ष पद पर कौन चयनित किया गया है? गन्ना समिति के अध्यक्ष पद की पात्रतायें क्या हैं? क्या वे उन पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं? यदि हां, तो उनके पास गन्ने की कुल कास्ट कितनी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम हरिन्टीनगंज को सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मसौधा (फैजाबाद) का अध्यक्ष चुना गया है। गन्ना समिति के अध्यक्ष पद पर कोई व्यक्ति प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा। यदिः—

(1) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।

(2) वह दिवालिया घोषित हो गया हो।

(3) वह विकृत चित्त या बहरा और गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो।

(4) उसे निबन्धक की राय में, नैतिक पतन संबंधी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष तिथि अपील में रद्द न की गई हो।

(5) वह या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य, निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना प्रारम्भ करे या करता हो जैसा समिति करती है।

(6) वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति के उप विधियों के प्रतिकूल समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करें,

(7) वह समिति के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य समिति जो इस समिति से सम्बद्ध हो, के अन्तर्गत कोई लाभ का पद या कार्य स्वीकार करे या धारण करता हो,

(8) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो,

(9) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो,

(10) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो,

(11) किसी सदस्य को बकायादार नहीं समझा जायेगा यदि वह बकाया धनराशि मतदाता सूची के विरुद्ध आपत्तियों पर निर्णय के लिये निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व अदा कर दें।

(12) वह तीन अन्य सहकारी समितियों को प्रबन्ध कमेटी का पहिले से ही सदस्य हो,

(13) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या आशुचिता करने के लिये पदच्युति किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो,

(14) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धक के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा वह प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के खन्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपट पूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में लौटा न गया हो ,

(15) वह अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अयोग्य हो,

(16) वह समिति के किसी कर्मचारी का निकट संबंधी हो ।

(17) वह समिति का वफादार न हो अथवा उसके हितों के प्रति दोष भाव रखता हो,

(18) उसने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष गन्ने के कारखाने को समिति द्वारा गन्ना न दिया हो, किन्तु यह शर्त नवीन सदस्य पर लागू नहीं होगी।

(19) उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 68 के उपबन्धों के अधीन अधिभार लागू किये जाने के आदेश के दिनांक से 5 वर्ष व्यतीत न हुए हों, जब तक कि उक्त आदेश अपील में रद्द न कर दिया गया हो।

जी हां। उनके पास गन्ने की कास्त 0.27 एकड़ है।

ग्राम डखवा बाजार सफा-मदार, परगना धुरियापार, तहसील खंजनी, जनपद गोरखपुर की कुआनों नदी की बाढ़ से प्रभावित हरिजन बस्ती के निवासियों को पुनर्वासित किया जाना

85—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम ढखवा बाजार तफा-मदार, परगना धुरियापार, तहसील बांसगांव अब खंजनी, जनपद-गोरखपुर की हरिजन बस्ती जो कुआनों नदी की बाढ़ से प्रभावित है को पुनर्वासित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व

अनुभाग-11 की अधिसूचना संख्या 46(2)/83(93)-राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ 23 अगस्त, 1986 को भूमि अध्याप्ति हेतु की गयी थी? यदि हां, तो क्या इन हरिजन परिवारों को भूमि अध्याप्ति कर बसा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम के बाढ़ से प्रभावित हरिजन परिवारों को बसाने हेतु 1.57 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 18 जुलाई, 1988 को अभिनिर्णय घोषित कर दिया गया, जिसके उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि चकबन्दी के दौरान वहां कुछ अन्य व्यक्तियों को चक आवंटित करते हुए चकबन्दी अधिनियम की धारा 23 (2) के अन्तर्गत पुष्टीकरण किया जा चुका है । अर्जित भूमि को प्राप्त करने हेतु चकबन्दी अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जिसके उपरान्त वहां प्रभावित व्यक्तियों को बसाया जायेगा ।

वर्तमान थानाध्यक्ष, गोसाईगंज, फैजाबाद के विरूद्ध आरोपों की जांच

86—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि राज्य मंत्री श्री सीताराम निषाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को एक पत्र लिखकर वर्तमान थानाध्यक्ष, गोसाईगंज पर कस्बा गोसाईगंज में डकैती डलवाने और ग्राम बतासपुर में हरिजनों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है जिसकी जांच इस समय पुलिस उप अधीक्षक, अकबरपुर कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री निषाद के पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के जांच आदेश थानाध्यक्ष, गोसाईगंज के बयान तथा उप अधीक्षक की जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

जी नहीं ।

तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के कुम्भ मेला ड्यूटी में चले जाने के कारण जांच अभी पूर्ण नहीं हो सकी है । अतः सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय विमान से की गई यात्राओं का विवरण

87—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कैलेण्डर वर्ष जनवरी, 1988 से नवम्बर, 1988 तक उत्तर प्रदेश के राजकीय विमान से कुल कितनी यात्रायें उत्तर प्रदेश के बाहर और कुल कितनी यात्रायें उत्तर प्रदेश के भीतर की गई हैं ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि दिल्ली की यात्रायें कितनी थी, दिल्ली समेत बाहर की यात्राओं पर कुल कितना खर्च आया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नाधीन अवधि में राजकीय विमान द्वारा की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में वांछित विवरण निम्नवत् है :—

(1) दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के बाहर की गई कुल यात्रायें	..	170
(2) उत्तर प्रदेश के भीतर की गई यात्रायें	..	343
(3) दिल्ली की यात्रायें	..	149

दिल्ली समेत प्रदेश के बाहर की यात्राओं पर ईंधन की मद में पर कुल 6,05,534 रुपये का व्यय हुआ ।

88—श्री राम सजीवन—

(3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न सं0 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उत्तर प्रदेश अचल सम्पत्ति के बैनामे आदि के लिये रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि का औचित्य

89—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अचल सम्पत्ति के बैनामे आदि के लिये रजिस्ट्री का शुल्क क्या है ? क्या उसमें जून, 1988 से और भी वृद्धि की गई है । यदि हां, तो इस वृद्धि का औचित्य क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अचल सम्पत्तियों के बैनामा आदि के विलेखों के लिये प्रथम हजार पर 21 रु0 तथा उसके आगे प्रत्येक पांच सौ या उसके अंश पर 5 रु0 का रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है । किसी एक लेख पत्र के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन शुल्क की अधिकतम सीमा 251 रु0 निर्धारित है । जून, 1988 से रजिस्ट्रेशन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी ।

उत्तर प्रदेश में पार्श्ववर्ती प्रदेशों की तुलना में अचल सम्पत्ति के बैनामे पर स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क अधिक होना ।

90—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि भूमि इत्यादि अचल सम्पत्ति के बैनामा आदि में लगने वाले स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क परिवर्ती प्रदेशों की तुलना में पहले से ही बहुत अधिक है ? साथ ही कृषि योग्य भूमि का विक्रय हेतु मूल्य निर्धारण भी अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी अधिक है जिसके कारण क्रेताओं एवं विक्रेताओं को भारी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु वास्तविक बाजारू मूल्य के हिसाब से ही बेची गयी भूमि के लिये स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा किये जाने के नियम को लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश में अचल सम्पत्ति के बैनामा पर स्टाम्प शुल्क 85 रु0 प्रति हजार की दर से निर्धारित थी जब कि उसी समय पार्श्ववर्ती प्रदेशों जैसे हरियाणा में 125 रु0 प्रति हजार, पंजाब में 125 रु0 प्रति हजार, मध्य प्रदेश में 70 रु0 प्रति हजार निर्धारित था । उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क की दर दिनांक 17 अक्तूबर, 1985 से 95 रु0 प्रति हजार तथा अब दिनांक 24 जून, 1988 से 125 रु0 प्रति हजार कर दी गयी है । सामान्यतः यह कहना सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पार्श्ववर्ती प्रदेशों की तुलना में पहले ही से स्टाम्प शुल्क की दरें अधिक थी ।

स्टाम्प नियमावली के नियम 340 (क) के अनुसार प्रदेश के समस्त कलेक्टर को प्रत्येक दो वर्ष पर अपने जनपद में स्थित भूमि का परगनावार, किस्मवार के औसत मूल्य की सूची तैयार करके जनपद के समस्त निबन्धन अधिकारियों को भेजने का प्राविधान है । निबन्धन अधिकारी उपर्युक्त मूल्यांकन सूची को दृष्टिगत रखते हुये स्टाम्प अधिनियम के परिशिष्ट एक—बी के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत लेखपत्र में दिया गया विक्रय मूल्य अथवा सम्पत्ति के बाजारी मूल्य में से जो अधिक हो उस पर स्टाम्प शुल्क लेते हैं । ज्ञातव्य है कि कलेक्टर द्वारा नियम 340 (क) के अन्तर्गत बनायी गयी मूल्यांकन सूची, भूमि के वर्गीकरण, उसकी स्थिति आदि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की जाती है जो जनपद के ही विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न होती है ।

इस प्रकार प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं स्थानों के लिये तैयार की गयी उक्त सूची में भिन्नता होती है । यह नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का विक्रय हेतु मूल्य निर्धारण अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी भूमि का बाजारी मूल्य उसकी स्थिति आदि पर ही निर्भर होता है जो कहीं अधिक हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, शासन ने बेची गई भूमि के लिये

वास्तविक बाजारी मूल्य के हिसाब से ही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क दिये जाने का प्राविधान कर रखा है ।

91—श्री बदन सिंह—

(उरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री यूसुफ अली, सेवा निवृत्त–चपरासी, कार्यालय, डिप्टी कलेक्टर, संग्रह बिक्रीकर, मुरादाबाद के पेंशन की स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

92—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनु सचिव, उ0 प्र0 शासन, वित्त बिक्रीकर अनुभाग–3, लखनऊ के पत्रांक सं0 बि0क0–3–1276 दस–88–7–15–88, दिनांक 30 मई, 1988, जो जिलाधिकारी, मुरादाबाद को श्री यूसुफ अली, सेवा निवृत्त चपरासी, कार्यालय, डिप्टी कलेक्टर, संग्रह बिक्रीकर, मुरादाबाद की पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री यूसुफ अली को बिलम्ब से सेवा निवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में गम्भीर त्रुटि के लिये दोषी कर्मचारी की अपील आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल में प्रेषित की गई थी । श्री अली की पेंशन सम्बन्धी पत्रावली सेवा पुस्तिका भी आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल के न्यायालय में प्रस्तुत थी जिसे अब वापस लेकर श्री अली की पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

93—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या वित्त बिक्रीकर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री युसुफ अली, चपरासी, बिक्रीकर संग्रह इकाई, मुरादाबाद जिन्हें दिनांक 30 सितम्बर, 1983 को सेवा निवृत्त होना था को दिनांक 7 जून, 1985 तक सेवा निवृत्त न किये जाने का क्या कारण था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री युसुफ अली को दिनांक 30 सितम्बर, 1983 के बजाय दिनांक 7 जून, 1985 को त्रुटि–वश सेवा निवृत्त किया गया ।

मुरादाबाद में गन्ना उत्पादन हेतु समय से उर्वरक तथा कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध कराये जाने की मांग ।

94—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना समिति, मुरादाबाद के सदस्यों का उर्वरक कीटनाशक दवाई आदि आपूर्ति न होने के कारण इस वर्ष गन्ना उत्पादन में कमी आयी है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयां समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज के परगना बड़हर अन्तर्गत ग्राम बसौली आदि आदिवासी हरिजनों का जिलाधिकारी, मिर्जापुर को उनकी काबिज जमीन को उनके नाम करने के सम्बन्ध में भेजा गया प्रार्थना-पत्र

95—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज के परगना बड़हर के अन्तर्गत ग्राम बसौली और बहुआर के ओरी पुत्र शिव बदन व कल्लू पुत्र सोमारू व

सरजू पुत्र भिम्भालाल और कान्ता पुत्र सूरत व जोखू पुत्र दीना इत्यादि कई आदिवासी हरिजनों ने 27 सितम्बर, 1985 को जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्रार्थना-पत्र देकर मांग की थी कि वन विभाग की जिन जमीनों पर वे बीसों वर्षों से काबिज हैं और खेती करते आ रहे हैं, सरकारी रिकार्ड में उनके नाम अंकित कर दी जाय और वन विभाग के उत्पीड़न से उनकी रक्षा क' जाय ? क्या अतिरिक्त जिलाधिकारी, राबर्ट्सगंज ने अपने पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1986 द्वारा सूचित किया था कि इस प्रकरण की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर, अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? हरिजनों आदिवासियों के हित में कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्न में उल्लिखित पत्रों का जिला स्तर पर प्राप्त होना तथा भेजा जाना नहीं पाया जाता। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

96—श्री मूल चन्द्र—

(5वें मंगलवार के लिये स्थगित)

97—श्री मूल चन्द्र—

(5वें मंगलवार के लिये स्थगित)

98—श्री मूल चन्द्र—

(5वें मंगलवार के लिये स्थगित)

श्री अतहर अली, बस चालक, बलरामपुर डिपो, जिला गोण्डा के डिपो की सेवाकाल में मृत्यु होने के बावजूद उनके जीवन बीमा, जी0पी0एफ0 आदि की धनराशि का भुगतान न किये जाने का कारण

99—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतहर अली, बस चालक, जो बलरामपुर डिपो, जिला गोण्डा में थे, की सेवाकाल में सेवारत रहते हुये 18 जुलाई, 1981 को आकस्मिक मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जीवन बीमा, जी0पी0एफ0, डी0एल0 आई0 आदि का पैसा जुलाई, 1988 तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त धन को भुगतान करने हेतु वर्ष 1981 से जुलाई, 1988 तक कितने प्रार्थना-पत्र मृतक की पत्नी सखतुन्निसा ने दिया है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

श्री अतहर अली, बस चालक, बलरामपुर डिपो, जिला गोण्डा की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 18 जुलाई, 1981 को हुई थी। श्रीमती सखतुन्निसा पत्नी स्व0 अतहर अली चालक द्वारा ग्रेच्युटी, ई0पी0एफ0 हेतु प्रपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1986 को उपलब्ध कराये गये परन्तु जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1986 को एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 14 मई, 87 को प्रस्तुत किये गये।

प्रपत्र पूर्ण होने पर दिनांक 13 जुलाई, 1987 को ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान कर दिया गया। ई0 पी0 एफ0 के प्रपत्र दिनांक 21 जनवरी, 1987 को सहायक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कार्यालय, गोरखपुर को भेज दिये गये थे जिनके द्वारा दिनांक 4 मई, 1988 को मृतक के दो आश्रितों पत्नी एवं पुत्र का हिस्सा भुगतान कर दिया गया है किन्तु पुत्री का हिस्सा इसलिये रुका हुआ है कि श्रीमती सरवतुन्निसा ने अभी तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा वांछित शपथ-पत्र पूर्ण कर प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे उपलब्ध कराने हेतु श्रीमती सरवतुन्निसा को कई बार अवगत कराया जा चुका है।

सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय भुगतान की धनराशि दिनांक 21 अगस्त, 1988 को श्रीमती सरवतुन्निसा को प्राप्त करा दी गई है ।

स्व0 अतहर अली डी0 एल0 आई0 योजना के अन्तर्गत धन पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि इनका अंशदान 36 माह का जमा नहीं है ।

श्रीमती सरवतुन्निसा के 5 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिन पर परिवहन निगम द्वारा समुचित कार्यवाही कर भुगतानों का निस्तारण कराया गया ।

जिला अलीगढ़ के थाना गोण्डा में नियुक्त श्री विजय सिंह सब-इन्सपेक्टर द्वारा दो शादियां करने की जांच

100—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जिला अलीगढ़ के थाना गोण्डा में मार्च, 1988 में जो श्री विजय सिंह, सब-इन्सपेक्टर थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे, ने दो शादियां की है तथा उनकी दोनों ससुराल जिला अलीगढ़ में ही हैं ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रश्नगत थानाध्यक्ष की पहली पत्नी ने उन पर न्यायालय में मुकदमा भी कर रखा है ? क्या कानून तथा सेवा नियमावली के इस खुले उल्लंघन को देखते हुये मंत्री जी तत्काल उक्त थानाध्यक्ष को दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने तथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही से दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना अनुसार जांच से प्रश्नगत उप निरीक्षक द्वारा दूसरा विवाह किया जाना नहीं पाया गया, अतएव किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही से दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । उनकी पत्नी ने उप-निरीक्षक के विरुद्ध भरण-पोषण स्वीकृति करने हेतु एक वाद न्यायालय में दायर कर रखा है, जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

गाजियाबाद के गन्ना अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्रों पर जांच

101—श्री कनक सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 व 28 सितम्बर, 1988 तथा श्री इम्त्याज मोहम्मद खां विधायक, बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 जो जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायत की जांच के सम्बन्ध में थे, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 तथा 28 सितम्बर, 1988 शासन में प्राप्त हुये हैं । उक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों पर जांच कराई जा रही है ।

प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में श्री इम्त्याज मोहम्मद खां, विधायक के जिस पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 का उल्लेख किया है वह पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पिथौरागढ़ में आधुनिक बहुधन्धी आदर्श जेल की स्थापना की मांग

102—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1197–86, दिनांक 30 जुलाई, 1986 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये, जनपद मुख्यालय में एक आधुनिक बहुधन्धी आदर्श जेल की स्थापना अतिशीघ्र करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो इस विषय पर क्या कार्यवाही की गयी है ? कब तक उपरोक्त जेल की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

जी, हां ।

पिथौरागढ़ में जिला कारागार के निर्माण का प्रस्ताव नवम् वित्त आयोग के प्रस्तावों के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

भारत सरकार से नवम् वित्त आयोग के अन्तर्गत इस कार्य के लिये धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही जेल के निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

प्रदेश के विभिन्न केन्द्रीय एवं जनपदीय जेलों में एक्स-रे मशीनों की खरीद एवं टेक्नीशियनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही ।

103--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न केन्द्रीय एवं जनपदीय जेलों में कई वर्ष पूर्व एक्स-रे मशीनें खरीदी गई थी किन्तु अभी तक एक्स-रे टेक्नीशियनों की नियुक्ति न किये जाने के कारण उक्त मशीनें बेकार पड़ी हैं ? उक्त मशीन को उपयोग में लाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

जी, हां ।

एक्स-रे टेक्नीशियन, डार्क रूम अटेन्डेन्ट के पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्राथमिकता स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।

बरेली निवासी विपिन चन्द्र, नवीन चन्द्र आदि की उदयखास स्थित भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

104--डा0 दिनेश जौहरी

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को बरेली निवासी विपिन चन्द्र, नवीन चन्द्र आदि की उदयखास स्थित उनकी भूमि को दूसरों के नाम में अवैध रूप से अधिकारियों की मदद से दाखिल खारिज किये जाने संबंधी शिकायतकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 30 जुलाई, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल, संपूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा "बेब्लीस्काट रिवाल्वर" की खरीद में की गई वित्तीय अनियमितता की जांच

105--श्री मैनेजर सिंह--

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल, संपूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के सुरक्षार्थ "बेब्लीस्टाक रिवाल्वर" वित्तीय प्राविधानों के विरुद्ध ब्लैक पर मिल के पैसे से ही खरीदा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रतिष्ठान की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त एवं सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से एक "बेब्लीस्काट" रिवाल्वर मिल समिति द्वारा क्रय किया गया। उक्त रिवाल्वर विभिन्न अधिकृत फर्मों से कोटेशन प्राप्त करके न्यूनतम दरों के आधार पर क्रय किया गया है। इस संबंध में कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में नहीं आई। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

डा0 एन0 पाण्डेय, राम किशोर आदि, निवासी कठियारा गौरी, थाना सुजौली, जनपद बहराइच के विरुद्ध षडयन्त्र करने के संबंध में संयुक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच

106—श्री मैनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री को संबोधित तथा मुख्य सचिव, गृह सचिव, विशेष सचिव (गृह) व पुलिस महानिदेशक को पृष्ठांकित डा0 डी0 एन0 पान्डेय, राम किशोर, गोविन्द व नवल, निवासी कठियारा-गौरी, थाना-सुजौली, जनपद बहराइच का संयुक्त प्रार्थना-पत्र, दिनांक 10 अक्तूबर, 1988 को उनके विरुद्ध थाना स्थानीय में झूठे व मनगढ़न्त मुकदमें की विवेचना स्थगित कर उच्चस्तरीय जांच कराये जाने व जांचोपरान्त उनके विरुद्ध षडयन्त्र करने वालों पर कानूनी कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कृत कार्यवाही से क्या परिणाम मिले? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

जी हां। प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्राधिकारी, भिनगा द्वारा जांच कराई गई।

प्रश्नगत प्रकरण में कोई साक्ष्य न मिलने के कारण दिनांक 15 नवम्बर, 1988 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई जो सम्प्रति विचाराधीन न्यायालय है।

ग्राम मलेरीकरेट, तह0 घोसी, जनपद आजमगढ़ के प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि मनमाने ढंग से आवंटित करने विषयक श्री विष्णु देव, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कार्यवाही

107—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनपद आजमगढ़ के ग्राम मलेरीकरेट, तह0 घोसी के प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि मनमाने ढंग से आवंटित किये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 8 जुलाई, 1987 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच कब व किस अधिकारी ने की और क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

प्रकरण की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा 31 दिसम्बर, 1987 को ग्राम में जाकर की गई। जांच से गाटा संख्या 231, 252 एवं 257 जो क्रमशः चक मार्ग पंचायत भवन व खलिहान हेतु सुरक्षित है, पर अनाधिकृत कब्जे पाये गये जिसका सीमांकन कर कब्जा तुरन्त हटवा दिया गया। गाटा सं0 263 एवं 284, जो राजस्व अभिलेखों में नवीन परती दर्ज है पर दो व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था जिनके विरुद्ध ज0 वि0 भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही करके तहसीलदार न्यायालय से दिनांक 22 अगस्त, 1988 को बेदखल कर दिया गया है। प्रधान द्वारा धमकी देना एवं पैसा लेने की बात सही नहीं पायी गयी।

ग्राम सभा कठकरा शंकर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ की ग्राम समाज की भूमि ग्राम प्रधान द्वारा हड़पने की जांच एवं कृत कार्यवाही

108—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा कठकरा शंकर, तहसील घोसी की ग्राम समाज की आबादी वाली भूमि को ग्राम प्रधान द्वारा

हड़प कर जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच कब व किस अधिकारी ने कहां से की और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जांच से पाया गया कि प्रश्नगत गांव सभा में स्थित ग्राम हरपालपुर में प्रधान विद्याधर गोस्वामी के भाई कपिलदेव एवं उनके पिता विश्वनाथ द्वारा गांव सभा की भूमि नं0 45 रकबा 066 कड़ी तथा भूमि संख्या 32 रकबा 100 कड़ी पर अनाधिकार कब्जा बतौर पेड़ लगाकर किया था, जिसके विरुद्ध ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122—बी के साथ पठित नियम 115—सी के अन्तर्गत कार्यवाही में तहसीलदार के आदेश दिनांक 22 मई, 1987 ई0 द्वारा बेदखली हुई तथा क्रमशः 106 व 160 रुपया जुर्माना आरोपित किया गया ।

ग्राम चकवी मुसाडोही, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि हड़पने विषयक प्रार्थना-पत्र पर जांच

109—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री लक्ष्मण चौहान, उप प्रधान, ग्राम सभा चकवी मुसाडोही, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3 मार्च, 1987 वर्तमान प्रधान श्री किसुन द्वारा प्रधान पद के दुरुपयोग, ग्राम समाज की सम्पत्ति हड़पने, ग्राम समाज की सम्पत्ति का हिसाब न देने, ग्राम समाज की भूमि स्वयं हड़पने आदि के आरोप पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम फतेहपुर मंडाव, तहसील घोसी की बंजर भूमि, सीलिंग से निकली भूमि तथा आबादी हेतु सुरक्षित भूमि के नियमानुसार आबंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

110—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री रामधारी भर व श्री रामधारी हरिजन, ग्राम फतेहपुर मंडाव, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना-पत्र अपने ग्राम की बंजर भूमि व सीलिंग से निकली भूमि तथा आबादी के लिये इनके मौके पर सुरक्षित भूमि को नियमानुसार आबंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 884/ज0पा0/87, दिनांक 11 जुलाई, 1987 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच कब तथा किस अधिकारी ने की तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 6 जुलाई, 1987 व 8 जुलाई, 1987 प्राप्त हुआ है ।

इसकी जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1987 को की गयी । इस ग्राम में सीलिंग से निकली अतिरिक्त भूमि नहीं है । गांव सभा की 2 एकड़ भूमि पायी गयी जो कृषि के लिये अयोग्य है जिसका आबंटन करना सम्भव नहीं है । श्री रामधारी भर के आबादी के पास हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि है जिसका आबंटन इन्हें पात्र न होने के कारण नहीं किया जा सकता । श्री रामधारी हरिजन को आवास हेतु भूमि आबंटन की जा चुकी है ।

जनपद देवरिया की सीलिंग से निकली आबंटित भूमि पर आबंटियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही

111—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें चक्की मूसा (डोही) घाघरा नदी के तीन धाराओं के बीच जनपद आजमगढ़ से मिला हुआ जनपद देवरिया की सीमा पर पत्थर गाड़ने व चक्की मूसाडोही में सीलिंग से निकली आबंटित भूमि पर आबंटियों को कब्जा दिलाने विषयक ग्राम प्रधान आदि के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक जनवरी, 1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्थर गाड़ने व आबंटियों को कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

प्रश्नगत सीमा पर पत्थर गाड़ने की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तरिम आदेश, दिनांक 15 जुलाई, 1986 के अन्तर्गत स्थगित है । सीलिंग से निकली भूमि के आबंटियों को वर्ष 1976 में कब्जा दिलाया गया था ।

वरिष्ठ गन्ना निरीक्षक, गन्ना समिति, गोरखपुर की गन्ना आपूर्ति में अनियमितता सम्बन्धी रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

112—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत पिराई सत्र में वरिष्ठ गन्ना निरीक्षक, गन्ना समिति, गोरखपुर ने आपूर्ति में अनियमितता सम्बन्धी कोई रिपोर्ट जिला गन्ना अधिकारी, गोरखपुर को भेजी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट के आधार पर सचिव एवं सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर सचिव को कड़ी चेतावनी दी गयी एवं एक गन्ना ग्राम सेवक को निलम्बित किया गया । इसके अतिरिक्त चार सामाधिक लिपिकों एवं एक साइकिलिस्ट के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी ।

113—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

114—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[दिनांक 22 फरवरी, 1989 को अता0प्र0सं0 64 द्वारा उत्तरित]

थानाध्यक्ष, गड़वार, जनपद बलिया के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी आवेदनपत्र पर कृत कार्यवाही

115—श्री गौरी शंकर मइया—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में दिनांक 26 नवम्बर, 1988 को श्री हृदय नाथ सिंह, ग्राम रतसड़ ने थानाध्यक्ष, गड़वार का अनियमितता से सम्बन्धित एक आवेदन पत्र श्री आर0डी0 सिंह, डीवाई0 एस0 पी0, रसड़ा रेन्ज को दिया है तथा जिसकी जानकारी दिनांक 26 नवम्बर, 1988 को ही डी0आई0जी0, वाराणसी रेन्ज व एस0पी0, बलिया को विधायकों की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र के तथ्य क्या हैं ? इसकी जांच उस अधिकारी से कराई जा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार आवेदन-पत्र में थानाध्यक्ष गड़वार, श्री के0 एन0 त्रिपाठी के विरुद्ध रिपोर्ट न लिखने, दुर्व्यवहार करने एवं निष्क्रियता आदि के आरोपों का उल्लेख है। आवेदन-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, रसड़ा द्वारा कराई गई। जांच से आवेदन-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

116—श्री यदुनाथ सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

वाराणसी, कानपुर व लखनऊ में अंग्रेजी शराब, देशी शराब व ताड़ी के ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण।

117—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 966, माननीय मुख्य मंत्री को तारीख 6 जुलाई, 1988 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

आयुक्त, बिक्री कर से आख्या मांगी गई।

लखनऊ में विदेशी मदिरा की दुकानों पर मारे गये छापे व पंजीकृत विदेशी मदिरा के दुकानदारों के विवरण की मांग

118—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 479 मंत्री जी को तारीख 7 मई, 1988 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र पर आयुक्त, बिक्री कर से आख्या मांगी गई है। पत्र में संबंधित प्रश्न संख्या 74 का पुनरीक्षित उत्तर सदन में ही दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

119—श्री मूल चन्द—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

बिक्री कर अधिकरण, मुरादाबाद, प्रथम पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कृत कार्यवाही

120—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में एक विधायक श्री यदुनाथ

सिंह का पत्र संख्या 624, मुख्य सचिव को तारीख 9 जून, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

उक्त पत्र पर बिक्री कर आयुक्त से आख्या प्राप्त की गई । उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :—

बिन्दु–1 वर्ष 1975–76 में 1,500 रु0 तथा 1976–77 में 1,140 रु0 की राजस्व हानि हुई ।

बिन्दु–2 द्वितीय अपील के निर्णय उपायुक्त शासकीय पर तामील नहीं कराये जाते ।

बिन्दु–3 धारा 22 में पारित आदेश की प्रथम अपील स्तर पर पुष्टि हो गई थी अतः सहायक आयुक्त (शासकीय) व उपायुक्त (शासकीय) के असन्तुष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता ।

बिन्दु–4 राजस्व बचाने के लिये ही धारा 22 में कार्यवाही की गई थी । इस सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त करना सम्भव नहीं कि कोई राजस्व बचाया जा सकता था नहीं ।

बिन्दु–5 सम्बन्धित अधिकारी श्री जे0 डी0 शर्मा, सीधी भर्ती से बिक्री कर अधिकारी, श्रेणी–2 पद पर चयनित हुये थे और 8 जनवरी, 1982 से स्थायी किये गये । अभी तक इनकी पदोन्नति नहीं हुई है ।

फर्म इन्दरमल त्रिलोकनाथ बनाम आयुक्त, बिक्री कर के निर्णय के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कार्यवाही

121—श्री मूल चन्द—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 524, वित्त राज्य मंत्री को तारीख 18 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक, श्री यदुनाथ सिंह का पत्र-संख्या 524/87 लोकदल (अ), दिनांक 18 जुलाई, 1987 प्राप्त हुआ यह पत्र वित्त सचिव को सम्बोधित है और उन्हीं को प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत मामले में माननीय विधायक श्री यदुनाथ सिंह का एक अन्य पत्र पूर्व में संख्या 5071 लोकदल, दिनांक 26 दिसम्बर, 1986 प्राप्त हुआ था । वित्त राज्य मंत्री द्वारा भेजे गये उत्तर में वर्णित स्थिति की दृष्टि से उक्त पत्र संख्या 524 पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

फर्म कुंवर इण्डस्ट्रीज बनाम आयुक्त, बिक्रीकर के मामले में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक, के पत्र संख्या 1708 पर कृत कार्यवाही

122—श्री मूल चन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 1708 बाबत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय, दिनांक 4 जनवरी, 1983 फर्म कुंवर इण्डस्ट्रीज बनाम आयुक्त, बिक्रीकर माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 16 अप्रैल, 1985 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । पत्र का उत्तर माननीय विधायक को भेज दिया गया था ।

123—श्री मूलचन्द्र—

(दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को अतारांकित प्रश्न संख्या 131 द्वारा उत्तरित)

जनपद गाजियाबाद के हरिजनों को सीलिंग की भूमि का कब्जा

124—श्री कनक सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के अनुसार जो ग्राम शाकरपुर के 11 व्यक्तियों के पट्टों का कब्जा आवंटियों को दिलाया गया था उसकी तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि विधान सभा में प्रश्न पूछने की तिथि तक कब्जा नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मातादीन—

ग्राम शाकरपुर के 11 आवंटियों को 12 मई, 1978 को कब्जे दिये गये थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की जेलों में 70 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों की संख्या एवं उन्हें मुक्त करने की कार्यवाही

125—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कितने ऐसे कैदी हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है । क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इसमें से 90 प्रतिशत कैदी शारीरिक रूप से एकदम शिथिल, अंधे, बहरे आदि हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या मानवता के आधार पर इनकी रिहाई पर सरकार कोई निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रदेश की विभिन्न जेलों में दिनांक 31 जनवरी, 1989 को 70 वर्ष से अधिक आयु के कुल 360 कैदी निरुद्ध थे ।

इनमें से 8 कैदी अंधे, 4 बहरे और 150 शारीरिक रूप से एकदम शिथिल हैं जो कुल संख्या का लगभग 45 प्रतिशत है ।

नियमों में वृद्धावस्था, अशक्तता एवं बीमारी के आधार पर बन्दियों को समय से पूर्व मुक्त किये जाने का प्रविधान है जिसके अनुसार प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध अशक्त, वृद्ध अथवा रोग ग्रस्त (अन्धे) सिद्ध दोष बन्दियों को समय से पूर्व मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हुआ घाटा एवं वसूली हेतु उठाये गये कदम

129—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 30 नवम्बर, 1988 तक कितने घाटे में चल रहा था ? इस तिथि तक निगम को किस-किस से कितना-कितना रुपया वसूल करना था ? इसकी वसूली हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अकेले पत्तन परिवहन दल कांग्रेस (आई) पर ही निगम का लगभग 20 करोड़ रुपया बकाया है ? यदि हां, तो इस निगम द्वारा इस पर कोई ब्याज भी लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 30 नवम्बर, 1988 तक रु0 13,115.85 लाख घाटे पर था ।

इस तिथि तक निगम को 595.20 लाख रुपया निम्न देनदारों से वसूल करना था :—

1—केन्द्र सरकार	86.22	लाख
2—राज्य सरकार	275.77	,,
3—कांग्रेस(आई)	210.34	,,
4—अन्य परिवहन निगम	18.51	,,
5—निजी पक्षकार	4.36	,,
योग ..	595.20	,,

उपरोक्त धनराशियों को वसूली हेतु देनदारों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया गया और पत्रों के माध्यम से वसूली हेतु अनुरोध किया गया । अनेक स्मृति पत्र भी भेजे गये ।

कांग्रेस(आई) दल पर 30 नवम्बर, 1988 तक कुल बकाया 210.34 लाख रुपया है । वसूली से सम्बन्धित कार्यवाही लगातार की जा रही है । किसी भी देनदार के बकाये धनराशि पर ब्याज नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसका कोई प्राविधान नहीं है ।

1857 की क्रांति के अमर सेनानी महाराजा तेज सिंह का स्मारक मैनपुरी में बनाने का निर्णय

127—श्री शिव बख्श सिंह राठौर—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ की कार्यकारिणी ने अपनी 20 फरवरी, 1987 की मीटिंग में सन् 1857 की क्रांति के अमर सेनानी महाराजा तेज सिंह का स्मारक मैनपुरी में बनाने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो इस स्मारक का प्रारूप क्या होगा और कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मान पाल सिंह, एडवोकेट—

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

वर्तमान मुख्य अभियन्ता बाजपुर, जनपद नैनीताल के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं कृत कार्यवाही

128—श्री मैनेजर सिंह—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता, बाजपुर, जनपद नैनीताल के विरुद्ध सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के कार्य-काल में क्या-क्या शिकायतें रही हैं ? सहकारी चीनी मिल संघ के संज्ञान में आयी शिकायतों की जांच व जांचोपरान्त दोषी मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्तमान मुख्य अभियन्ता, सहकारी चीनी, मिल बाजपुर, जनपद-नैनीताल के विरुद्ध सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के कार्य काल में उनके विरुद्ध जो शिकायतें की गई वे श्रमिकों पर अत्याचार, कर्मचारियों से पैसा लेकर उन्हें नियुक्त करवाने, मिल में रद्दी किस्म के सामान की खरीद करवाने, मूल्यों में कमी बढ़ी करवाने तथा मिल के हित में न होकर अपने स्वार्थ में कार्य करने के सम्बन्ध में थे । प्रधान प्रबन्धक, सम्पूर्णानगर से जांच करायी गयी जांच में मुख्य

अभियन्ता के विरुद्ध कोई शिकायत सिद्ध नहीं पायी गयी। अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री शेष नाथ मिश्र, ग्राम होरलापुर बाजार, थाना पडरौना, देवरिया के लापता पुत्र की तलाश हेतु प्रार्थना-पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

129—श्री मैनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री तथा गृह राज्य मंत्री को सम्बोधित एवं गृह सचिव, पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को पृष्ठांकित श्री शेष नाथ मिश्र, ग्रा0 पो0 होरलापुर बाजार, थाना-पडरौना देवरिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1988, जो प्रार्थी के लापता पुत्र की तलाश से सम्बन्धित है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्राप्त प्रार्थना पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो शासन द्वारा की गई कार्यवाही से अब तक क्या परिणाम मिले ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

जी हां।

श्री शेषनाथ मिश्र के लड़के शान्ति भूषण की तलाश हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इनके प्रार्थना-पत्र में श्री राम प्यारे सिंह एवं उनके ग्यारह वर्षीय बालक उमेश सिंह पर मात्र सन्देह व्यक्त किया गया। विवेचना के दौरान इन दोनों के आचरण के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आये।

बिक्रीकर अधिकारी (डा0 ज्ञान प्रकाश) की वेतन वृद्धियां रोके जाने विषयक श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर की गयी कार्यवाही

130—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6ठें मंगलवार के लिये निर्धारित अता0प्र0 संख्या 71 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 684 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 20 जून, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। माननीय सदस्य विधान परिषद् द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना उन्हें अलग से दी जा रही है।

सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, लखीमपुर खीरी के गोविन्द नगर क्रय केन्द्र हेतु ट्राली कांटा की स्वीकृति

131—श्री मैनेजर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986–87 में गन्ना आरक्षण बैठक में सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, लखीमपुर खीरी के गोविन्दनगर क्रय केन्द्र हेतु ट्राली काटा स्वीकृत किया गया था ? क्या यह सच है कि उक्त निर्णय आज भी अधर में पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के हित में उक्त निर्णय को अविलम्ब कार्यरूप प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के पीपीगंज स्थित श्री छवि लाल गुप्त की गुमटी हटाने का कारण

132—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 मई, 1988 को पीपीगंज, गोरखपुर में स्थित श्री छवि लाल गुप्त की गुमटी को तत्कालीन परगनाधिकारी, फरेन्दा ने हटवा दिया, जिसके लिये श्री गुप्त ने जिलाधिकारी, गोरखपुर तथा शासन को कई बार प्रार्थनापत्र दिया ? क्या यह सही है कि श्री गुप्त की गुमटी की जमीन रेलवे विभाग की है जिसका किराया भी श्री गुप्त नियमित रूप से रेलवे विभाग को देते रहे हैं ? यदि हां, तो परगनाधिकारी फरेन्दा द्वारा गुमटी हटाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

133—श्री विष्णु देव—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

जनपद आजमगढ़ तहसील घोसी में सूर्यपुर-दुबारी परसिया बांध के उत्तर स्थित ग्रामों में बाढ पीड़ितों को दी जा रही सहायता का विवरण

134—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि घाघरा नदी के वर्ष 1988 की भयंकर बाढ़ से जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में सूर्यपुर-दुबारी परसिया बांध के उत्तर ग्राम धर्मपुर बिसुनपुर-सिसवा-चक्की भुसाडीह, सूसल्लाहपुर बरबरिया, कार्मला नरायनपुर आदि की संपूर्ण फसल बर्बाद हो गयी है तथा कई सौ मकान धराशायी हो गये तथा ग्राम दुबारी परसिया जैराममिरि मोलापुर, मिसौली, कुंवरपुरवा, बरोहा सुग्गीचौरा, सिकरीकोल, सारंगपुर, बेलौली, सोनपरसा मितनपुर, सूर्यपु रसूलपुर, बैलौली गौरीडीह बिसुनपुरा, भैरोपुर रामपुर आदि ग्राम जो बांध के दक्षिण में है परन्तु जिनकी 75 फीसदी खेती बांध के उत्तर बाढ़पीड़ित क्षेत्र में है वह सारी फसल बर्बाद हो गयी यदि हां, तो इन बाढ़ पीड़ितों को क्या-क्या सहायता दी गयी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार बांध के उत्तर स्थित ग्रामों में फसलों को 1980 से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई तथा 55 मकान पूर्णतः एवं 2855 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जिनके स्वामियों को 4.01 लाख रुपये गृह अनुदान के रूप में वितरित किये गये।

प्रश्नगत बांध के दक्षिण स्थित ग्रामों में फसलों को 60 से 70 प्रतिशत तक की क्षति हुई, जिनमें कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है।

बाढ़ प्रभावित ग्रामों में 8273 पात्र परिवारों को 50 रु0 प्रति परिवार की दर से अहेतुक सहायता का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 400 लीटर मिट्टी का तेल 200 दियासलाई, 2 कुन्टल नमक 200 परिवारों में वितरित किया गया। बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में बाढ़ सहायता कार्य हेतु 152 नावें लगाई गई तथा सस्ते गल्ले की दुकानों से उचित मूल्य पर आवश्यक सामग्री का वितरण करने की व्यवस्था की गई।

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम ककरही के हरिजनों को धोखा देने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

135—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम ककरही के पचासों हरिजनों ने अक्तूबर, 87 में जिलाधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि उस गांव के प्रधान शिवनाथ सिंह उर्फ बुढ़ऊ ने उक्त हरिजनों को धोखा देकर उनसे पांच हजार रुपया ऐंठ लिया है, जिसने कुछ लोगों को फर्जी रसीद भी दे दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच कब किस अधिकारी ने की और क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जांच क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 1988 को करायी गई । जांच में दोषी पाये गये लेखपाल, श्री राधे श्याम तिवारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा ग्राम प्रधान, श्री शिव नाथ सिंह उर्फ बुढ़ऊ के विरुद्ध थाना फूलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136—श्री विष्णु देव—

(5वें मंगलवार के लिये स्थगित) ।

श्री जगत नारायण सिंह, निवासी ग्राम सुजौलिया, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के पिता की ग्रेच्युटी पेंशन आदि की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही

137—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगत नारायण सिंह, निवासी ग्राम सुजौलिया तहसील सिधौली, जिला सीतापुर का इस आशय का कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ 30 नवम्बर, 1988 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला कि उनके पिता श्री इन्दु वीर सिंह जिन्होंने 31 अगस्त, 1987 को शाहजहांपुर के सहायक चकबन्दी अधिकारी पद से अवकाश ग्रहण किया उन्हें अभी तक न तो ग्रेच्युटी तथा जी0पी0एफ0 के धन का भुगतान हुआ और न पेंशन ही मिलना प्रारम्भ हुई ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही की गई ? उल्लिखित मदों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा मलेरीकोट, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में हर्मन का अवैध पट्टा

138—डा0 बंगाली सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1988 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री राम सागर, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में उल्लिखित अवैध पट्टे को निरस्त कर पात्र व्यक्तियों के नाम आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर न्यायोचित आवंटन करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्न में संदर्भित प्रश्न संख्या 163 (अब वर्तमान सत्र 1989 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 11) का उत्तर सदन में दिया जा चुका है, जिसकी प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उक्त उत्तर के परिपेक्ष्य में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवंटन में कोई त्रुटि होना नहीं पाया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 185 पर)

विकास क्षेत्र रामपुर, थाना सुरेरी, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत संगम स्थान पर पर्यटन स्थल बनाने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

139—श्री रामचन्द्र शर्मा—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में विकास क्षेत्र रामपुर थाना सुरेरी के अन्तर्गत संगम स्थान है तथा उक्त स्थान पर एक बहुत बड़ा पुराना किला विद्यमान है जो एक उच्च कोटि का पर्यटन स्थल बन सकता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके सम्बन्ध में एक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 394—97 पी0 ए0 ए0 ए0 एफ0 एफ0 181, दिनांक 6 मार्च, 1987 को श्री आर0 ए0 टोलिया, विशेष सचिव, वन विभाग एवं संयुक्त ग्राम विकास विभाग ने श्री विष्णु प्रताप, जिलाधिकारी, जौनपुर को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला वाराणसी, ग्राम सुलेमपुर, ब्लाक हरहुआ में अति वृष्टि से पीड़ित लोगों को राहत अनुदान दिया जाना

140—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सुलेमपुर, ब्लाक हरहुआ, जिला वाराणसी अन्तर्गत वर्ष 1987—88 में अति वृष्टि से पीड़ित कुल कितने लोगों को राहत अनुदान दिया गया तथा कुल कितने लोगों को दिया जाना शेष है ? क्या शेष लोगों को भी अनुदान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जिलान्तर्गत वाराणसी से सिन्धौरा बाजार तक नगर बस सेवा सुविधा की मांग

141—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत वाराणसी से सिन्धौरा बाजार तक अभी तक नगर बस की सुविधा नहीं प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां, वाराणसी से सिन्धौरा बाजार का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है एवं इस पर निजी बसों का संचालन है।

प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान में अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर शासन की नीति के अनुसार निगम सेवाओं का संचालन नहीं किया जाता है।

जनपद फैजाबाद स्थित तहसील बीकापुर में चकबन्दी सम्बन्धी कार्यवाही

142—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित बीकापुर तहसील में चकबन्दी की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987–88 तथा 1988–89 में उपरोक्त तहसील के कितने गांवों को चकबन्दी प्रक्रिया में शामिल किया गया और आज तक वास्तव में कितने गांवों में किसानों को अपने नये चकों पर कब्जा दे दिया गया है ? कितने ऐसे गांव हैं जहां पर अभी सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर से चेक काटे जा रहे हैं ? कितने ऐसे गांव हैं जहां पर जोत चकबन्दी आकार पत्र–5 के पर्चे बांटे जा चुके हैं ? कितने ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक धारा 59 की आपत्ति का भी निस्तारण नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि प्रगति रिपोर्ट में उपरोक्त स्तर की कार्यवाही समाप्त दिखाई गई है ? क्या मंत्री जी इस मामले की जांच कराकर फर्जी रिपोर्ट देने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

द्वितीय चक्र चकबन्दी में वर्ष 1987–88 में 107 ग्राम व 1988–89 में 155 ग्रामों को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4–क(2) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया, इनमें से 118 ग्रामों में चकबन्दी की कार्यवाही प्रारंभ की गई है । 14 ग्रामों में किसानों को नये चकों पर कब्जा दिया जा चुका है ।

वर्ष 1987–88 के एक ग्राम व 1988–89 के 50 ग्रामों में चक सृजन की कार्यवाही हस्तगत है ।

जोत चकबन्दी आकार–पत्र–5 112 ग्रामों में वितरित किये जा चुके हैं ।

आपत्तियों के निस्तारण संबंधी जोत चकबन्दी अधिनियम में कोई धारा 59 नहीं है ।

जी हां । सन् 1987–88 की कब्जा परिवर्तन संबंधी सूचना की प्रगति रिपोर्ट सही नहीं पाई गई ।

जी हां, इस संबंध में संबंधित अधिकारीगण का स्पष्टीकरण लेकर कार्यवाही की जा रही है ।

जिला अलीगढ़ में पुलिस कोतवाली सासनी द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की बेरहमी से पिटाई किये जाने की जांच

143—डा० बंगाली सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 5 मार्च, 1985 को सासनी, जिला अलीगढ़ में निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस कोतवाली सासनी द्वारा बेरहमी से पीटा गया तथा उसमें हजारों आदमी घायल हुए थे ? यदि हां, तो उसकी जांच किस एजेन्सी से करवाई गई है ? जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी पुलिस कर्मियों को क्या दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5 मार्च, 1985 को थाना सासनी के सामने लगभग 100 आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो गयी है और आम भीड़ में हर तरफ फैल गयी कि मुन्नालाल ड्राइवर की औरत के साथ पुलिस के किसी कर्मचारी ने मारपीट की और गालियां देकर बेइज्जत किया । उपरोक्त इकट्ठी हुई भीड़ को काफी समझाया गया कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी किन्तु उत्तेजित भीड़ ने पुलिस कर्मचारीगण पर पथराव करना शुरू कर दिया तथा सड़क पर आते–जाते वाहनों पर भी पथराव करने लगे । पथराव करने वालों को आवश्यक बल प्रयोग कर के तितर–बितर करने का प्रयास किया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा भीड़ को तितर–बितर करने के लिये किये गये आवश्यक बल प्रयोग से कुछ लोगों को साधारण चोटें आना पाया गया ।

पुलिस की तथाकथित मारपीट के सम्बन्ध में वादी श्री मुन्नालाल द्वारा पुलिस के विरुद्ध थाना सासनी पर मुकदमा अपराध संख्या 668/5, धारा 147, 323 भा0द0 वि0 पंजीकृत कराया गया तथा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर पथराव किये जाने, वाहनों पर पथराव कर शीशे आदि तोड़कर नुकसान करने एवं ड्यूटी के समय पुलिस कर्मियों से मारपीट कर कार्य में बाधा पहुंचाने आदि के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा थाना सासनी पर मु0 अ0 सं0 66-ए/85, धारा 147/307/332/427 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया। अ0 सं0 66/85 में विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा अ0 सं0 66-ए/85 में विवेचना के उपरान्त 14 अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्नगत घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1985 को दे दिये गये थे जो वर्तमान में श्री श्री सैय्यद अमीर जाफर, ए0 डी0 एम0 (फाइनेन्स), अलीगढ़ द्वारा की जा रही है। यदि मैजिस्ट्रीरियल जांच से कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर में डोहरिया नामक स्थान पर शहीद स्मारक बनाने हेतु विचाराधीन मामला

144—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहजनवा, गोरखपुर में डोहरिया नामक स्थान पर 2 अक्टूबर, 1985 को पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की थी? क्या डोहरिया नामक स्थान में शहीद स्मारक बनाने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है यदि हां, तो अब तक शहीद स्मारक न बनाने के क्या कारण हैं?

श्री मान पाल सिंह, एडवोकेट—

जी हां।

डोहरिया नामक स्थान पर शहीद स्मारक बनाने का मामला विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जनपद के कस्बा पुरवा व मौरावां की सड़कों/मार्गों के निर्माण में व्यय

145—श्री मूल चन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 45 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 367 सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 10 जून, 1987 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। पत्र का उत्तर दे दिया गया था।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 4 में फर्जी फर्म श्री ट्रेडर्स का पंजीयन व नवीनीकरण करने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

149—श्री मूल चन्द्र—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 4 में वर्ष 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85 में एक फर्जी फर्म श्री ट्रेडर्स का पंजीयन व नवीनीकरण किया गया है और इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 529 सचिव, संस्थागत वित्त को दिनांक 18 जुलाई, 1987 को व सदस्य, विधान परिषद, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र

संख्या 222 माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 15 मार्च, 1988 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

फर्म श्री ट्रेडर्स का वर्ष 1981–82 से 1983–84 के लिये पंजीयन तथा अनुवर्ती वर्ष के लिये नवीनीकरण किया गया था ।

जी हां ।

आयुक्त-बिक्रीकर से आख्या मांगी गई । प्राप्त आख्या पर विचारोपरान्त कुछ अन्य बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई है ।

आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय के बिक्रीकर अधिकारी, सचल दल द्वारा अवैध हल्दी की बरामदगी

147—श्री मूल चन्द्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के चौथे मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 550, सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 27 जुलाई, 1987 को मिला था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं प्रतीत हुई ।

माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री यदुनाथ सिंह विधायक के पत्र संख्या–739 के आधार पर कार्यवाही

148—श्री मूल चन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 736, संयुक्त सचिव, वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 29 मार्च, 1980 के उत्तर में मुख्य मंत्री जी को ता0 17 मई, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र संख्या 736 पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जांचोपरान्त कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

बिक्रीकर अधिकरण द्वारा चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों हेतु लिया गया इन्टरव्यू एवं परीक्षा शुल्क की धनराशि का विवरण

149—श्री मूल चन्द्र—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि अध्यक्ष, बिक्रीकर अधिकरण ने चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के लिये माह जुलाई, अगस्त, 1988 में इन्टरव्यू लिये थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दोनों वर्गों के लिये अलग-अलग कितने अभ्यर्थी इन्टरव्यू के लिये आये थे ? क्या चतुर्थ वर्ग के अभ्यर्थियों से दो-दो रुपया और तृतीय वर्ग के अभ्यर्थियों से पांच-पांच रुपया शुल्क लिया गया था ? यदि हां, तो कितना रुपया शुल्क के रूप में एकत्र किया गया था ? क्या इसके लिये अभ्यर्थियों को रसीदें भी दी गयी थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? जमा किये गये शुल्क को किस तारीख को सरकारी खजाने में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। टंकण परीक्षा भी आयोजित की गयी थी।

चतुर्थ श्रेणी के लिये 3266 तथा तृतीय श्रेणी के लिये 5779 अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र आये थे। सभी को परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था। चतुर्थ श्रेणी के 2109 तथा तृतीय श्रेणी के 4125 अभ्यर्थी उपस्थित हुये थे।

जी हां। केवल उन अभ्यर्थियों से जो साक्षात्कार/परीक्षा हेतु उपस्थित हुये थे।

कुल 24,813 रु0 परीक्षा शुल्क में प्राप्त हुये थे।

रसीदें नहीं दी गयी थीं बल्कि अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र पर उल्लेख कर दिया गया था क्योंकि परीक्षा शुल्क के लिये रसीद का कोई प्राविधान नहीं है जैसा कि लोक सेवा आयोग द्वारा भी परीक्षा शुल्क की रसीद नहीं दी जाती है।

परीक्षा व्यय वहन करने के बाद अवशेष धनराशि 640.15 रु0 को राजकीय कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ में ट्रेजरी चालान संख्या 39, दिनांक 3 जनवरी, 1989 को जमा किया जा चुका है। प्राप्त परीक्षा शुल्क से डाक टिकट, लेखन सामग्री, टाइप राइटर किराया, विज्ञापन-परीक्षाफल का प्रकाशन, व्यवस्था व्यय तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 24 के अन्तर्गत पारिश्रमिक में व्यय किया गया था। इस परीक्षा शुल्क से प्राप्त पूर्ण धनराशि को कोषागार में जमा करने का उपबन्ध नहीं है क्योंकि इसका प्रयोजन परीक्षा व्यय वहन करना है जिसके लिये बजट में कोई धनराशि प्राविधानित नहीं की जाती है। इस परीक्षा शुल्क का पूर्ण लेखा अलग रखा गया है।

150—श्री यदुनाथ सिंह—

(5वें मंगलवार के लिये स्थगित)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त, बिक्री कर बनाम बृजवासी ट्रेडर्स मुकदमें में दिया गया निर्णय

151—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 615 माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 5 मई, 1986 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

पत्र पर आयुक्त, बिक्री कर से आख्या मांगी गई।

152—श्री यदुनाथ सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

बिक्री कर अधिकारी श्री जी0 सी0 टण्डन का निलम्बन तथा सेवा-निवृत्ति

153—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1070 वित्त राज्य मंत्री को तारीख 11 जुलाई, 1986 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। पत्र पर अलग से कार्यवाही नहीं की गयी है। माननीय विधायक द्वारा पत्र में जिन बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है वह उन्हें अलग से दी जा रही है।

154—श्री मनेजर सिंह—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, थानाध्यक्ष, थाना हजारा, पीलीभीत के विरुद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने की मांग

155—श्री मनेजर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 110 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्री अभियोजन-पक्ष व बचाव-पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, सबूतों व "जांच-आख्या" को सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह सही है कि दोषी थानाध्यक्ष जांच अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत) के पेशकार रहे हैं जिससे जांच अधिकारी ने अभिलेखीय सबूत व मौके के गवाहान के बयानात के विपरीत थानाध्यक्ष को निर्दोष करार दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी थानाध्यक्ष व दोषी जांच अधिकारी (उ0 पु0 अ0, पीलीभीत) को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री विनोद कुमार यादव, गन्ना ग्राम सेवक, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानन्द नगर, जनपद लखीमपुर-खीरी को गन्ना निरीक्षक के पद पर नियुक्त न किया जाना

156—श्री मनेजर सिंह—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना ग्राम सेवकों की वरिष्ठता सूची के पृष्ठ 12 के क्रम सं0 304 पर अंकित श्री विनोद कुमार यादव, गन्ना ग्राम सेवक, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, को नजर अन्दाज कर पृष्ठ सं0 12 के ही क्रम सं0 305 पर स्थित श्री रघुनाथ बाजपेयी को गन्ना निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री यादव को गन्ना निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान करेगी व गैर कानूनी व मनमानी पदोन्नति देने वाले अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

श्री रघुनाथ बाजपेयी को गन्ना ग्राम सेवक के पद से गन्ना निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति नहीं प्रदान की गयी है और न ही इस प्रकार की प्रोन्नति का प्राविधान है। श्री बाजपेयी की गन्ना क्रय सम्बन्धी कार्यों में योगदान एवं कार्य क्षमता को देखते हुये तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर प्रशासक/जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उन्हें निरीक्षक के रिक्त पद पर नव-नियुक्ति प्रदान की गयी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सूचना कार्यालय, गाजीपुर के नये भवन का किराया अधिक दिये जाने का औचित्य

श्री राम आसरे वर्मा—

157—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सूचना कार्यालय, गाजीपुर जिस भवन में स्थित है उसका कारपेट एरिया कितना है ? क्या उक्त भवन का किराया निर्धारित सरकारी रेट से कम भवन स्वामी को भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो भवन किराया का प्रतिमाह सरकारी रेट क्या है और सम्बन्धित भवन स्वामी को किस दर से भुगतान किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय अब दूसरे भवन में जिसका कारपेट एरिया पूर्व भवन से कम

किराया अधिक है; स्थानान्तरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग करने का क्या औचित्य है ?

श्री नरेश चन्द्र—

जिला सूचना कार्यालय, गाजीपुर जिस भवन में स्थित है उसका कारपेट एरिया 837.12 वर्ग फीट है ।

गाजीपुर में किराये की निर्धारित दर एक रुपया प्रति वर्ग फुट है । भवन स्वामी को, उनकी सहमति से, निर्धारित दर से कुछ कम, 750 रु0 प्रतिमाह भवन किराया दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158—कुं0 मानवेन्द्र सिंह—

(6वें गुरुवार में अता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

159—श्री यदुनाथ सिंह—

(3रें सोमवार में अता0 प्र0सं0 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कान्सटेबिल नं0 1588 (श्री अली शेर खां) जी0आर0पी0, लखनऊ के निलम्बन का औचित्य

160—श्री विष्णु देव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कान्सटेबिल नं0 1588 (श्री अली शेर खां) जी0 आर0 पी0, लखनऊ को शासनादेश के विपरीत मुकदमा चलने के दौरान किस आधार पर निलम्बित किया गया ? क्या इनको मुकदमे का निर्णय होने तक की अवधि के लिये बहाल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कान्सटेबिल नं0 1588 जी0आर0पी0 थाना प्रतापगढ़ के मुकदमे की जांच उसी अधिकारी द्वारा की गयी जिसने मुकदमा कायम किया था ? यदि हां, तो उसी अधिकारी द्वारा जांच कराने का क्या कारण है ? क्या किसी अन्य अधिकारी से जांच करायी जायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

दिनांक 21 जनवरी, 1987 को वादी मेजर श्री ए0के0 घोष, निवासी ई-1502, राजाजीपुरम, थाना तालकटोरा, जिला लखनऊ की रिपोर्ट पर कान्सटेबिल अली शेर खां के विरुद्ध थाना जी0आर0पी0, प्रतापगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 6/87 धारा 379/352/225/511 भा0दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि कान्सटेबिल अली शेर खां ने दिनांक 20/21 जनवरी, 1987 की रात में मुगलसराय-लखनऊ पैसेन्जर ट्रेन में एक महिला का पर्स छीनकर भागने का प्रयास किया और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया । इस अपराध की विवेचना थानाध्यक्ष, थाना जी0आर0पी0, प्रतापगढ़ श्री एस0के0 सेठ ने किया । विवेचना से कान्सटबिल अली शेर खां के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर दिनांक 23 जुलाई, 1987 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । उसी के फलस्वरूप दिनांक 1 अगस्त, 1987 को कान्सटेबिल अली शेर खां को नियमानुसार निलम्बित किया गया ।

जी नहीं । जब तक न्यायालय द्वारा मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक कान्सटेबिल अली शेर खां को नियमानुसार निलम्बित रखना पड़ेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मु0 जनाका पुत्री हुबलाल, बेवा हरदेव, निवासिनी वाजितपुर, तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली की भूमि हड़पने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

161—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0 जनाका पुत्री हुबलाल, बेवा हरदेव, निवासिनी वाजितपुर, तहसील महराज गंज, जिला रायबरली का प्रार्थना-पत्र श्री शारदानन्द अंचल, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 28 दिसम्बर, 1988 तथा नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह यादव) के उपरिपत्र संख्या 7466/नि0वि0द0, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ है जो तहसील महराजगंज के लेखपाल व कानूनगो द्वारा साजिश करके प्रार्थिनी की भूमि हड़पने की कोशिश के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जांचोपरान्त वरासत के सम्बन्ध में निर्धारित वरीयता के विरुद्ध पक-11 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने के लिये दोषी लेखपाल को आरोप-पत्र दिया गया है । प्रश्नगत ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन है । अतएव, वरासत के सम्बन्ध में विधिनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिये सहायक चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औरंगाबाद भटहट (गोरखपुर) में सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटिंग की स्थापना

162—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के 2रे मंगलवार के प्रश्नकर्ता के अता0प्र0सं0 173 के उत्तर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम औरंगाबाद भटहट में सौर ऊर्जा के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटिंग की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम औरंगाबाद पिपराइच विधान सभा क्षेत्र का ग्राम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पिपराइच के किसी ग्राम में सौर ऊर्जा के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

ग्राम औरंगाबाद भटहट में स्ट्रीट लाइट की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जी नहीं ।

वर्तमान संसाधनों को देखते हुये इस वर्ष ऐसी कोई योजना नहीं है ।

अपर जिलाधिकारी इटावा के यहां धारा 198 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों के निस्तारण की कार्यवाही

163—श्री औसान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि धारा 198 ज0 वि0 उ0 अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी, इटावा के यहां कितने वाद कब से किस स्तर पर लम्बित हैं ? मंत्री जी इनके शीघ्र निस्तारण हेतु क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

इटावा जनपद में अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में धारा 198 (4) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत 221 वाद लम्बित हैं जिनमें से सबसे पुराना वाद दिसम्बर, 1983 का है । इन सभी वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिलाधिकारी को आदेश भेज दिये गये हैं ।

जनपद इटावा में धारा 122-बी ज0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों के निस्तारण की कार्यवाही

164---श्री औलान सिंह---

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद में कितने वाद धारा 122-बी ज0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत कब से विचाराधीन हैं ? इनके शीघ्र निस्तारण करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

इटावा जनपद में धारा 122-बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कुल 353 वाद लम्बित हैं जिनमें से 52 वाद एक वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के हैं। इन सभी वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिलाधिकारी इटावा को आदेश दे दिये गये हैं।

165---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

(5 वें मंगलवार के लिये स्थगित)

जनपद गोरखपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास पर निर्मित सड़क में व्यय का विवरण

166---श्री हर्ष वर्धन---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास में लगभग 300 मीटर सड़क का निर्माण "पेपर फिनिश" विधि द्वारा वर्ष 1986-87 में कराया गया ? यदि हां, तो संबंधित मार्ग-निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ और उसका भुगतान किस मद से किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

वित्तीय वर्ष 1986-87 में गोरखपुर जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास में किसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद के श्री बाबू राम हेड कांस्टेबिल 50 ए0 पी0 आर्म पुलिस के ड्यूटी पर घायल होने के फलस्वरूप आर्थिक सहायता न किये जाने का औचित्य

167---श्री मित्रसेन---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेड कांस्टेबिल 50 ए0 पी0 आर्म पुलिस, बाबू राम, फैजाबाद दिनांक 30 अगस्त, 1987 को सुरक्षा कार्य में लगे रहने पर दिन दहाड़े कुछ असामाजिक अपराधी तत्वों ने, प्राण घातक हमला कर बमों से घायल कर दिया था जिसकी नामजद रिपोर्ट उसी दिन थाना कोतवाली, फैजाबाद में प्रश्नकर्त्ता ने लिखित रूप में की है। यदि हां, तो आन ड्यूटी सुरक्षा कर्मी बाबूराम के घायल होने पर विभागीय एवं शासन के नियमानुसार घायल सुरक्षा कर्मी को पांच हजार रुपये का अनुदान अब तक न दिये जाने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

जी हां, ड्यूटी पर घायल हुए मुख्य आरक्षी सुरक्षा कर्मी श्री बाबू राम को नियमानुसार 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है,

प्रस्ताव पर विचार हेतु कुछ सूचना अभी पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में प्रतीक्षित है।

जनपद लखीमपुर खीरी, थाना मैलानी के स्व0 राधे लाल वर्मा, उपनिरीक्षक की धर्मपत्नी को समस्त देयों के भुगतान की कार्यवाही

169—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राधे लाल वर्मा, उपनिरीक्षक, थाना मैलानी, जनपद लखीमपुर खीरी में नियुक्त थे। क्या श्री वर्मा की स्वर्गवास हार्ट अटैक हो जाने के कारण दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 को हो गया था? यदि हां, तो उनके वारिस कौन हैं? क्या स्व0 वर्मा के वारिस को उनके बीमा, फन्ड आदि समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

श्री राधे लाल वर्मा, उपनिरीक्षक, थाना मैलानी, जनपद लखीमपुर खीरी में नियुक्त थे। इसका स्वर्गवास दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 को, हार्ट अटैक हो जाने के कारण, हुआ था। प्राप्त सूचना के अनुसार स्व0 वर्मा की वारिस उनकी पत्नी श्रीमती रामावती हैं। श्री वर्मा के वारिस को बीमा धनराशि रु0 27,024 का भुगतान दिनांक 22 सितम्बर 1988 को तथा जी0 पी0 फन्ड की 90 प्रतिशत धनराशि रु0 21,459 का भुगतान दिनांक 23 मार्च, 1988 को कर दिया गया है। शेष 10 प्रतिशत जी0 पी0 फण्ड की धनराशि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से स्वीकृत होना अपेक्षित है।

2—श्री वर्मा के वारिस को ग्रेच्युटी की धनराशि रु0 17255.05 का भुगतान दिनांक 9 सितम्बर, 1988 तथा दिनांक 4 दिसम्बर, 1987 से 31 जुलाई, 1988 तक 180 रु0 प्रतिमाह की दर से रु0 1422.60 अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ श्रीमती रामावती को रु0 200 प्रतिमाह की दर से दिनांक 4 दिसम्बर, 1987 से 31 दिसम्बर, 1994 तक तदोपरान्त रु0 100 प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन स्वीकार की जा चुकी है।

3—श्रीमती रामावती को रु0 1317.20 प्रतिमाह की दर से असाधारण पारिवारिक पेंशन भी दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 को स्वीकार की जा चुकी है।

4—उक्त के अतिरिक्त श्रीमती रामावती को उनके पति स्व0 वर्मा के अवशेष देय नकदीकरण की धनराशि रु0 6794.90 का भुगतान दिनांक 21 मार्च, 1988, बोनस का धनराशि रु0 991 का भुगतान दिनांक 11 अगस्त, 1988 को तथा अतिरिक्त वेतन की धनराशि रु0 1165.65 का भुगतान दिनांक 23 मार्च, 1988 को किया जा चुका है।

मोहन मीकिन लिमिटेड पर बकाया बिक्रीकर वसूलने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

169—श्री भोपाल सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मूल चन्द्र—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन लिमिटेड पर 1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1988 तक बिक्रीकर का करोड़ों रुपया बकाया है? यदि हां, तो कम्पनी पर इस अवधि की बकाया राशि क्या है तथा उसे वसूलने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्रम-संख्या	वर्ष	बकाया धनराशि	बकाया रहने का कारण	बकाया समाप्त कराने के लिये किये गये प्रयास ।
1	2	3	4	5
1	82–83 प्रान्तीय	16,53,473.07	उपा0(अपील) के आदेश सं0 9 दिनांक 30 अप्रैल, 1987 से स्थगित ।	बकाया समाप्त कराने के लिये बिक्रीकर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि सम्बद्ध उपायुक्त (अपील) बिक्रीकर लखनऊ को स्थगन समाप्त कराने हेतु निर्देश दिये गये ।
2	82–83 धारा–21	33,679.00	उपा0(अपील) के आदेश संख्या–43 दिनांक 14 अगस्त, 1987 से स्थगित	
3	83–84	1,06,631.45	अधिकरण आदेश संख्या–244/88 दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 द्वारा स्थगित ।	

अन्य वर्षों में बकाया नहीं है ।

जिला बस्ती की खलीलाबाद शुगर मिल को गन्ना मूल्य की वसूली हेतु जारी रिकवरी प्रमाण पत्रानुसार धन वसूली का विवरण

170—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद शुगर मिल जनपद बस्ती के नाम मार्च, 1988 में सत्र 1987–88 के गन्ना मूल्य की वसूली के लिये कोई रिकवरी प्रमाण-पत्र शासन द्वारा जारी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त रिकवरी प्रमाण-पत्र के सापेक्ष कितने धन की वसूली की गयी ? क्या वसूल की गयी धनराशि पर कलेक्शन चार्ज किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त वसूली प्रमाण-पत्र के सापेक्ष में कोई धन की वसूली नहीं हुई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला लखनऊ, तहसील सदर में दस्तावेजों की नकल करके प्रतिलिपियां देने के कार्य हेतु अतिरिक्त लिपिकों की नियुक्ति

171—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि तहसील सदर जिला लखनऊ में दस्तावेजों आदि की नकल करके प्रतिलिपियां देने के कार्य के लिये केवल एक कर्मचारी नियुक्त है जिससे कार्याधिक्य

के कारण अभिलेखों की नकल मिलने में महीनों का समय लग जाता है और अभिलेखों की नकल समय पर न मिलने से जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या इस कार्य को करने के लिये अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । दस्तावेजों आदि की नकल कार्य के लिये दो लिपिक नियुक्त हैं । अति-आवश्यक, आवश्यक एवं साधारण नकलें जनता को क्रमशः एक, दो एवं तीन सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाती है । फिर भी आवश्यकतानुसार कार्य निस्तारण हेतु तीन माह के लिये दैनिक वेतन पर लिपिक नियुक्त किये जाने के आदेश समस्त जिला निबन्धकों को निर्गत किये गये हैं ।

जनपद इलाहाबाद में मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती करना

172—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में मानक के अनुसार कितने इन्सपेक्टर, कितने सब-इन्सपेक्टर कितने हेड कान्सटेबिल तथा कितने कान्सटेबिल होने चाहिये और अक्तूबर, 1988 तक जनपद में कितने कितने ये तैनात रहे हैं । इस कमी को दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद इलाहाबाद में मानक के अनुसार निम्न पुलिस बल होना चाहिये :—

	नागरिक पुलिस	सशस्त्र पुलिस
1—इन्सपेक्टर	11	5
2—सब इन्सपेक्टर	342	19
3—हेड कांस्टेबिल	310	286
4—कांस्टेबिल	2,773	1,322

वर्तमान में जनपद में निम्नांकित पुलिस बल तैनात है :—

	नागरिक पुलिस	सशस्त्र पुलिस
1—इन्सपेक्टर	11	3
2—सब-इन्सपेक्टर	283	13
3—हेड कांस्टेबिल	275	213
4—कांस्टेबिल	2,186	1,002

राज्य के वर्तमान संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस कर्मियों की इस कमी के अनुसार पदों का सृजन सम्भव नहीं है । फिर भी धीरे-धीरे वित्तीय संसाधनों तथा कानून एवं व्यवस्था की सामयिक आवश्यकता का ताल-मेल बिठाते हुये नये थाने तथा पुलिस चौकियां खोल कर तथा नये पद सृजित कर इस कमी को दूर करने का प्रयास है ।

जनपद लखनऊ के खसरा नं0 1030 ग्राम समाज में आने वाली भूमि का ग्राम प्रधान द्वारा पुत्र के नाम किये बैनामा को रद्द कर भूमि हीनों में आबंटित करने की कार्यवाही

173—श्री शारदा प्रताप—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि सं0

1030 रकबा 14 अगस्त, 1986 के सम्बन्ध में भूतपूर्व ग्राम प्रधान के पुत्र की ओर से दाखिल-खारिज का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया ? यदि हां, तो क्या बैनामे की वैधता का परीक्षण किया गया तथा बैनामा वैध पाया गया ? यदि नहीं, तो क्या उक्त भूमि को धारा 194 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा में निहित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की गई तथा अब उसे नजूल लैण्ड घोषित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

भूमि खण्ड 1030 रकबा 14-8-16 स्थित ग्राम गौरी के नामांतरण हेतु प्रधान के पुत्र द्वारा प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया । दाखिल-खारिज की कार्यवाही लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 7 मार्च, 1988 पर प्रारम्भ हुई और वाद संख्या 50/327, जागेश्वर सिंह आदि बनाम पन्ना लाल में पारित आदेश दिनांक 17 अक्तूबर, 1988 द्वारा क्रेतागण का नाम अंकित हुआ । राजस्व न्यायालयों को बैनामा की वैधता के सरसरी परीक्षण का ही अधिकार है । प्रश्नगत वाद में परीक्षणोपरान्त नायब तहसीलदार, बिजनौर ने विक्रय-पत्र को विधिवत् प्रमाणित मानते हुये नामांतरण का आदेश पारित किया है । इस आदेश के विरुद्ध धारा 201 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील न्यायालय में विचाराधीन है । अपील के निर्णयोपरान्त यथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 40 के अन्तर्गत माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित 1ले मंगलवार के प्रश्न]

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अवध नारायण सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच एवं आरोपी की सुरक्षा हेतु कार्यवाही

49—श्री मैनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध नारायण सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी के विरुद्ध एक आरोप पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1988 को मय संलग्नक आरोप पत्र दिनांक 27 जुलाई, 1988, 13 मई, 1988, 15 मई, 1988, 29 जून, 1988 और 20 अगस्त, 1988 सहित मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री को प्रस्तुत किया गया है । यदि हां, तो आरोप क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या आरोपी श्री लखपत राय शर्मा, भूतपूर्व विधायक, झांसी के जान-माल के खतरे की सूचना शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं ।

श्री अवध नारायण सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी के विरुद्ध श्री लखपत राय शर्मा का शिकायती-पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1988 संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ था । शिकायती-पत्र दिनांक 13 मई, 1988 (तार), 15 मई, 1988, 29 जून, 1988, 21 जुलाई, 1988 एवं 20 अगस्त, 1988 इसी सम्बन्ध में प्राप्त हुये थे । इसमें श्री शर्मा ने श्री सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये थे और श्री सिंह द्वारा अपने साथ दुर्व्यवहार करने की बात कही थी तथा अपना जीवन असुरक्षित बताया था ।

आरोपों की जांच करायी गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये तथापि एहतियातन श्री शर्मा के जान-माल की समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थानीय पुलिस सजग है । यह भी उल्लेखनीय है कि श्री अवध नारायण सिंह, झांसी से स्थानान्तरित हो चुके है ।

50—श्री मैनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अवध नारायण सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें 12 मई, 1988 को भूतपूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं० लखपत राय शर्मा द्वारा की गयी थी। यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसी कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने श्री शर्मा को अपमानित करने के लिये अनेक फर्जी व झूठी रिपोर्ट श्री शर्मा के विरुद्ध थाना नवाबाद, झांसी में 17 जून, 1988 को अंकित करायी ? यदि हां, तो फर्जी रिपोर्टकर्त्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और श्री शर्मा के शिकायतों की जांच का नतीजा क्या रहा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अवध नारायण सिंह, तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों से संबंधित श्री लखपत राय शर्मा का कोई पत्र दिनांक 12 मई, 1988 प्राप्त नहीं हुआ और न ही 17 जून, 1988 को श्री लखपति राय शर्मा के विरुद्ध थाना नवाबाद में कोई अभियोग पंजीकृत किया गया।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स, रसड़ा, जनपद बलिया की कार का जिलाधिकारी द्वारा प्रयोग

101—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद की रसड़ा चीनी मिल के लिये नयी खरीदी गयी कार श्री अशोक कुमार जिलाधिकारी ने अध्यक्ष, चीनी मिल की हैसियत से अपने पास रोके रखी और उसका प्रयोग निजी रूप से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन्हें दण्डित किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स रसड़ा (बलिया) के पदेन अध्यक्ष/प्रशासक की हैसियत से श्री अशोक कुमार तत्कालीन जिलाधिकारी, बलिया द्वारा प्रश्नगत कार का प्रयोग मिल तथा सरकारी कार्य हेतु किया गया था।

जनपद बलिया में 1985 से 1988 तक सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु की संख्या एवं दिये गये हर्जाने का विवरण

124—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1985-86 1986-87 और 1987-88 में बलिया जनपद में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई और कितने की मौत हुई और उन्हें क्या हर्जाना मिला ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में वांछित विवरण निम्नवत है :—

वर्ष		दुर्घटनाएं	मृत्यु	आर्थिक सहायता
1985-86	..	141	59	..
1986-87	..	178	62	10,000
1987-88	..	184	98	..

सिंचाई विभाग द्वारा बजट साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, विधान सभा के इतिहास में पहली बार आज सिंचाई विभाग का बजट है, लेकिन सिंचाई विभाग का कोई भी साहित्य अभी तक हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। मान्यवर, समय से अगर हम लोगों को साहित्य नहीं मिला, तो कैसे हम लोग सिंचाई विभाग के बजट पर अपने को बहस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है।

श्री मनेजर सिंह---

मान्यवर, आज सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत होना है उसे आज आप स्थगित कर दें और माननीय लोकपति त्रिपाठी सिंचाई मंत्री, ये [× × ×] हो गये हैं और ये बिलकुल विभाग को बरबाद कर रहे हैं और [× × ×] सिंचाई विभाग का लिटरेचर दिलवाने का उत्तरदायित्व उनका और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का था, लेकिन अभी तक हम लोगों को साहित्य नहीं उपलब्ध कराया गया है। इसलिये आप इसको आज स्थगित कर दें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पहले आप मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

जब मद 16 आयेगा, तभी तो मैं इस मसले को देखूंगा, तब आप इसे उठाइयेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है और इसी समय का यह सवाल है। मान्यवर, सिंचाई विभाग का आज बजट है, लेकिन अभी तक हम लोगों को सिंचाई विभाग का साहित्य नहीं बांटा गया है। श्रीमन् नियमानुसार यह साहित्य हम लोगों को कल शाम को मिल जाना चाहिये था। लेकिन और किसी तरह की गड़बड़ी हुई, तो आज सुबह 9 बजे तक मिल जाना चाहिये था अब श्रीमन् 12 बजकर 20 मिनट हो गये हैं, लेकिन अभी तक वह साहित्य हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिये श्रीमन् हम चाहते हैं कि इस अनियमितता के रहते, सिंचाई विभाग के बजट पर आज बहस नहीं हो सकती है। अतएव हमारा निवेदन है कि आज उस प्रांट को स्थगित करने की कृपा करें। यह मेरी प्रार्थना है और निवेश दें कि भविष्य में साहित्य 48 घंटे पूर्व हमें मिले।

(व्यवधान)

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, कारण में यह प्राविधान है कि बजट साहित्य हम लोगों को 48 घंटे पूर्व वितरित हो जाना चाहिये। पिछले कई वर्षों से बार-बार हम लोगों के अनुरोध करने पर कि यह सरकार तो वैसे भी कारणों का उल्लंघन करती चली जा रही है, जिस रोज बजट प्रस्तुत होता है उस रोज सुबह हम लोगों को साहित्य दिया जाता है, जब कि 48 घंटे पहले हम लोगों को साहित्य उपलब्ध कराना चाहिये, ताकि हम लोग उसे पढ़कर बहस में भाग ले सकें। मान्यवर, लगभग 1 घंटे के बाद बजट प्रस्तुत हो जायगा, मरसक तो हमें

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उम्मीद है कि ये साहित्य उपलब्ध करा ही नहीं पायेंगे और बिना साहित्य के ये बजट पास कराना चाहते हैं । मान्यवर, अगर इस समय साहित्य हम लोगों को उपलब्ध कराया भी जायगा, तो हम लोग उसे पढ़ भी नहीं पायेंगे और अगर मान्यवर, इस समय साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा है तो पब्लिक मनी को वेस्ट किया जा रहा है । क्या जरूरत है इस समय बांटने की जबकि एक घंटे बाद बजट पेश किया जा रहा है । तो ऐसी स्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कि आज आप सिंचाई के बजट को स्थगित कर दें, साहित्य वितरित हो जायेगा तो हम लोग पढ़ा लेंगे । उसके बाद जो भी तिथि आप निर्धारित करेंगे उसी दिन यह हो जायेगा ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने जो बात कही है कि बजट साहित्य यहां पर होना चाहिये, मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि होना चाहिये और सदैव इस बात का प्रयास किया जाता है कि बजट साहित्य समय से पहुंच जाय लेकिन अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है तो मैं कहना चाहता हूं कि 24 अप्रैल, 1962 और 8 अप्रैल, 1975 में इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है और उस समय अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय दिया गया था कि बजट साहित्य समय से आ जाना चाहिये, लेकिन किसी कारण से अगर मशीन टूट गयी जिसके ऊपर छप रहा था तो रात को ही यह भेजा गया । मान्यवर, वह छप चुका है और उसे लेकर आदमी चल चुका है, वह किसी भी क्षण साहित्य लेकर आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

सूचना है कि आ गया है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अगर किसी भी कारण से बजट साहित्य नहीं आ पाता है तो इसके पहले माननीय अध्यक्षगण इस पीठ से पूरी तरह से यह व्यवस्था दी गयी है कि बजट साहित्य नहीं आ पाता है तब भी उसको स्थगित नहीं किया जायेगा और बजट प्रस्तुत किया जायेगा । मान्यवर, आप इन्हें देख लें इससे पहले भी यहां पर बजट पेश किये जा चुके हैं । मेरा बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन है कि सरकार को खेद है, मुझे खेद है । माननीय सिंचाई मंत्री ने स्वयं जाकर माननीय रघुवर दयाल वर्मा से माफी मांगी है साहित्य समय से नहीं पहुंचा इसके लिये मैं खुद खेद प्रकट करता हूं । मान्यवर, इस प्रकार के दृष्टांत पहले भी हो चुके हैं, अब साहित्य आ चुका है इसमें जानबूझकर कोई चीज नहीं की गयी है । जानबूझ कर कोई गलती हो जाती है तो ईश्वर भी माफ कर देता है तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आप भी इसको क्षमा करें और बजट साहित्य आ गया है उसको ले लें ।

*श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी शराफत का नाजायज फायदा माननीय मंत्री जी उठा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष --

कभी-कभी आप भी उठा लेते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

ये इतने [× × ×] होते जा रहे हैं कि आपके निर्णय को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । मैं आपसे चाहता हूं कि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करिये और माननीय मंत्री जी ने जो एक उदाहरण दिया कि यह सदन में दिया गया, एक परम्परा कायम करना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप उसका अनुकरण न करिये आप अपने विवेक से निर्णय करिये । आज का बजट स्थगित किया जाय ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने खेद प्रकट किया है वे स्वयं अनुभव करते हैं कि गलत काम हुआ है और कारण का उल्लंघन हो रहा है । माननीय अध्यक्षों द्वारा दिये गये किसी निर्देशों का हवाला दे रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई मंत्री ने माफी मांगी है । मैं जानता हूं कि सिंचाई मंत्री अपने पूज्य पिता पं0 कमला पति त्रिपाठी जी से भी माफी नहीं मांग सकते हैं तो वे माननीय सदस्यों से क्या माफी मांगेंगे ? वे निहायत [× × ×] मंत्री हैं, उनको कोई खेद नहीं है । उनको इस सदन के सामने पेश किया जाय और वे सदन के सामने माफी मांगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्हें खेद है । श्रीमन्, मशीन अगर टूट गयी, नहीं छप पाया यह बात तो समझ में आती है लेकिन करण में जो समय-समय पर व्यवस्था दी गयी है उसमें किसी भी समय आपकी पीठ से यह व्यवस्था नहीं दी गयी है कि 48 घंटे पहले बजट की सामग्री न दी जाय । यदि सरकार ने 48 घंटे पहले ही बजट की सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया होता तो शायद मशीन की खराबी उनके संज्ञान में पहले आ गयी होती और तब यह स्थिति पैदा न होती । इसलिये मेरा अनुरोध है कि भविष्य में यह निर्देश दें सरकार को कि करण की उस व्यवस्था का अनुपालन किया जाय जिसके अनुसार सदस्यों को 48 घंटे पहले बजट सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है कि भविष्य में 48 घंटे पहले यह दिलवाने की व्यवस्था करें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, क्या सिंचाई मंत्री जी की भी मशीन खराब पड़ी है । उनकी भी मशीन खराब होती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठें । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने लिखित माफी मांगी है । वह मेरे पास आ गयी है । भविष्य में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह शिकायत नहीं आनी चाहिये कि सामग्री नहीं बंटी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, 48 घंटे पहले भिजवाएं । आप यह निर्देश दें कि भविष्य में यह साहित्य 48 घंटे पहले हम लोगों को मिलता रहे ।

जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से शलाका द्वारा 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं—(1) श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, (2) श्री हरेन्द्र सिंह, (3) श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, (4) श्री किशन लाल, (5) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, (6) श्री पारस नाथ यादव, तथा (7) श्री शारदा नन्द अंचल । ये सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायें ?

(निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं 29 दिसम्बर, 1988 को बस्ती जिले का विभाजन हो जाने के बाद डुमरियागंज की

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मुंसिफी अदालत के लिये अब यह आवश्यक हो गया है कि डुमरियागंज में उसकी स्थापना जनहित में कर दी जाये क्योंकि बांसी जो डुमरियागंज की मुंसिफ न्यायालय का मुख्यालय था वह अब जनपद सिद्धार्थनगर का भाग हो गया है । बहुत पहले से भी वहां की जनभावनाओं को देखते हुये यह मांग बार-बार उठायी गयी कि डुमरियागंज तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की जाय । यह प्रश्न मैंने सन् 1980 में उठाया था । तत्कालीन संयुक्त सचिव, न्याय श्री बी0 एल0 लुम्बा साहब ने न्यायालय की स्थापना के लिये आदेश भी निर्गत कर दिये थे, लेकिन डुमरियागंज जनता का दुर्भाग्य कि उस समय बोर्ड उपयुक्त मकान किराये पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के निवास और न्यायालय के लिये उपलब्ध नहीं हो सका । बस्ती जनपद के मौजूद जिलाधिकारी श्री मंगला प्रसाद मिश्र ने भी मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की आवश्यकता और जनता की न्यायोचित मांग को देखते हुये मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिये शासन को पत्र लिखा है । मैंने भी माननीय मुख्य मंत्री जी से 21 जनवरी, 1989 को और माननीय न्याय मंत्री जी से 23 जनवरी, 1989 को मिल कर पुनः अनुरोध किया है कि जनहित में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की जाय । मैं उपयुक्त भवन किराये पर दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा ।

अतः मेरी यह मांग है अविलम्ब सरकार माननीय जिला जज, बस्ती और जिलाधिकारी, बस्ती से अनुरोध करें कि वे इस सम्बन्ध में डुमरियागंज में जाकर इसका परीक्षण कर लें और जनता की मांगों को मान कर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराने का कष्ट करें ।]

जिला मुजफ्फरनगर की मण्डी समिति, खतौली में किसानों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन एवं सरकार का ध्यान किसान हित के एक अति लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।

मान्यवर, मण्डी समिति, खतौली के अन्तर्गत मण्डी अधिनियमों का अनदेखा करके कर्मचारियों एवं अधिकारियों की व्यापारियों के साथ मिली भगत से किसानों का शोषण दिन प्रतिदिन किया जा रहा है ।

मण्डी अधिनियम में समस्त व्यवस्था है कि मण्डी स्थल पर बिकने वाली प्रत्येक सामग्री पूर्ण रूपेण तौली जायेगी, परन्तु खतौली मण्डी में किसान का गुड़ का प्रत्येक बोरा न तौल कर केवल दस बोरों में से केवल एक बोरा तौल लिया जाता है यदि वह कम होता है (पचास किलो से) तो शेष सभी बोरों का वजन घटा दिया जाता है यदि वह अधिक वजन का होता है तो सभी बोरे पचास किलो के मान लिये जाते हैं इससे किसान की खुली लुटाई हो रही है । यही नहीं वहां पर बिना टैक्स के बिचौलियों द्वारा किसानों का माल खरीदा जा रहा है जिससे सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया जा रहा है ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सरकार निर्गत आदेश करने की कृपा करें ।]

जिला अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

[मान्यवर, सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ जनपद का एक प्रमुख नगर एवं तहसील केन्द्र है, सिकन्दराराऊ नगर तथा आस-पास के तहसील क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के पन्द्रह इण्टर कालेज हैं । परन्तु यहां कोई डिग्री कालेज न होने के कारण छात्रों के अग्रतर अध्ययन में कठिनाई होती है । लगभग आधे

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

छात्र उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं । क्योंकि अलीगढ़ व हाथरस नगर में स्थित डिग्री कालेज की दूरी सिकन्द्राराऊ से 40 कि0मी0 से अधिक है उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय जनता व छात्रों की प्रबल मांग पर शासन ने सिकन्द्राराऊ में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं । परन्तु विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी तक न किये जाने से छात्रों में क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है, छात्रों में राजकीय डिग्री कालेज की मांग को लेकर नगर में प्रदर्शन एवं परगनाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना आयोजित किया है, छात्रों में विशेष उत्तेजना व्याप्त है, किसी समय कानून व्यवस्था की स्थिति अनियंत्रित हो सकती है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जिला बहराइच में नानपारा बाई पास के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल—

[मान्यवर, जिला बहराइच सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा वर्ष 1984 में नानपारा बाई पास बनाया गया । लगभग 4 कि0मी0 इस सड़क के निर्माण में लगभग 300 काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि चली आई सड़क निर्माण में किसी भी किसान को उसकी भूमि का प्रतिकर नहीं दिया गया । अनेक बार इन गरीब किसानों ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया परन्तु कोई भी परिणाम नहीं निकला ।

आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाकर मांग करता हूं कि यह बताया जाय कि उपरोक्त बाई पास में किन-किन किसानों की भूमि गई तथा उन्हें अविलम्ब प्रतिकर दिलाया जाय]

जिला बांदा की तहसील नरैनी के अन्तर्गत ग्राम रक्सी में हरिजनों की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के अन्तर्गत ग्राम रक्सी में हरिजनों की पहले से काबिज भूमि पर एवं खाद के गढ़ों के लिये आरक्षित भूमि में गांव के कुछ सामन्त साजिश करके तथा खण्ड विकास अधिकारी से साठगांठ करके बिना ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कराये मनमाने ढंग से अवैधानिक निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण कराया जा रहा है इस भूमि की विवाद भी तहसीलदार नरैनी के न्यायालय में धारा 115–सी अथवा 115-डी0 के तहत चल रहा है जिसका कोई निर्णय भी अभी नहीं हुआ है निर्बल वर्ग आवास के निर्माण में घटिया सामान प्रयोग किया जा रहा है बरसात आने पर यह निवास ढह जायेंगे । गांव तथा क्षेत्र के हरिजनों में इस तरह अवैधानिक बनवाये जा रहे निर्बल वर्ग आवासों से भीषण आक्रोश व्याप्त है हरिजन अनशन, प्रदर्शन तथा धरना की तयारी कर रहे हैं सामन्त लोग उनकी न्यायिक आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी भी समय शांति भंग हो सकती है ।

अतः मांग करता हूं कि अविलम्ब अवैधानिक रूप से निर्माण करवाये जा रहे निर्बल आवासों के निर्माण को रोका जाय, तथा हरिजनों की काबिज भूमि उनको लौटायी जाय पूरे प्रकरण की जांच जनपद स्तर के किसी उच्च अधिकारी से कराई जाय और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जाय ।]

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव---

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद देवरिया विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता के तरफ दिलाना चाहता हूं ग्राम सभा खजुरी करौता का आज तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है जब तक उक्त ग्राम सभा के अलग-अलग के जितने ग्राम सभा हैं जैसे-रावतपार से बरुवाडीह, परसिया, मुकुनही ,पकड़ी बतरौली, पाण्डेय, बभनी हरपुर खुर्द बारडीह इत्यादि में आज से कई साल पहले ही विद्युतीकरण कर दिया गया है । उक्त ग्राम सभा में विद्युतीकरण हेतु माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, नेता उत्तर प्रदेश लोकदल द्वारा प्रार्थना पत्र सहित एवं कई बंसे पत्र माननीय ऊर्जा मंत्री जी को दिया गया है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उस एरिया के मात्र वही एक ग्राम सभा है जहां बिजली नहीं है । वहां हरिजन बस्ती व अन्य सामान्य जाति के लोग भी हैं । उक्त ग्राम सभा में विद्युतीकरण न होने से अनेकों विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं व रात को चोरी डकैती का भय बराबर बना रहता है । जिससे लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि ग्राम सभा खजुरी करौता का विद्युतीकरण तत्काल कराया जाय ।]

जिला बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल---

[मान्यवर, बलिया जनपद के हमारे क्षेत्र सीयर के विकास खण्ड सीयर व नगरा के गांवों तथा नगर क्षेत्र बिल्थरा रोड में पेयजल समस्या से भीषण संकट उत्पन्न हो गया है । पीने के पानी के संकट के समाधान न होने से आम नागरिकों में हाहाकार मचा हुआ है तथा लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । आबादी के अनुसार बहुत कम इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । दोनों विकास खण्डों में अनेक गांवों में सरकारी आकड़े के विपरीत कम संख्या में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं और अधिक दिखलाया गया है पेयजल योजना के गांव, पानी न मिलने से और परेशान हैं तथा नगर क्षेत्र बिल्थरा रोड में सड़ा व गन्दा पानी पीने के लिये नागरिकों को दिया जा रहा है जिससे पीलिया रोग तेजी से फैल रहा है । ऐसी विषम स्थिति में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुये समाधान की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम 300 के अन्तर्गत आज तीन सूचनायें मिली हैं ।---(1) मा0 हर्षवर्धन जी, मा0 फजलुल बारी और मा0 कौशिक रमा शंकर जी की गोरखपुर में धार्मिक स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में, (2) मा0 सुखपाल पाण्डेय जी की सेकसरिया चीनी मिल, में बभनान, जिला गोण्डा से निकले प्रदूषण के बार में, (3) मा0 मैनेजर सिंह की डी0एम0 बलिया की जांच के बारे में । जहां तक पहली और दूसरी सूचना है धार्मिक स्थल या प्रदूषण नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आते....

(व्यवधान)

श्री हर्ष वर्धन---

मान्यवर, दोनों में विरोधाभास है । मान्यवर, आप एक मिनट मुझको सुन लें । आप मेरी बात सुन लें । भारतीय संविधान में..

नोटः---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 300 में आता हो तो मैं सुन लूं।

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, पहले सुन तो लें, तो निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कमरे में आकर मुझको कन्विन्स कर दें, मैं सुन लूंगा ।

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, भारतीय संविधान में दिया है कि सबको धार्मिक समानता का अधिकार मिलेगा । सदन में बार-बार इसकी घोषणा की जाती है । इसी सदन में बार-बार शासन की ओर से घोषणा हुई है .... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष--

आप और आपके नेता रवीन्द्र नाथ तिवारी जी आ जायें । यदि यह नियम 300 में आता है तो मैं सुन लूंगा ।

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, यह कोई एडवोकेट का चेम्बर नहीं है । आप अपने कक्ष में आने को क्यों कह रहे हैं । आप मेरी बात एक मिनट में सुन लें । मुझे आपको सुनना पड़ेगा ।

*श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, शासन के फैसले का उल्लंघन शासन के लोग और मंत्री लोग कर रहे हैं तो यह औचित्य का प्रश्न बनता ही है । शासन का फैसला होता है और मंत्री उल्लंघन करता है तो औचित्य का प्रश्न बनता ही है । शासन के आदेशों का उल्लंघन मंत्रि-परिषद के लोग कर रहे हैं ।

तो मान्यवर इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात .. (व्यवधान) ... कोई और नहीं हो सकती है । यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है, आप सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कह रहा था कि आप मेरे कक्ष में आकर मुझे कन्विन्स कर देंगे, समझा देंगे, तो मैं सुन लूंगा, आप कल दे सकते हैं, मैं सुन लूंगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, इसमें बातें स्पष्ट हैं । शासन के ही आदेश हैं कि धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में कि कोई नया निर्माण नहीं होगा ।

(व्यवधान)

(श्री हरदेव के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इधर मुखातिब हूं, माननीय हरदेव जी बराबर बोल रहे हैं, इन्हें आप बिठायें ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मेरी एक व्यवस्था है, उसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, शासन के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो कह रहा हूं कि अभी आप मेरे कक्ष में आ जाइयेगा, आप कन्विन्स कर दीजियेगा, कल आप दे दीजियेगा, मैं सुन लूंगा, कल आप अपनी सूचना दे दीजियेगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, आपको भी ज्ञात है सभी को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में शासन के स्पष्ट आदेश हैं । शासन के मंत्रिपरिषद् के सदस्य ही इसका उल्लंघन करते हैं, यह औचित्य का प्रश्न बनता है । यह कक्ष का प्रश्न नहीं है । सार्वजनिक रूप से घोषणा है कि धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति रहेगी । कक्ष में बुलायेंगे तो हाजिर हो जायेंगे जरूर । लेकिन, सदन में इस बात को सुन लीजिये, बात खत्म हो जायेगी ।

श्री हर्षवर्धन— (व्यवधान)

मान्यवर, सुन लें यह प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई नियमावली का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है तो मैं जरूर सुनने के लिये तैयार हूं । अगर आप समझते हैं कि उल्लंघन हुआ है आप आकर मुझे कन्विन्स कर दीजिये, कल मैं सुनने के लिये तैयार हूं ।

श्री फजलुल बारी—

अगर यह नियम 300 में नहीं आता है तो किस नियम में आता है ?

(व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, अब तक सुन लिया होता ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आप ही बता दें कि यह किस नियम में आता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे कक्ष में आकर मुझे समझा देंगे, मुझे कन्विन्स कर देंगे तो मैं कल सुनने के लिये तैयार हूं ।

श्री फजलुल बारी—

कक्ष में क्या होगा कक्ष में आप अम्मार साहब को बुलाइये ।

(व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, यहां घोषणायें की जाती हैं और इन्हीं के लोग उसकी धज्जियां उड़ाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हर्षवर्धन जी बैठें मैंने एक बात कह दी । माननीय उप नेता रवीन्द्र नाथ तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, इसको सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, माननीय हरदेव जी कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लीजिये ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को बुलाया है ।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय हरदेव को भी कक्ष में बुला लीजिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन् आपके आसन से जो भी व्यवस्था हो जाती है, हम तो उसे शिरोधार्य करते ही हैं । लेकिन माननीय हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि इस सदन में स्वयं मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कोई घोषणा की गयी है और उनका कहना है कि गोरखपुर में जो कुछ हुआ है, वह उस घोषणा का खुला उल्लंघन है । आप संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ लें कि क्या ऐसी कोई घोषणा हुयी है, अगर वह कुछ अपनी सहमति दें, तो यह विवाद स्वयं समाप्त हो जायगा । मैं अनुरोध करूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री से पूछ लें कि क्या शासन की तरफ से कभी इस पर कोई घोषणा हुई है या नहीं ? साथ ही यह भी पूछ लें कि शासन की नीति क्या है ? वैसे मान्यवर, आपका जो भी आदेश-निर्देश होगा, वह हमें शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि यह 300 में आता है या नहीं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, यह फैसला तो आप का होगा । मैं कैसे यह फैसला कर सकता हूं ?

*श्री हरदेव--

मान्यवर, जब सूचनायें नियम 300 या 301 में प्राप्त हो जाती हैं, तो जिन सूचनाओं को आपके संज्ञान में लाना आवश्यक हो और जो सूचनायें प्रदेश के हित में महत्वपूर्ण हों, उनको अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये । अगर शलाका होती रहेगी, तो समस्या इसी तरह जटिल बनी रहेगी । इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं, कि जो भी सूचनायें मिलें, चाहे दस हों, बीस हों, या पचास हों, उन पर सदन में कार्यवाही की जानी चाहिये । मान्यवर, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री हरदेव जी, आप बैठिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय हर्षवर्धन जी ने जो बात उठाई है, उसे आप कल के लिये कह रहे हैं ।

(श्री हरदेव के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, यह क्या तरीका है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य ने कोई उल्लंघन संविधान का किया है, तो साफ-साफ यह मामला औचित्य का बनता है । उसको आपको मानने में क्या कठिनाई है ? आप दो-दो मिनट सुन लें और अपना निर्णय कर दें । माननीय सदस्य ने इवीडेन्स भी दिया है, फैक्ट्स भी दिये हैं, इसलिये उनकी बात में बल है । आप कल सुनना चाहते हैं, उसे आज ही सुन लें, यह मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा हूं कि यह 300 में आता हो, तो मैं इसे सुन लूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह निर्णय तो आप करेंगे कि मैं करूंगा ?

श्री अध्यक्ष--

इसलिये मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मौका तो दीजिये । मैं इसे कल सुन लूंगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, यह नियम 300 में आता है । माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में घोषणा की है कि

(बीच में मो0 आजम खां के भी खड़े होकर बोलन पर--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं सुनने के लिये तैयार हूं, अगर आपके विद्वान साथी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी और कुंवर रेवती रमण सिंह यह कह दें कि यह नियम 300 में आता है तो मैं इसे अभी सुन लूंगा ।

(माननीय सुखपाल पाण्डे जी की सूचना अस्वीकार हुयी)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप मैनेजर सिंह के मामले को देखें, यह डी0एम0 बलिया का मामला रोज-रोज यहां आता है, आप इस समस्या का समाधान बतायें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री हर्ष वर्धन जी ने एक औचित्य का प्रश्न दिया । उस पर आपने यह कहा कि माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह व माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी अगर यह निर्णय कर दें कि यह औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत आता है तो मैं अवश्य सुन लूंगा । इसलिये मेरा आपसे कहना है कि पहले आप उनको सुन लें फिर सुनने के बाद आप अपना निर्णय दें । अगर सदन में इसी तरह से कार्यवाहियों के बारे में माननीय सदस्यगण को, जिनकी तरफ आपने इंगित किया है, निर्णय देने का अधिकार दे देंगे तो फिर इस सीट पर आपके बैठने का क्या औचित्य रह जायेगा । पहले आप माननीय सदस्यों को सुन लें, फिर अपना निर्णय दें । अगर नियम में नहीं आता है तो आप उसे खारिज कर दें ?

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, माननीय श्री तिवारी जी व श्री रेवती रमण सिंह जी का नाम लिया गया है और आपकी सीट की तरफ भी इशारा किया गया है। यह आपत्तिजनक है और अपमानजनक भी है। पता नहीं माननीय सदस्य को क्यों नाराजगी हुई ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं कि आप माननीय सदस्य को सुन लें। पता नहीं माननीय सदस्य क्यों नाराज है ?

बलिया के तत्कालीन जिलाधिकारी (श्री अशोक कुमार) के विरुद्ध जांच कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष, जी, इसी आदरणीय सदन में बलिया के पूर्व जिलाधिकारी श्री अशोक कुमार के खिलाफ शिकायतों की जांच के बारे में माननीय संसदीय मंत्री जी ने स्वयं बहुत जोर देकर कहा था कि आयुक्त को इसकी जांच सुपुर्द की गई है। बलिया के आठों विधायकों ने एक साथ कहा था कि आयुक्त की जांच पर उनके विश्वास नहीं है, इसलिये इसकी जांच राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज कर करायी जाये। जो उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आयुक्त जांच करेंगे और विधायकों से भी सम्पर्क करेंगे। यदि आयुक्त की जांच से विधायक संतुष्ट नहीं होंगे तो राजस्व परिषद् के एक वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराई जायेगी। अब हमारी शिकायत यह है कि जिस समय यह जांच दी गई, तो आयुक्त एक घण्टे के लिये भी बलिया नहीं गये और किसी भी विधायक से सम्पर्क नहीं किया न ही पत्र देकर और न ही मौखिक रूप से आज जबाब दिया गया है कि जो समय-समय पर तथ्य उनको विधायकों द्वारा दिये गये उसके आधार पर गुप्त जांच कराई गई। मान्यवर, यह तो खुली शिकायत थी और इसकी जांच भी खुली होनी चाहिये थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी विधायक ने आयुक्त को कोई तथ्य भी नहीं दिया है। आपके आई0ए0एस0 अधिकारियों का व्यवहार नितान्त गलत है। एक आई0ए0एस0 अधिकारी कत्ल करता है तो दूसरा आई0ए0एस0 अधिकारी कहता है कि आपरेशन कर रहा था। आज साल भर हो गया है, किन्तु आयुक्त की जांच रिपोर्ट नहीं आई। यदि आई है तो उसे सदन के पटल पर रखना चाहिये था। इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा भी की थी, इसलिये मान्यवर, आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और जो गोपनीय जांच की गई है, उसे सदन के पटल पर रखवाने हेतु निर्देश दें तथा राजस्व परिषद् के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करवायें। यह भी बड़े शर्म की बात है कि उस भ्रष्ट अधिकारी को इस सरकार ने संरक्षण देकर पदोन्नति दिया है। उसे आई0ए0एस0 का सेलेक्शन ग्रेड देकर एक और तमगा दे दिया है। इसकी गम्भीरता को मान्यवर, आप समझें और सदन में इस पर चर्चा करवायें।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो बात कही, आज एक प्रश्न भी संख्या 14 पर लगा हुआ था इसी सिलसिले में। यह बात सही है कि मैंने यह बात कही थी इस सदन में कि आयुक्त, जन प्रतिनिधियों से बात करेंगे, उनको विश्वास में लेंगे और जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। जो वाकयात सामने आये हैं, उनसे यह आभास होता है कि आयुक्त ने जांच के दौरान जन-प्रतिनिधियों से संपर्क स्थपित नहीं किया। इसलिये जैसी बात मैंने पहले सदन में कही थी अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो इसकी जांच बोर्ड आफ रेवेन्यू के वरिष्ठ सदस्य से करायेंगे, और उनसे यह भी कहा जायगा कि जांच करने जायं तो जन प्रतिनिधियों से अवश्य संपर्क स्थापित करें। जब तक जन प्रतिनिधियों से संपर्क करके रिपोर्ट नहीं देंगे, जांच पूरी नहीं समझी जायगी।

(उस समय 12 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1985-86 के कार्य-कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन†

हरिजन एवं समाज कल्याण उप मंत्री (श्री शैलेन्द्र कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1985-86 के कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988††

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-3389-सं0/सत्रह-1-88-34 सं0/87, दिनांक 28 अक्तूबर, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल, (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989††

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-424 सं0 सत्रह-1-89-34 सं0 87, दिनांक 9 फरवरी, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के संबंध में दिनांक 24 फरवरी 1989 को विधान सभा में चर्चा के पश्चात् गठित विधायकों की 9 सदस्यीय समिति द्वारा सम्बद्ध पक्षों से किये गये विचार विमर्श का संक्षिप्त प्रतिवेदन††

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के संबंध में दिनांक 24 फरवरी, 1989 को विधान सभा में चर्चा के पश्चात् गठित विधायकों की 9 सदस्यीय समिति द्वारा संबद्ध पक्षों से किये गये विचार-विमर्श का संक्षिप्त प्रतिवेदन, जो माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा को दिनांक 27 फरवरी, 1989 को प्रस्तुत किया गया, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का आठवा प्रतिवेदन †

(सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति)

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का नवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पदमा सठ--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का दसवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

मद संख्या-15--

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 9 सूचनायें चयनित की गयी हैं जो कि इस प्रकार है--

1--श्री राम आसरे वर्मा श्री काशी सिंह ऐरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री राजकिशोर सिंह श्री जयदीप सिंह बरार	..	दिनांक 25 फरवरी, 1989 की रात्रि में वन-संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध आंदोलनरत लोहाघाट चम्पावत क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

दो सूचनायें समेकित की गयीं :

2--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन श्री अवधेश प्रसाद	..	राज्य कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्षवर्धन श्री अनुग्रह नारायण सिंह	..	अपट्रान के अधिकारियों द्वारा बिना सरकार की अनुमति के विदेशी यात्रायें करने, फेरा का उल्लंघन करने एवं विदेशी कम्पनियों से दलाली का कमीशन लेने के संबंध में ।
4--श्री पारस नाथ यादव	..	जनपद जौनपुर तहसील मछलीशहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हजारों रुपये की दवाइयों के खराब होने एवं घोटाले के संबंध में ।

† छापा नहीं गया ।

5—श्री किरन पाल सिंह .. शासन द्वारा जनपद बुलन्दशहर की अनूपशहर तहसील के पांच गांवों के उजाड़े जाने एवं उन्हें पुनः बसाने हेतु जगह न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

6—श्री कुंवर रेवती रमण सिंह .. जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा एवं करछना में नहरों से तथा ट्यूबवेल से पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

7—श्री रघुबर दयाल वर्मा .. फिरोजाबाद के मोहल्ला राम नगर, थाना फिरोजाबाद
श्री कौशिक रमा शंकर .. दक्षिण में गृहस्वामी, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त के मकान पर बदमाशों द्वारा हमला एवं लूट-पाट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

8—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह .. ललितपुर जनपद में सूखे से उत्पन्न स्थिति तथा राजस्व की वसूली के संबंध में ।

9—श्री हरेन्द्र सिंह, श्रीराम शरणदास खतौली जिला मुजफ्फरनगर में हड्डी मिलों के गैसरिसाव
श्री अमीर आलम खां .. से लोगों में भगदड़ मचने एवं बेहोश हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखण्ड और उसमें जितने भी पर्वतीय जिले हैं, उनमें चलने वाली सारी विकास योजनाएं ठप्प पड़ गयी हैं क्योंकि वहां के निवासियों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली चीजों के लिये जैसे कि घास, लकड़ी, ईधन सब मिलना बन्द हो गया है । विकास की योजनायें तो बिलकुल बन्द ही हो गयी हैं। 25 फरवरी को उत्तराखन्ड क्रान्तिकारी दल के कार्यकर्त्ता जब प्रदर्शन कर रहे थे तो 9 बजे रात्रि में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी चार्ज किया है, कुछ कार्यकर्त्ता उससे घायल हो गये, उत्तराखन्ड क्रान्तिदल के संगठन मंत्री, श्री नवीन मुरारी के सिर पर चोट आयी और वे बेहोश होकर गिर गये। मान्यवर, माननीय विधायक श्री काशी सिंह ऐरी भी उस प्रदर्शन में शामिल थे जब वहां पर लाठी चार्ज हुआ है ।

जिस तरह की स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम के कारण पैदा हो गयी है, वह बहुत ही गंभीर चिन्ता का विषय बन गयी है । वहां स्थिति बहुत गंभीर हो गयी है । इसलिये मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसको आप चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पर्यावरण सुधार अधिनियम के अन्तर्गत पूरे कुमायूं और गढवाल मन्डल में जो वन संरक्षण अधिनियम लागू है, उसके अन्तर्गत सभी विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वहां के निवासियों के सारे हक-हकक बन्द कर दिये गये हैं जो कि बहुत ही चिन्ता का विषय है। वहां न पुल बन रहे हैं, न पुलियों का निर्माण हो रहा है और न सड़कें ही बन रही हैं, कोई काम इसके कारण नहीं हो पा रहा है। हमें अपेक्षा तो यह थी कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अपेक्षा करेगी, उससे विनती करेगी कि वन संरक्षण अधिनियम को समाप्त किया जाय या फिर इसमें कुछ ऐसा संशोधन किया जाय कि वहां के लोगों का भी कुछ भला हो जाय । मान्यवर, मैंने स्वयं ही वहां लोक लेखा समिति के सभापति की हैसियत से जाकर देखा है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कहीं-कहीं सड़कें या कहिये कि बहुत सीसड़कें ऐसी हैं जो कि दोनों तरफ से बन गयी हैं किन्तु बीच में उनकी कुछ दूरी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने के कारण अभी तक पूरी नहीं हो सकी है । इसी तरह की एक सड़क चम्पावत-तामली मार्ग वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है जो कि अधूरा पड़ा हुआ है । यदि वह पूरा कर दिया जाय तो वहां की जनता को उससे बहुत लाभ होगा ।

इस तरह से सरकार के द्वारा लाखों रुपया जो कि योजनाओं में खर्च किया जाता है इसके कारण बेकार हो गया है । वहां के कुछ कार्यकर्ता केवल मांग लेकर गये थे, यही उनका अपराध था । लेकिन पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया जिससे कि अनेक लोग घायल हो गये । अनेकों लोग मारे गये और घायल किये गये । मान्यवर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने व अन्य पार्टियों ने भी यह घोषणा की है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों पर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और जो वन संरक्षण अधिनियम आदि बने हैं, जिसकी आड़ में वहां के निवासियों को परेशान किया जा रहा है, सब को समाप्त किया जाएगा, जिससे इनके विकास की ओर कदम बढ़ सकें और सरकार जो इन्हें समुचित सुविधायें दे पाने में असमर्थ है पूरा ख्याल रख पाने में असमर्थ है, तो इनका पृथक राज्य बना दिया जाये, जो बहुत ही न्याय संगत मांग है, को पूरा करने की भी घोषणा की है हमने । मान्यवर, इनके भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुये और इनके उत्थान, व हर क्षेत्र में विकास को देखते हुये, मांगें इनकी बिल्कुल न्यायोचित हैं, जो न पूरी हो पाने की वजह से आज हर जगह घटनायें हो रही हैं, वहां का जन-मानस रोजाना अनेकानेक ढंग से परेशान व उत्पीड़ित किया जा रहा है, इन सब को देखते हुये, यह बहुत ही अहम मसला बन गया है, लोक महत्व का प्रश्न बन गया है, जिसमें पूरा उत्तराखण्ड प्रभावित है और हर जगह आज असंतोष की आग फैली हुई है, इसलिये इस मामले पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाए ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के शिथलीकरण की मांग को लेकर पूरा पर्वतीय क्षेत्र आज आन्दोलित है, इस अधिनियम के चलते आज तमाम विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुये हैं, न सड़कें हैं, न बिजली है न पानी की व्यवस्था है तथा उद्योग आदि पूर्ण रूप से अवरूद्ध पड़े हुये हैं, इन सब को लेकर आज उनका पिछड़ापन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है । इसके अतिरिक्त मान्यवर यहां पर जो गरीब जातियां, कमजोर जातियां व आदिवासी रहते हैं और इन्हें जो सुविधायें पहले प्राप्त थीं, वह अब सारी की सारी समाप्त कर दी गयी हैं, लकड़ी जो इन्हें पहले मिलती थी जलाने वाली उन पर भी अब रोक लगा दी गयी है । माननीय काशी सिंह ऐरी जी व अन्य साथी इनके साथ इन्हीं मांगों को लेकर आन्दोलन पर बैठे थे, जो अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, ऐसे निहत्थे लोगों पर लाठी चार्ज कर न मालूम कितने लोगों को घायल कर दिया गया जिसे लेकर यह मामला आज बहुत ही गम्भीर बन गया है ।

मान्यवर, हमारा प्रश्न आज इनके सिर्फ विकास से सम्बन्धित है, इनके विकास के कार्यों को जो सरकार रोज-बरोज नगर अन्दाज करती जा रही है, वह उचित नहीं है, इस तरह से इनका पिछड़ापन और बढ़ता चला जायेगा जिसे फिर आगे के वर्षों में जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है और वन की जो समस्यायें हैं इनकी वह भी आये दिन बढ़ती ही चली जायेंगी, जिससे उस क्षेत्र की जनता के लिये ही नहीं परेशानी बढ़ेगी अपितु इससे बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होगा, इस-लिये यह सवाल जो उठाया गया है शिथलीकरण का बहुत ही उचित है, इस पर गौर करना चाहिये क्योंकि जब बहुत कुछ सड़कें बन कर तैयार हो जाती हैं और आगे यदि 2-1 पेड़ कहीं पड़ गये तो वह सड़क वहीं पर रोक दी जायेगी, जो विकास की दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं हैं, दूसरे इन स्थानों पर आज बिजली और पानी की भयानक स्थिति पैदा हो गयी है, इसलिये हर तरह से बिचार करने पर यह संरक्षण अधिनियम के हटाया जाना जनता के हक में होगा और इन सबको लेकर इस समय वहां पर जो समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं, उनको देख कर यह मामला बहुत ही गम्भीर बन गया है, इसलिये सदन की कार्यवाही आज की रोक कर इस पर चर्चा अवश्य कराई जाए ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू हो जाने के फलस्वरूप जो बातें उत्पन्न हो गयी हैं, उनको लेकर जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार

रखे हैं, मैं उनके सम्बन्ध में कुछ न कहते हुये, मात्र इस सरकार की जो घटिया नीति है और इस नीति के कारण जो स्थिति हर जगह व्याप्त है और आज इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता केन्द्र सरकार में दिल्ली में बैठे विचार-विमर्श में लगे हैं, जो ग्राम सभाओं, लोकल बाडीज के अधिकारों को बढ़ाने और उन पर विश्वास देने की बातें कर रहे हैं और दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर विश्वास उन्हें नहीं है, इसी में वन संरक्षण अधिनियम के माध्यम से और इनकी समस्त समस्याओं को भी यहां पर जोड़ते हुये मैं इस बात के कहने पर मजबूर हूं कि आज यह सरकार प्रत्येक मामले में बिल्कुल अपंग है तो यह सरकार अक्षम है, कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है क्योंकि उसने यह अधिकार केन्द्र को दे दिया है । यह सरकार समस्या को हल नहीं कर सकती है । आप देखें पर्यावरण के नाम पर बहुत सा धन आवंटित किया जाता है और उस पर करोड़ों रुपया लग जाता है । सड़कें बनायी जाती हैं और बीच में वन विभाग की जमीन पड़ जाने के कारण वह सड़क अधूरी पड़ी रहती है एक पेड़ काटने के लिये 10–20 डेसिमिल जमीन वन विभाग की लेने के लिये यह दिल्ली सरकार का मुंह ताकते हैं तथा उस पर सैकड़ों रुपया खर्च हो जाता है और 10–10 साल तक वह सड़क अधूरी पड़ी रहती है । तो जो आज की स्थिति वहां पर है उससे वहां का जनमानस आन्दोलित है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो समस्या खड़ी हो रही है उसके कारण वहां का जनमानस और वहां की जनता आन्दोलित है । जो आन्दोलन वहां चल रहे हैं उसका कारण है कि केन्द्र के ऊपर हमारी सरकार का कोई दबाव नहीं है । वहां के लोगों में सरकार के प्रति घृणा का वातावरण बन रहा है । आप छोटी-छोटी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं । तो वहां की जनता दिल्ली की सरकार या प्रदेश की सरकार की इज्जत नहीं करेगी । इन्होंने वहां अपने दमन से 1947 से पहले की स्थिति पैदा कर दी है । आपके पीछे महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है, उन्होंने अंग्रेजों की जन-विरोधी कानूनों को तोड़ने, नीतियों को तोड़ने के लिये सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाये थे और अंग्रेज सरकार उनका दमन करती थी । उसी प्रकार से हमारी सरकार पुलिस की जरिये उन लोगों पर अत्याचार कर रही है जो जन विरोधी कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों के लिये आन्दोलित हैं । आज के 1947 के पूर्व भारत की दासता जैसी स्थिति पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हो गयी है, तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करा दें ।

*श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जिस बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं वहां पर उपस्थित न होता तो मैं मान सकता था कि ऐसी उत्तेजना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हो सकती थी और मैं यह भी मान सकता था और यह मानने के लिये तैयार हूं कि जो भी परिस्थिति पैदा हुई वह इसलिये पैदा हुई क्योंकि बिना किसी कारण के लाठी चार्ज हुआ । लाठी चार्ज इसलिये हुआ कि वहां के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि जो सड़क 1958 में बनी थी और आज तक अधूरी पड़ी हुई है उसको पूरा किया जाये । वह सड़क इसलिये अधूरी पड़ी है क्योंकि अगर एक इंच भी जमीन खोदनी है तो उसके लिये प्रदेश सरकार अक्षम है । उसके लिये केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को अनुमति लेनी पड़ती है । वहां के लोगों ने सड़क को पूरा करने के लिये मांग की तो उनको लाठी मिली, वहां की जनता अगर किसी निर्माण कार्य की मांग करती है तो उसको गोली मिलती है । तो यह सरकार का उनके प्रति रवैया है ।

मान्यवर उसी के तहत आन्दोलन हुआ और सरकार ने उन पर लाठी बरसायी । 31 जनवरी को आपने पढ़ा होगा कि वहां की जो योजनायें हैं सैकड़ों सड़कें, सैकड़ों पेय जल योजनायें जिनको इस सरकार ने स्वीकार किया है । वह सारी की सारी योजनायें केन्द्रीय सरकार की वन संरक्षण नीति के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं । वहां के लोगों को जो नैसर्गिक हक और हकूक मिले हुये थे । वह भी उनको नहीं मिल रहे हैं जो अधिकार वहां के लोगों को अंग्रेजों ने दे रखे थे । उन अधिकारों को भी हमारी प्रान्तीय सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने छीन लिया है । इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारों को उन्हें वापस मिलना चाहिये तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका वन संरक्षण अधिनियम है,. जिसके कारण विकास के कार्य होने म अवरोध उत्पन्न हो गया है उनको आप पूरा कराये । उस दिन के लाठी चार्ज में नवीन नाम का लड़का गम्भीर रूप से घायल हुआ उसे जीप में लाद कर अस्पताल ले जाकर इलाज कराना पड़ा अन्यथा उसकी जान न बच पाती ।

मान्यवर, उत्तराखण्ड इस देश की सीमा को निर्मित करता है । तिब्बत और नेपाल से जुड़े हुए इस भाग पर जनता के साथ अत्याचार यह सरकार कर रही है तो आज स्थिति यह है जो आन्दोलन है वह आगे और बढ़ेगा और सरकार के इस दमनकारी रवैये के कारण वहां के जन मानस पर कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई है । तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें ।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह) --

श्रीमन्, जो लाठी चार्ज का अभी जिक्र आया है उसकी हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं आयी है। लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको सच मानकर मैं इसकी फौरन जानकारी कराऊंगा और जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको दंडित किया जायेगा। श्रीमन्, माननीय गुप्ता जी ने जो अधिनियम के तहत घास और जलाने की लकड़ी की बात कही, वह अधिनियम से ताल्लुक नहीं रखती। अधिनियम के तहत केवल जमीन हस्तांतरित करने की बात है। जमीन जब हमें किसी विभाग को देनी होती है चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 हो, सिंचाई हो या ऊर्जा विभाग हो उसके लिये हमें पहले भारत सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है ताकि विकास के कार्य में रुकावट न हो। देरी जरुर होती है। लोग प्रयास करते हैं कि देरी न हो और जल्दी से जल्दी काम हो सके। इसके लिये हमने यह किया है कि जो देरी हुआ करती थी उसका मुख्य कारण यह था कि जिस विभाग के तहत यह काम होता था चाहे पी0 डब्लू0 डी0 हो, सिंचाई हो या ऊर्जा विभाग हो, उसके लिये एक प्रोफार्मा भरा जाता है और उसमें ही अधिकारी लोग देरी करते थे। फिर वह वन विभाग में आता है और वहां पर उसकी जांच होने के बाद फिर भारत सरकार के पास जाता है। इसमें विलम्ब हो जाता है । इस तरह से विकास कार्यों में जो विलम्ब होता है उस पर सरकार गंभीरता से सोच रही है और जल्दी से जल्दी हम लोग उस पर बिचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है इस प्रक्रिया में देरी होती है और हम इस पर विचार कर रहे हैं । इसलिये उस पर सरकार द्वारा विचार करने से पहले सदन के माननीय सदस्यों की भावना भी सामने आ जाय और चूंकि उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है इसलिये इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अभी सुन रहा हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या आपने चर्चा स्वीकार कर ली है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निर्णय बाद में दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं । एक तो लाठी चार्ज के बारे में था। मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन उनको सुनकर मुझे निराशा हुई। उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज की हमको जानकारी नहीं है। कार्य स्थगन की सूचना माननीय मंत्री जी के पास आज 10 बजे पहुंच गई होगी। आपके पास हौट-लाइन्स लगी हुई है, गृह विभाग है और अब 1 बज रहा है और अभी तक इसकी आपको जानकारी

नहीं है तो यह बड़ी चिन्ताजनक बात है। दूसरे वन संरक्षण अधिनियम की बात कही गई और उसमें विलम्ब होने का उल्लेख किया गया है जिसे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है। मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है और आपको भी मालूम होगा कि वहां पर आज सैकड़ों सड़कें, पुल और पुलिया इसलिये रुके पड़े हैं क्योंकि परमीशन नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसीलिये माननीय मंत्री जी ने विषय की गंभीरता को देखते हुए स्वीकार किया है कि इस पर विचार करेंगे। इसलिये मान्यवर आप इस पर दो घंटे की चर्चा करा दें, ताकि सभी सदस्यों की बात भी सामने आ जायेगी. . . . .।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निर्णय बाद में दूंगा। कृपया बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने वन संरक्षण अधिनियम के बारे में यह बात बतायी कि वह वन संरक्षण अधिनियम केवल जमीन के हस्तांन्तरण से ही संबंधित है। मान्यवर, इसके तहत जो रुल्स बने हुए हैं उसके अन्तर्गत वहां पर किसी पेड़ की टहनी तक कोई काट नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं। निर्णय बाद में दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

दूसरी बात यह है कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ और माननीय मंत्री जी ने अभी तक कोई इसके बारे में सूचना नहीं मंगाई इसलिये आप इसे चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे निर्णय का इन्तजार करें। आप कृपया बैठें? मैं निर्णय दूंगा।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय पूरे प्रदेश में इस सचिवालय के बाहर के लाखों कर्मचारी 14 फरवरी से हड़ताल पर हैं और उनकी मांग भी उचित है। उनकी मांग यह है कि सचिवालय में काम करने वाले बाबुओं के समान उन्हीं पदों पर कार्यरत बाहर के बाबुओं को भी वेतन भत्ता दिया जाय।

मान्यवर, इन मांगों के बारे में माननीय बनारसी दास जी जब मुख्य मंत्री थे उस समय कर्मचारियों और मुख्य मंत्री के बीच एक समझौता हुआ था और उसके बाद अब इस शासन के दौरान भी जब माननीय तिवारी जी का शासन है उनके मंत्रियों और कर्मचारी नेताओं के बीच बातचीत [समय 1 बजकर 20 मिनट] हुई थी और इसे गंभीरता से लिया गया और एक समता समिति का गठन हुआ कि केन्द्र के समान राज्य कर्मचारियों को भी वेतन भत्ते दिये जायं। लकिन यहां राज्य के अन्दर ही सचिवालय और बाहर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनों में विसंगतियां है जो दूर होनी चाहिये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसको लेकर हड़ताल हुई है और इससे समस्त जनपद प्रभावित हैं और वहां कार्यालयों में ताले पड़े हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है लोग अपने काम के लिये जिला कार्यालयों तक आते हैं और खाली लौट जाते हैं। पहले यह एक सांकेतिक हड़ताल 14, 15 और 16 फरवरी तक के लिये थी लेकिन

इस सरकार की ना समझी के कारण उलझा दी गयी। यहां से मुख्य सचिव ने एक आदेश जिलाधिकारियों को भेजा कि जो हड़ताल पर जांयें उनकी सेवा ब्रेक कर दी जाय और हड़ताल के दौरान का वेतन काट दिया जाय। इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो गयी। 15 दिनों से जनपदों के कार्यालय नहीं खुले हैं जिससे जनता को अपार कष्ट हो रहा है और सरकार को हानि हो रही है। यह सरकार और माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि इस हड़ताल से कितनी परेशानी लोगों को हो रही होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो राजाज्ञा मुख्य सचिव द्वारा जारी हुई है उसे तत्काल वापस लिया जाय और जो वेतन रोका गया है उसे दिया जाय और हड़ताली कर्मचारियों से तत्काल वार्ता की जाय। आज प्रदेश की जनता परेशान है अब यह कर्मचारियों का ही मामला नहीं रह गया है। यह अत्यन्त गंभीर प्रश्न है लिहाजा मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर चर्चा कराई जाय।

श्री मित्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न माननीय राम चन्द्र बख्श जी ने प्रस्तुत किया है इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मार्च का महीना आ गया है, हमारे कर्मचारी ही सरकार के हाथ पैर होते हैं। न मालूम लगातार 79 से लेकर आज तक यह सरकार उनकी वेतन विसंगतियों को दूर क्यों नहीं कर पा रही है। सरकार और कर्मचारियों में समझौते होते हैं, वायदे होते हैं और फिर यह सरकार वायदा खिलाफी करती आई है। सन् 86 में इस सरकार के श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री अम्मार रिजवी आदि मंत्रियों द्वारा समझौता कराया गया था कि समान कार्य के लिये समान वेतन नीति लागू करेंगे जिसका पालन अभी तक नहीं हुआ। कर्मचारियों की हड़ताल न्याय संगत है, जायज है सचिवालय के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते की वह मांग कर रहे हैं यह कौन सी बात है जिसे यह स्वीकार कर चुके हैं उसे लागू न करने के लिये कौन दोषी है। यह सरकार इतनी हठधर्मिता पर उतर आई है कि इनके सचिव मनमाने तरीके से जिलाधिकारियों को आदेश देते हैं कि 14 फरवरी से होने वाली हड़ताल में जाने वाले कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया जाय और उनको नौकरी से निकाल दिया जाये। खुद ही यह आग लगाते हैं। आज जो हालत जिलों में हो गयी है, उससे सारे विकास के कार्य रुक गये हैं। जनता परेशान है जो आदमी 50, 100 किलो मीटर से न्यायालय आता है उसे खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। न्यायालयों में ताले पड़े हैं। यह सरकार पहला प्रयास करे कि हड़ताली कर्मचारियों से बात करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन—

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है इसकी गंभीरता को समझते हुए सदन की आज की कार्यवाही स्थगित कराकर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी आज प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख कर्मचारी 14 फरवरी से समान कार्य के लिये समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का सभी जनपदों में असर है और फैजाबाद जिला जहां से मैं आता हूं 8 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। चाहे कमिश्नरी हो, चाहे कलक्ट्रेट हो चाहे दीवानी हो चाहे नलकूप विभाग हो या सिंचाई विभाग हो, सब में ताले पड़े हैं.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता में एक बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई है, यह महज सरकार की लचर नीति के कारण हुआ है, क्योंकि सरकार ने समय-समय पर वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिये जो चार कमेटियां बनाई हैं, उनमें केवल मात्र उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है । अभी एक कमेटी अक्तूबर, 1988 में बनाई गई थी और कहा था कि रिपोर्ट आने पर लागू कर देंगे, लेकिन उसके आने के पूर्व ही पहली दिसम्बर से ही सचिवालय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गयी है । उसका परिणाम यह है कि सचिवालय के बाहर के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में बहुत असन्तोष है और वह विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है । यह बहुत ही अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है । आपकी डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी चलने वाली नहीं है । आप सचिवालय और गैर-सचिवालय कर्मियों को लड़ाना चाहते हैं । यह वित्तीय वर्ष का अन्तिम माह है. मेरा निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस अविलम्बनीय महत्व के सवाल पर चर्चा करायें ।

वित्त एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

इसमें जो वेतन समिति का गठन किया गया है, उस वक्त जो संघों की मांग थी वह यह थी कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 750 रुपया होना चाहिये और जो विभिन्न पदों पर विसंगतियां थीं, उन पर वेतन समिति ने जो रिपोर्ट दे दी थी और जब यह रिपोर्ट विचाराधीन थी तब यह मांग उठी कि केन्द्र के पदों के बराबर उनका वेतन होना चाहिये । तो उस वक्त इस स्थिति में समता समिति का गठन किया गया । अभी एक प्रश्न के उत्तर में सूचित किया है कि मार्च के अन्तिम सप्ताह तक उनकी रिपोर्ट आ जाने की सम्भावना है और उसमें पूरा डिटेल हमने बताया था । संघों के 197 प्रतिवेदन थे, उन्होंने 153 मीटिंग करके उन पर विचार किया और केवल अब 9 संघों के बारे में विचार करना है । सारे के सारे साक्ष्य हो चुके हैं, तो अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें किसी चर्चा की जरूरत हो । सारी बातें सदन में आ चुकी हैं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

सरकार हड़ताल समाप्त नहीं करा रही है और उनके साथ कोई बात नहीं कर रही है । इस तरह से यह सरकार जनता विरोधी और कर्मचारी विरोधी है । इसलिये मैं इसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

श्री मित्रसेन--

मैं भी अपने सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मित्रसेन एवं श्री रामचन्द्र बख्श सिंह अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आज सिंचाई का महत्वपूर्ण बजट है, आप विद्वान आदमी हैं, संक्षेप में कह दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं रिपीट तो करता नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, उन पर तो कहना चाहूंगा । मेरी सूचना अपट्रान कम्पनी के बारे में है । इसमें मात्र करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला ही नहीं है, जिसे मैंने सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, यह भ्रष्टाचार के साथ-साथ इस बात को भी दर्शाता है कि आज की नौकरशाही पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और सारा प्रशासन भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा हुआ है और प्रशासन के ऊपर सरकार की कोई पकड़ नहीं रह गयी है । यहां पर नियमों का खुला उल्लंघन करके 1 करोड़ रुपये के जिस तरह से मिनी सुपर कम्प्यूटर कन्वर्जन टेक्नालाजी, अमेरिका से लाई गई उसका हमने विवरण दिया है । श्रीमन् जब यह सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि इन्होंने आर्डर कुछ दिखाया था और सामान कुछ ला रहे थे, लेकिन तो इन पर 30 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना हुआ । यह उन्होंने अदा किया और साथ ही

7 लाख डैमरज का हुआ जिसे सितम्बर, 1988 में भुगतान करने के बाद ही माल छोड़ा गया जो श्रीमन् सामान छुड़ाया गया उसके लिये कन्वरजैन्ट कम्पनी का एक फोर्ज लेटर बनाया गया उसमें लिखा है :--

डियर मि0 श्रीवास्तव ।

आई एम राइटिंग टू यू इन रिफरेन्स टू दि मैटीरियल्स बी शिप्ड अगेन्स्ट युअर परचेज आर्डर 70163 ए, 70163 बी एण्ड 70163 सी डेटेड नवम्बर 18, 1987 दि मैटिरियल वाज शिप्ड आन एअरबे बिल्स 13735190, 13735223 एण्ड 13735256 ।

अपान एग्जामिनेशन बी हेव लर्न्ड दैट बी शिप्ड सम मैटीरियल इन दि एबव शिपमेन्ट्स दैट वाज नाट आरडर्ड आर रिक्वेस्टेड बाई अपट्रान । दीज गुड्स वेयर शिप्ड इन एरर ।

इन आर्डर टू रेक्टीफाई दिस सिचूएशन बी रिक्वेस्ट दैट यू रिटर्न दि एनटायर शिपमेन्ट टू अस इन सेन जोस, कैलिफोर्निया । बी शेल क्रेडिट युअर एकाउन्ट फार दि वेल्यू आफ दि शिपमेन्ट । अपान रिसीप्ट आफ दि मेटीरियल्स बी शेल मैच दि मैटिरियल्स अगेंस्ट युअर आर्डर्स, रिमूव आइटम्स विच वेयर नाट आर्डर्ड, रीपैकेज दि शिपमेन्ट एण्ड रिटर्न टू यू ओन्ली दोज मैटिरियल्स विच यू हैव आर्ड । बी शेल देन चार्ज युअर एकाउन्ट अगेंस्ट दि प्रीवीयसली इश्यूड क्रेडिट ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संक्षेप में बता दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं यह बता रहा हूं कि एक फर्जी लेटर लाया गया और कस्टम अधिकारियों को दिया गया, मैं आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूं यह आपको भेज दूंगा, इसकी आप जांच करा लें, जो 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया श्री कुलभूषण पर, उसका भुगतान उन्होंने निगम की पूंजी से कर दिया । इस सौदे के लिये कहा जाता है कि अमेरिकन कम्पनी कन्वर्जन टेक्नालोजी ने श्री कुलभूषण को उनके अप्रवासी भारतीय प्रगाढ़ मित्र श्री ललित कपूर के जरिये से एक लाख डालर, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 15 लाख रुपया होता है दलाली का दिया । यह निगम टी0 बी0 खुद बनाता है और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिये अपने बिजनैस को बढ़ाने के लिये निगम भारी मात्रा में टी0 बी0 सेट्स लखनऊ स्थित आल्वस एवं अमीषा नामक कम्पनियों से खरीदता है और अपने लेबिल उस पर लगाकर बेचता है इसमें कम्पनी के प्रबन्धक जो हैं उनका निजी स्वार्थ छिपा है । इस कम्पनी में निगम के सामान्य प्रबन्धक श्री के0 डी0 भार्गव की पत्नी श्रीमती मंजुला भार्गव, प्रमोटर, डाइरेक्टर हैं तथा निगम में आज कल कार्यरत श्री आर0 पी0 शाह तथा उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति शाह अंशधारी हैं । इस तरह से अपट्रान में दलाली कमीशन-खोरी और कर चोरी हो रही है । मान्यवर, इसी तरह इस निगम ने वर्ष 1983-84 में 9 लाख 85 हजार रुपये के सेल्स टैक्स की चोरी की है । यह रकम उपभोक्ताओं से तो वसूल कर ली गई लेकिन सेल्स टैक्स में जमा नहीं किया गया और फर्जी तौर पर इसे भी निगम की आमदनी में दिखा दिया गया है । इस तरह से कमीशन खोरी की जा रही है । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपट्रान की पूंजी का दुरुपयोग किया जाता है इसका अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं हैं कि निगम ने वर्ष 1984-85 में 85 लाख रुपये के 40 कम्प्यूटर अमेरिकन कम्पनी आई0 बी0 सी0 के खरीदे जिनमें से आज तक केवल 6 ही बेचे जा सके हैं । इसी तरह से मान्यवर बताना चाहूंगा कि इनके अधिकारी बगैर सरकार की परमीशन के विदेश चले जाते हैं । संयुक्त प्रबन्धक श्री अजय पाण्डेय बिना सरकार की अनुमति के अमेरिका 7 फरवरी, 1989 को गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप खतम करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

मान्यवर, मैंने कोई बात रिपीट तो नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह मैं कब कह रहा हूं, लेकिन समय का भी तो ध्यान रखें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

मान्यवर, इसी प्रकार श्री जे0 एम0 सक्सेना, संयुक्त प्रबन्धक की विदेश यात्रा सरकार द्वारा अस्वीकृत कर देने पर भी होनोवर दिनांक 24 फरवरी, 1989 को चले गये यह एक गम्भीर मामला है इसमें फेरा कानून का उल्लंघन किया गया है । इसमें कमीशन खोरी और दलाली के लिये गम्भीर भ्रष्टाचार किया गया है । मान्यवर, यह विदेशी यात्रा का मामला है, कर चोरी, दलाली और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित गम्भीर मामला है इसमें मैं आपसे पूर्ण रूप से यह अपेक्षा करूंगा कि इस कार्य–स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार करके, सारे काम को रोक कर चर्चा करवायें । यह ऐसा मसला नहीं है कि इसमें दो-चार घंटों की चर्चा के लिये मांग की जाए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो मैं चाहूंगा कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह––

मान्यवर, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम अभी तक सफेद हाथी माने जाते रहे हैं, किन्तु अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक और उनके अधिकारी खतरनाक मगरमच्छ साबित हो रहे हैं । वहां पर गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें व्याप्त हैं और शासन के आदेशों की खुली अवहेलना हो रही है । जैसा कि अभी माननीय तिवारी जी ने बताया कि न केवल अनियमिततायें की जा रही हैं बल्कि करोडों रुपया भी डकारा जा रहा है । मान्यवर, अपट्रान की 1986–87 की जो लेखा रिपोर्ट हैं उसमें 1 करोड़ 56 लाख रुपये का लाभ दिखाया गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि खातों में हेराफेरी करने और वित्तीय नीतियों की अवहेलना करने के कारण अपट्रान इंडिया को 1332 लाख रुपये का घाटा हुआ है इस प्रकार इसमें 467 लाख रुपये की हेरा फेरी है । मान्यवर, जैसा कि तिवारी जी ने बताया वह निगम स्वयं बिजनेस न करके दूसरी कम्पनियों के सामानों का अपने नाम से बिजनेस करता है यही कारण है कि उन उत्पादनों की क्वालिटी खराब होती जा रही है । इसीलिये उद्योग निदेशक श्री देवी दयाल ने 21 जनवरी, 1989 को एक मोमोरेंडम शासन के सभी सचिवों और निदेशकों को भेजा जिसकी प्रति मैं आपको भेजता हूं । इसमें कहा गया है कि "इट इज नोटीफाइड फार इन फारमेशन आफ आल कन्सर्नड दैट एम एस अपट्रान इंडिया लिमिटेड, 10– अशोक मार्ग लखनऊ–226001 (इण्डिया) रीजनल आफिस श्री प्रताप भवन नवल किशोर रोड, लखनऊ–226001 हैव बीन डिबार्ड विद इमिडिएट एफेक्ट फार सिक्स मन्थ्स फार पार्टिसिपेशन इन दि रेट कानट्रैक्ट क्वांटिटी कान्ट्रैक्ट अरेन्जमेंट आफ दि स्टोर परचेज प्रोग्राम ।

आल कन्सर्ड में प्लीज नोट दैट नो बिजनेस ट्रांजैक्शन्स आर डन फ्राम दिस फर्म हेन्स फोर्थ । दिस में प्लीज बी केप्ट सीक्रेट ऐण्ड इट्स कान्टेन्ट्स में नाट बी डाइवल्जड टू एनी पार्टी आर एनी अन–अथराइज्ड परसन्स ।"

मैं हिन्दी में इसका अनुवाद किये दे रहा हूं । सभी सम्बन्धित लोगों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ, 226001 (इण्डिया)। क्षेत्रीय कार्यालय श्री प्रताप भवन, नवल किशोर रोड को स्टोर्स विक्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्य संविदा/ क्वांटिटी कांट्रैक्ट में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिये प्रतिबन्धित किया जाता है ।

कृपया सभी सम्बन्धित सूचित हों कि अब से इस फर्म से कोई भी व्यापार एवं कारोबार नहीं किया जाये । कृपया यह गोपनीय रखा जाय तथा यह किसी अन्य पार्टी या अनधिकृत व्यक्तियों को इसकी जानकारी न करायी जाय । लेकिन कमीशनबाजी के चक्कर में बाद में इस जी0ओ0

को भी वापस ले लिया गया । इस समय उत्तर प्रदेश शासन और इस निगम के अधिकारियों में भी आपस में कमीशनबाजी और दलाली हो रही है और ईमानदार कर्मचारियों के उत्पीड़न के साथ-साथ गरीब जनता का धन यह मगरमच्छ की तरह हड़प रहे हैं । मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । मेरा निवेदन है कि सदन का कार्य रोककर इस मामले पर चर्चा करायें और गम्भीर अनियमितताओं की जांच करायें तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न तत्काल समाप्त करें ।

*श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, यह जो कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा गया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आज अपट्रान इण्डिया लिमिटेड भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध का पर्याय बना हुआ है । वहां के प्रबन्ध निदेशक ने बिना शासन के अनुमोदन के एक नियम बना लिया है और वह यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन तथा अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, दोनों कम्पनियों के लाभ का 1 प्रतिशत हिस्सा खुद ले लेते हैं । अन्य सार्वजनिक निगमों में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है जबकि अपट्रान इंडिया लिमिटेड में यह कार्य हो रहा है । इस निगम ने एच0एम0डी0सी0 से अधिकारियों के लिये घर बनाने के लिये कर्ज लिया । इस रुपये पर जो ब्याज दिया जाना था उसको कम्पनी ने सबसिडाइज किया और अधिकारियों के लिये घर बनवाये गये । जब यह घर बनकर तैयार हुये तो अपट्रान के अधिकारियों ने यह घर ले लिये और पुनः उनको रहने के लिये दे दिया । अंधा बांटे रेवड़ी घरै घराना खाय. । अभी तिवारी जी ने इस निगम के अधिकारियों के विदेश जाने की बात कही । यहां के अधिकारी श्री अजीत पांडे के बारे में शासन से इन्क्वारी चल रही है । वह भी 7 फरवरी, को विदेश चले गये । यहां के श्री जे0एम0 सक्सेना शासन द्वारा विदेश न जाने के प्रतिबन्ध के बावजूद भी 24 फरवरी को विदेश गये । इस प्रकार से विदेश यात्रा की शासन द्वारा पाबंदी लगी होने पर भी यहां के अधिकारी विदेश यात्रायें कर रहे हैं । इसी तरह से यहां के श्री ललित कपूर कमीशन लेने के लिये और उस कमीशन के पैसे को विदेशी बैंक में रखने के लिये बिना शासन की पूर्व स्वीकृति के विदेश गये । तो मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है । मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय तिवारी जी और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह और माननीय हर्ष वर्धन ने अपट्रान निगम के सम्बन्ध में विस्तार से बातें कहीं हैं, उनको न दोहराते हुये मैं दो-तीन बातें और रखना चाहता हूं । (1) सीमा शुल्क इन्होंने दे दिया, जबकि सामान निजी था और सामान का भुगतान अपट्रान ने कर दिया । यह अनियमितताओं की लम्बी फेहरिस्त है, जिसे मैं आपके पास भिजवा दे रहा हूं, इसको आप देख लेंगे कि करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी है । दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अपट्रान निगम जो है, निजी सामानों के शुल्क का भी भुगतान किया और कम्पनी से एक फर्जी चिट्ठी बनवा कर अपनी गलतियों को छिपाया है । मान्यवर, यह केवल एक भ्रष्टाचार ही नहीं है, बल्कि अमेरिका से कम्प्यूटर खरीदे गये, लेकिन बेंचे अभी तक नहीं गये हैं । अगर 50 खरीदे गये हैं, तो 6 बिके हैं, बाकी पड़े हैं । ये सामान दलाली की दृष्टि से खरीदे गये । इसलिये यह केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, बल्कि, देशद्रोही है । अगर आप इस पर चर्चा करा देंगे, तो यह सारे तथ्य सामने आ जायेंगे कि विदेशी लोगों से मिलकर कितनी गम्भीर अनियमिततायें की जा रही हैं । मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह स्वतः चर्चा स्वीकार कर लें । अगर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिये लगातार यह क्रम चलता रहेगा तो यह आरोप-प्रत्यारोप राजनैतिक लोगों पर चलता रहेगा और भ्रष्ट अधिकारी बच जायेंगे और जो बीच के अधिकारी हैं, वे लाभ उठाते रहेंगे । मान्यवर, कपूर ने अपना मकान बनवा लिया और उसी में उसने अपट्रान का दफ्तर खोल लिया और वह हजारों रुपया उसका किराया ले रहा है । मान्यवर, अगर बचाव की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करेंगे, तो मैं समझता हूं कि (× × ×) हैं और सरकार की इसमें कहीं न कहीं साजिश और सहयोग है, वरना आप बिना बहस किये इस पर पूरे दिन की चर्चा स्वीकार कर लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वहां के जिन यूनियन के कर्मचारियों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की, यूनियन के जिन कर्मचारियों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें बड़े पैमाने पर विक्टिमाइज किया जा रहा है, जैसे- मान्यवर, गंगोत्री में विष घोल दिया गया हो। वहां के चेयरमैन ने मकान बनवाया और ऊपर के पोरशन को साढ़े 7 हजार रुपये में अपट्रान को किराये पर दे दिया । वहां के चेयरमैन मिस्टर जोशी नाम के कोई व्यक्ति हैं । मान्यवर, मैं लम्बी बहस न करके, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं । आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने यह बात कही कि इस पर कोई भाषण न करके इसे पूरे दिन के लिये चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया जाय । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह, माननीय हर्ष वर्धन और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपट्रान के बारे में बातें कहीं, इसलिये मेरे लिये दो बातें कहना अत्यन्त आवश्यक है । यहां पर किसी को बचाने की कोई बात नहीं है, चाहे वह कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, मंत्री, हो या अन्य कोई हो, उसकी जांच कराना सरकार का कर्तव्य है, उसकी जानकारी कराना सरकार का कर्तव्य है । इस अपट्रान निगम ने केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश में विदेश में अपनी ख्याति अर्जित की और शोहरत हासिल की । इसने मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपनी ख्याति प्राप्त की । जो चीजें शासन के सामने आयी हैं, उनकी पूरी जानकारी की जाय, बल्कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करायी जाय । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बातें कहीं कि जो कर्मचारी तथ्य सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसकी भी जानकारी की जाय । थोड़ा सा हमारी कंसेप्ट जो है, वह विदेशी यात्रा के बारे में ऐसा हो गया है कि सब लोग घूमने जाते हैं ।

मान्यवर, आज की दुनिया इतनी छोटी हो गयी है । आज की दुनिया में माडर्न टेक्नोलोजी में जब हम सितारे और चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर कुंयें के मेढक बनकर बैठे रहेंगे तो सालों लग सकते हैं। आज हमें इसे देखना है कि दूसरे स्थानों पर कौन-कौन टेक्नोलोजी राष्ट्रीय टेक्नोलाजी बढ़ रही है अगर आप उस टेक्नोलोजी को अपनी जानकारी में नहीं लाते हैं तो पीछे रह जायेंगे तो यह चीज भी हमें सामने रखना होगा । जो तथ्य सामने लाये गये हैं उसकी जानकारी अवश्य करायेंगे। अगर कोई दोषी है, किसी ने गलती से कोई रसीद दे दी है अपने घर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, फेरा का उल्लंघन किया है, किसी भी कानून का उल्लंघन किया है चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार का हो या भारत सरकार का हो तो उसे जो सजा मिलनी चाहिए वही मिलेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आप देखें माननीय मंत्री जी किस तरह से गुमराह कर रहे हैं सदन को, उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा घूमने के लिये नहीं गये और मेरा स्पष्ट आरोप था

नोटः—(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि उनकी सरकार ने इन्कार किया अस्वीकृत कर दिया था उसको फ्लाउट कर वह विदेश गये हैं, उस पर माननीय मंत्री जी मौन हैं अगर इन्होंने कोई टेक्नोलोजी देख के लिये भेजा तो वह सदन को बताये अगर नहीं तो वह उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके गये ह मार्च, 88 का मामला जो पकड़ा है कस्टम वालों ने तो उसमें क्या जांच करायेंगे। उसमें साफ-साफ बात है ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप बैठें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा छठे नम्बर पर कार्य-स्थगन स्वीकार किया गया है, मैं आग्रह करूंगा कि उसको आप आज न स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

छठे नम्बर पर सुनने का क्या प्रश्न है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप उसे न मानिये स्थगित करा रहा हूं, प्रेस नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आज सिंचाई का बजट ही है, प्रेस क्या करोगे ?

*श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, इस भ्रष्ट हुकूमत में किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है उसकी एक सूचना मैंने कार्य-स्थगन के रूप में दिया है। मान्यवर, जनपद जौनपुर में मछलीशहर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर श्री के0 डी0 सिंह जो 84 से प्रभारी चिकित्सक के रूप में नियुक्त हैं उनको 4 बार स्थानान्तरित किया गया जनता की शिकायत पर, जनता की मांग पर और चारों बार तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने स्थानान्तरण को रोक दिया, उससे जनता के मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इस भ्रष्ट हुकूमत में न्याय कहीं नहीं है। मान्यवर, इस बात को लेकर जनता में बड़ा असंतोष और रोष है। इस बात की शिकायत आज के जो स्वास्थ्य मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित हैं उनसे भी की गयी, उनसे भी जनता ने मांग किया यह स्वयं भी हमारे जिले में गये हुए थे। बर ठी का कार्यक्रम करने के बाद मछली शहर में बधवा इन्टर कालेज पर गये थे और वहां 50 लोगों ने शिकायत किया कि यह अधिकारी बहुत भ्रष्ट है इसका स्थानान्तरण तुरन्त कर दिया जाय, उसका स्थानान्तरण कर दिया गया लेकिन आज तक उस व्यक्ति ने चार्ज नहीं दिया और 50,000 की दवा को सील कर बन्द कर दिया है, वह दवा सड़ रही है, डेट इक्सपायर हो रही है, उसके खिलाफ जांच करायी गयी तो 2 लाख रुपये का गबन का मामला मिला लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी और आज भी वह प्रभारी अधिकारी चिकित्सक वहां बना हुआ है और कुछ चन्द लोगों के गुमराह में आकर वह अधिकारी रह रहा है। मान्यवर, जनता आंदोलित है, जनता अनशन करने को तैयार है और इस भ्रष्ट हुकूमत में इन भ्रष्ट मंत्रियों के द्वारा किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को पोषण किया जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें अगर चर्चा नहीं करायी जायेगी तो इस हुकूमत में जनता का विश्वास नहीं रह जायेगा।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, उसमें तो लिखा है कि लाखों रुपये का घपला है। अब माननीय सदस्य ने एक विशेष प्राथमिक स्वास्थ्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्र की चर्चा और एक विशेष अधिकारी की चर्चा की है। इस संबंध में जानकारी करने में आपका बहुत ही आभारी हूं।

श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, लाखों रुपये की दवा बन्द कर रखी है और अब तक चार्ज नहीं दिया है। दवाएं सड़ रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जांच कराने को कह रहे हैं। उनको पूरी बात कहने दीजिये।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने यह सूचना दी। हम इसकी पूरी जानकारी करेंगे और अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी करेंगे।

श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, यह सूचना जब मंत्री जी हमारे जिले में गये थे, उस समय भी लोगों ने यह सूचना दी थी, लेकिन इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। आश्वासन देकर भी कोई कार्यवाही नहीं की। वह चार्ज नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं निर्णय दूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप निर्णय तो देंगे लेकिन माननीय मंत्री जी बता दें कि जब वे बरसठी गये थे तो 50 सौ लोगों ने शिकायत की थी, यदि हां, तो यह उनकी जानकारी में पहले से है। आप मंत्री जी को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको तो सुन लिया है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, इनकी बरसठी यात्रा के समय लोगों ने शिकायत की थी। यह बतावें कि जब वे बरसठी गये थे तो लोगों ने क्या शिकायत की थी?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर स्पष्टीकरण लूंगा तो निर्णय कैसे दूंगा?

श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, यह बहुत ही अहम् मामला है।

*श्री किरन पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने काम रोको प्रस्ताव के जरिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। हमारे जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर में नरौरा में एक एटामिक प्लान्ट 16 वर्ष से स्थापित हो रहा है। बुलन्दशहर में खबर आयी कि इसी 20 फरवरी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस प्लान्ट का उद्घाटन करने के लिये आ रहे हैं। उसके बाद उस प्लान्ट के आस-पास के 13 गांव प्रशासन ने पुलिस के बल पर जबर्दस्ती उजाड़ दिये। पांच गांव बादीपुर, बिजाऊ, हकीमपुर बांगर, हकीमपुर खास और हकीमपुर खादर के बच्चे, और औरतें ही नहीं पशुओं को भी वहां से खदेड़ कर हटवा लिये और गांव खाली करा लिये। इसके अलावा 8 गांव आंशिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप से उजाड़ दिये गये और 980 एकड़ जमीन अर्जित कर ली गयी। न प्लान्ट आज तक चला और न भविष्य में चलने की आशा है, लेकिन तमाम लोगों को उजाड़ दिया गया। मैं इस प्रश्न पर मानवीय रूप से कहना चाहता हूं कि जितने किसानों के खेत छीन लिये गये हैं, उन लोगों के पास आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, लोग सड़क पर पड़े हुए हैं। उनके पास घर नहीं है। पशुओं के लिये चारा नहीं है। उनको बेदर्दी से उजाड़ा गया है। प्लान्ट न आज चल रहा है न कभी चलेगा, इसलिये मैं मांग करना चाहता हूं कि जो आस-पास की गांव सभा की जमीन पड़ी हुई है, वह उन लोगों को आवंटित कर दी जाय, दूसरे बबराला में जो खाद का प्लान्ट टाटा या बिड़ला लगवा रहे हैं, शायद उसमें सरकार का भी साझा है, उजाड़े गये प्रत्येक परिवार को उसमें नौकरी दिलवाने की कोशिश करें। उनके पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, इसलिये उन पर जो देय है, उनको सरकार माफ कर दे, यह मेरी मांग है। जो जमीन 980 एकड़ की ली गयी है, वहां पर वह प्लान्ट तो चलने से रहा, जब तक प्लान्ट नहीं चलता है तब तक वहां पर लोगों को खेती करने का अधिकार दिया जाय। उनको डिस्टर्व एलाउन्स दिया जाय। मेरा कहना है कि इस पर आप चर्चा स्वीकार करें या न करें, आप इस पर सरकार से वक्तव्य अवश्य दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, नियम 56 में मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप लोग बैठिए। माननीय राजस्व मंत्री खड़े हैं।

राजस्व मंत्री श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, देश और प्रदेश के हित में जब कोई परियोजना लगायी जाती है उसमें कुछ लोगों की जमीन ली जाती है और जिनकी जमीन ली जाती है उनको कष्ट होता है, उनको दुख होता है, तकलीफ होती है। माननीय सदस्यों को भी उससे तकलीफ होती है। सरकार को हम सब लोगों को तकलीफ होती है। जब किसी की भी रहने की जगह, खेती की जगह ले ली जाती है। मान्यवर, इसकी विस्तृत सूचना कलेक्टर से अभी मिल नहीं पायी है। मान्यवर, जो वहां से विस्थापित किये गये हैं उनके पास रहने की दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जमीन नहीं है, तो उनको यथासंभव बसाने के लिये व्यवस्था की जायेगी, जिनकी खेती ली गयी है।

श्री किरन पाल सिंह—

उजाड़ने के बाद आप व्यवस्था करेंगे। अगर आपको घर से निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया जाय तो आपको पता चलेगा कि क्या दृश्य होता है।

श्री माता प्रसाद—

ग्राम समाज की भूमि के बारे में कहा गया है ग्राम समाज की जो उपलब्ध भूमि है पात्रता के हिसाब से ग्राम समाज की जमीन आवंटित की जायेगी। जहां योजना लगायी नहीं गयी है, उन्होंने प्रतिकर/मुआवजा नहीं लिया है और वहां पर कोई योजना नहीं है, अधिगृहीत नहीं की गयी है, तो इस पर विचार किया जायेगा, लेकिन, मुआवजा दिया जा चुका है, वहां जमीन पर किन्हीं कारणों से खेती नहीं की जा सकती है तो उसमें दिक्कत होगी। जिन फैक्ट्रियों की बात कही जा रही है नियम के अनुसार उसमें प्रयास किया जायेगा काम उन्हें दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरे कार्य-स्थगन पर वक्तव्य स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप लोग बैठें।

श्री सुखपाल पान्डे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उस ब[illegible] से हैं, यह तकलीफों और दुखों को जानते हैं। मान्यवर, जब यह मंत्रिपरिषद में नहीं थे तब यह ऐसे मामलों में बड़ी वकालत करते थे लेकिन आज कोई वैसी बात नहीं कह रहे ह[illegible]।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री राज किशोर सिंह, श्री जयदीप सिंह बरार की सूचना पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्ष वर्द्धन, श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं। श्री पारस नाथ यादव की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं। श्री किरन पाल सिंह की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं। श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री कौशिक रमा शंकर की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं। श्री हरेन्द्र सिंह, श्री राम शरण दास, श्री अमीर आलम खां की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं। बाकी सभी सूचनायें अस्वीकार करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 16 पुकारे जाने पर एवं श्री लोकपति त्रिपाठी के खड़े होने पर) (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में पानी की समस्या है। गम्भीर प्रश्न है।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री राम सजीवन, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आसन ग्रहण करें।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा व श्री देवेन्द्र कुमार सिंह सदन के फ्लोर से कहने लगे कि पानी के अभाव के कारण पूरा बुन्देलखण्ड तबाह हो रहा है, उस पर उनको सुना जाय)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैंने मद संख्या 16 पुकार ली है, आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। मैं अब नहीं सुनने वाला हूं। आप लोग जाकर बैठें।

(श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री राम सजीवन, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा सदन के फ्लोर से कहने लगे कि शासन में सूचना आयी है कि वहां तबाही हो रही है इस पर सुन लें)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बजट में चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री राम सजीवन—

पूरा प्रदेश डूब रहा है, आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं

श्री उपाध्यक्ष—

राम आसरे वर्मा जी, इनको कहिये, यह लोग बैठें। यह तरीका ठीक नहीं है।

आज यह सिंचाई विभाग का बजट है, सूखा इसमें आ जायेगा। आप बजट पर बोल लीजियेगा।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

(श्री राम सजीवन, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह सदन के वेल पर आ गये और सभी लोगों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप दो मिनट का समय दे दें और इन लोगों को सुन लें। एक गम्भीर समस्या की ओर यह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसी तरह अव्यवस्था की स्थिति बनी रहेगी और सदन का समय खराब होगा।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

पूरा बुन्देलखण्ड सूखे से प्रभावित है, आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कल दे दीजियेगा, आपको इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री राम सजीवन—

मान्यवर, आप बुन्देलखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों का यह तरीका ठीक नहीं है। आप लोग यहां पर चर्चा करने आये हैं, या लड़ने आये हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

आज सारा बुन्देलखण्ड सूख रहा है और हम लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायगा। आप आज ही क्यों चाहते हैं, यह कल कहा जायेगा, परसों कहा जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप इन्हें दो-दो मिनट सुन लें।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री राम सजीवन तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह आदि माननीय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े होकर लगातार बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या—77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

*सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखा अनुदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,28,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,39,19,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इसी बीच श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री राम सजीवन, माननीय सदस्य ने उपाध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास किया)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग सदन छोड़िये ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राम सजीवन जी को सदन से निष्कासित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग सदन व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा ? आप करते रहिये, आपको जो कुछ करना है । यह पब्लिक क्या देख रही है ?

श्री राम सजीवन—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप सदन को नहीं चलाना चाहते हैं, तो मत चलाइये । आप मेरी बात नहीं मानते, तो खड़े रहिये । मैंने कह दिया है कि कल ले लूंगा तो फिर आप आज ही क्यों जिद कर रहे हैं, आज क्या बात है ? इस तरह सब कहेंगे कि मेरा ले लीजिये, मेरा ले लीजिये ।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा व श्री राम सजीवन सिंह जी के डायस की ओर बढ़ने पर, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री राज किशोर सिंह जी तथा श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी उन्हें समझा-बुझा कर वापस उनके स्थानों पर ले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य हाउस के बेल पर आ गये । बुन्देलखण्ड की एक ज्वलन्त समस्या को वह इस आदरणीय सदन में रखना चाहते थे । मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समस्या को आज वह इस आदरणीय सदन में उठाना चाहते थे, उसकी गम्भीरता को देखते हुये उसे आप कल उठाने की इजाजत दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री वर्मा जी आपकी बात सही है । वह एक गम्भीर समस्या रखना चाहते थे । कल वह अपनी बात रखें, मैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लूंगा ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन से क्षमा चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट प्रेस में मशीन खराब हो जाने के कारण सिंचाई विभाग के लेखानुदान से सम्बन्धित साहित्य सम्मानित सदस्यों को समय से वितरित नहीं हो पाया। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस त्रुटि पर हमको क्षमा कर देंगे। मान्यवर, इस वर्ष के शुरू में वर्षा तो अच्छी हुई, परन्तु बीच में बहुत से क्षेत्रों में, अगस्त के मध्य से वर्षा बन्द हो गई और आज तक वर्षा नहीं हुई है। सूखा है। हमारे बुन्देलखण्ड के सम्मानित सदस्य भी इस सूखे पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। बुन्देलखण्ड में यह स्थिति है, इलाहाबाद जनपद में यह स्थिति है, मिर्जापुर में यही स्थिति है, बनारस जनपद में यही स्थिति है, गाजीपुर में यही स्थिति है, बलिया में यही स्थिति है, आजमगढ़ में यही स्थिति है। सूखे में लोगों को जल उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमन्, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में सिंचाई विभाग की कुछ उपलब्धियां हैं, उन्हें मैं इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। सिंचाई के चार कार्य होते हैं। मध्यम और वृहद् कार्यक्रमों द्वारा जल और जल विद्युत् टेहरी परियोजना है, उसका कार्पोरेशन बन गया है और यह कार्य अलग प्रारम्भ हो रहा है। श्रीनगर परियोजना विश्व बैंक के अन्तर्गत ली जा रही है, इसकी सम्भावना है। यह भी सम्भावना है कि टेहरी बांध के साथ श्रीनगर की परियोजना जल विद्युत् की लगा दी जाय। सिंचाई परियोजनाओं में विश्व बैंक की सहायता से गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है, कार्य प्रारम्भ हो गया है। समानान्तर नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दूसरी पूर्वी गंगा नहर, पश्चिमी क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में, जब गंगा में जल अधिक होता है, खरीफ के लिये नहर सिस्टम बना, उसका कार्य शुरू हो गया है और यह उम्मीद है कि 1994–95 तक यह कार्य पूर्ण किया जायगा। मध्य गंगा नहर, यह कार्य लगभग पूर्णता पर है। इस वर्ष खरीफ में भी, रबी में भी मध्य गंगा नहर से सिंचाई प्रारम्भ की गयी है।

श्री किरन पाल सिंह—

यह नहर सिंचाई के लिये बनी ही नहीं है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शुरू में गंगा में जल अधिक उपलब्ध था इसलिये उसका उपयोग किया गया, अब स्तर नीचे गिर गया है। यह मुख्यत: खरीफ चैनल है। यमुना चैनल सिंचाई और जल विद्युत् दोनों का है। इसके 1990 में पूर्ण होने का प्रयास हो रहा है। यमुना पर ही लखवाड़ व्यासी बांध है, यह कार्य चल रहा है, 1996–97 में कार्य पूरा होगा, 400 मेगावाट बिजली भी होगी और यमुना में जल की उपलब्धता बढ़ेगी। ईस्टर्न यमुना नहर में जल की बहुत कमी है। इस चैनल के बाद उपलब्धता बढ़ेगी और लखवाड़ बनाने के बाद और बढ़ जायगी। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि, इसका लगभग 50 प्रतिशत भाग वृहद् और लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा सिंचित किया जा रहा है। इसमें वह साधन अलग हैं जो निजी साधनों से काश्तकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 67 हजार कि0 मी0 नहरें हैं। इनसे लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और 21 लाख हेक्टेयर भूमि खरीफ में सिंचित होती है, 25 लाख हेक्टेयर रबी में होती है। करीब 3 लाख हेक्टेयर भूमि लघु सिंचाई द्वारा, जिसे राजकीय नलकूप कहते हैं, उनके माध्यम से होती है और 2 लाख 91 हजार हेक्टेयर भूमि खरीफ में होती है। नलकूपों से खरीफ में धान की खेती बढ़ाई जाय, इसके लिये विशेष अध्ययन आरम्भ किया गया है। धान के बीज डालने के लिये उत्तर प्रदेश के नलकूपों में 1 मई से लेकर 15 जून तक पानी दिया जायगा, जिसका कोई चार्ज नहीं किया जायगा, निःशुल्क जल दिया जायगा। इस तरह उत्तर प्रदेश में गण्डक क्षेत्र में शारदा सहायक और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ के लिये धान की खेती बढ़ाने के लिये, पानी की उपलब्धता की जा रही है और बीज के लिये नहर सिस्टम पर जल सिंचाई का चार्ज नहीं लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ में धान की खेती बढ़े, इसका

प्रयास कृषि और सिंचाई विभाग दोनों के माध्यम से किया जा रहा है। पच्चीस हजार नलकूप उत्तर प्रदेश में हैं, इसमें लगभग चार हजार नलकूप अपनी क्षमता से नीचे कार्य कर रहे हैं, उनका जल 35 हजार या 40 हजार गैलन प्रति घण्टा के मुकाबिले 20 हजार से नीचे 15 हजार और 10 हजार या फिर 5 हजार पर चल रहा है। कुछ की वितरण प्रणाली खण्डित हो गयी है, या फिर डेलिवरी टैंक टूट गये हैं।

नवम् वित्त आयोग आया था, उनसे अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों के रख-रखाव के लिये साढ़े चार हजार नलकूप त्वरित गति से, दो वर्षों में बन कर कार्य करने लगे, इसको 45 करोड़ रु0 अलग से दें ताकि यह 4500 नलकूप ठीक किये जा सकें। ऐसा विश्वास है कि केन्द्र सरकार से नवम् वित्त आयोग के माध्यम से यह रुपया उत्तर प्रदेश को उपलब्ध होगा।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 235 छोटी लिफ्ट नहरें हैं जो कि 5 क्यूसेक से लेकर 100 क्यूसेक के बीच में हैं। अधिकांश लिफ्ट नहरें 1966 की और 1974 के बीच की बनी हैं, उनके पम्प कमजोर हो गये हैं, या सेक्शन लाईन उनकी कमजोर हो गयी है। जिस समय उन पर बिजली दी गयी थी, उनका फीडर सिस्टम, ग्रामीण क्षेत्रों में उन फीडरों में अन्य कनेक्शन आ गये हैं। उनके जीर्णोद्धार के लिये नवम् वित्त आयोग से 15 करोड़ रुपया मांगा गया है ताकि दो वर्षों में यह 235 छोटी लिफ्ट कैनाल का प्रयोग किया जा सके।

बड़ी लिफ्ट कैनाल उमरहट है, चिल्ला कैनाल है, कमला नेहरू लिफ्ट कैनाल है, नारायनपुर लिफ्ट कैनाल है, किशनपुर लिफ्ट कैनाल है, ज्ञानपुर लिफ्ट कैनाल है, देवकली लिफ्ट कैनाल है, जमनिया लिफ्ट कैनाल है, सोन लिफ्ट कैनाल है। इस तरह से हमारी लगभग 36 लिफ्ट कैनाल हैं जिनसे लगभग 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर सिंचाई होती है। अधिकांश लिफ्ट कैनालों के लिये कार्यक्रम यह बनाया गया है कि लिफ्ट कैनाल ठीक कर दी जाय ताकि कृषि में उन लिफ्ट कैनालों की नदी के जुड़ाव से उमरहट के जल में व्यवधान पड़ता है वह व्यवधान दूर हो सके और यह कार्य चल रहा है। जमनिया पम्प हाउस जो है वह बन गया है, चिल्ला का बनने वाला है, किशनपुर, इलाहाबाद पम्प हाउस तैयार हो गया है। इस वर्ष इसे चालू कर दिया जायेगा। उसका कार्यक्रम यह बना है कि 30 जून तक चार पम्प कैनाल चालू हो जायेंगे। सात-सात 1-1 क्यूसेक की हैं, 31 जुलाई, को 5-5 क्यूसेक की चालू हो जायेंगी और इसी प्रकार से 31 अगस्त, को 6 की चालू हो जायेगी और खरीफ व रबी के आगे तक यह सिंचाई हम पूरे रूप में प्रारम्भ कर देंगे। इसी तरह से ज्ञानपुर पम्प नहर को एक साल की गति दी गयी है, जून, 1990 तक पूरी तरह हम प्रारम्भ कर देंगे वैसे रबी की फसल में इसने कुछ पानी दिया है और खरीफ 1990 से वह पम्पनहर पूरी क्षमता से चलने लगेगी। इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस जनपदों के बहुत से हिस्से और इसी प्रकार से मिर्जापुर जिले की सदर तहसील के बहुत से विकास खण्ड भी इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहे हैं।

समय 2 बजकर 20 मिनट

श्री [illegible] सहायक हमारी एक बहुत बड़ी योजना है जो सीतापुर बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर तथा वाराणसी और दूसरी तरफ बाराबंकी से फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर तथा बलिया आदि के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसे यह सिंचित करेगी। इस समय तो हम इसी से यह सिंचाई विगत 8 वर्षों से कर रहे हैं और जो जिले पहिले गिनाये, उन्हें पहले से पानी दिया जा रहा है और इसके द्वारा रजबहे व माईनर्स के कार्य को भी गति दी गयी है। साथ ही साथ इसको मुख्य फीडर नहर जो शारदा सहायक के नीचे नीचे अगल-बगल बह रही है, जिससे लगभग 18 हजार हेक्टेयर भूमि जल प्लावित हो रही है, जिसे लाईनिंग करके कम किया गया है। इस समय जो भूमि जल प्लावित हो रही है इससे यह है लगभग 3, 108 हेक्टेयर भूमि; जिसमें से साढ़े 12000 हेक्टेयर भूमि जल-प्लावन इसी लाइनिंग द्वारा दूर किया जा चुका है और इस वर्ष लाइनिंग के कार्य के लिये 18 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

इस प्रकार से यह मुख्य नहर का लाइनिंग का कार्य 8वीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष तक पूरे करने के हमारे प्रयास हो रहे हैं ।

श्रीमन् सरयू नहर घाघरा ब्रांच के लेफ्ट साईड से निकलती है, इसमें 4 लिफ्ट कैनाल्स हैं और मुख्य सरयू की धारा को इस वर्ष डुमरियागंज क्षेत्र से जिला बहराइच तक 30 जून, तक चालू कर देने का निर्णय लिया गया है । अभी सरयू नहर द्वारा हम लगभग 290 क्यूसेक पानी पूरे क्षेत्र को दे रहे हैं और खरीफ व रबी तक हम इसके क्षेत्र को और बढ़ायेंगे ।

श्रीमन् शारदा सहायक, यमुना, गंगा और राम गंगा के टेलों पर भी समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं । जैसे-जैसे खेती में उन्नति हो रही है वैसे-वैसे सेवा के क्षेत्रों में टेल्स का खिचाव बढ़ता जा रहा है । और एक प्रकार से टेल्स कम होती चली जा रही हैं । तीसरी विकास योजना के अन्तर्गत नलकूपों की अगले माह यानी माह अप्रैल में इनके इक्सपर्ट की कुछ टीमें आ रही हैं और तीन हजार नलकूपों की योजना है और वह योजना स्वीकार होने के बाद यह वरीयता दी जायेगी कि शारदा नहर, शारदा सहायक नहर, पूर्वी जमुना नहर पर और अन्य नहरों पर जो टेल के अंश हैं, वहां पर नलकूप दिये जायें । बुन्देलखण्ड की जहां तक बात है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध बन चुका है । वहां पर इस साल पानी का अतीव संकट है । बहुत जगहों पर बेतवा नदी सूख गयी है । जो कभी नहीं सूखती थी । ऐसे ही केन नहर है, जिसके लिये सम्मानित सदस्यों ने कहा, वह बांदा की बात कर रहे थे, वहां पर भी सूखे की स्थिति है । दूसरा कोई उपाय नहीं है केन में जल देने का । पाठा, कर्वी चित्रकूट और अतर्रा ऐसे स्थान हैं, जहां पर पानी देने का कोई जरिया नहीं है, सिवाय जमुना के और द्रुतगति से हम पानी की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि हम क्या करें । इलाहाबाद में मेजा और करछना ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर पानी का संकट उत्पन्न हो गया है । टोंस नदी में भी जल नहीं है । उस पर जो पम्प कैनाल है, वह लगभग बन्द है । प्रयास यह किया जा रहा है कि मैं उसका कार्य प्रारम्भ हो जाये और टोंस पर एक बैराज बनाया जाये । जल संरक्षण के लिये भविष्य टोंस पम्प कैनाल के लिये जल उपलब्ध करा दिया जाये । मिर्जापुर में जितने भी बांध हैं, सभी सूख गये हैं । अढ़वा बांध को छोड़कर, सभी सूख गये हैं । मेजा में पानी नहीं है । सूखे से निपटने के लिये 45 बांध योजना प्रारम्भ की जा रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

यह आपकी सरकार की उपलब्धि है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

हमारे गांव के कुएं में कभी पानी नहीं सूखता था, इस साल वह भी सूख गया है । यह अधिक संतान पैदा होने का श्राप है । अब मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूं । तो इलाहाबाद के लिये जो मेजा, मांडा और करछना के क्षेत्र हैं, उसमें बेलन नदी पर बरौधा एक नया वियर बनाने का प्रस्ताव है । लोअर तथा उसके ऊपर खजुरी बांध को ऊंचा किया जा रहा है तथा उसके लिये धन दिया जा रहा है । श्रीमन् आगरा में दो समस्यायें हैं, एक तो बाह क्षेत्र की समस्या है । वहां पर चम्बल नदी योजना प्रारम्भ हुई थी, उसकी गति धीमी थी, तो उसकी गति को तेज किया गया है । अगर बाह क्षेत्र को, इटावा की सदर तहसील को जल देना है, तो उसके लिये यह प्रयास किये जा रहे हैं । वहां की समस्या बहुत खराब है ।

(व्यवधान)

वहां के जो नलकूप हैं वह बाढ़ क्षेत्र के हैं . . .

(व्यवधान)

बचा होता तो दस्यु पीड़ित क्षेत्र न होता । इसके लिये जल देना जरूरी है . . .

(व्यवधान) . . . उसे जल दिया जा रहा है ।

श्री बदन सिंह—

154 किलोमीटर में केवल ढाई किलोमीटर में दिया जा रहा है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस साल से उसकी गति तेज की जा रही है ।. . . (व्यवधान) . . . यह तो बदन सिंह जी का अधिकार है । आपके क्षेत्र में बदन सिंह जी, जहां राधा जी ने और गोपियों ने आंसू गिराये हैं, वहां का भूगर्भ जल खारा हो गया है ।

श्री बदन सिंह—

मथुरा में गिराये हैं. . . (व्यवधान) . . .

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आगरे में भी गिरे हैं । वह भी ब्रज भूमि है । आगरा मथुरा दोनों ब्रज भूमि हैं और गोपियां हर जगह मिलती हैं । तो श्रीमन्, इस समस्या को दूर करने के लिये सेटेलाइट से भूगर्भ का फिर से सर्वेक्षण कराने के लिये कहा गया है . . . (व्यवधान) . . . . फतेहपुर सीकरी में गंगा नहर का पानी लाये हैं । ओखला बैराज का पानी पीने लायक नहीं है । टेहरी बांध बनने के बाद जो आपकी कैनाल आती है जिससे जल फतेहपुर सीकरी में जाता है, उस नहर को आगे बढ़ायेंगे ताकि जो आपका क्षेत्र है उसमें कहते हैं अगर ऊपर से जल दिया जायेगा तो भूगर्भ जल का आचरण बदलेगा और उसमें मिठास आयेगी । उसमें सरफेस वाटर देने का कार्यक्रम बना रहे हैं । गंगा नहर पर बैराज बन रहा है और उसका कार्य 90. 91 में प्रारम्भ हो जायेगा । श्रीमन् इस साल बुन्देलखण्ड में दो बांध बनकर तैयार हो गये हैं—सजनम और शहजाद । इनसे सिंचाई प्रारम्भ हो गई होगी । अबकी खरीफ में जून से सिंचाई इन दोनों बांधों से बढ़ेगी ।

मान्यवर, पूर्वी क्षेत्र में फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच, बस्ती, बलिया गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी आजमगढ़, गाजीपुर और मिर्जापुर (व्यवधान) जौनपुर तो है ही, यह क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है और इनमें सबसे अधिक बाढ़ की हानि जनपद देवरिया में होती है 22 प्रतिशत और सबसे कम हानि बलिया की होती है 8 प्रतिशत । प्रति वर्ष यहां पर बाढ़ आती है । इसके लिये योजना बन रही है और एक मास्टर प्लान भी भारत सरकार को सबमिट हुआ है योजना में लेने के लिये अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है । साथ घाघरा, जमुना, गंगा, गन्डक, गोमती नदियों के किनारे तटबन्ध बनाकर स्पर डालकर इन क्षेत्रों को कटान से बचाया जा रहा है ।

सही रूप में बाढ़ की समस्या का निदान तभी होगा जब इन नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनेंगे जैसे टेहरी में बांध बन रहा है और यमुना में लकवार बांध बन रहा है । ऐसे बांध बन जाने से हमारी नदियों का खड़ा जल स्तर करीब-करीब 3/4 मीटर कम हो जायेगा और इस खड़े जल स्तर के कम हो जाने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये काफी सहूलियत हो जायेगी । मगर जो नदियां बाहर से आती हैं, नेपाल से आती हैं, उन पर बांध बनाने का कोई कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में विचार चल रहा है करनाली बांध के लिये अभी हमारे अधिकारीगण नेपाल गये थे । मुख्तः यह तय हुआ है कि करनाली बांध बनाया जाय मगर कुछ बिन्दुओं पर विचार हो रहा है । करनाली बांध बन जाने से घाघरा का लगभग सवा मीटर पानी कम हो जायेगा । जौनपुर की बात माननीय सदस्य ने कही । वहां अभी हम गये थे जौनपुर का जो नया पुल है वह 126 मीटर पर है जो शाही पुल है वह 64 फुट पर है । जल की मात्रा बढ़ाने की बात है जल शाही पुल से निकल जाय वहां रुके न । यह आर्कलोजी विभाग का पुल है । मैं वहां अपने अभियन्ताओं को कुछ बात बताकर आया था कि जितना पानी पी0डब्ल्यू0डी0 के नये पुल से गुजरता है उतना पानी यहां से निकल जाय । तो वह कैसे निकलेगा यह सोचने की बात है । बिना शाही पुल को छुए उसके खम्भों को पतला करके पानी निकाला जायेगा और शाही पुल बरकरार रहे यह देखने की बात है

उसमें आवागमन हो जाय उसके लिये शाही पुल के ऊपर से रास्ता निकल जाय उसके लिये अपने विभाग के लोगों से कहा है कि ब्रिज कारपोरेशन से बात कर लें और जिस तरह से हावड़ा के ऊपर पुल है, उसी तरह से शाही पुल पर बना दें जिस पर आवागमन होता रहे, पैदल यात्री उससे गुजर जायं और स्कूटर रिक्शा या तेज वाहन न चले ।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये कुछ मूल बातों पर भी हमें सहयोग दें । हमारे 25 हजार नलकूप हैं उनके लिये नलकूप चालकों की व्यवस्था की बात है । यह एक डाइंग कैडर है नये चालक भर्ती नहीं होते हैं। 1981 में यह तय हुआ था कि अंशकालिक नलकूप चालक रखे जायं और यह तय हुआ था कि यह गांव सभाओं के माध्यम से रखे जायेंगे उनका वेतन पुनर्निर्धारित किया जाय वैसे वह वेतन तो नहीं होता है वह मानदेय होता है यह 1985 में बदला था उसके बाद अब 5 वर्ष हो गये हैं उसे बदला जाय इस पर शासन विचार कर रहा है और इनका मानदेय जो है, यह नियम है कि जिस गांव सभा में नलकूप है, उस गांव सभा का व्यक्ति उसका नलकूप चालक अंशकालिक हो । यह गांव सभा द्वारा चयनित हो । हर नलकूप पर नलकूप समिति है । जिसका अध्यक्ष प्रधान है ।

श्री मैनेजर सिंह—

कहीं नहीं है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैं आपकी जानकारी को सत्य मानता हूं कि यह नहीं है । किन्तु यह नियम है । जहां नहीं है वहां गठित की जायेगी और उस समिति में गांव का कोई किसान और अनुसूचित जाति और जन-जाति का एक आदमी तथा एक अन्य कोई सामाजिक कार्यकर्ता उसके सदस्य होते हैं । यही समिति उस अंशकालिक नलकूप चालक को चयनित करे और इसका मानदेय गांव सभा के कोष में जमा हो जाये और उसमें से वह वितरित हो । नलकूप चालक का कुछ दायित्व है । जिसको पानी देगा उसका नाम लिखेगा, जितने घंटे पानी देगा वह रजिस्टर पर लिखेगा और सिंचाई विभाग को उसे देगा । चाभी उसके पास रहती है और रोस्टर बना हुआ है, उसके अनुसार वह नलकूप चलायेगा । जब बनी थी तब यही था और नहीं है, तो प्रयास कर रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने नियम बनाया यह तो ठीक है, लेकिन आप यह देखें कि इसका क्या पालन हो रहा है ? क्या किसी नलकूप समिति बनी है, और जो अंशकालिक रखे गये हैं—मेरे जिले में 5—5 हजार रुपया रिश्वत लेकर रखे गये हैं प्रधान की मात्र औपचारिक संस्तुति करा कर उनकी नियुक्ति कर दी गई । गांव सभा या पंचायत ने कहीं भी संस्तुति नहीं किया है तो आप क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नियम है, उसके अनुसार प्रत्येक नलकूप पर समितियां बनेंगी या उनको जाग्रूक किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमान्, आपकी बात शिरोधार्य है, अवश्य उनको जागरूक करेंगे, अन्यथा अंशकालिक नलकूप चालक का कार्यक्रम ही गलत है । इसमें त्रुटियां हुई हैं, उसको दूर करके सही रूप में खड़ा कर देना है । श्रीमान्, नलकूपों के रख-रखाव के लिये अभी हमारे यहां एक अधिशासी अभियन्ता के पास 600 नलकूप हैं, किसी के पास 800 हैं और फिर यह कहना कि वह इन नलकूपों को सुचारु रूप में चला पायेंगे, बड़ा कठिन है । मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह विचार किया जा रहा है कि एक अधिशासी अभियन्ता के पास 400 नलकूप रहें और 100 नलकूप पर एक सहायक अभियन्ता रहे । ताकि नवम् वित्त आयोग ने जो एक प्रश्न किया था कि लघु सिंचाई में 126 करोड़ का घाटा क्यों, तो उसका ठीक जवाब हो सके । 800 नलकूप एक व्यक्ति द्वारा देखना और 200 250 एक सहायक अभियन्ता द्वारा देखना बड़ा कठिन है । हम यह देख रहे

हैं और इसे हम आपकी स्वीकृति के बाद लागू करेंगे । मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अपने-अपने सुझाव इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये दें, जिसका सम्बन्ध हमारे उत्तर प्रदेश के 13 करोड़ नागरिकों व 400 लाख एकड़ जमीन से है। उस पर बहुमूल्य सुझाव मिलें ताकि भविष्य में कार्यक्रम को आगे बढ़ायें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे प्रदेश के आर्थिक विकास का मूल आधार कृषि है और इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि कृषि के उन्नयन के लिये सिंचाई की सुविधा होना एक आवश्यक वस्तु है । जब तक प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक हमारे प्रदेश का सम्भवतः आर्थिक विकास नहीं हो सकता है और हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती है, लेकिन मान्यवर, इस इतने महत्वपूर्ण विभाग को एक रुपया भी अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाये, यह कहते हुये मुझे वेदना इसलिये हो रही है कि भारी-भरकम भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है, उससे मैं यह समझता हूं कि एक रुपया भी अगर इनको दिया जाता है तो यह उसका दुरुपयोग करेंगे, उस एक रुपये का भी यह सदुपयोग नहीं कर पायेंगे । इसीलिये यह कटौती का प्रस्ताव रखा गया है । मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है । उन्होंने बजट को प्रस्तुत करते समय सबसे पहले अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इनके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो जो हैं वह आंकड़ों का जाल बिछाये हैं उन्होंने इनको धोखे में रखा है और यह समझते हैं कि उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं । 20 सूत्रीय कार्यक्रम यह चलाते हैं तो उसमें उपलब्धियां गिनाई जाती हैं कि सिंचन क्षमता का सृजन, किस तरह से हो गया और उसको बता दिया जाता है कि बड़ी उपलब्धियां हो रही हैं पूरी वस्तुस्थिति इससे विपरीत है और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि हमें आजाद हुये चालीस वर्ष या उससे भी अधिक समय हो गया है, इस बीच इन्होंने अगर सिंचन क्षमता का विकास किया होता, तो गत वर्ष जो सूखा पड़ा, चारों तरफ हाहाकार मच गया और प्रदेश में इनकी जो योजनायें अरबों–खरबों में चलती हैं उसका पता नहीं चला । प्रदेश में भुखमरी की समस्या पैदा हो गई । गम्भीर रूप से सूखा पड़ गया । मान्यवर, ड्राफ्ट एनुअल प्लान 1989–90 में जो इनकी उपलब्धियों का विवरण दिया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं । "दि सीवियर ड्राट आफ दि पास्ट एण्ड दि करेन्ट इयर 1987–88 रिवील्ड वैट दि इर्रीगेशन कवरेज थ्रू आल सोर्सेज आफ इर्रीगेशन इज स्टिल ऐज वेल वेरी इनडीकुएट बोथ ऐज रिगार्ड्स टोटल एरिया कवर्ड एज क्वालिटी आफ इरीगेशन"

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप इसका हिन्दी अनुवाद कर दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं हिन्दी अनुवाद बतला रहा हूं । 1987–88 के सूखे ने यह स्थिति कर दिया है कि सिंचाई के सभी स्रोतों से जो सिंचाई की उपलब्धता हुयी है वह सिंचाई के क्षेत्र व गुण दोनों के भी विचार पर अति न्यून है । तो यह आपकी उपलब्धियां हैं । मान्यवर, यह स्थिति क्यों

(इस समय 2 बज कर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय पीठासीन हुये) ।

है ? यह स्थिति इसलिये है कि इनको जो आंकड़े दिये जाते हैं, वह मूल-मुलैया के जाल जैसे हैं । आपने सिंचन क्षमता के बारे में राजकीय नलकूपों का उल्लेख किया है । मैं अपनी बात वहीं से प्रारम्भ करता हूं । राजकीय नलकूप जब एक लगाया जाता है तो आप आंकड़ों में दिखाते हैं कि इससे एक सौ हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हो गयी । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी को यदि व्यक्तिगत अनुभव है और यहां पर जो माननीय सदस्य बैठे हैं जो कृषि का अनुभव रखते हैं वह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा नलकूप नहीं है जो 20 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई कर सकता हो । आप दिखाते हैं कि एक नलकूप से 100 हेक्टेयर की सिंचाई होती है जब वास्तव में होती है 20 हेक्टेयर यदि वास्तव में देखा जाय तो जितनी आप द्वारा क्षमता दिखायी जाती है उसका केवल 1/5 ही वास्तविक सिंचाई क्षमता होती है इस प्रकार प्रदेश में नलकूपों की जो सिंचाई क्षमता बतायी गयी है उसकी केवल 20 फीसदी ही वास्तव में सृजित की गयी है । इससे आपके आंकड़े थोथे साबित हो जाते हैं । इसी तरह से जो नलकूप खराब हो जाते हैं उनके आंकड़ों की कटौती नहीं की जाती है और उनसे भी सिंचन क्षमता सृजित होती दिखायी जाती रहती है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नलकूपों की खराबी तीन तरह से होती है लेकिन इनका विभाग केवल 2 तरह की खराबी समझता है । एक तो बिजली की खराबी से नलकूप खराब होता है और दूसरे नलकूप की यांत्रिक खराबी के कारण नलकूप खराब होता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी खराबी केमिकल डिफेक्ट से होती है । होता यह है कि पानी की जो निचली सतह होती है वह खारे पानी की होती है जिसके कारण लोहे के पाइप गल जाते हैं और जाली बंद हो जाती है और नलकूप खराब हो जाता है । इनका विभाग यह करता है कि जो ऐसे नलकूप खराब हो जाते हैं उनको बंद कर देता है और दोबारा 5-10 कदम हटकर दूसरा ट्यूबवेल बना देता है जिस पर बहुत खर्च होता है और उसका पानी भी वैसा ही खराब रहता है । अगर जो ट्यूबवेल खराब हो गया है उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाय तो उस पानी को साफ किया जा सकता है और केमिकल आदि डालकर जो जाली बंद हो जाती है उसको खोला जा सकता है तथा उसको गलने से बचाया जा सकता है । लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । तो मेरा कहना है कि इसका भी परीक्षण कराया जाय और अगर इसकी आवश्यकता है तो इस प्रक्रिया को लागू किया जाय । इससे जो रासायनिक कमी से, केमिकल डिफेक्ट से नलकूप खराब हो जाते हैं उनको ठीक किया जा सकता है और दूसरे ट्यूबवेल के लगाने के भारी खर्च से बचा जा सकता है और इन बंद पड़े हुये नलकूपों को फिर से चालू किया जा सकता है ।

मान्यवर, हमारे मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही कुछ बड़ी योजनाओं का जिक्र किया । मैं समझता हूं कि मान्यवर, बड़ी योजनाओं का अगर हम एक-एक योजनावार वर्णन करना शुरू करें, तो बड़ा लम्बा होगा । लेकिन इनकी योजनाओं की मैं कलई खोलना चाहता हूं । आपने जिसका अभी वर्णन किया, सरयू नहर परियोजना, जिसे घाघरा योजना भी कहते हैं । आपने जो साहित्य दिया, वह अभी आया, समय से पूर्व यह साहित्य आया होता, तो इसका अध्ययन करके निकालते कि क्या आंकड़ा आपने दिया है । इसमें लिखा है कि 12 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है । इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारम्भ कर दी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में नैपाल सरकार से उन्होंने कोई समझौता किया और इसलिये यह आवश्यक है कि नदी आती कहां से है, नैपाल से आती है और मुझे यह सूचना मिली है कि यह नदी जहां से आती है, नैपाल सरकार को विश्व बैंक से एक भारी रकम मिली है जिसके द्वारा उस नदी के ऊपर ही बांध बना कर नैपाल सरकार नदी के पानी को अपने उपयोग में लाना चाहती है ।

(माननीय मंत्री जी के द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

करनाली उसका एक अंग है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी आपस में प्रश्नोत्तर न करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह परियोजना प्रारम्भ कर दी गयी और इस पर खर्च अनुमानित था कि 299 करोड़ रुपया लगेगा । लेकिन 230 करोड़ रुपया लग चुका है और आज जो अभी साहित्य मिला है उसके अनुसार यह 693 करोड़ की योजना हो गयी, तीन गुना बढ़ गयी । यह आपको उपलब्धि है । यह उपलब्धि ही नहीं, वहां पर आपने ढाई हजार इंजीनियर्स और सारे स्टाफ रख दिया, मशीनें आ गयीं, मशीनें करोड़ों, अरबों, की आ गयीं जिनमें भारी-भारी रकम आपके इंजीनियर्स ने ले लिया, मान्यवर, कमीशन कहां-कहां पर पंहुचा होगा, वह हमें भी जानकारी नहीं है । लेकिन यह गम्भीर विषय है । आप यह कह सकते हैं कि भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक रुपया नहीं देगा और हमारा जो शत्रु है चीन, उसने अगर नेपाल को पैसा दे दिया और सारा पानी उसने डाइवर्ट कर लिया, तो आपका सारा का सारा रुपया बरबाद हो जायगा, मशीनें खड़ी रह जायेंगी और जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया पानी का पानी हो जायगा । पहले यह नेपाल गवर्नमेंट से ऐसी कोई संधि कर लेते, जिससे आपकी योजना चालू हो सकती और सफल हो सकती । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने टिहरी योजना का जिक्र किया ।

मान्यवर, टिहरी बड़ी परियोजना है । लेकिन देखें कि जनता की कितनी गाढ़ी कमाई का कितना दुरुपयोग होता है । यह टिहरी परियोजना वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ की गयी और उस समय 197 करोड़ रुपये उसकी लागत आंकी थी यह कल्पनाओं का सतरंगी इन्द्र धनुष खींचा गया कि पूरा भारत और पूरा उत्तर प्रदेश हरित क्रांति की तरफ जायगा । लेकिन अब तक 1375 करोड़ रुपया लग चुका, यह कहां चला गया । इन बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को सरकार ने और बड़े-बड़े उच्च पदों पर बैठे हुये अधिकारियों ने चरागाह बना रखा है ।

करोड़ों-अरबों रुपये डकार रहे हैं, 147 करोड़ की लागत से जो योजना पूरी होनी थी, वह 1375 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है और अभी योजना में कुछ हुआ भी नहीं है तिहाई हिस्सा भी नहीं पूरा हुआ और मालूम पड़ता है कि इसी रफ्तार से चला तो 1375 करोड़ रुपये तो लग चुका 20-25 अरब और इससे भी ज्यादा रुपया लग जायगा । आपके राजीव गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में ले जायेंगे पता नहीं कि यह योजना चलते-चलते 22वीं सदी में पूरी हो पायेगी या पता नहीं कि यह योजना पूरी हो पाये या न पूरी हो पाये ।

मान्यवर, टिहरी योजना के लिये वहां आन्दोलन हो रहा है, जनता आन्दोलन कर रही है ऐसा खतरा पैदा हो गया है कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमने इसकी जांच कराई, यहां के उत्तर प्रदेश और वहां के भी कुछ वैज्ञानिक ने उसकी जांच की लेकिन जो एक्सपर्ट बुलाये गये रूस से उनकी रिपोर्ट मेरे पास है लेकिन मैं सदन का मूल्यवान समय उसको पूरा पढ़कर नहीं नष्ट करना चाहता हूं लेकिन बताना चाहता हूं कि जो रूस के एक्सपर्ट आये, विशेषज्ञ आये उन्होंने कहा है कि वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की जो पत्थर की चट्टानें हैं, उनकी कमजोरी से वहां के आस-पास के क्षेत्र में गड़बड़ी हो रही है जिससे भूचाल आने का खतरा है जूलोजिकल कंडीशन ऐसी है कि किसी भी समय भूचाल आ सकता है किसी भी समय बांध टूट सकता है । मान्यवर, उस महाविनाश की कल्पना करेंगे कि अगर टिहरी का वह बंधा कहीं टूट गया तो आज हम जहां बैठे हुये हैं, सम्भवतः वह स्थान भी सुरक्षित नहीं बचेगा । ऐसी आपने प्रलयंकारी योजना बिना किसी विशेषज्ञ की राय के आपने प्रारम्भ कर दिया और उसमें अरबों-खरबों रुपया खाया गया । जो विशेषज्ञ

आये थे उन्होंने यह भी बताया कि उसकी तलहटी में जितना मजबूत कंकरीट बिछाना चाहिये था उसको जितना विस्तृत होना चाहिये था, वह भी नहीं बनाया गया तो इतनी विस्तृत योजना माननीय मंत्री जी ने तैयार किया, मेरा विचार है कि इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के नाम पर एक षड़यंत्र चलाया जा रहा है. और किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का अधिकाधिक पैसा बड़े-बड़े अधिकारी और उनसे मिले हुये शासन सत्ता में बैठे हुये ये लोग हजम कर जायं इसीलिये बड़ी-बड़ी योजनायें बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के प्रारम्भ कर दी जाती हैं ।

मान्यवर, एक ओर आपने जिक्र किया है लखवाड़ परियोजना का मान्यवर, इसमें भी आपने 500 करो. की परियोजना रखी, इस माननीय सदन में स्वीकार किया ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं लेकिन एक वर्ष में 500 करोड़ रुपये की योजना बढ़कर 807 करोड़ रुपये की हो गयी और अगले 3–4 वर्षों में यह योजना कई करोड़ की हो जायेगी आखिर कितना पैसा लेंगे कहां से पैसा आये इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के नाम पर जहां आप उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई यहां पर अनुदान के माध्यम से लेकर फिजूलखर्ची में फूंक देते हैं वहीं दूसरी तरफ आप को भीख का कटोरा लेकर विश्व बैंक के पास और दूसरे देशों के पास जाना पड़ता है जिससे देश और प्रदेश का सम्मान गिरता है । यह ठीक है कि कभी-कभी हम योजनाओं के लिये हमें बाहर से ऋण लेना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इन अधिकारियों को जो इसमें जिम्मेदार हैं, हमारी योजनायें समय से पूरी नहीं होती, उसके कारण हमारे ऊपर वित्तीय भार बढ़ा उनकी वजह से तो क्या कोई कार्यवाही विभाग द्वारा उनके ऊपर की गयी या कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ? मान्यवर, 147 करोड़ की जो योजना थी वह बढ़कर 1375 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुका है और उसमें 34 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है इसके लिये क्या विपक्ष जिम्मेदार है, सत्ता में आप बैठे हुये हैं इसके लिये कौन जिम्मेदार है इसके लिये आपका उत्तरदायित्व है आपके अधिकारियों का उत्तरदायित्व है । क्या कोई सदन को आश्वासन देंगे कि यह विशालतर योजनायें नहीं पूरी हो पाती इनकी लापरवाही के कारण उनका जो खर्च जड़ता है, जो हमारे ऊपर वित्तीय भार बढ़ता है, उसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, यह आश्वासन देंगे ? मान्यवर, नहरों की बड़ी चर्चा की गयी । मैं जहां तक समझता हूं उन्नीसवीं शताब्दी में कुछ नहरें बनाई गयीं और इधर कुछ नहरें बनना आरम्भ हुई । लेकिन नहरों से जहां आप सिंचाई करा रहे हैं, वहीं दूसरी बातें आपने कभी सोची । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 203 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है । यह भी सभी जानते हैं कि उसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ नहीं सकती । अभी तक 50 प्रतिशत भूमि की सिंचन क्षमता बढ़ा पाये हैं, लेकिन इस 203 लाख हेक्टेयर भूमि में से कृषि योग्य भूमि इस प्रकार ली जाती रही तो आप सिंचन क्षमता बढ़ाते जायेंगे और भूमि बेकार होती जायगी । मान्यवर, नहरों से सीपेज की समस्या बढ़ती जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय द्विवेदी जी, 20 मिनट हो गये, कितना समय और लेंगे, बता दें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, शोर बहुत है, कि बारात बहुत छोटी है,
भाग बहुत है, बरसात बहुत छोटी है,
जी चाहता है कि बात बहुत करूं,
क्या करूं कि यह मुलाकात बहुत छोटी है ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो आपको बाद में भी समय मिलेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं नहीं समझता था कि आप इसलिये बैठे हैं कि समय की पाबन्दी लगायेंगे मान्यवर, सिंचाई का बजट है।

श्री अधिष्ठाता--

दस मिनट में समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, हमारी जो नहरें हैं, उसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40 लाख हैक्टेयर भूमि सीपेज से ग्रस्त हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री से कि आखिर सीपेज को रोकने के लिये कौन सी योजना चला रहे हैं। यह भी हो सकता है कि जहां नहरों का निर्माण करावें, उनको पक्की बनावें। कच्ची नहरों के मुकाबले, इस पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा। कच्ची नहरें ज्यादा चौड़ी होती हैं, उसके लिये भूमि अधिक ली जाती है। पक्की बनाने से भूमि बच सकती है। उसका जो मुआवजा देना पड़ता है, पक्की नहरों के लिये कम भूमि अधिग्रहीत होगी और कम मुआवजा देना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आप देखें कि वहां पर सीपेज की समस्या हुई और पानी ने दलदली भूमि कर दी। उसकी उर्वरकता समाप्त कर दी। तो वहां की सरकार ने ट्यूबवेल लगवाये। डीप बोरिंग वाले ट्यूबवेल लगवाये ताकि नहरों के सीपेज से, जल भराव से अगर भूमि खराब होती है तो डीप बोरिंग के जरिये से पानी निकलता रहे और सीपेज की समस्या समाप्त होती रहे। संभवतः पाकिस्तान का बजट उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के बजट के बराबर होगा। दूसरे देशों में भी ऐसा हो रहा है कि वहां पर नहरें बनाई जाती हैं तो ट्यूबवेल उसके समानान्तर लगवाये जाते हैं ताकि सीपेज की समस्या पर नियंत्रण किया जा सके।

आप उत्तर प्रदेश की नहरों को जल पहुंचाने की बात करते हैं, भूमि उपलब्ध है कृषि योग्य भूमि बेकार होती चली जा रही है। उसे बचाने के लिये कोई उपाय नहीं सोचा गया। भविष्य में नीति निर्धारित करेंगे कि या तो पानी का रिसाव रोकने के लिये इस प्रकार की जो नहरें बनायी जाती हैं, नहीं बनायी जायेंगी। डीप बोरिंग के ट्यूबवेल सीपेज की समस्या वाले इलाकों में आप लगाने की घोषणा करें। जब हमारे पास कृषि योग्य भूमि घट जायेगी आप सिंचन क्षमता बढ़ाते जायेंगे तो सोचेंगे किसे जिसे जो पहले से जल प्लावित है। इससे प्रदेश का उत्पादन निश्चित रूप से गिर जायेगा।

मान्यवर, मैं इनके आकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं, कम से कम मुझे सरकार के आंकड़ों पर यकीन नहीं आता है। नहर बना दी गयी कितने क्यूसेक पानी जाता है ? आपका पानी वहां आता है, नहरें सूखी रहती हैं। अपने रिकार्ड में दिखा दिया कि इतनी क्षमता की नहर बना दी, इतने लाख हेक्टेयर के लिये सिंचन क्षमता का सृजन हो गया। लेकिन वास्तविकता से बात परे होती है। कभी पानी जाता ही नहीं, नहरें सूखी पड़ी रहती हैं। इनका विभाग उत्तर प्रदेश के काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात का कार्य कर रहा है। ट्यूबवेल का कमांड एरिया बढ़ाया अपने रिकार्ड के हिसाब से 100 हेक्टेयर कर रखा है सिंचाई कर पाते हैं 20 हेक्टेयर उस कमांड एरिया से क्या प्रभाव हुआ है। सरकारी ट्यूबवेल से पानी नहीं मिलता है। अगर कोई अपना निजी ट्यूबवेल लगाना चाहता है। छोटा सा पाइप लगाना चाहता है, तो कमांड एरिया में यह नहीं लग सकता है। 100 हेक्टेयर आपने कर रखा है 80 हेक्टेयर असिंचित रह जाता है आप कागजों में भरे रहते हैं आपके ट्यूबवेल के आपरेटर जनता के साथ मनमानी करते हैं। उन्हें रिश्वत लेने का अवसर मिलता है। सिंचन क्षमता इस हिसाब से आपकी 20 हेक्टेयर है। बाकी 80 हेक्टेयर सूखा रहता है। एक ट्यूबवेल से आप 100 हेक्टेयर सींच नहीं सकते हैं। मगर आबपाशी भर दी जाती है, किसानों की आबपाशी रोज भरी जा रही है बूंदभर भी पानी

नहीं मिलता है उनकी आबपाशी मरी जा रही है। बाद में क्या होता है उनके घरों की कुर्की होती है। नीलामी होती है। गिरफ्तारी होती है। किसान रोता है। उसकी वेदना के साथ आवाज मिलाने के लिये जब यहां पर सदस्यों द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो शासन उसको दूसरी दृष्टि से देखता है। यह परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं। कभी आपने जांच करायी कि ट्यूबवेल की वास्तविक क्षमता क्या है, कितना पानी आता है? बिजली समय से जाती है? बिजली समय से दी नहीं जाती? अगर कोई किसान अपना निजी ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उसे कमांड एरिया में लगाने की अनुमति नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी स्थिति है उसे देखते हुए, यदि किसान अपना प्राइवेट ट्यूबवेल कमांड एरिया में लगाकर उपज बढ़ाना चाहता है, आपकी सिंचन क्षमता को बढ़ाना चाहता है, आपकी हरित क्रांति में सहयोग करना चाहता है तो आप उसे अनुमति दें। कमांड एरिया में जो प्रतिबन्ध लगा है, उसे समाप्त करने की व्यवस्था करें। मान्यवर, इन्हीं के आकड़ों के अनुसार सबसे मंहगी सिंचाई जो है वह उत्तर प्रदेश की है। सिंचाई की दरों को आप देख लें आस-पास के राज्यों की दरों से उत्तर प्रदेश की दरें कितनी ज्यादा है। पंजाब प्रति हेक्टेयर 27 रु0 50 पै0, हरियाणा 56 रु0 04 पै0, मध्य प्रदेश 49 रु0 13 पै0, बिहार 58 रु0। अभी माननीय मंत्री जी सिंचाई की उपलब्धियों पर जनता के लिये दिये जाने वाली सुविधाओं की घोषणा इस उत्तर प्रदेश के लिये कर रहे थे, उसी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की यह दर 67 रु0 9 पैसे है। सारे देश में सबसे मंहगी सिंचाई यहीं है और जब योजना मिलाने की बात आती है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। यह सिंचाई की दरें क्यों बढ़ी? इसलिये कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में सब से ज्यादा लूट मची हुई है, चरागाह बना रखा है, यहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के माध्यम से आपके बड़े-बड़े अधिकारी बड़ी-बड़ी कोठियां बनवाते चले जा रहे हैं और जब इनको और पैसे की जरूरत होती है तो जनता पर सिंचाई का दाम और बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह चुनावों में अरबों खरबों खर्च किया जाता है और उसे जनता से वसूल किया जाता है, सिंचाई की दरें बढ़ाकर अगर आप वाकई किसानों का हित करना चाहते हैं, तो दूसरे प्रदेशों की भांति यहां सिंचाई सस्ती कराइये, जिससे किसान एक पानी, दो पानी, चार पानी लगा सके। हम खेती के क्षेत्र को तो बढ़ा नहीं सकते लेकिन सघन कृषि तो कर ही सकते हैं। यह तभी होगा जब जो किसान एक पानी लगाता है, वह चार पानी लगा सके। एक तो वैसे ही यहां का किसान गरीब है और दूसरे उसकी सिंचाई के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, वह इस तरह 4 पानी लगाने की स्थिति में नहीं है। जब लागत मूल्य कम नहीं होगा, तब तक किसान बराबर मांग करता रहेगा कि गेहूं का दाम 250-300 रुपया करिये।

श्री अधिष्ठाता—

द्विवेदी जी, समाप्त करिये। बाकी लोगों को भी बोलना है।

(कई माननीय सदस्यों का एक साथ स्वर, हम लोग भी बोलेंगे)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय द्विवेदी जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं यहां पर प्रदेश की लाखों लाख जनता की बात कहने के लिये आया हूं आप ही बतायें कि कैसे दो मिनट में कह डालूं। ठीक है, फिर भी मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

मान्यवर, एक बात और माननीय मंत्री जी ने बाढ़ नियंत्रण के बारे में कही। आप अन्य प्रदेशों के आंकड़े देखें और यह देखें कि बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग

बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका बढ़ती ही चली जा रही है। एक तरफ सूखा पड़ता है और एक तरफ बाढ़ आती है। आप आंकड़ों को देखें कि हरियाणा में 68.8 प्रतिशत भाग पर, जहां बाढ़ आती थी, नियंत्रण पा लिया गया है, इसी तरह पंजाब में जहां बाढ़ आती थी, उसमें से 71 परसेन्ट क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, जिसे हर समय डूबा रहना चाहिये क्योंकि वहां तमाम नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन वहां भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 43.3 प्रतिशत क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कर दिया गया है।

इसी तरह बिहार में भी 46.4 प्रतिशत बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है, तमिलनाडु में 48 प्रतिशत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मुक्त कर लिया गया है। आज 40-42 साल आजादी के हुये और उत्तर प्रदेश में बाढ़ विभीषिका समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आज तक यह कांग्रेस शासन के लोग मात्र 18.12 प्रतिशत क्षेत्र ही बाढ़ से मुक्त कर पाये। अब मान्यवर, देखें कि जब 73, 74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, 40 लाख हेक्टेयर में सीपेज है और हम मात्र 18 प्रतिशत क्षेत्र को बाढ़ नियंत्रण कर पाये हैं, तो यह दशा क्यों है? यह इसलिये है कि इनका जो बाढ़ नियंत्रण डिपार्टमेंट है, उसकी कार्यशैली ही अलग है, जब आवश्यकता होती है, तब वह बाढ़ नियंत्रण नहीं करता। इस समय कहीं भी तटबंध बनाया जा सकता है, लेकिन यह बनायेंगे कब, जब बरसात हो रही होगी, नदियों में जल भारी होगा, सैलाब आया होगा और तब होता क्या है, यह एक ट्रक डम्पर डालते हैं और दिखा देंगे 50 ट्रक और लाखों-करोड़ों का बिल बन जायगा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बलीपट्टी का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां एक योजना चल रही है। जब मैं पहले 77-78 में विधायक चुनकर आया था। 1977-78 में प्रारम्भ हुआ। मैं स्वयं बराबर प्रयास करता आ रहा हूं। काम यह कब चालू करते हैं, जब अक्तूबर का महीना आता है। आगरा से 4-5 ट्रक आ जाते हैं और 500 ट्रक दिखा दिया जाता है कि इतना पत्थर गिरा। वह सब पानी में बह जाता है। कई लाख रुपये खर्च होने के बाद कोई ऐसा नामोनिशान नहीं मिलता कि बाढ़ नियंत्रण के नाम पर वहां कोई काम किया गया हो। टी0ए0सी0 कमेटी ने अपनी तकनीकी स्वीकृति भी दे दी है, किन्तु आज तक उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मैं स्वयं अधिकारियों से मिलता रहता हूं कि काम कब शुरू करोगे, किन्तु कोई सुनता नहीं। काम तब शुरू किया जाता है जब एक रुपये की जगह पर 10 हजार रुपये का बिल बना दिया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के नाम पर सरकार यह काम करती है। राहत के नाम पर तो रुपया बंटता है किन्तु बाढ़ नियंत्रण के नाम पर कम खर्च किया जाता है। जो खर्च किया जाता है, वह ऐसे समय पर किया जाता है जब जनता की गाढ़ी कमाई बाढ़ की लहरों के साथ बह जाती है ताकि उसका वैरिफिकेशन न हो सके। उसकी जांच न हो सके। इनके अधिकारियों की जेबें भर सकें और उनकी कोठियां बन सकें। उत्तर प्रदेश के लिये यह बड़े शर्म की बात है। यह उपलब्धता नहीं है, बल्कि यह सरकार के निकम्मेपन का द्योतक है जो 42 वर्षों के बाद भी केवल 18 परसेन्ट बाढ़ क्षेत्र को नियंत्रित कर पाई। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस जगह का मैंने उल्लेख किया है, वहां पर कार्य अविलम्ब शुरू कराने हेतु वह आदेश निर्गत कर दें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, वह है फ्री बोरिंग, फ्री बोरिंग के नाम पर लूट हो रही है, किसान को ठगा जा रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उधर से एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि फ्री-बोरिंग सिंचाई विभाग में नहीं आता है। खैर, मैं इसे इस समय छोड़ देता हूं। परन्तु यह सही है कि इसमें भी गड़बड़ी हो रही है।

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र फर्रुखाबाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक विकास खण्ड राजेपुरा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना चली गई, द्वितीय चली गई, तृतीय चली गई और चतुर्थ एवं पंचम पंच वर्षीय योजना चली गई, सिंचाई के नाम पर वहां कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई। उस क्षेत्र में नहरें हैं नहीं और नहरें बन नहीं सकतीं। स्टेट ट्यूबवेल लगने चाहिये थे, वह लगे नहीं। हां परीक्षण के तौर पर 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी, एक ट्यूबवेल लगा और वह सफल रहा। उसके बाद बार-बार मांग की जा रही है कि ट्यूबवेल लगाये जायें। अभी तक इस विकास खण्ड में मात्र 5 ट्यूबवेल लगे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विश्व बैंक की तरफ से जो क्लस्टर योजना है, ऐसे

क्षेत्र जो सिंचाई से बिल्कुल अछूते हैं, उनके लिये विशेष तौर से क्लस्टर योजना की स्वीकृति दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

मैंने जिस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बात कही, मैं एक-दो ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। बहराइच का एक उदाहरण है। बहराइच के माननीय सदस्य कई बार कह चुके हैं एक अवीक्षण अभियन्ता हैं माजिद अली सिद्दीकी। इस विधान सभा में कितनी ही बार नियम 301 का सूचना दी गयी है, एक-डेढ़ दर्जन उनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न हुये, करोड़ों रुपया उन्होंने खाया है। अभी तक उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग विधान सभा में चुनकर आते हैं तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचित, 301 के माध्यम से सूचना देते हैं। इतना ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सम्भवतः ऐसा होता होगा कि जो भी जांच करने जाता होगा, अपना शेयर लेकर चुप हो जाता होगा। इनका संरक्षण एक टी0ए0 खान है, उनको भी मिला हुआ है। बहराइच के विधायक ने शिकायत की, कांग्रेसी विधायक ने शिकायत की। ऐसा लगता है कि एक अभियन्ता विधायक से ज्यादा शक्तिशाली है। निचला राजघाट नहर ललितपुर, झांसी में बना है। वहां आपके विभागीय लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सुजान सिंह बुन्देला और उनके परिवार के सदस्यों ने बिना अनुमति के 40 लाख रुपये का काम जबर्दस्ती कराया दिखाया है। अब शासन पर दबाव डाल रहे हैं कि पिछली तिथि में स्वीकृति प्राप्त हो जाये और 40 लाख रुपये हड़प कर जायें। आप इसकी जांच कराकर कार्यवाही कराने की घोषणा करें। मैं पुनः इस बात पर जोर देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विभाग होते हुये भी यहां के अधिकारियों ने उसे भ्रष्टाचार की चरागाह बना रखा है। इसलिये एक पैसा भी अगर दिया गया तो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी, सिंचाई मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभारी हूं।

आज जो यहां माननीय मंत्री जी ने इतना महत्वपूर्ण बजट सिंचाई का रखा है, मैं समझता हूं कि यदि प्रदेश के सारे बजटों में आप देखें और उसमें से सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट को अगर मजर अन्दाज कर दें तो प्रदेश की सारी प्रगति शून्य हो जाती है और यहीं तक नहीं मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है ऐसा लगता है कि उनके शरीर में दिल तो है मगर धड़कन नहीं है क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं किया कि 1962, 65 और 67 में इस प्रदेश की क्या स्थिति थी ? पूरे प्रदेश में अकाल पड़ा था उस समय यह प्रदेश एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहा था और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश था, मुखमरी से मर रहा था, सीमेन्ट मिला हुआ अनाज लोग खाते थे, अनाज मिलता नहीं था। यह तो श्रद्धेया इन्दिरा गांधी जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय लोकपति त्रिपाठी तथा पंडित जी ने और प्रदेश सरकार ने इस अभूतपूर्व बजट के माध्यम से प्रदेश की प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक स्रोत से सिंचन क्षमता बढ़ाई, जिससे पूरे प्रदेश में हरित क्रांति पैदा हुई और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में आज 13 करोड़ लोगों के लिये भोजन मुहैय्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये प्रदेश के बाहर तथा देश के बाहर लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिये तत्पर है। मान्यवर, इतनी बड़ी उपलब्धता इतने कम समय में होना उत्तर प्रदेश तथा कांग्रेस नीति के लिये गौरव की बात है। मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश ऐसे विशाल राज्य की प्रगति सिंचाई विभाग की ही देन है जिसके तहत आज पूरा प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। ये नहीं महसूस करना चाहते हैं तो न करें लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री जी का एवं माननीय मुख्य मंत्री जी का और सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारियों का इसके प्रति हम सभी को आभार व्यक्त करना चाहिये।

मान्यवर, अब मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, सिराथू विधान सभा क्षेत्र जो कि जनपद इलाहाबाद में है, उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिराथू विधान सभा क्षेत्र गंगा और जमुना के बीच द्वाबा क्षेत्र पर बसा हुआ है जहां शत-प्रतिशत उपजाऊ भूमि है । जब हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी सिंचाई के माध्यम से पूरे प्रदेश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने सिराथू क्षेत्र की ओर भी ले जाना चाहूंगा जहां आज तक सिंचाई का कोई पर्याप्त साधन नहीं है । ऐसी स्थिति में जहां पर तीन नहरें हैं---अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल तथा राम गंगा कैनाल आयी है परन्तु इसमें आज तक पानी नहीं आया है, शत-प्रतिशत यह क्षेत्र कृषि सिंचाई के दृष्टिकोण से उपेक्षित पड़ा हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां माननीय मंत्री जी की कृपा से करीब 22 हजार हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के लिये जो खरीफ के लिये 360 क्यूसेक का कड़ा लिफ्ट कैनाल प्रस्तावित है उसे इसी बजट सत्र में उसे इसी बजट में लेकर बनवाना प्रारम्भ कर दें जिससे सिराथू क्षेत्र की सूखी कृषि उपजाऊ भूमि को पर्याप्त सिंचाई की सुविधा मिल सके ।

इसी तरह से लोअर गंगा कैनाल में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया । वहां किसानों से सिंचाई विभाग द्वारा जबरन नाली हेतु रुपया वसूल किया जा रहा है जब कि वहां पर आज तक किसी के खेत में पानी ही नहीं आया है तो अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जबरन वसूली क्यों की जा रही है ? जिससे तमाम किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, इसको माननीय मंत्री जी आप शीघ्र रुकवा दें और वहां सूखे हुये टेल की नहरों में ट्यूबवेलों का निर्माण करवा कर दुबारा उसमें पानी डलवायें जिससे किसानों को पानी मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री रिछपाल सिंह बन्सल---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर माननीय द्विवेदी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान, अपने क्षेत्र में यमुना नहर पूर्वी की तरफ ले जाना चाहता हूं । यह नहर मुगल काल में बनायी गयी थी और ब्रिटिश काल में इसकी मरम्मत की गयी । सन् 1977-78 में 7.38 करोड़ रु0 और 1988-89 में 50 लाख रुपये इसके आधुनिकीकरण में लगाया गया है । दिसम्बर, 1988 में सरौली राजबहा, फिरोजपुर राजबाहा, अहेड़ा माइनर, गारीपुर राजबाहा, सेकड़ा राजबाहा, कोल बालपुर राजबाहा, डोल राजबाहा तथा पसौड़ा व अन्य राजबाहों में और इनकी टेल तथा हेड तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है, यह दिसम्बर, 1988 तक की पोजीशन है राजबाहों की । मान्यवर, इसी को कहते हैं आधुनिकीकरण । दिसम्बर, 1988 तक उपरोक्त राजबाहों की सफाई भी नहीं की गई और इन्होंने कहा है कि हम इसी से दिल्ली प्रदेश के अन्दर भी सिंचाई करेंगे । शायद माननीय मंत्री जी को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि अब वहां पर इस नाम की कोई नहर ही नहीं है, इसके स्थान पर वहां अब नाले बना दिये गये हैं और दिल्ली प्रदेश में इस नहर द्वारा अब कोई सिंचाई नहीं की जा रही है । हां इतना जरूर है कि करीब 500 एकड़ भूमि जो सिंचाई विभाग की थी, उस पर अवश्य अनधिकृत रूप से जबर्दस्ती कब्जा करा दिया गया है । इसी प्रकार से सिकन्दापुर क्षेत्र के कई गांवों में लगभग 30 एकड़ भूमि को भी अनधिकृत रूप से अर्थला में कब्जा कर लिया गया है । मोहन मीकिन, गाजियाबाद द्वारा ही हिन्डन नदी से पानी लिया जा रहा है, जिसके बदले में इस सरकार को कुछ भी नहीं मिलता है, यही है आपका मान्यवर, सिंचाई विभाग ।

मान्यवर, आपके माध्यम से ही माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां इतने रुपये खर्च किये जा रहे हैं, वहीं पर एक माइनर यदि रहौल गांव से भूपसनेही तक गांव में बना दी जाये, जिससे काफी गांवों की भूमि की सिंचाई हो सकेगी और इससे आस-पास के काफी गांव जैसे विमयपुर में गीट, फलेटा, धारीपुर, केडापुर आदि में हो जायेगी । इसकी टेल मान्यवर, हमारा निवेदन है कि हिन्डन नदी में चपसेरी पर हो ।

दूसरे मान्यवर, हमारे यहां गाजियाबाद के अन्तर्गत सरौली इन्सपेक्शन हाऊस की जो जमुना कैनाल पर है, उसकी हालत भी बहुत बुरी है और दूसरे मरम्मत करा दी जाय सिल्वपुर इन्सपेक्शन हाऊस पर अनधिकृत रूप से कब्जे हो रहे हैं, इन कब्जों को जो अनधिकृत रूप से हो रहे हैं, पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए और मरम्मत करा दी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं विरोध पक्ष की ओर से रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रदीप माथुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो आज सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई का बजट रखा है वह बहुत ही प्रगति की विचारधारा का है और हमें ऐसी आशा है कि इसके आधार पर आने वाले वर्षों में काफी बड़े क्षेत्र में बहुत अधिक सिंचाई व्यापक रूप में होगी । और जब कि इस वर्ष काफी वर्षा भी हुई है और हमारे पास पानी के काफी स्रोत हैं । दूसरे पश्चिमी क्षेत्र को इस वर्ष खासतौर से कम से कम इस ओर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी । साथ ही मान्यवर इस ओर मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि जिला मथुरा का भी इस ओर आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।.... (व्यवधान)

एक सदस्य—मान्यवर इनको जो समय दिया गया है, इन्हें कृषि से क्या मतलब है... (व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर—

मान्यवर इनकी आदतें खराब हो गयी हैं, यह किसी की बात को खामोशी से सुन नहीं सकते हैं ।

तो मैं मान्यवर, यह कहने जा रहा था कि इस वर्ष के लिये हमारी सरकार ने 77.47 करोड़ का परिव्यय वर्ष 1989–90 के लिये आधुनिकीकरण के लिये निर्धारित किया है, जिससे मान्यवर, स्पष्ट है कि सिंचन क्षमता पहले से और बढ़ जायेगी । साथ ही मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर कुछ कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने लगभग 30 करोड़ की योजना गोकुल बैराज की घोषणा ही नहीं की अपितु उसका शिलान्यास भी इन्हीं के द्वारा किया जा चुका है, जिसका काम भी जनहित में शीघ्र ही शुरू करवा दिया जाए, ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो सके तथा वृन्दावन के व उस क्षेत्र के तमाम निवासियों को पीने का पानी मिल सके ।..... (शोर)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे नौजवान साथी बोल रहे हैं और सिंचाई मंत्री जी वाक आउट करके चले गये हैं । माननीया हितेश कुमारी जी और माननीय मुईद अहमद जी जो राज्य मंत्री हैं, वह भी नहीं हैं । तीनों के तीनों मंत्री गैर हाजिर हैं । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—

किसी न किसी मंत्री को रहना चाहिये । यह आवश्यक नहीं है कि वही मंत्री रहें ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

तीनों मंत्री उपस्थित नहीं हैं, तो किसी न किसी मंत्री को तो रहना ही चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सिंचाई मंत्री जी आ गये हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, प्रकृति की आवश्यकता के लिये मैं गया था । हुकुम सिंह जी बैठे हुये थे ।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर—

हमारे क्षेत्र में मीठा पानी उपलब्ध है, वहां पर नलकूप लगाने की आवश्यकता है, जिससे सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा सके । मथुरा में यमुना नदी पर जो घाट बने हैं, उनकी हालत बहुत ही खस्ता है और आये दिन दुर्घटना होती रहती है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के माध्यम से उन घाटों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिये । मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो ग्रामीण अंचल में टेल पर पड़ने वाले क्षेत्र हैं, वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर पानी पहुंचाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जायें, जिससे वहां के किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता—

अब अगर आप कुछ कहेंगे तो वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी जो उपमंत्री है, वह एक ही तनख्वाह में काम करती हैं, यह तिवारी जी की सूझ-बूझ की बात है, जो कि एक ही तनख्वाह में दो आदमी काम करते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो आंकड़ों को पढ़ दिया, उससे इधर के माननीय सदस्यों को और उधर के माननीय सदस्यों को शिकायत है। न तो नलकूप से और न नहरों से कहीं पर पानी नहीं मिल पा रहा है और वह कागज में घोषणा कर देते हैं। यह तो प्रदेश है, वह 13 करोड़ वाली आबादी का प्रदेश है और विस्तार में भी काफी बड़ा है, आप पंजाब को देख लें, हरियाणा को देख लें और वहां की आबादी को देख लें और उत्तर प्रदेश की आबादी को देख लें और फिर देखा जाये कि पैदावार में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है । जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिये हैं, उनमें कोई दम नहीं है।

मान्यवर, आपने बता दिया और जैसा कि माननीय द्विवेदी जी ने बताया कि बाढ़ को दूर करने के लिये आप तटबन्ध ऊंचा करेंगे लेकिन नदियों को गहरा नहीं करेंगे। आप चीन की मिसाल नहीं लेंगे । उन्होंने ह्वांगहो नदी को गहरा करके एक मिसाल कायम कर दी। जो नदी वहां पर लाखों करोड़ों लोगों के जनजीवन को तबाह करती थी, अब वहां पर इस तरह की तबाही नदी से नहीं है । आप तटबन्ध बनाकर उनको ऊंचाकर बाढ़ को नहीं रोक पायेंगे। आज नदियों में सिल्टिंग हो रही है, नदियां बालू और मिट्टी से भर रही हैं उसको निकालने के लिये आपके पास कोई योजना नहीं है । जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा आपने एक योजना बता दी कि 100 हैक्टेयर जमीन हम ट्यूबवेल से सिंचित करेंगे। माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि 100 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई ट्यूबवेल से नहीं होगी। आपने बता दिया कि इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में सिंचाई करनी होगी तो दूसरा ट्यूबवेल लगेगा। मान्यवर, आप इसकी विशेषज्ञों से जांच करा लें । 40 50 हैक्टेयर जमीन से ज्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से नहीं हो पाती। आपने कोई प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जो सरकारी नलकूप हैं, उनमें अधिकांश नालियां नहीं हैं और जहां हैं भी, वे टूटी हुई हैं और कुछ में निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। फिर सिंचन क्षमता कैसे बढ़ेगी ? इसको

बढ़ाने के लिये या नाली बनवाने के लिये आपके पास कोई योजना नहीं है । आपने भाषण में इसके बारे में कुछ नहीं बताया है । आप सिंचन क्षमता बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से आपको यह भी देखना है कि आपने जो ट्यूबवेल लगाये हैं वे कितने घंटे बिजली देते हैं। जो विश्व बैंक के नलकूप हैं उनको 20 से 24 घंटे तक बिजली मिलती है उनकी फीडर लाइन अलग है और जो सरकारी नलकूप आपके स्टेट के हैं उनको 8–10 घंटे ही बिजली मिलती है । उनकी फीडर लाइन अलग नहीं है । आपने यह नहीं बताया कि सरकारी नलकूपों को अलग फीडर लाइन से बिजली दी जायेगी जिससे वे 24 घंटे पानी दे सकें। इस बात का भाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिये जो नवम् वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है कि उसमें 125 करोड़ का घाटा है। इसका कारण यह है कि जो नलकूप पूरी क्षमता से पानी नहीं देते इसका कारण यह है कि उनको बिजली नहीं मिल पाती है और आप उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने बार–बार इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आपके अधिकांश नलकूप यानी 50 से 60 फीसदी खराब रहते हैं। इनके अफसर जो आंकड़े देते हैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मंत्री जी यहां पर घोषणा कर देते हैं। कोई नलकूप 4–6–10 दिन चलता है और फिर खराब हो जाता है। इसी निरन्तर गति से आपका कार्य होता रहता है । क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये तैयार होंगे कि सदन की एक कमेटी बना दें जिसमें सत्ता पक्ष के, विपक्ष के लोग हों और पूरे प्रदेश में 5 जिलों में आप सर्वेक्षण करा लें और उसकी रिपोर्ट मंगा लें। अगर आपके अधिकांश नलकूप खराब न मिलें जो कि पूरी क्षमता से पानी नहीं दे रहे हैं तब आप हमारी बात गलत समझें ।

श्री लोक पति त्रिपाठी––

श्रीमन्, माननीय रेवती रमण सिंह, नेता विरोधी दल तथा नेता अन्य दल, हमें जिले बता दें, हम कमेटी नियुक्त कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

आप अपनी बात कहें, रेवती रमण सिंह जी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह––

आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद इस सुझाव को मानने के लिये। श्रीमन्, बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां नलकूप नहीं लगा सकते हैं और जहां पर नहर भी नहीं है । आपकी सरकार ने आज तक इस बात पर विचार नहीं किया है कि इन क्षेत्रों की सिंचाई कैसे हो सकती है। आज 42 साल की आजादी के बाद भी सिंचाई नहीं हो पाती है जब कि आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई पहला और प्रमुख कार्यक्रम है। लेकिन उनके बारे में आपने कोई बात नहीं सोची ।

श्री लोक पति त्रिपाठी––

जितने ऐसे स्थान हैं जहां पर नलकूप नहीं लग सकते और नहरों की व्यवस्था नहीं हो सकती वहां पर छोटी–छोटी डाल नहर लगाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें (श्री काशी सिंह ऐरी के खड़े होने पर तथा कई अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आपकी भावनाओं का आदर करते हुये माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कह दिया है। (व्यवधान) माननीय रेवती रमण सिंह जी आप बोलें ।

श्री काशी सिंह ऐरी––

माननीय रेवती रमण सिंह तथा अन्य नेताओं से उन्होंने कहा कि अपने जिलों के नलकूपों के बारे में बता दें जांच करा लेंगे (व्यवधान)

श्री लोक पति त्रिपाठी--

समिति बनाने की बात कही थी और कहा था कि किन्हीं 5 जिलों की जांच करा लें कि क्या कारण है कि नलकूप सही रूप से नहीं चल रहे हैं यह मैंने मान लिया।

श्री काशी सिंह ऐरी--

जिन जिलों में नलकूप बिलकुल नहीं हैं उनके बारे में क्या राय है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी जब उत्तर भाषण देंगे उस समय समाधान कर दें।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिस तरह से कार्यवाही चल रही है और जिस तरह से बुलवा रहे हैं तो उससे मालूम नहीं होता है कि यह पंचायत चल रही है या विधान सभा की कार्यवाही चल रही है।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लिस्ट सुविधा के लिये होती है कोई बाध्य नहीं होता है सदन उसी से चलायें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय सदस्य बलिया मैनेजर सिंह जी ने जो सुझाव दिया माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि नलकूपों के लिये समिति बनी हुई है। मुझे जानकारी नहीं है कि वह समिति काम कर रही है, केवल कागज में काम हो रहा है। अगर उसे आप प्रभावी रूप से चलाना चाहते हैं तो एक सरकुलर भेज दीजिये कि उसमें विधायकों को भी संबद्ध कर दिया जाय, जिस क्षेत्र के विधायक हों उनको बुला कर समिति में विचार हो तभी प्रभावी ढंग से काम होगा अन्यथा नहीं और कुछ जिलों में आप भी जा और स्थानीय विधायकों को ले जायें और उस क्षेत्र के विधायकों से संबंध करें तो कुछ काम हो सकता है (लाल बत्ती होने पर) मैं एक मिनट में सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे क्षेत्र में सोलमई करछना में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। अभी अपने भाषण में आपने करछना और मेजा तहसील का जिक्र किया। दोनों जगहों में पानी नहीं मिल रहा है आपने कहा मेजा में बांध से पानी दिया जाता है लेकिन उसमें पानी नहीं है। इसी तरह टोंस से करछना को लिफ्ट करके पानी दिया जायेगा लेकिन उसमें भी पानी नहीं है। इन दोनों तहसीलों की फसल सूख रही है करछना के लिये आपने एक योजना बताई लेकिन मेजा के लिये कोई योजना नहीं है।

श्री लोक पति त्रिपाठी--

धरौधा बताया।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जो भी योजनायें हों वह केवल कागज में न रह जायं और यहां पर सुझाव सुनने के बाद वह खत्म न हो जायं इनको कार्यरूप देना भी जरूरी है। हमारे माननीय सदस्य पुरुषोत्तम लाल जी ने कहा कि इन योजनाओं के चलने पर खूब पानी मिलने लगेगा लकिन थोड़ी देर बाद ही वह कहने लगे कि हमारी नहरों में पानी नहीं है। इन शब्दों के साथ जो माननीय ब्रह्मदत्त जी ने सुझाव रखे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री महमूदुल हसन अंसारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे सिंचाई के अहम बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जिस हिसाब से बजट पेश किया है उसमें

नहरों का जिक्र है, नलकूपों का जिक्र है, बांधों का जिक्र है इसलिये उसमें कोई कमी नहीं रह जाती है और यह हमारे प्रदेश की तरक्की न कर पाये ऐसी कोई बात नहीं है।

सही ढंग से जो बजट आपने पेश किया है, उससे हमारी नहरों, नलकूपों और बांध के जरिये से हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल हो गया है, यह कहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ-साथ में अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मंत्री जी ने जो यह कहा कि अभी तक एक अविश्वासी अभियन्ता के पास 6 से 8 सौ नलकूप होते हैं, जिनका इंतजाम देखना उनके लिये कठिन होता है, इसलिये हमने इरादा किया है कि 400 नलकूप पर एक अविश्वासी अभियन्ता और चार सहायक अभियन्ता हों, तो यह आपका बहुत सही इरादा है। इसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा और काश्तकारों को सुविधा होगी।

अब मैं मंत्री जी को कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं, बिजनौर जिले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर चांदपुर, नजीबाबाद और अफजलगढ़ तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जो बहुत कमजोर और पिछड़े हुये हैं। हमारा क्षेत्र अफजलगढ़ है, जो बहुत पिछड़ा है, उसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर विश्व बैंक के दो क्लस्टर और 50 नलकूप आप दे दें, तो बड़ा अच्छा होगा और वह पिछड़ा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के साथ तरक्की कर सकेगा। वहां रामगंगा से जो पानी दिया जा रहा है, वह ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में दिया जाये। मंत्री जी हमारी इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुये इस पर ध्यान दें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर पूर्वी गंगा नहरों की जो खुदाई हो रही है, उसमें जिन किसानों की जमीन ली गयी है, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है, वह उन्हें शीघ्र दिलाया जाये। हमारे क्षेत्र में सालेपुर-कोटला-गांवड़ी और सयोबियर और बैरखा अहमगांव है, जहां पर खो नदी का पानी कटाव कर रहा है। उस कटाव को रोकने के लिये वहां पर ठोंकरें या बांध बनवाये जायें। मगोता, हरेवली बैराज से जो नहरें आती हैं उससे बड़ा सीपेज होता है और किसानों का बड़ा नुकसान होता है, इसलिये उस नहर को पुख्ता बनाया जाय या फिर कोई छोटी नहर बनवाई जाय। इसके साथ-साथ में आपके इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त बोलूंगा नहीं करूंगा.. (व्यवधान)... त्रिपाठी जी मुखातिब रहें तो अच्छा रहे। लेकिन आपकी नहरें अक्सर बन्द रहती हैं, पूरा पानी नहीं दे रही हैं। नलकूप आपके, जैसा कुंवर साहब ने कहा, 40 परसेंट तो बन्द रहते हैं। इसको आपके उपाध्याय जी ने भी हमारे यहां एक मीटिंग में स्वीकारते हुये कहा था। सीपेज में भी आप बर्बाद हो रहे हैं, और किसान ही पहले नहर की कटिंग करता था, लेकिन अब आपके विभाग के कर्मचारी मिलकर छोटे रजबहों की कटिंग करते हैं। इसलिये टेल के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। रोजाना आपके पानी की बहुत चोरी हो रही है। बाढ़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाढ़ न आये, बाढ़ न आने पाये, लेकिन आपके अधिकारी लोग अवश्य प्रार्थना करते हैं कि बाढ़ आ जाये, हर साल बाढ़ आती रहे और हर साल सूखा पड़ता रहे। यह तो मनोवृत्ति आपके अधिकारियों की आज हो गई है। आप बाढ़ के नाम पर अनाप-शनाप रुपया देते हैं, उसको वह खाते हैं, मानो जेबें भर कर दुहरा गोल करते हैं। इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका वह कोई ठीक-ठाक हिसाब नहीं देते होंगे।

अभी हमारे कुंवर साहब कह रहे थे कि दुनियां में बाढ़ सबसे ज्यादा चायना में आया करती थी और उन्होंने उस पर कन्ट्रोल कर लिया और हम पिछले 40 साल से ज्यादा भयंकर बाढ़ में रहते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। इस साल जो बाढ़ आई थी, मेरी जनपद सहारनपुर में जमुना के किनारे कांस्टीटुयेंसी है। सहारनपुर का जो पश्चिमी साइड है वह जमुना के किनारे-किनारे का हमारा क्षेत्र है और उस साइड में हरियाणा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला जो है उधर हरियाणा है हरियाणा के पल्ले किनारे पर बन्धा बनाया गया है, जिससे जब बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा पानी प्रदेश की जमीन को खा जाया करता है और खाता ही नहीं है उससे गांव के गांव उजड़ जाते हैं। बुलन्दशहर से सहारनपुर तक का एरिया ऐसा है। सहारनपुर के बारे में कहना चाहता हूं इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने शाह साहब के हवाले की होगी अधिकारियों के पास चिट्ठी पहुंच गई होगी और वह कार्यवाही कर रहे हैं। उस चिट्ठी के आधार पर छोटे-छोटे दो प्रोजेक्ट भेजे गये हैं। बड़े प्रोजेक्ट को आपको मंजूर करने की क्षमता है या नहीं, लेकिन अगर दो छोटे प्रोजेक्ट आप स्वीकार कर देंगे तो उनसे काफी रोकथाम हो जायेगी, हमारे गांव बच जायेंगे। कोरसीबरथा बाढ़ प्रोजेक्ट यमुना नदी, जिसका 11.88 लाख का खर्चा है यह सढौली कदीम ब्लाक में पड़ती है।

दूसरी जो प्रोजेक्ट है यह हमीरपुर टापू बाढ़ प्रोजेक्ट यमुना नदी यह सरहदी ब्लाक, रंगो ब्लाक में पड़ती है इसका खर्चा 39.31 लाख के लगभग है। अगर आप इन योजनाओं को स्वीकृति दे देंगे तो उससे बरथा कोरसी से लेकर कुंडा बला तक जमुना के किनारे के दस गांव जो खतरे में हैं, वह बच जायेंगे। मैं जाने वाला था लेकिन मैं इसलिये रुका था कि आपसे निवेदन कर दूं कि वहां की जो यह दो प्रोजेक्ट हैं इनको आप स्वीकार कर लें। इससे हमारे किसानों का, हमारे गरीबों का भला हो जायगा और जो जमीन बाढ़ में डूब जाती है वह डूबने से बच जायगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी किनारा हमारा वाला है वह बच जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और जो माननीय मंत्री देवी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जनपद देवरिया में घाघरा नदी दाहिनी तरफ बहती है आपका बाढ़ खण्ड उसके कार्य को देखता है। लेकिन दुर्भाग्य से बाढ़ खण्ड के जिसमें घाघरा नदी का केवल उत्तरी किनारा रखा गया है और दाहिना किनारा आजमगढ़ में है। इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे यहां के दो गांव जिनकी आबादी करीब 12 हजार है वह हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बिसुनपुर देवार और परसिया देवार यह दो गांव हैं जो प्रभावित होते हैं। वहां पर आजमगढ़ जनपद इसलिये काम नहीं करता है कि यह देवरिया जनपद के गांव हैं और देवरिया जनपद का बाढ़ खण्ड इसलिये काम नहीं करता है कि हमको उत्तरी छोर देखने का काम है। बाढ़ से करीब 5 हजार एकड़ जमीन कट गयी है और घाघरा में विलीन हो गयी है। बिसुनपुर देवार गांव के लोग दूसरी साइड पर जाकर बस गये हैं। उनके गांव को पाटने का काम नहीं किया जा रहा है। बाढ़ के समय माननीय मंत्री जी और इनके विभाग के अधिकारी वहां गये थे। उन्होंने कहा कि गांव की पटाई हो रही है लेकिन आज तक पाटने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन गांवों के लिये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को ही कार्य करना है। इन कार्यों को आप बाढ़ आने के पहले करवा दें क्योंकि यह 12 हजार लोगों के जीवन से सम्बन्धित सवाल है। हमारे यहां गंडक नदी से जनपद के उत्तरांचल के लोग उसके पानी से फायदा नहीं उठा पाते हैं। तहसील सलेमपुर, तथा रुद्रपुर, में गंडक नदी नहीं है। वहां नलकूप के अलावा सिंचाई का और साधन नहीं है। मंत्री जी ने वहां ट्यूबवेलों के बारे में 4-5 माह पहले घोषणा की थी अधिकारियों के सामने लेकिन मेरठपुर, ब्लाक, लालगंज ब्लाक तथा बरहज ब्लाक जहां पर एक एक क्लस्टर देने की बात थी वहां पर क्लस्टर न देकर जहां पहले से विश्व बैंक का क्लस्टर था वहां पुनः ट्यूबवेल दे दिये गये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये ध्यान दें और नलकूपों की व्यवस्था करायें क्योंकि वहां छोटे-छोटे किसान हैं और उनके पास अपने सिंचाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

के साधन नहीं हैं । शिकायत के तौर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं । रुद्रपुर क्षेत्र में एक बांध पिछड़ाकर टूट गया । उसकी जांच हुयी । उस बांध के बनाने के लिये यह स्कीम बनायी गयी थी कि उसका नीचे का भाग 21 मीटर होगा, ऊंचाई 5 मीटर होगी तथा टाप 4 मीटर चौड़ा होगा लेकिन उस बांध को नीचे की ओर केवल 14 मीटर बनाया गया और ऊंचाई 3 मीटर रखी गयी। पानी बांध के ऊपर बहा जिसका नतीजा यह हुआ कि बांध टूट गया । एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर फिरंती राम ने जिन्होंने इस बंध को बनवाया था, जो यहां से स्थानान्तरित होकर दूसरी जगह चले गये थे उन्हीं से इस बांध को टूटने के बारे में जांच करायी गयी । यह बांध टेंडर के हिसाब से नहीं बनवाया गया और इसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैंने सिंचाई विभाग के इस बजट को देखा और पढ़ा है । माननीय मंत्री जी बहुत ही सुलझे हुये मंत्री हैं । मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं । बाढ़ से बचाव की योजनायें बहुत सी दी गयी हैं लेकिन बाढ़ नियंत्रण की कोई योजना नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि सरयू, घाघरा और राप्ती नदियों से पूर्वांचल के 8 जिले तबाह होते आ रहे हैं । इस प्रदेश की 12 करोड़ आबादी में से 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन 8 जिलों में बहराइच से लेकर बलिया तक रहते हैं । लेकिन यहां पर बाढ़ नियंत्रण की कोई योजना नहीं है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण योजना बनायें ताकि बाढ़ की तबाही से जनता की मदद हो सके । जनता शासन काल के दौरान मैंने स्वयं बहराइच से बलिया तक का दौरा करके एक योजना तैयार की थी। उस समय श्री शेर सिंह अभियन्ता थे। वह फाइल गोरखपुर या आपके सचिवालय में पड़ी होगी। उसको निकलवाकर बाढ़ नियंत्रण की योजना को लागू करें। अगर बाढ़ बचाव के बजाय बाढ़ नियंत्रण का कार्य किया गया होता तो अरबों रुपया शासन का बेकार वर्षों से खर्च न हुआ होता। मान्यवर, बाढ़ बचाव योजनाओं की बजट में बड़ी चर्चा की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसी में 4 बांध ऐसे हैं जिनकी मरम्मत नहीं हुयी है। बांसी-पनघटिया, असोगवा-नगवा, सोनवर, हियात नगर, कैथोलिया- रिटायर, सूपाराजा-मुडिलाराजा यह बांध टूटने वाले हैं । इनके टूटने से सैकड़ों गांव तबाह होंगे। इसी तरह से 4 बांध अधूरे पड़े हैं । आजमगढ़-हाटा, नरकटहा-रमटिकरा, बांसी-डुमरियगंज, नरकटहा-बेलनहा यह बांध अधूरे पड़े हैं ।

मान्यवर, ये चार बांध ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं, पानी बहता है, बाढ़ पूर्ववत् है, जो कुछ बना है, वह भी टूटता चला जा रहा है। मान्यवर, एक गांव है मियां जोत , इसमें 35 घर ब्राह्मण रहते हैं । इन 35 घरों में से एक-एक आदमी सेना में हैं । ये 35 घरों के लोग सीमा पर लड़ रहे हैं, लेकिन वर्षा के दिनों में उनको रात भर यह चिन्ता बनी रहती है कि यह बांध कब और किस समय टूट जायं और उनके घर बह जायं। मान्यवर, बाढ़ से बचाव के लिए, हमारे बस्ती निर्वाचन क्षेत्र के 4 बांध मरम्मत के लिये जो अधूरे पड़े हैं ? निर्माणाधीन बांध हैं। मान्यवर, एक ही क्षेत्र में अगर 8 बांध ऐसे हैं, तो बाढ़ बचाव का कौन सा काम हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जल निकासी के लिये बजट में बहुत सा रुपया दिया गया है। मान्यवर, हमारा बांसी निर्वाचन क्षेत्र है। वहां पर कोवा, पथरा, रैना, छतवा, भगनहिया, चंवर, मेचुका ये 7 बड़े-बड़े ताल हैं, इन तालों से जो जल जमाव होता है, इससे खरीफ की फसल चली जाती है और रबी की बुआई तक उस पर जल का जमाव रहता है। वहां पर 521 गांवों में से 300 गांव की यह तबाही है, तो जल निकासी कहां हो रही है ?

मान्यवर, बस्ती जिले में जो नलकूप लगे हुए हैं, उनमें से 113 नलकूप खराब पड़े हुए हैं और 20 ट्रांसफारमर खराब पड़े हैं वे काम नहीं कर रहे हैं। जो आपने दिया है कि इतने किलोमीटर नालियां बनाई गयीं, वह गूल और नालियां सब कागज पर हैं

[श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—]

हैं, सब गलत हैं। राप्ती नदी के दायें तट पर बघनी घाट पर और बायें तट पर मेचुका पर ठोकर लगना अति आवश्यक है। इसी बूढ़ी राप्ती नदी के दाएं तट पर मरजहां तथा भगौतापुर में ठोकर लगना चाहिये। मेरा सुझाव है कि सींच बही किसानों को आप दिलवा दीजिये, किसानों को जिससे तबाही से बचाया जा सके। अगर आप किसानों को सींच बही दे देंगे, तो जितना वे सींचगे, उतना ही दाम उनकी सींच बही पर चढ़ेगा। विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारी मान्यवर, जिस क्षेत्र मे काम कर रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र में रहने के लिये बाध्य करें। इन शब्दों के साथ माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह मेरे इन सुझावों पर गौर करें और इन्हें निश्चित रूप से लागू करने की कृपा करें।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिये मौका दिया। उत्तर प्रदेश बेसिकली खेतिहर प्रदेश है और यहां पर जिस प्रकार से किसानों ने सरकार की मदद से, जिसमें कि सिंचाई और बीज आदि शामिल हैं, जिस प्रकार से अनाज उत्पन्न करने में एक रिकार्ड स्थापित किया है, वह सबको विदित है, इसके लिये माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, जिस तरह से आजादी के बाद 27 हजार नलकूपों का निर्माण किया गया, उससे 63।। हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 217 पम्प नहरों को अभी कुछ दिनों में बना कर सिंचाई क्षमता को है, उसकी वृद्धि की गयी है गत वर्ष में ही 260 हेक्टेयर पर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, कुछ छोटी-छोटी बातें हमारे क्षेत्र की हैं, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, 731 हजार हेक्टेयर भूमि बस्ती जिले में खेती के काबिल है, जिसमें से 74.60 हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही है, इसलिये लगता है कि अभी हमें सिंचाई के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, बस्ती में लगभग एक हजार नलकूप हैं जिसमें से 198 नलकूपों पर कोई भी नलकूप आपरेटर नहीं है और किसी-किसी नलकूप आपरेटर के पास तो 5-5 नलकूप हैं इसलिये वह पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, बहुत सारी नालियां और गूले टूट गये हैं। जिससे सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे विभाग को नालियां और गूले बनाने के लिए पूरा धन नहीं मिल पाता है। जब हम लोग इंजीनियर से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमें पर्याप्त धन नहीं मिलता है। जिसके कारण यह नहीं बन पा रही है, अतः इसके लिए पर्याप्त धन दिया जाय। मान्यवर, हमारे जिले में नलकूप विभाग में 4 असिस्टेन्ट इंजीनियर होने चाहिये लेकिन एक ही असिस्टेन्ट इंजीनियर है, इसलिये सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरा अपना क्षेत्र जल भराव का क्षेत्र है और वहां जल भराव से हजारों एकड़ भूमि प्रभावित है। हमारे क्षेत्र में बन्धा बनाकर कुवानों नदी पर राम लक्ष्मण पेड़ से नगैचा तक साढ़े 8 कि0मी0 का बांध बना दिया जाय जिससे हजारों एकड़ भूमि की बचत हो सके। मान्यवर, शिवाजी घाट का बंधा लगभग 5 वर्ष पूर्व बनाया जा रहा था और उस पर कई लाख रुपया व्यय हो चुका है, उसे पूरा किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, जिला सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से की जाय और उसमें जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाय। उसके साथ ही मैं माननीय सिंचाई मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। मैंने काजी साहब को बुला लिया है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कलीमुर्रहमान जी कांग्रेस में आ गये हैं। इनकी नेता कल्याणी जी पहले से कांग्रेस में चली गयी हैं ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई आदेश नहीं है। यहां सुविधा के लिये पर्चियां दी जाती हैं। अधिष्ठाता की कोई पीठ नहीं बनी है कि आपके निर्देश पर चले। सभी को मौका मिल रहा है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं जनपद आजमगढ़ की कुछ समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ये सत्ता पक्ष में हैं, कहां से बोल रहे हैं।

श्री शारदा प्रताप —

मान्यवर, मंत्रीजी ने भी यही कहा कि यह कहां से बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को पीठ से अनुमति मिल गयी है और वह बोल रहे हैं।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मान्यवर, महुला गढ़वल बांध का खड़न्जा खराब हो गया है जो 45 कि0 मी0 है इस बांध पर सचिव सिंचाई और मुख्य अभियन्ता गये थे और उन्होंने, संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया था कि यह ठीक कर दी जाय परन्तु इन अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा मान्यवर, बीनापारा तिपिया मेडिकल कालेज, आजमगढ़ माननीय लोकपति जी गये हैं मान्यवर, वह पूरा मेडिकल कालेज डूब जाता है। मैं चाहूंगा कि वहां बांध का निर्माण किया जाय। इसके अतिरिक्त कीलमपुर मीतमपुरा से लेकर त्रिमुहानी तक एक बंधे का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, छोटी सरयू पर शारदा नहर में पानी नहीं है यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिये। आप चाहते हैं कि सिंचाई की सुविधा मिले लेकिन वह मंशा पूरी नहीं होती। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बांध नलकूपों की अधिक से अधिक व्यवस्था हो, नहरों में पानी रहे। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा लें।

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा काफी समय शुक्ला जी ने ले लिया, आप मुझे दो मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट बचा है।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि बाढ़ से पहले ही जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें कार्यवाही होनी चाहिये । इसके अलावा कुला मढ़वाल बांध में सैकड़ों मजदूर काम में लगे हैं । इनसे 4 महीने काम लिया जाता है और 8 महीने खाली रखा जाता है । उनकी सेवायें नियमित की जायें । इसके अलावा छोटी सरजू का बांध कुराल घाट पर शारदा नहरों पर और शारदा विभाग द्वारा पुलों का निर्माण कराया जाना चाहिये । और इसके साथ ही मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

(सायं 4 बजकर 20 मिनट)

श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिये विभिन्न योजनायें, परियोजनायें, पम्प कैनाल चलाकर प्रशंसनीय कार्य किया है । उसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी, आपकी कृपा से हमारे आजमगढ़, फैजाबाद और मऊ में शारदा सहायक नहर परियोजना दी गयी है । उसमें 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । आपने कहा था कि इसके लिये अनुपूरक बजट में व्यवस्था करेंगे । कृपया 5 करोड़ रुपया देकर शारदा सहायक नहर परियोजना, जो 1975 से अब तक तैयार नहीं हुई है, उसको देख लें और तत्काल धन की व्यवस्था करा दें । इसी प्रकार हमारे यहां पीपरी बांध स्वीकृत है, रसड़ा में टोन का प्रभाव रोकने के लिये, इसके लिये 6 लाख की आवश्यकता है । इसके लिये धन का आवंटन करके शिलान्यास करके काम शुरू कराने की कृपा करें । मान्यवर, आपकी कृपा से बलिया जनपद में डच योजना, जो सूखा क्षेत्र के लिये. . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य लिखित भाषण न पढ़ें ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, रसड़ा के रतनपुरा और रसड़ा नगरा क्षेत्र में डच योजना से ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अब समाप्त करें, आपका लिखा हुआ पढ़ा हुआ मान लिया जायगा ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं लिख कर नहीं पढ़ रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि राजकीय नलकूप, बलिया में 23 हैं, वहां 25 की आवश्यकता है । उनको लगवाने की कृपा करें । मान्यवर, वहां पर क्लस्टर बनाने के लिये जो समयबद्ध योजना बनायी गयी है, उसके पैसे का समय से उपयोग हो ताकि काम हो सके । पानी निकासी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि रसड़ा तहसील का गढ़ा तालाब, अत्रा तालाब, लहड़ा, बसनही, मवानीथाना, मरहुआ तालाब, इन तालाबों से पानी निकासी के लिये सामूहिक योजना बना कर, सर्वे कराकर कार्य आरम्भ करावें ।

श्री अधिष्ठाता--

इसके बाद कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री हरदेव--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरदेव—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरदेव—

[×××]

श्री अधिष्ठाता—

जब आप स्थान ग्रहण करें, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहें कि इन्हें समझायें (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी आप बैठें, कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरदेव—

[×××]

*श्री कौशिक रमाशंकर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी मध्य गंगा के पहले नम्बर का फेज तैयार हो चुका है, सम्पूर्ण हो चुका है, सेकेंड फेज जो है उसपर अभी काम शुरू नहीं हुआ है । जो सेकेंड फेज बनाना प्रस्तावित है मध्य गंगा का वह मुरादाबाद जनपद की हसनपुर तहसील और बदायूं जिले से होते हुये गुजरेगा यह वह इलाका है जहां का वाटर लेबिल नीचे चला गया है । मध्य गंगा का जो सेकेंड फेज है उसके काम को आप तुरन्त शुरू करा दें ताकि इन इलाकों और हसनपुर तहसील और बदायूं का वह इलाका जहां का वाटर लेबिल नीचे चला गया है, उद्धार हो सके । इसके अतिरिक्त यह जो इलाका है जिसमें मध्य गंगा का सेकेंड फेज जायेगा वह बाढ़ का भी इलाका है इसके बन जाने से यह बहुत बड़ा क्षेत्र जो बाढ़ पीड़ित रहता है उससे भी उसका फायदा होगा क्योंकि बरसात के दिनों में पानी उस चैनल से निकल जायेगा । हसनपुर ब्लाक, धनौरा ब्लाक, मुंगेश्वरी ब्लाक-यहां सिंचाई साधन नहीं है सिवाय नलकूप के । मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने नलकूप विभाग को ठीक कर लिया तो काफी हद तक समस्या हल हो जायेगी ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपके 50 फीसदी ट्यूबवेल खराब पड़े रहते हैं । एक कारण यह भी रहता है कि बिजली नहीं मिलती है, कई ट्रान्सफारमर्स फूंके हुये हैं । कईकई ट्यूबवेल ऐसे हैं जो ठीक हैं लेकिन बिजली विभाग 6 महीने से ट्रान्सफारमर नहीं लगा पाया है । इसमें मेरा सुझाव है कि आप अपनी फीडर लाइन को बिल्कुल अलग कीजिये इससे निश्चित रूप से लाभ

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा । एक ट्यूबवेल पर आपका आवर्ती खर्चा 18 हजार रु0 साल का है । बिजली का खर्चा एवं सिर्फ कूप चालक की तनख्वाह, जे0ई0 का हिसाब मत लगाइये ए0ई0 एग्जेक्यूटिव इंजीनियर को इसमें मत लगाइये, एक ट्यूबवेल पर 18-20 हजार रु0 प्रति वर्ष खर्च आता है । और आपको मिलता है सिर्फ 4-5 हजार रु0 । आपके ट्यूबवेल 4-5 घंटे से अधिक चल ही नहीं पाते हैं । जो कूप विभाग है उसको देखने की जरूरत है, जो कूप चालक हैं वह अपनी ड्यूटी ड्यूटी नहीं करते हैं उन पर नियंत्रण कर लें तो सिंचाई विभाग में बहुत बड़ा काम हो जायेगा । जिन इलाकों में वाटर लेबिल हमारे यहां नीचे चला गया है, वहां हजारों निजी ट्यूबवेलों ने पानी देना बन्द कर दिया है, फसल सूख रही है, काश्तकार परेशान रहता है । मेरा कहना है कि चालू घनौरा ब्लाक, मगेशवर ब्लाक, हरदुआगंज ब्लाक-यहां जो सिंचित क्षेत्र घोषित स्कीम है उसको कीजिये । सेकेंड फेज जो मध्य गंगा का है उसपर काम तुरन्त शुरू करा दीजिये । इससे एक बहुत बड़े इलाके का भला हो जायेगा ।

श्री एहतिशाम बली खां—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । प्रदेश में जो सीमित संसाधन हैं, उनको देखते हुये इस बजट में जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये हैं, वह वास्तव में अधिक से अधिक किसानों को देने का प्रयास किया गया है । इससे निश्चित रूप से गांवों के गरीब किसानों को लाभ होगा । इसी के साथ-साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद बहराइच की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, वहां सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत जो भी धन आवंटित किया गया है, उसमें नहरों को इस तरह खोद दिया गया है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि नहरों को एक तरफ से खोदा जाय, जिससे किसानों को उसका लाभ पहुंच सके और जो धन आवंटित किया जाता है, उसका सदुपयोग हो सके । नहरों को एक तरफ से खोद कर उसका कुछ हिस्सा पूरा कराया जाना चाहिये, जिससे आवागमन अवरुद्ध न हो ।

मान्यवर, हमारे यहां इसाफगंज बांध में सिंचाई के कोई भी साधन नहीं हैं, वहां काम शुरू करने का आदेश दिया गया था । मैं चाहता हूं कि वहां पर काम चालू करने के मंत्री जी द्वारा आदेश दिये जायें । मेरे विधान सभा क्षेत्र के सदरगंज में, जरवल और नानपारा में प्रति वर्ष बाढ़ के आने से अपार जन और धन की हानि होती है । वहां आदमपुर रेवड़ी बांध 90 से 95 किलोमीटर तक है, जिसपर 4 स्पर स्वीकृत किये गये थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से दो स्पर को निरस्त कर दिया गया था, जिससे 45 गांव बाढ़ से डूब गये । मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से मांग करूंगा कि आदमपुर रेवड़ी बांध का तत्काल चालू करवाने के आदेश दिये जायें । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विषय की ओर से जो कटौती की मांग रखी गयी है, उसका विरोध करता हूं, धन्यवाद ।

(श्री पारस नाथ यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशी राम ऐरी—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यहां पर गंगा, यमुना की चर्चा हो रही है, लेकिन जहां से यह नदियां निकलती हैं, वहां भी तमाम समस्यायें हो सकती हैं, जिनकी चर्चा यहां नहीं हो पायी है । क्या आप वहां की समस्याओं को भी सुनने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिले, इसके लिये कोशिश की जायगी ।

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पारस नाथ यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 80 प्रतिशत आबादी खेती पर अपना जीवन-यापन करती है । खेती में हमारी उपज तभी अधिक होगी, जब हम उचित मात्रा में पानी देंगे, खाद देंगे । आज नई-नई वैरायटी से फसल उत्पन्न की जा रही है, उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है । आज हमारी सिंचन क्षमता बहुत कम है । किसान जब अपनी मेहनत करके, उसमें खाद डालकर फसल की तैयारी करता है, तो उस समय पानी का अभाव हो जाता है । जैसे इस समय फसल तैयार है, बालियां निकल रही हैं, दुध आ रहा है, लेकिन पानी की कमी के कारण फसल सूख रही है । सिंचाई के दो साधन होते हैं, एक तो राजकीय ट्यूबवेल या नहरों से पानी पहुंचाया जाता है । हमारे क्षेत्र में 10 से लेकर 60 प्रतिशत तक ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । कई बार 20 सूत्री की बैठकों में इस बात की सूचना दी गयी, लेकिन हर बार फर्जी आंकड़े दिखा दिये जाते हैं कि सभी चालू हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जनपद जौनपुर के ट्यूबवेलों का सर्वेक्षण कराकर देख लें, वहां 50 से 60 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं । अधिकतर अधिकतम ट्यूबवेल जो हैं, वह प्रथम पंच वर्षीय योजना के समय के लगे हुये हैं, जिनको लगे 30–35 वर्ष बीत चुके हैं ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों का मत है कि ऐसे ट्यूबवेलों की कार्य क्षमता केवल 25–30 वर्ष होती है । ऐसे ट्यूबवेल जो हैं या तो वह खराब पड़े हुये हैं या फिर उनमें पूरी क्षमता नहीं है, इसलिये आप वहां पर ऐसी व्यवस्था करें जिससे दूसरे ट्यूबवेल लग सकें । मैं मानता हूं कि रि-बोरिंग हो रही है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है । हमारे क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड–39 नरायनपुर रजबाहा है । यह 40 किलोमीटर का क्षेत्र है । यह नहर ग्राम गौरापुर में भदरांवा के पास नीचे बना दी गई है, जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है । अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया है, किन्तु इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया । आगे इसके पानी को वरुणा नदी में फाल द्वारा गिरा दिया जाता है । आगे इसलिये पानी नहीं छोड़ा जाता है कि नहर टूट जायेगी । इसी टूटने की डर से अधिकारी पानी को आगे नहीं बढ़ाते हैं । इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि शारदा सहायक खण्ड 39, नरायणपुर रजबाहा, को गोरापुर में एक किलोमीटर पक्का बना दें । यदि आप इसे पक्की नहीं बनायेंगे तो 35 कि0 मी0 आगे आप पानी नही पहुंचा सकते हैं । यह नहर 10 वर्षों से निर्माणाधीन है । आज भी इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है । नहरों और माइनरों की जो आप खुदवाई करवा रहे हैं, उनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें आप पक्के रोड से और ऊंची-नीची जमीन से ले जाते हैं, जिससे किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है । इसलिये आप इनकी खुदाई इस तरह से करवायें, जिससे किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री शिव नारायण मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । अपने क्षेत्र के बलरामपुर ड्रेन के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें काफी पानी भर जाता है, इसलिये इसकी सफाई कराई जाय तथा इसे चौड़ी भी किया जाय । यह कहा जाता है कि प्रधान मंत्री का क्षेत्र है, इसलिये वहां पर काम हो रहा है, परन्तु ऐसा सोचने के कारण वहां पर काम अवरुद्ध हो रहे हैं, उनमें तीव्रता लाई जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह शारदा नहर के बिल्कुल किनारे पड़ जाता है । जब लखनऊ में डबल नहरें थी तो उससे रायबरेली व अमेठी को पानी मिल जाता था और हमारे विधान सभा क्षेत्र को पानी मिलता था, परन्तु जब से यह शारदा सहायक नहरें निकली हैं, हमारे क्षेत्र की नहरों को पानी मिल पा रहा । सारे के सारे क्षेत्र टेल पर हैं, जैतीपुर रजबाहा, अमौसी रजबाहा व मोहान रजबाहा को पानी नहीं मिल पाता है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि शारदा के पानी को बढ़ाया जाय । यह शारदा सहायक हमारे बगल से होकर निकलती है, हमारे किसानों की जमीन से होकर निकलती है जैसे एक कहावत है, यह सब आपका है, किन्तु आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, उसी प्रकार हम इस शारदा सहायक के पानी पर हाथ नहीं लगा सकते हैं । मेरा अनुरोध है कि गोसाईगंज रजबाहा की टेल पर हेड बनाकर कम से कम डेढ़ सौ क्यूसेक्स पानी दिया जाय, जिससे हमारे क्षेत्र को पानी मिल जाय और किसानों के जमीनों की सिंचाई हो सके । मेरे क्षेत्र में तीन पम्प नहरें हैं, उनकी हालत यह है कि पानी नहीं चलता है । उनको चलाने के लिये पैसा दिया जाय । माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि गुड़वा और हुलासखेड़ा में, जो सई नदी के किनारे है, सिंचाई के साधन नहीं है, यहां के लिये छोटी पम्प नहर स्वीकृत कर दें, जिससे काश्तकारों का भला हो जाय । 50 प्रतिशत नलकूप बेकार हैं, नं0 188, 189 और इसी तरह से तमाम बेकार हैं । एक सर्वे हुआ था, जिसके द्वारा सर्वे में आया था कि सई नदी और गोमती नदी के किनारे जो नलकूप लगाये जायेंगे, वहां डीप बोरिंग की आवश्यकता होगी । मेरी मांग है कि डीप बोरिंग कराकर पानी देने का कष्ट करें, जिससे फसल न सूखे ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं । काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, समय भी कम है । माननीय श्री होती लाल अग्रवाल जी उपाध्यक्ष आपकी सीट पर विराजमान थे, तो उन्होंने व्यवस्था दी थी कि लिखकर भेज दें, कार्यवाही का भाग हो जायगा । आप भी वैसी ही व्यवस्था दे दें, जो बोल न पायें लिख कर दे दें और वह कार्यवाही का अंग हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी तो चर्चा का समय ही बाकी है, इस पर व्यवस्था देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप--

आपरेटर को मानदेय देने का प्रश्न माननीय मंत्री जी ने बताया था, गांव सभा मण्डल से दिया जाता है यह सत्य से परे है । मेरी मांग है कि अंशकालिक आपरेटरों को मानदेय दिया जाय । मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाषण समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बसन्त सिंह गहलोत--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि पर ही सारी अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है । कृषि में सिंचाई का प्रमुख स्थान है । बीज उत्तम हो, खाद भी दिया जाय और पानी न दें तो पैदावार नहीं हो सकती । जो प्रयास किया गया है सिंचाई के साधनों में वृद्धि का, वह प्रशंसनीय है । सिंचाई में भारत में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है और पंजाब का प्रथम है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी प्रयास करेंगे और अपने प्रयास से उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलायेंगे । उत्तर प्रदेश में पानी बहुत है, बहुत बड़ी-बड़ी नदियां हैं और उनका पानी बहुत बेकार जाता है उसको अगर रोक लें तो उत्तर प्रदेश की समस्त भूमि उर्वरा हो सकती है । आबादी बढ़ रही है प्रति वर्ष 3 करोड़ बच्चे भारत में और लगभग 5 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं । उनके लिये अन्न की समस्या हल तभी हो सकती है जब हम कृषि पैदावार को बढ़ायें और पानी को

सुरक्षित करके नहरों के द्वारा कृषि को दे सकें । तब पैदावार बढ़ सकेगी । ट्यूबवेल से जो पानी निकाला जाता है लेकिन वह ऊपर की सरफेस से पानी लेता है और अगर नहरें चलती होंगी तो ट्यूबवेल भी पानी देंगे । मेरे क्षेत्र में गांगन की नहर है, बरसाती नदी है, दूसरे मौसमों में पानी नहीं चलता है लेकिन पानी न देने के बाद भी किसानों से कर वसूल किया जाता है। सूखे के समय एक भी पानी नहीं दिया गया परन्तु कर वसूल किया गया । इससे किसानों में बहुत बेचैनी है और सरकार बदनाम हो रही है । इस नहर में पानी रहता नहीं परन्तु नहर की पटरी काट कर पानी देने का झूठा इल्जाम लगाकर किसानों पर तावान डाल दिया जाता है ।

रिश्वत के रूप में लेकर किसान को फिर, आधा हिस्सा तावान का छोड़ दिया जाता है इससे कांग्रेस की सरकार बहुत बदनाम हो रही है । इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने जो पूर्वी गंगा नहर योजना बिजनौर व मुरादाबाद को दी है, वह प्रशंसनीय है । लेकिन इसके साथ ही साथ इसका सिंचाई रकबा भी बढ़ाया जाना चाहिये ताकि उससे अधिक लाभ भी हो सके और खराब नलकूपों की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर माननीय मंत्री जी ने सिंचाई का बजट रखते समय जो तस्वीर प्रस्तुत की है वह बड़ी ही निराशाजनक है । माननीय मंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि उनके नलकूपों में सिंचाई की क्षमता नहीं है आपने कहा है कि नलकपों के चालक नहीं हैं, आपने कहा है कि पैसे के अभाव में योजनायें अधूरी हैं, आपने कहा है कि बाढ़ से क्षति हो रही है, आपने यह भी कहा है कि मरम्मत और निर्माण के लिये धन नहीं है । विश्व बैंक से भारत सरकार के द्वारा धन की मांग की गयी है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राम-कृष्ण की जन्म भूमि रही है, जहां पर गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं । यहां की मिट्टी सोना उपजाती है । यदि उत्तर प्रदेश में भूख से लोग मरते हैं, प्रति एकड़ उपज कम है तो इसका मुख्य कारण सिंचाई व्यवस्था का ठीक न होना है, व्यवस्था की गड़बड़ी है । मेरा सुझाव है कि धन-व्यवस्था की कमियों को दूर करें, योजनाओं को पूरा करें ।

श्रीमन्, बलिया में सबसे अधिक बाढ़ का प्रकोप होता है । बलिया, घाघरा, टोंस और गंगा जैसी बड़ी नदियों के बीच बसा हुआ है । हमारी शिकायत है कि बलिया में बाढ़ से बचाव और रक्षा के लिये जो योजना बनी, जैसे--चांदपुर, चैन छपरा, शिवपुर, दीयर उस पर कार्य शुरू करके पूरा नहीं किया गया । फलतः कोई लाभ नहीं हुआ ।

सारा उपयोग किया गया धन बरबाद हो गया है । मेरा सुझाव है कि बाढ़ से बचाव और रक्षा की कोई मास्टर प्लान बनावें और बलिया की लाखों की धन-जन की क्षति को जो प्रति वर्ष होती है, उसे बचावें । बलिया में कोई बड़ी नहर नही है, नलकूप भी बहुत कम हैं । शारदा सहायक का कार्य रुका है । अतः मेरा सुझाव है कि नहर कार्य को पूरा करें, बलिया के लिये अधिक नलकूप दें । बलिया ने आजादी की लड़ाई में सबसे अधिक त्याग किया था । विकास में उसे उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, लोगों में असन्तोष है, इसका ध्यान रहे ।

हमारे यहां एक सुरहा ताल है । बाढ़ के दिनों में वह भर जाता है । फसल को बर्बाद कर देता है और बाढ़ के बाद कटकर नाले से पानी निकल जाता है, सुरहा ताल में बनी लिफ्ट कैनाल पानी के अभाव में नहीं चल पाती । अतः मेरा सुझाव है कि मुख्य ताल के चारों ओर बांध बनाकर बाढ़ के पानी को फैलने से रोकें, बाढ़ के बाद पानी न निकलने दें । माननीय मंत्री जी ने एक योजना भी बनवायी है । कृपया बलिया के विकास में योजना को स्वीकृति प्रदान करें ।

श्रीमन्, बाढ़ और बचाव के लिये दुबहा कदम बांध को पूरा करायें । गंगा के उस पार जो बहुत सी उपजाऊ भूमि है, जहां सिंचाई के लिये व्यवस्था नहीं है, वहां के लिये आप पानी की व्यवस्था करें । श्रीमन् शिवपुर दीयर, जवहीदीयर, नौरंगादीयर की भूमि बड़ी उपजाऊ है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ।

अतः आप वहां पर नलकूप की व्यवस्था करें । बलिया में बेकार पड़े बिश्व बैंक नलकूप को चालू करें, नलकूप की नालियों को ठीक करें । आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय द्विवेदी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं मान्यवर अपनी बात को एक मिनट में खत्म करूंगा । मान्यवर मैं कुछ ज्यादा न कहकर यह कहना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखण्ड में सिंचाई की जो क्षमता है, वह उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के नक्शे में यदि देखा जाये तो सबसे कम है, बुन्देलखण्ड का इलाका नदियों व नालों से विकराल जंगलों का ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है, यह क्षेत्र बहुत ही अधिक डकैतों से प्रभावित है । यह जनपद बेतवा नहर के टेल पर पड़ता है । एक पानी की जरूरत फसलों को है ।

साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में माता-टीला नहर निकली हुई है । मेरा जिला बेतवा नहर पर पड़ता है । माधोगढ़ रामपुरा के कुठौद अन्य जो हैं सभी टेल पर पड़ते हैं (व्यवधान) हमारे यहां के इंजीनियरों का कहना है कि मई के महीने में ड्रिंकिंग वाटर के लिये पानी है । यदि इस पानी को 10-15 दिन के लिये नहरों में चला दिया जाये, तो जो फसल इस समय सूखी पड़ी हुयी है, उन सब फसलों को काफी फायदा किया जा सकता है, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं । (व्यवधान)

*श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के जो अवसर प्रदान किया है . . . (व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई बजट पर आयी हुयी कटौती के समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आगरा जनपद के उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां से म चुनकर आया हूं । मान्यवर, हमारा क्षेत्र एक खारे पानी का क्षेत्र है और इसी खारे पानी के नाम से जो एक नदी बहती है, उस नदी का नाम भी खारी नदी है । इसलिये मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस खारी नदी के पानी को यदि जगह-जगह पर रुकवा दिया जाए और जब छोटे-छोटे बांध बनाकर इसके पानी को रखा जायेगा तो यह पानी मीठा हो जायेगा और फिर हमारे कुओं का स्तर भी ऊंचा होगा तथा इन कुओं व ट्यूबवेलों का पानी भी मीठा होगा ।

साथ ही मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फतेहपुर सीकरी में जो राजकीय नलकूप लगाये गये हैं, वह बहुत ही सफल हुए हैं और इस प्रकार से अब तक वहां 22 राजकीय नलकूप लगे हैं, जिनमें से 11 राजकीय नलकूपों में साल्ट के आ जाने से खराब हो गये हैं । इन खराब ट्यूबवेल्स को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उसमें आये हुए साल्ट को यदि दूर करना चाहते हैं तो इनमें पाइप पी0वी0सी0 के डाल दिये जायें, तो इस प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से जो पानी खारा हो रहा है, वह नहीं होगा और पी0 वी0 सी0 की एसेम्बली भी डालकर इनको ठीक करायें और इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि ट्यूबवेल्स की जो जीवन-अवधि है, वह लगभग 17 वर्षों की होती है और जल निकास का औसत 30 गैलेन से लेकर 40 गैलेन तक होता है ।

तो ऐसे क्षेत्र में, जहां का पानी खारा है, वहां पर जो नलकूप हैं, उनकी जीवनावधि कम कर देना चाहिये, जिससे वहां के किसान लाभान्वित हो सकें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी के अन्दर 60 गांवों का एक ऐसा क्षेत्र है, जो शुष्क क्षेत्र है । विश्व बैंक के अन्तर्गत जो कलस्टर योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने का प्राविधान है, उसको लागू किया जाये । माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे थे, तो उन्होंने आगरा नहर का जिक्र किया और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र को पानी देने की बात कही है । वहां पर मान्यवर जहानाबाद माइनर स्वीकृत हुई है, लेकिन वह पूरी नहीं हो पायी है क्योंकि जिस क्षेत्र से वह निकलती है, उस क्षेत्र के किसानों को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है, इस कारण वहां पर नहर नहीं निकल पा रही है । तो मेरा निवेदन है कि वहां पर जो किसानों की जमीन पड़ती है, उसका अधिग्रहण किया जाये, किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया जाये और नहर को निकाला जाये ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नहरों की सफाई नहीं की जाती है और जो उनके किनारे की पटरियां हैं उनकी मरम्मत नहीं की जाती है, जिससे वह टूट जाती हैं- और उस गांव के लोगों से सामूहिक जुर्माना लिया जाता है । गलती नहर विभाग के अधिकारियों की होती है और उसका जुर्माना तावान के रूप में किसानों से लिया जाता है । कुछ नहरें ऐसी हैं जिनकी पटरियां कटी हैं, जैसे सिकन्दरा रजबहा की पटरी अरसेना के पास कटी है, मझोली माइनर की पटरी झरौटी के पास कटी है और सिकन्दरा माइनर की पटरी गोबरा के पास कटी है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पटरियों को बनवाने का काम किया जाये, जिससे किसानों को परेशानी न हो । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तीन दर्जनों से अधिक पुल हैं नहरों के जो टूटे हैं । फतेहपुर सीकरी ब्रांच पर सिकरौरा पर पुल टूटा है, इनको बनाने के लिये आप धन का आवंटन करें, जिससे किसानों को आने-जाने की सुविधा हो । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाल चन्द्र निषाद--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में मलौनी बांध है, वह पहले पी0 डब्ल्यू0 डी0 की सड़क थी और वही वहां के लोगों के लिये आने-जाने का साधन था, लेकिन पता नहीं सरकार ने उसको सिंचाई विभाग को ट्रान्सफर कर दिया और जिसके कारण आज हालत यह है कि वह टूट गयी है और आने-जाने का कोई साधन नहीं रह गया है, कोई रास्ता नहीं रह गया है । तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास ट्रान्सफर कर दिया जाये, यह कार्य जनहित के लिये आवश्यक है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में कई साल से नलकूप चालकों को नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे एक-एक चालक के पास 8-8 नलकूपों को देखना पड़ता है ।.....(शोर)

(व्यवधान)

श्री लाल चन्द्र निषाद--

मान्यवर,....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर, सिंचाई के बजट पर बोलने वालों की संख्या को देखते हुये, इसका समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाये ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मथुरा जनपद के चौमा छाता, नोह झील, माट ब्लाकों के जमुना के किनारे के अधिकांश गांवों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जहां कहीं माइनरे हैं उनकी टेलों पर पानी नहीं पहुंचता है। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इन ब्लाकों में सरकारी ट्यूबवेल लगवाये जायें . . .

सिंचाई विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

डाक्टर रजनी कान्त दत्त—

सिंचाई का यह महत्वपूर्ण बजट है, इसलिये इसका समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अभी समय है, बढ़ा दिया जायेगा।

संसदीय एवं सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

श्रीमान्, माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुये आज सिंचाई बजट की अनुदानों पर चर्चा का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया गया।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतादान

अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत)

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, हर साल ऐसा होता है कि पूरे मथुरा जनपद में बरसात के दिनों में या जब बाढ़ आती है तो अधिकांश गांव डूब जाते हैं। इस प्रकार जलभराव की समस्या आये दिन गम्भीर बनी रहती है। इसलिये समय से पहले वहां पर नालों और ड्रेनेज की सफाई करा दी जाय। इनकी सफाई न होने से किसानों की फसल बरबाद हो जाती है। मांट क्षेत्र में कलैना माइनर, सुरीर माइनर, शहजादपुर माइनर, गढ़ी भीमा माइनर आदि में टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन जेवर रजबाह को री-मार्डलिंग किया जाय जिससे किसानों को नोह झील ब्लाक से पानी मिल सके। इसी प्रकार ब्योंही बिजाहरी ड्रेन के निर्माण में लाखों रुपये का घोटाला किया गया है। इस सम्बन्ध में शिकायतें भी की गईं। विधान सभा में सवाल भी पूछ लेकिन कहा जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसी तरह से मांट ब्रांच के समनान्तर जो कनाल मांट बनायी जा रही है उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके पुलों को निम्न स्तर का बनाये जाने से पुल टूटने लगे हैं। इस क्षेत्र में नहरों और माइनरों पर जो पुल टूटे हुये हैं उनसे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। अतः उसका निर्माण कराया जाय। बैकुंठपुर ड्रेन व कटाहरी ड्रेन की जमीन का मुआवजा दिलाया जाय।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी महान आत्माओं से आशीर्वाद लेने के लिये वृन्दावन जाते हैं लेकिन लम्बे समय से चली आ रही जो वहां के लोगों की मांग है कि जमुना नदी में शेरगढ़ और वृन्दावन पर पुल के निर्माण का कार्य वह नहीं करा रहे हैं। इसलिये आप यहां पर पुलों का निर्माण करायें। इससे वहां की जनता का काफी कल्याण होगा।

मान्यवर, मांट क्षेत्र में जहां नहरें हैं, जिनकी पटरी खराब है उसके आये दिन कटने से किसानों की फसल बरबाद होती है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इन माइनरों की, इन नहरों की पटरियों को पक्का बना दिया जाय जिससे किसानों की परेशानी दूर हो सके और कटिंग भी न हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हार्दिक रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार रक्त का संचार करने वाली नलिकाओं की आवश्यकता होती है उसी प्रकार की आवश्यकता इस प्रदेश के आम नागरिकों के लिये किसान को उसकी फसल का अच्छा मूल्य देने के लिये पानी की आवश्यकता हमारी इन नहरों के माध्यम से होती है । मान्यवर, आदरणीय द्विवेदी जी जब कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाता जबकि आज सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एक अभिशाप बन गया है यह कहने में मुझे कतई दुख नहीं है, केवल एक बात सामने आती है कि हमारी योजनाओं में विलम्ब होता है । जब योजनाओं में विलम्ब होता है तो विकास में विलम्ब होता है और जब विकास में विलम्ब होता है तो आम आदमी पर उसका असर पड़ता है । लेकिन उसके बाद भी मैं व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी को कि उन्होंने विगत वर्ष पोस्टिंग विभाग में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया इस के लिये मैं अपेक्षा करूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उनको बधाई दी जाय ।

दूसरी बात बड़े-बड़े बांधों की आई जिसमें लखवार, करनाली या रामगंगा तथा अन्य योजनायें आती हैं लेकिन इन सारी योजनाओं के पीछे एक बात आती है कि यह विलम्बित योजनायें होती हैं जिससे विकास भी विलम्बित हो जाता है । यह सही है कि हमने योजनाओं का सृजन किया है और विकास किया है लेकिन उसके पीछे एक कालिख पोती है उसे भी नहीं भुलाया जा सकता है । इन योजनाओं के निर्माण में जो कालिख पोतने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं उन पर अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है । मैं सिंचाई मंत्री जी से जरूर अपेक्षा करूंगा कि वह अपने विभाग में कम से कम 100 अधिशासी अभियन्ताओं की चरित्र पंजिका की जांच करायें और यह देखें कि उनका जीवन स्तर क्या उनकी आमदनी से मेल खाता है । इसके लिये मैं अपेक्षा करूंगा । उनके पास अनेक इकाईयां हैं, अनेक सेल हैं जो कार्यों की निगरानी करते हैं । लेकिन एक सेल इसका भी खोल दें जो देखें कि वहां काम करने वाले अभियन्ताओं के जीवन स्तर को देखें कि क्या उनको जो प्रतिभूति आप देते हैं उसके बराबर क्या उनका जीवन स्तर है अगर उससे ज्यादा है तो वह कैसे है ?

मैं माननीय मंत्री जी को साधुवाद देता हूं जो विलम्बित योजनायें थी उनके लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिये नवें वित्त आयोग के सम्मुख अपनी कठिनाइयां रखीं और बताया कि हमारी नलकूप योजनायें क्यों बेकार पड़ी हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी को शारदा कैनाल के बारे में बताना चाहता हूं । मैं व्यक्तिगत रूप से जो मेरा अनुभव है यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से कार्यों का वितरण होता है मैं तीन वर्षों से लगातार पत्र-व्यवहार कर रहा हूं अपने यहां के सिंचाई खण्ड के बारे में सिंचाई खण्ड 40 में गौरावां ड्रेन के बारे में तीन वर्ष हो गये पत्र लिख रहा हूं लेकिन वहां के अधिशासी अभियन्ता से कोई उत्तर नहीं मिला है । मैं स्वयं 10, 12 बार चला गया हूं कि वह कौन सज्जन हैं ? लेकिन उनके दर्शन नहीं कर पाया हूं । मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस तरफ अवश्य ध्यान दें कि कम से कम विधायकों के पत्रों का उत्तर तो अधिशासी अभियन्ता समयबद्ध तरीके से अवश्य दे दें और निश्चित रूप से 15 दिन में उत्तर अवश्य दे दें । एक बात लिफ्ट कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं यह लिफ्ट कैनाल वास्तव में पूर्णतया मृतप्राय है । हमारे यहां बिठौर पम्प कैनाल है वह नहीं चल रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी--

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं यह नहर पिछले तीन सालों से नहीं चल रही है मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जो ताइवान के सम्बन्ध में है नहरों की कटिंग पर ताइवान लगता है वह कौन काटता है और किसे वह देना पड़ता है ? कभी अंग्रेजों के जमाने में तार प्रणाली हुआ करती थी । वह अब खतम हो चुकी है शायद ही अवर अभियन्ता एक दिन भी या सप्ताह में एक बार भी अपने क्षेत्र में जाते हों और यह देखते हों कि नहर किसकी गलती से कटी है । नहर कोई काटता है और भुगतना किसी को पड़ता है । आम आदमी उससे परेशान है । इन शब्दों के साथ में पुन: माननीय सिंचाई मंत्री जी को इस प्रगतिशील बजट के लिये बधाई देता हूं और माननीय सदस्य द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं ललितपुर जनपद से आता हूं । इस वर्ष बुन्देलखण्ड में पानी की बड़ी समस्या रही इसके बारे में हमने चर्चा हेतु नियम 56 भी लगाई थी लेकिन उस विषय पर मैं न जाकर माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं हमारे जनपद में करोड़ों रुपयों में बांध बने हैं । हमारे यहां जितने भी बांध हैं उनकी सिंचाई क्षमता मात्र 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है और उसके कारण सिंचाई 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती है क्योंकि पूरी क्षमता से सिंचाई नहीं होती । हमारे यहां एक सहजाद बांध है जो 100 प्रतिशत क्षमता का बनाया गया है । तो मान्यवर, आगे हमारे यहां भौरंट कम उदारी, कचनोंदा, जमरार, लोअर रोहिणी, भावनी और लखंजर बांध बन रहे हैं, इनको शत प्रतिशत सिंचन क्षमता वाला ही बनाएं । दूसरे नहरों के रिसाव से इतना पानी बर्बाद होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है । हमारे यहां पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यदि उससे हमारे यहां की नहरों को पक्का करा दिया जाय जिससे जो पानी खराब जाता है वह बच जाए, तो किसानों के लिये वह पानी बड़ा हितकर होगा। मैं नलकूपों के बारे में कहना चाहता हूं, हमारे जनपद में केवल एक ही नलकूप है। वहां भूगर्भ स्थित जल जितना मिलता है, उसकी उपलब्धता हमारे यहां 30 हजार गैलन की जगह मात्र 10 हजार गैलन ही है । इसी क्षमता के राजकीय नलकूप लगाए जायं तो किसानों को सुविधा मिल सकेगी । आप किसानों को नलकूप लगाने को 50 प्रतिशत का अनुदान देते हैं और यह जो नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है उसमें स्प्रिंग कलर, जो उपलब्ध कराया जाय तथा उसमें भी आप 50 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायें तो आपकी महान कृपा होगी । हमारे जनपद के गावों में 200 फिट पर पानी उपलब्ध हो जाता है और 3 हजार से अधिक प्रार्थना-पत्र कुओं की बोरिंग के लिए पड़े हुए हैं । मेरा अनुरोध है कि उनके लिए भी आप मशीनों की व्यवस्था करा दें । जनपद में मशीनों की कमी है, जिसके कारण प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

हमारे बुन्देलखण्ड में बहुत से प्राचीन तालाब हैं, उनकी मोहरियां टूटी हुई हैं । यदि उनको सुधारने की व्यवस्था करा दें तो वहां के किसान जो जंगल में रहते हैं उन तालाबों से अपने खेतों के लिये पानी प्राप्त कर सकते हैं । आगे एक अर्ज मैं यह करना चाहूंगा कि हमारे यहां एक लिफ्ट है, कैनाली बनी हुई है, जिसे तुरन्त चालू कराया

जावे। बुन्देलखन्ड में नदियां बहुत ज्यादा हैं—जैसे धसान, सहजाद, जामनी, सजनाम और बेतवा आदि। ऐसी अनेक नदियों के होते हुए आपने केवल एक जगह बेतवा पर लिफ्ट कैनाल बनाई है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे जनपद में बेतवा धसान आदि नदियों पर कई जगह लिफ्ट कैनाल बनाकर सिंचन सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे यहां एक जाखलोन पम्प कैनाल है, उनको तुरन्त पूरा करा दें। इसी प्रकार से हमारे मडावरा ब्लाक में जो मामूली बांध है, उसका गेट पांच-छः साल पहले टूट गया था। वह पुराना न लगाकर नया लगाया गया है, जो ठीक से फिट नहीं हुआ है। यदि अगले वर्ष ज्यादा पानी बरसा तो वह भी टूट जायगा तो उसको भी आप सुरक्षित लगवायें, जिससे समुचित पानी उपलब्ध हो सके। हमारे जनपद में ललितपुर में जो गोविन्द सागर डैम है, वह जब भरता है तो वहां पर सायफन सिस्टम चालू होता है। किन्तु अधिकारी लोग अपने आमोद-प्रमोद के लिये उसे बीच में चालू करते हैं और वह पूरा पानी खींचकर बाहर फेंक देता है तथा डैम खाली हो जाता है। अधिकारियों के प्रमोद के लिये जो सायफन खोलते हैं, इसको प्रति वर्ष खोलना बन्द करा दें तो किसान सिंचाई करके अपनी रोजी-रोटी प्राप्त कर सकेगा।

इसके साथ द्विवेदी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

*श्रीमती शशि शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय सिंचाई मंत्री जी को मैं बधाई देती हूं कि उन्होंने किस तरह से प्रदेश की सिंचन क्षमता को बढ़ाया है। और मान्यवर, इस वर्ष 260 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ी है। इसके अलावा जो संसाधन हैं उनके द्वारा 62 हेक्टेयर भूमि की और सिंचन क्षमता बढ़ाने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं देवरिया जिले से आती हूं वहां कहीं बाढ़ कहीं सूखा है, कहीं जलमग्न की स्थिति है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित बाढ़ नियंत्रण का, छितौनी बन्धे पर इतना बढ़िया काम कराया है जिससे इस वर्ष बाढ़ की तबाही से पूरा पडरौना ब्लाक बचा है। मैं इसलिये भी उनको बधाई देना चाहती हूं कि बिहार सरकार ने इन कार्यों में रुचि नहीं ली है, लेकिन हमारे मंत्री जी ने दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री के साथ मीटिंग करके इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हमारे प्रदेश में जो बाढ़ से इतनी ज्यादा भूमि प्रभावित होती है, उसको रोकने के लिये अपने क्षेत्र में बन्धे बनवाए। मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चकडहा ड्रेन और चखनी ताल को और गहरा कराया जाय ताकि उसके पास जो हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि है, जिसमें 10 साल पहले अच्छी फसल होती थी, लेकिन अब वाटर लागिंग के कारण वह भूमि तीन-चार महीने से जलमग्न रहती है जिसकी वजह से अब वहां फसल नहीं होती है। पड़ताल के कर्मचारी जो हैं वहां नहीं जाते हैं। मान्यवर, जो रोस्टिंग का कार्यक्रम छपवाकर देते हैं उसी तरह से ग्राम सभा की खुली बैठक पड़ताल की जो वसूली करनी है उसको किसान के पास भेज दें अगर उनको उसमें सुधार करवाना है तो आपके कर्मचारियों के पास आकर उसमें सुधार करवा लें। इस तरह से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। मान्यवर, नहरों के बारे में कहना चाहूंगी। नहरों के साथ ट्यूबवेल को बढ़ाया जाय ताकि वाटर लेबिल नीचे रखा जा सके। देवरिया जिले में ट्यूबवैल का प्राविधान हों, यह मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी। माननीय मंत्री जी ग्रामों की समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूं एवं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री सुख पाल पाण्डे—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके इस प्रदेश को गुमराह करने का काम किया है। ऐसा कलाकार और कोई मंत्री नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बस्ती जिले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां 830 ट्यूबवेल हैं जिसमें 330 आपरेटर हैं। श्रीमन् 500 ट्यूबवेल बिना आपरेटरों के काम कर रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो ट्यूबवेल सिंचाई विभाग द्वारा लगवाए गये थे उसकी नालियां आज तक नहीं बनी हैं हमारे यहां जो नहरों की पटरियां हैं उनको पक्की कराया जाय। यह कहते हैं कि सिंचाई क्षमता पूरी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई क्षमता आपकी घटी है अगर कहीं एक ट्यूबवेल में बिजली का कनेक्शन मिल जाता है तो आप समझते हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया जैसे किसी गांव के किनारे एक खम्भा गड़ गया तो आप यह मानने लगते हैं कि वहां का विद्युतीकरण हो गया। मंत्री जी, आप पुराने जानकार आदमी हैं। आप मेरे क्षेत्र में कई बार जा चुके हैं। इसके लिये मैं आपका आभारी भी हूं आप जब वहां गये थे तो वह संकट की घड़ी थी। वहां सिंचाई सचिव भी गये थे और मंत्री जी भी गये थे। जब मंत्री जी रास्ते में फंस गये थे तो यह आश्वासन दिया था कि सड़क बनायी जायगी और यातायात की सुविधा हो जायगी। इसी तरह से घाघरा नदी के कटान के संबंध में आश्वासन दिया था कि वह कार्य नवम्बर से शुरू किया जायगा। मुझे आशा हुयी थी कि आपने जो आश्वासन और बचन दिये हैं उनको पूरा किया जायगा लेकिन आश्वासनों के बावजूद पता नहीं किन कारणों से आप अपने आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। [समय 5 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, आपने अपने विभाग में सहायक अभियन्ता को इंचार्च बनाकर नियुक्त कर रखा है। वही पुरानी परंपरा जो माननीय बीर बहादुर सिंह ने कायम की थी उसको आप भी कायम रखे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि इस परंपरा में क्या कमियां हैं और किन कारणों से आप ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिये कार्य किये जायं। घाघरा नदी की ठोकर के लिये आप काम करें। आपने अपने विभाग से कोई निगम जोड़ रखा है जिसके माध्यम से आप पत्थर आदि लेते हैं। लेकिन केवल फर्जी काम के लिये, केवल मुहर लगाने के लिये यह व्यवस्था कायम कर रखी गयी है। निगम का केवल नाम है। सारा काम आपके इंजीनियर करते हैं जिससे कार्यों की लागत बढ़ गयी है। आपको तथा आपके सचिव को इस तरफ देखना चाहिये। इसी तरह से आपके विभाग में तमाम असामाजिक तत्व ठेकेदारी करते हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार पनप रहा है। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये। सचिव के आदेश होने के बावजूद भी हमारे यहां सूरज नहर के सहायक अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुयी है। उसके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। माननीय दीक्षित जी जब सचिव थे तब उन्होंने आदेश दिये थे लेकिन आपके सेक्रेटेरिएट में जो रद्दी की टोकरी है उसमें शिकायतों को फाड़कर फेंक दिया जाता है। अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आप हमारे यहां घाघरा के कटान को देखने गये थे तो मैंने

आपको बताया था । बाहर के अनेक ठेकेदार फर्जी पेमेन्ट लेकर चले गये लेकिन वहां जो लोकल आदमी थे उनका पैसा आपके अधिकारियों ने नहीं दिया है । आप इस मामले की जांच करवायें और जो लोग पैसा लेकर चले गये हैं उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवायें । इन शब्दों के साथ में माननीय द्विवेदी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कुछ बातें टिहरी बांध के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । हमारे विरोधीपक्ष के सदस्य हैं उनको पुराना इतिहास याद नहीं रहता है । उनका चरित्र दोहरा है । सन् 1977 में जब टिहरी बांध बनाने के सम्बन्ध में वहां के लोग जबरदस्त विरोध कर रहे थे तो उस समय जनता पार्टी के शासन काल में माननीय राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री और बलवीर सिंह सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने उस समय अफरा-तफरी में ऐसे ठेके दिलवा दिये जिनका वहां की जनता विरोध कर रही थी । उस समय कई सौ लोग जेल भी गये थे । और आज वही लोग कह रहे हैं कि टिहरी बांध खतरनाक है और उससे तबाही आयेगी । जो लोग टिहरी बांध का विरोध कर रहे हैं उन्होंने सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है कि यह नहीं बनाना चाहिये । मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि टिहरी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को देखने के लिये लगभग ढाई साल से कोई मंत्री नहीं गया है ।

जब इतनी महत्वपूर्ण योजना है और एक संक्रमण काल से वहां के लोग गुजर रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को देखने के लिय मंत्री लोगों को वहां पर जाना चाहिये । मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं ।

टेहरी नगर में 12 वार्ड हैं लेकिन 6 वार्ड की तो लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट में कार्यवाही हो गयी, भूमि और भवन अधिग्रहीत हो गये, लेकिन 6 के बारे में अभी कोई नोटिस जारी नहीं की गयी और जारी की गयी, तो उसमें अस्वाभाविक देरी की जा रही है । वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है । जो लोग पथरी में बसाये गये हैं, उनको सिंचाई के लिये गंगा नहर से पानी दिया जाय । जो लोग रायवाला में बसाये गये हैं, वहां पर राजा जी पार्क बनाया जा रहा है और जानवर वहीं पर खेतों का नुकसान कर रहे हैं । नई टेहरी नगर में भवन इस तरह के बनाये जा रहे हैं कि वहां पर कोई स्कूटर लेकर मकान पर नहीं जा सकता है । मोटर-कार को कौन कहे । मकान भी इस तरह के बनाये जा रहे हैं कि लोगों के सिर सीढ़ियों पर टकराते हैं । उनको इस्तेमाल करने में लोगों को बहुत कठिनाई होगी । जो क्षेत्र डूबेगा, वह 45 स्क्वायर किलोमीटर है । उससे मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका भूगोल बदल जायेगा । लेकिन जो वहां का भूगोल बदल रहा है, उसके अनुसार वहां पर नई तहसीलें बननी चाहिये । नई सड़कें, बननी चाहिये । वहां पर इसकी देख-रेख के लिये नई व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, 86 गांव अभी पुनर्वासित होने हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाय । मान्यवर, इन शब्दों के साथ में मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमारा जिला सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । मान्यवर, प्रदेश में हमारे जिले के सबसे ज्यादा पिछड़ेपन लिये एक बड़ी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग और सिंचाई मंत्री जी की है । घाघरा नदी के किनारे हमारा जिला बसा हुआ है । इसमें 3–3 तूफानी नदियां हमेशा जिले को बाढ़ से बरबाद कर देती हैं । एक तो टेढ़ी नदी है, सरयू नदी है, तथा राप्ती नदी है । मान्यवर, राप्ती नदी तो तमाम गांवों को काट रही है । उसके साथ-साथ हजार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एकड़ जमीन कट चुकी है । यह बिलकुल साकार है कि बेलहा मोड़ पर विदेशों से जुड़ी हुई सड़कों को भी काट रही है। उसका इस्टीमेट लगभग 80 लाख का मंजूर कर दिया गया है, लेकिन जिले में एक पैसा भी नहीं पंहुचा है । सरजू नदी से हमेशा हमारा क्षेत्र बहता था, अब उससे जो है एक बांध इन्होंने 15–16 लाख रुपये लगा कर भरगड़वा, चिल्लौली बांध बनाया, अब यह जब तक कटरा घाट तक नहीं मिलाया जायगा, तब तक इससे कोई लाभ नहीं है, केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग है, जब तक कि विकास खण्ड कर्नेलगंज, विकास खण्ड हलधर मऊ, विकास खण्ड कटरा बाजार, विकास खण्ड झंझरी, विकास खण्ड पंडरी कृपाल को इसकी सुरक्षा के लिये कटरा घाट तक नहीं मिलाया जायगा, तो इसका बचाव असम्भव है । यह जो सरजू तरबगंज नहर बन रही है, यह इतनी मंद गति से बन रही है कि लगता है कि सैकड़ों वर्ष में भी योजना पूरी नहीं होगी । ऐसे पानी के निकास के लिये जो कुछ पैसा पिछल सालों में दिया गया था, उसमें मलौना ताल ड्रेन, नगहा ताल ड्रेन, कुकही ताल ड्रेन, साहपुर ताल ड्रेन जो हैं, इसमें विभाग के लोग लाखों रूपयों का खर्चा दर्शा रहे हैं और सैकड़ों कुंटल अनाज का वितरण दर्शाया गया है और कुछ काम आंशिक रूप से, बिलकुल नहीं के बराबर हो रहा है । हम इसकी सूचना ताबड़तोड़ मंत्री जी, राज्य मंत्री को दे रहे हैं और मात्र आश्वासन की चिट्ठी मिली है, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नही हो रही है । इसकी जांच करा कर इन पर मुकदमा कायम किया जाय, क्योंकि ये जेल भेजने के पात्र हैं ।

वहां पर सिंचाई के जो साधन हैं, ट्यूब बेल वगैरह जो बन रहे हैं, उसमें विभाग का कोई अंकुश नही है । हमारे जिले के सांसद ही उस संस्तुति के मालिक हैं । वे ही उसके लिये अधिकारी हैं । वे जहां चाहते हैं, अपने रिश्तेदार, नातेदार के गांव में, वहां पर ट्यूब बेल लगवा लेते हैं । पिछले पांच साल में जो ट्यूबबेल लगवाये गये हैं, उससे जनता में कोई लाभ नहीं पंहुचा हैं । अब ऐसे निष्क्रिय और निरंकुश विभाग के लिये मैं इस प्रस्ताव की कटौती का समर्थन करते हुये मंत्री जी से इस्तीफे की मांग करता हूं और यदि वह आपके लिये सम्भव न हो, तो मंत्री जी से व्यवस्था के लिये स्पष्टीकरण ही मान्यवर, दिलवा दें ।

*श्री राजेन्द्र शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इसके साथ ही मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखते समय माननीय द्विवेदी जी ने स्वयं कहा कि खेती हमारे जनजीवन का मूल आधार है यदि खेती हमारे जनजीवन का मूल आधार है तो खेती का मूल आधार सिंचाई है और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर खेती हमारा मूल आधार है इस मुख्य विषय पर माननीय द्विवेदी जी को कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये था । माननीय मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्ताव रखते समय सिंचाई की योजना को आगे बढाने के लिये नहरें और नलकूप को आगे बढाने के लिये योजना रखी है, वह सराहनीय है और इसके लिये मैं बजट की प्रशंसा करता हूं और इसी के साथ मैं, आशा करता हूं कि मेरठ जैसे जनपद के बारे में आम धारणा बन गयी है कि वहां सिंचाई पूर्णतया सुव्यवस्थित है लेकिन ऐसा नहीं है । काली नदी और हिन्डन कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्रों में गम्भीर पानी का संकट है और वहां वाटर लेबिल बहुत गहरा चला गया है जिससे सिंचाई की गम्भीर समस्या हो गयी है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक ब्लाक वर्षों से डार्क हैं । इसके साथ बरनावा क्षेत्र के अन्दर चोगामा नहर बनाने की योजना जो शुरू की गयी थी वह तेजी से नहीं चल रही है उसको तेजी से बनवाया जाय । इसके साथ खरखोदा व रजपुरा ब्लाकों में भी पानी का गम्भीर संकट है, वहां नहर नहीं है इसलिये वहां सरकारी ट्यूबबेल लगायें जायें । जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां की सिंचाई व्यवस्था में सुधार हो सके । इस क्षेत्र में रिठानी माइनर को आगे बढाकर गंगा नहर का पानी पहुंचाया जाय और काली नदी में बंधिया बना करके वाटर लेबिल को ऊपर किया जाय । मान्यवर, जैसा माननीय राम शरण दास जी ने कहा यमुना के कटान के बारे में वह सही है । यमुना कटान करते हुये आगे की ओर बढ रही है जिससे अनेकों गांवों को खतरा है । मान्यवर, हरियाणा की तरफ बहुत मजबूत बांध बनाया गया है उसी तरह से इस तरफ के क्षेत्र को बचाने के लिये बांध का निर्माण कराया जाय जिससे छपरौली से लेकर कोताना, जागस, बटरखा सबका आदि को कटान से बचाया जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि इन सारी चीजों पर माननीय सिंचाई मंत्री जी बल देंगे । इसके साथ ही सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और द्विवेदी जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि आलोचना न की जाय कुछ सुझाव भी दिये जायं । मान्यवर, तो मैं आलोचनाओं की तरफ न जाकर कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर क्या कार्यवाही करेंगे यह अपने उत्तर भाषण में वह बता दें । मान्यवर, यहां पर कल माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बजट भाषण कर रहे थे उन्होंने कहा कि आयोजनागत व्यय अधिक होना चाहिये और यथासम्भव आयोजनेत्तर व्यय कम होना चाहिये तो मेरी समझ में नहीं आता कि सिंचाई मंत्री जी अपने मुख्य मंत्री जी की घोषित नीति के खिलाफ यहां बजट कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश शासन 1989-90 के बजट के खण्ड-5 की तरफ ले जाता हूं जिसमें दिया है कि वर्ष 88-89 का पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक अधिष्ठान के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय 92 करोड़ होने की सम्भावना है । परन्तु मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित बजट में आयोजनागत व्यय 70 करोड़ ही रह गया है अर्थात् 22 करोड़ रुपये घट गया है । इस प्रकार अधिष्ठान मद में ही पिछले वर्ष आयोजनेत्तर व्यय 72 करोड़ होने की सम्भावना है परन्तु 89-90 में प्रस्तावित व्यय 99 करोड़ है अर्थात् लगभग 27 करोड़ आयोजनेत्तर मद में इस साल अधिक व्यय होगा । इसी प्रकार निर्माण कार्य मद में वर्ष 1988-89 में पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर आयोजनागत व्यय 547 करोड़ होने की सम्भावना है तथा आयोजनेत्तर व्यय 387 करोड़ होने की सम्भावना है और अब माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित बजट में वर्ष 89-90 के आयोजनेत्तर व्यय 428 करोड़ प्रस्तावित है अर्थात् 120 करोड़ के लगभग घट गया है । आयोजनेत्तर व्यय 461 करोड़ प्रस्तावित है अर्थात् 74 करोड़ रुपया बढ़ गया है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मंत्री जी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, निर्माण कार्य में आयोजनागत व्यय घटाकर तथा आयोजनेत्तर व्यय में बढ़ाकर, कैसे कर पायेंगे ?

मान्यवर, नलकूपों की स्थिति के बारे में चर्चा हुई, 25 हजार नलकूप हैं जिनको आप 10 घंटे बिजली देते हैं और दूसरे विश्व बैंक के नलकूप हैं जो विदेशी पैसे से लगे हैं उसको 22 घंटे बिजली देते हैं ।

जो हमारे टैक्स से लगा है उसको 10 घंटे बिजली देते हैं । आपने 15 सौ करोड़ रुपये का पूंजी निवेश कर रखा है और 10 घंटे उपयोग करते हैं और 10 घंटे बन्द रहता है । अभी द्विवेदी जी ने 40 हेक्टेयर कहा, बरेली के आंकड़े मेरे पास हैं, कुल 80 एकड़ अर्थात् 36 हेक्टेयर रबी और खरीफ दोनों को मिलाकर सिंचाई होती है । आपका 750 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश ठप्प पड़ा है । या तो आप कमाण्ड क्षेत्र 100 से घटाकर 40 हेक्टेयर कर दें, या फिर किसी एक बहुउद्देशीय जल परियोजना में 200 मेगावाट का सिंचाई विभाग एक जल विद्युत घर का अपना कैपिटा पावर प्लान्ट लगवा लें, क्योंकि आपको 200 मेगावाट की जरूरत नहीं है । आप उसका उत्पादन स्वयं करें और विद्युत परिषद् के पारेषण नेटवर्क में मिला दें तथा अपने नलकूपों के लिये 24 घंटे बिजली प्राप्त कर लें । मान्यवर, नहरों की सींच कहां से होगी, बरेली की राजू

नगला माइनर नहर पड़ी है, किछा नदी में 5 साल से कटी पड़ी है, वहां से नहर का पानी नदी में गिरता जा रहा है, परन्तु उस नहर के कटे भाग को आज तक दुबारा नहीं जोड़ा गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो रही है। इसी तरह से अठाना माइनर नहर बरेली में कलाशनदी में कटी हुई है। पिछले 4 वर्ष से इसका मामला विधान सभा में उठा, याचिका समिति में आया, सब आश्वासन हुये, इसके बावजूद इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें 500 मीटर का टुकड़ा बनाकर नहर को पुनः जोड़ती है। इन्हें जुड़वाने का सुझाव दे रहा हूं।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आलोचना नहीं करूंगा। आपकी नदियों से जो गांवों की कटान होती है, तो एक गांव को दूसरी जगह बसाने पर 10-20 लाख रुपये में भी वह बस नहीं सकता है, लेकिन 2 लाख रुपये में कटान रोक सकते हैं। शासन की नई नीति है शहरों को बचाने की, गांवों की नहीं, मेरा सुझाव है कि इस नीति को पहले की ही तरह शुरू करें और गांव को भी बचायें। मैं अंतिम बात कहूंगा माननीय सिंचाई मंत्री से, उनसे मैंने पहले भी मौखिक रूप से निवेदन किया, इस सम्बन्ध में प्रश्न भी लगा हुआ था, लेकिन वह उस दिन आ नहीं सका। बरेली में 4 जगह नदियों पर कच्चे बने बांध बने हुए हैं। वर्ष 1926 में बहुगुल पश्चिमी नदी में बल्ली बांध बना था। वहां पर हर साल अब कच्चा बांध लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 और कच्चे बांध हर साल बरेली में लगाये जाते हैं। बहुगुल पश्चिमी बांध पक्का बना था जो बाढ़ में बह गया। उसकी नहरें मौजूद हैं। उस पर कम खर्च में पक्का बांध बन सकता है। इसको बनवा दें तो 20-25 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इस योजना का अन्वेषण हो रहा है। आप कहते हैं कि केन्द्रीय जल आयोग को भेजेंगे। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय जल आयोग को इसको भेजने की आवश्यकता है। क्योंकि वहां तो नये प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें तो पुराने बांध का आधुनिकीकरण करने की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस बल्ली बांध के लिये प्रस्ताव इस बजट में प्रस्तुत करेंगे या नहीं। इसका उत्तर दे दें, तो मैं समझता हूं कि इस बजट का कुछ सदुपयोग हो सकेगा।

श्री जय नारायण तिवारी--

मान्यवर, काफी उठा-पटक के बाद आपने मुझे समय दिया, कृतज्ञ हूं। इस प्रदेश के सिंचाई-मंत्री जी दो बातों में बहुत लोकप्रिय हैं न के लिये और हां के लिये। मैं अपने खाते में हां लिखवा कर आया हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव पर हां का जवाब देंगे और न नहीं करेंगे। मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूं जिसके लिये विख्यात है कि वहां सारी चीजें लागू की जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इसौली के जजौर, कांकरकोल, पियरी, गौहनियां, पौली, जमालपुर, अमऊ, कोलिया और जासरपुर ऐसे क्षेत्र के गांव हैं जो गोमती की धारा में कटान से कटते हैं और किसी भी बाढ़ में यह 12-14 हजार की आबादी वाले गांव गोमती की चपेट में आ जाने की सम्भावना है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से चाहूंगा कि लगातार 3-4 साल से सिंचाई विभाग के बजट पर मैं बराबर इस पर जोर दे रहा हूं, लेकिन पत्रावली किस विभाग में चली गयी है, क्या कार्यवाही की जा रही है, बांध बनेगा या नहीं, कटान से गांव को बचाया जायगा या नहीं, मैं चाहूंगा कि इस परिप्रेक्ष्य में सिंचाई मंत्री जी त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे।

दूसरी चीज मान्यवर इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की करीब हजारों एकड़ जमीन में उबेला और कूड़ेमान ड्रेन के कारण हमेशा सैलाब बनी नजर आती है। जहां पर किसानों को बहुत बड़ी फसल मिल सकती है धान और गेहूं की इस ड्रेन की खुदाई न होने के कारण दिक्कत हो रही है। तीन साल से मेरे क्षेत्र में। मैं कहना चाहता हूं कि मेन पावर से यह सम्भव नहीं है। मेरे क्षेत्र को एक मशीन दी जाय जिससे खुदाई सम्भव हो सके। उबेला और कूड़ेमान ड्रेन की खुदाई हो सके। यह मशीन वहां प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कराने की कृपा करें। बल्दीराम और बनखत गांव में नलकूप इन्डो उच्च से लगवाये गये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

श्री हरिशंकर तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, विगत वर्षों का सिंचाई विभाग का बजट निराशाजनक रहा विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये । मान्यवर, इस प्रदेश को यह जानकारी है कि भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ यह विभाग वर्तमान माननीय मंत्री जी को मिला था, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर, सिंचाई विभाग को एक नया आयाम विकास के रास्ते का दिखाया है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरा विधान सभा क्षेत्र इस प्रदेश की दो बहुत बड़ी नदियों राप्ती और घाघरा के बीच में बसा हुआ है और लगभग 150 गांव प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं और दर्जनों गांव राप्ती नदी के कटान से और कई गांव घाघरा नदी के कटान से प्रतिवर्ष कटते जा रहे हैं । विगत वर्ष बाढ़ से कोठा, नेवादा, मेड़ी, रवहर, गरयाकोल, असवनपारपुर, आंछीडीह, खुटभांर ददरी, पोहरिया, दिस्तोलिया, टेंडीया में भीषण कटान हुआ था । राष्ट्रीय मार्ग नं0 29 के सेतु के दोनों तरफ के गांव राप्ती तथा घाघरा नदी के भीषण कटान के कारण प्रभावित हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी कुछ सुझाव दें ।

श्री हरिशंकर तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सुझाव ही दे रहा हूं, समस्या बता रहा हूं, समस्या ही बतायी जाती है । टेंडीया बांध और टेंडीया ठोकर पूज्य पंडित श्री कमलापति त्रिपाठी जी द्वारा बनायी गयी थी, अस्तित्व के खतरे में । इन गांवों में बाढ़ सुरक्षा की ठोंकरें बनवाकर तथा बने हुये ठोंकर को मजबूत बनवाकर इन गांवों का अस्तित्व बचाया जाय ।

सेमरा से लेकर पटना तक तथा डेरवा से लेकर टेंडरिया तक बांध बनाया जाय । मान्यवर, शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम में दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । मेरी मांग मान लेने से वहां अधिक दलहन और तिलहन पैदा होगा । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के नालों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरिशंकर तिवारी--

गंगरी गनराही नाला तथा भूतहा तरैना नाले हैं । इनको गहरा करके दोनों तरफ बांध बनाया जाय ताकि सिंचाई सुविधा हो सके । सिंचाई सुविधा के लिये ट्यूबवेल कलस्टर राराहा व बडहलगंज ब्लाक तथा क्षेत्र में लगाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र की समस्याओं का हल करेंगे ।

*श्री भगवती सिंह विशारद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । मान्यवर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने एकदम वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया है, जो बहुत सीमित है। जैसा हमारे प्रदेश की आकांक्षायें हैं, उसके हिसाब से इस प्रदेश में यह धनराशि बहुत कम है। मैं अनुरोध करूंगा कि आगे जब भी अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाय, तो उसमें वह अपने विभाग की मांगों को देखते हुए बजट की मात्रा को और बढ़ाने की कृपा करें । मान्यवर, उन्नाव जनपद मध्य क्षेत्र में आता है, यहां प्राकृतिक सिंचाई साधनों की बहुत कमी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और केवल ट्यूबवलों के माध्यम से सिंचाई की जा सकती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वहां अधिक मात्रा में ट्यूबवेल निर्धारित किये जायें और लगवाये जायें। इस समय इस जनपद में लगभग 100 नलकूप आते हैं, जिसमें से 49 नलकूप खराब पड़े हुये हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि हमारे यहां जबरदस्त कटान हो रहा है। खास-तौर से भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से कटान हो रहा है। इसके अतिरिक्त बक्सर, चद्रिका माता का मन्दिर, राव राम बक्श सिंह का स्मारक भी इस कटान में प्रभावित हो रहा है। अनेकों बार मैंने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है और मैं पुनः मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि कटान को रोकने के लिये वहां अविलम्ब किनारों को ऊंचा कराया जाये तथा तटबन्ध बनवाकर, ठोकरें बनवाकर इस कटान को रोकने के लिये आदेश करने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे यहां शारदा माइनर में 22 सौ क्यूसेक पानी आना चाहिये, लेकिन मुश्किल से वहां 14 सौ क्यूसेक पानी आता है, जिसके कारण उन्नाव की तीन ब्रांचें उन्नाव, पुरवा, आसीवन आदि में किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमारे हक का जो पानी है, वह हमें प्रदान करने का कष्ट करें, धन्यवाद।

सिंचाई विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। हम लोगों की भी कुछ बुनियादी समस्यायें हैं, हम लोग भी उन्हें यहां रखना चाहते हैं। हम लोग को भले ही समय कम-कम दे दें, लेकिन कम से कम दो-दो मिनट सुन लें।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि अगर सदस्यों को बोलने के लिये समय नहीं मिला है तो माननीय सदस्य अपने सुझाव लिखकर दे देते हैं और यह सुझाव भाषण के समान ही माने जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जिन माननीय सदस्यों को बोलने का समय न मिले, वह अपने-अपने सुझाव लिखित रूप में यहां दे दें। सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

(सर्व-सम्मति से आधा घंटा और बढ़ाया गया।)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत)

श्री जवाहर सिंह यादव—

मान्यवर, हमारे जनपद के 20 सूत्री प्रभारी मंत्री जी हैं, वह सिंचाई मंत्री भी हैं अभी डेढ़-दो माह पहले यह हमारे जनपद इलाहाबाद में गये थे, हमारे यहां नहर है, जो मड़ियाहूं ब्रांच से होकर आ जाती है, उसके चीफ इंजीनियर यहां लखनऊ में बैठते हैं, वहां पर मैंने कई बार सुझाव दिये हैं और यहां भी इन सुझावों को जनहित में देना चाहता हूं। इस मड़ियाहूं ब्रांच पर एक साइफन जोगीपुर ताल के समीप 8-10 साल पहले बनवाया गया था, जिसे ठेकेदारों और इंजीनियरों ने रातों-रात तुड़वा दिया। इस सम्बन्ध में जांच कमेटी भी बैठी थी और 5 साल से जानबूझकर वहां को अधिकारियों द्वारा इसकी रिपोर्ट को आपके सामने नहीं पेश किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट चाहे कभी आये

या न आये लेकिन कम से कम जनहित में उस मड़ियाहूं ब्रांच में जोगीपुर परताल के पानी के निकासी के लिये काम कराया जाय। क्योंकि वहां जो क्षेत्र जलमग्न है, उससे पानी की निकासी हो सके।

(इस समय 5 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, वहां पर 5-7 गांवों के किसान अपनी बिल्कुल खेती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी मांग हमारी आपसे है कि हमारे क्षेत्र में करीब 15 कि0 मी0 बिसरिया ड्रेन जाती है जो श्रृंगवेरपुर के आगे जाकर गंगा में गिरती है उसके साथ प्रतापगढ़ के इंजीनियरों द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लगातार 2-3 साल से मेरी मांग के बाद भी केवल 1-2 पुलों का वहां पर निर्माण कराया गया है। जब तक 10 पुलों का निर्माण नहीं कराया जायेगा, तब तक किसानों का आप कोई भला नहीं कर पायेंगे।

मडियाहूं ब्रांच से निकलने वाली अलावलपुर माइनर और सुल्तानपुर माइनर दो महीने से टूटी हुई है जिसके कारण अलावलपुर, मरखामई, सुल्तानपुर, मोहम्मदपुर व छीरो-मऊ आदि कई गांव जलमग्न हो गये हैं आपके जो वहां पर पतरौल हैं, जे0 ई0 हैं वे सूचना मिलने के बाद भी उस माइनर को बन्द नहीं कर पा रहे हैं, मेरा आपसे इस संबंध में एक बात यह कहनी है कि एक दण्डनीय कानून बनना चाहिए। जिससे माइनर के टूट जाने की सूचना मिलने के बाद भी यदि अधिकारी कर्मचारी उस माइनर को बन्द नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। जिस तरह से दमकल के लोग सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिये चले जाते हैं, वैसे ही इन अधिकारियों कर्मचारियों को भी सूचना मिलते ही माइनर को बन्द कर देना चाहिये। यदि टूटी नहरों को बन्द नहीं कर पाते हैं तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि पतरौल, जिलेदार, जे0 ई0 ए0, ई0 आदि को दण्ड दिया जाना चाहिए। (श्री त्रिभुवन प्रसाद जी के खड़े होने पर भी श्री जवाहर सिंह जी के बोलते रहने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री त्रिभुवन प्रसाद जी को बुला लिया है, इसलिये आप कृपा करके बैठ जायं।

*श्री त्रिभुवन प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे चरदा विधान सभा क्षेत्र में सरजू एक मुख्य नहर है। जून में जब से कार्य रुका है, तब से वहां पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई के श्री दर्शन सिंह जी जब से वहां पहुंच गये हैं, कार्य पता नहीं किस वजह से रुक गया है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इसे बताने का कष्ट करें। दूसरा, मेरे क्षेत्र में विश्व बैंक की योजना के तहत कम से कम दो कलस्तर अवश्य लगाये जायं, जिससे वहां का विकास हो सके। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां काफी पुल अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे आवागमन रुके पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि बरसात से पहले ये पुल बना दिये जायेंगे। जिस सरजू का मैंने आपसे जिक्र किया है, इसके लिये अविलम्ब धन उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। नहर का कार्य पूरा हो जाने से जनपद के लोगों को काफी फायदा होगा। हमारे क्षेत्र में काफी नलकूप खराब चल रहे हैं। श्री देवता दीन जी ने भी कमेटी में इस बात को कहा था। इन सारे नलकूपों की आप जांच करवा लें और जोर के साथ मैं एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कुछ सुझाव बुन्देलखण्ड के बारे में माननीय सिंचाई मंत्री जी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूं । आपने जो एक सीमा निर्धारित कर दी है कि 25 क्यूसेक्स से अधिक पानी जिन नदियों में होगा, उनमें लिफ्ट कैनाल नहीं बनाई जायेगी । मेरा आपसे कहना है कि बुन्देलखण्ड में कोई भी ऐसी बड़ी नदी नहीं है, इसलिये आपसे अनुरोध है कि इस सीमा को घटाकर 10 एवं 5 क्यूसेक्स कर दिया जाय बुन्देलखन्ड क्षेत्र के लिये । आपने एक ट्यूबवेल लगाने के लिये 40 हजार प्रति घंटा गैलन जहां पानी उपलब्ध होगा, वहां पर राजकीय ट्यूबवेल लगाये जायेंगे । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सीमा को भी घटाकर 10 हजार गैलन प्रति घंटा कर दिया जाय । बुन्देलखण्ड में बांदा जनपद पथरीला इलाका है । यहां पर नरैनी आदि ब्लाकों में आज तक कोई ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है, इसका मुख्य कारण यह कि नीचे पथरीली जमीन है, इसलिये अनुरोध है कि वहां पर पत्थर तोड़ने वाली मशीन से राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

दूसरा बिन्दू यह है कि उत्तर प्रदेश द्वारा रनगवां और गंगऊ मध्य प्रदेश में बने हैं । इनसे हुए समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश 40 प्रतिशत पानी मध्य प्रदेश से लेता है, जिससे बांदा जनपद में सिंचाई की समस्या पैदा हो गयी है और पानी नहीं मिल पाता है । मेरी मांग है कि रनगवां, गंगऊ और बरियारपुर बांध के पानी के विभाजन के लिये केन रिवर बोर्ड का गठन करने की कृपा करें । जो पानी केन नहर में जाता है वह खेतों में न पहुंचकर सीपेज इत्यादि से बरबाद हो जाता है । इसलिये अनुरोध यह है कि केन कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी का गठन कर दें ताकि गूलों और नालियों का निर्माण होकर पानी मिल सके ।

अतर्रा और बांदा ब्रांच की केन नहर की पटरियां क्षति-ग्रस्त हो गयी हैं, इनके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिये धन दे दें । इन पटरियों को अगल-बगल से पक्का करवा दें ताकि आवागमन का साधन हो सके ।

(डा0 रजनीकान्त दत्त को पुकारे जाने पर) ।

डा0 रजनी कान्त दत्त—

मान्यवर, मैं आभारी हूं. . . .

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा डा0 रजनी कान्त दत्त द्वारा एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आप समाप्त करें, अब नहीं लिखा जायेगा । अगर कोई सुझाव है तो लिखकर दे दीजिये, जुड़वा दूंगा ।

(पुनः उक्त दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, लिखा नहीं जा रहा है, आप बैठें । मैंने डा0 दत्त को बुला लिया है ।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा आसन ग्रहण करने के बाद)

डा0 रजनी कान्त दत्त—

अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ सुझाव दूंगा ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगवां क्षेत्र पड़ता है । यह हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है ।

राम नगर के ऊपर एक पुल भी बनने जा रहा है, मेरी मांग है कि तटबन्ध बनाकर नगवां क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जाय ।

(व्यवधान)

स्वच्छ गंगा अभियान नहर के अन्तर्गत-जो घाटों के पुनर्निर्माण की बात है, घाटों के अन्दर नहाने के लिये पानी के अन्दर तक सीढ़ियां बननी चाहिये थीं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सीढ़ियां बनवाने के आदेश देने की कृपा करें । बाढ़ के बाद जो कीचड़ पानी मेंडूबी हुई सीढ़ियों पर इकट्ठी हो जाती है, उसे हटाया जाय । मालवीया ब्रिज के आगे का जो गंगा का हिस्सा है, वह बाढ़ से कटाव की तरफ जा रहा है, वहां पर भी तटबन्ध बनवाकर इसका प्रबन्ध किया जाय जिससे कटाव न हो ।

एक साधारण सुझाव दूंगा एक स्वाइल मोइस्चर सिस्टम होता है, जिसके अन्तर्गत जमीन की आद्रता पर ध्यान रखा जाता है, ग्राउण्ड वाटर और सरफेस वाटर दोनों से प्रभावित होता है ।

(डा0 दत्त द्वारा अपनी जेब से कागज तलाश करके निकालने और पढ़ने के लिये सामग्री तलाश करने का उपक्रम करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

सुझाव तो आपने जेब में रख छोड़ा है ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने से घोर व्यवधान)

डा0 रजनीकान्त दत्त—

सरफेस वाटर के स्टोरेज की तरफ विभाग ध्यान नहीं दे रहा है । आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सब योजनाओं के साथ गांवों में कुएं और ताल वगैरह हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय । इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री बलराम यादव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है । माननीय सिंचाई मंत्री ने बजट रखते समय जो बातें बतलायीं हैं उनके सम्बन्ध में, मैं सबसे पहले स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आजमगढ़ में पिछले चार-पांच सालों से हजारों एकड़ भूमि असिंचित पड़ी हुई है । वहां दोहरीघाट नहर फेल हो गयी, शारदा सहायक नहर के अन्तर्गत वहां पर 29 ब्लाक आते हैं जिनमें से वह केवल 28 ब्लाकों को ही सींच पाती है, लेकिन उसके पानी को राजनीतिक दबाव के कारण दो तरह मोड़ दिया गया है—एक रायबरेली और सुल्तानपुर तथा दूसरी तरफ दरियाबाद और फैजाबाद की ओर इस तरह से उसके पानी में अवरोध लगा दिया गया है और इसका पानी वी0आई0पी0 के क्षेत्र को मिल जाता है । इस साल वहां पर रबी की उपज नहीं हो पायी है । इसके लिये वहां पर तमाम सांसद ने अनशन किया था पानी देने के लिये माननीय सिंचाई मंत्री जी दोहरी घाट पम्प कैनाल को देखने के लिये गये भी थे । वहां के अधिकारियों की वजह से पानी नहीं दिया जा रहा है ।

आजमगढ़ में शारदा सहायक नहर से पानी दिया जाता है, लेकिन उसका पानी राजनीतिक दबाव के कारण नहीं दिया जा रहा है, उसे रोक नहीं सकते हैं आप तो इसके लिये मेरा सुझाव है कि टांडा पम्प कैनाल, जो कि बहुत दिनों से ब द पड़ी हुई है आप तो उसे ठीक करवा कर उससे आजमगढ़ को पानी पहुंचवाने का प्रयास करें और इस तरह से वहां के लिये सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें । एक बात है कि केवल सुझाव ही दें, इतने समय में भाषण नहीं हो सकता है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सिंचाई मंत्री जी के द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर देवकली पम्प कैनाल है, जमुनिया पम्प कैनाल है जिससे कि वहां के उत्तर से दक्षिण का हिस्सा सिंचित होता है, लेकिन देवकली कैनाल की टेल तक पानी नहीं पंहुचता है, उसके लिये टेल तक पानी पंहुचाने की व्यवस्था की जाय।

हमारे क्षेत्र में बिरनी रजबहा पर माटा नहर टूट गयी थी, वहां किसान जो रबी की फसल बोये हुये थे वह सब फसल नष्ट हो गयी क्योंकि वहां पानी जमा हो गया, लेकिन आज तक वहां के इंजीनियर्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है कि नहर क्यों टूटी और कैसे टूटी ? मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसकी जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। बिरनी रजबहा 29 नेशनल हाई वे सड़क के बाद ऊसरी कटान है इसलिये नहर टूटती है। प्रार्थना है कि पूरी नहर की टेल तक लाइनिंग करा दी जाय।

लिफ्ट कैनाल रामगढ़ को अलग से सेपरेट फीडर देने की व्यवस्था की जाय। यह रामगढ़ लिफ्ट कैनाल के हैड पर पानी का सीपेज बहुत अधिक है इसलिये इसकी चार किलो मीटर तक, यानी कि हैड तक लाइनिंग करवा दी जाय। इसी तरह से मरदा रजबहा पर तीन सप्ताह से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिसके कारण पानी नहीं पहुच रहा है। 29 नेशनल हाई वे के बाद गायी, धनिया तक 4–6 कि0मी0 नहर टूट गयी है इसकी भी लाइनिंग करवायी जाय। विकास खण्ड वारा चवर एवं कासमाबाद दोनों को नहर कमाण्ड एरिया से निकाल दें। यहां खारे पानी के नलकूप हैं, इसलिये यहां पर नये नलकूपों की व्यवस्था की जाय।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि वर्ल्ड बैंक से कम से कम तो दो-दो कलस्टर की योजना वहां पर लगवा दें। हमारे क्षेत्र में टोंस नदी के किनारे सिधानगर, फतेसराय दोनों गांवों में कटाव है इन गांवों का यदि इसी तरह से कटाव होता रहा तो इन गांवों को बहुत क्षति पंहुचेगी, इसलिये वहां पर ठोकर बनवाने की व्यवस्था की जाय इसके लिये स्थानीय अभियन्ताओं का ध्यान कई बार आकर्षित किया जा चुका है। इसी तरह से पूरे कैनाल के किनारे के गांव बीरपुर, बारे, शेरपुर, गौरपुर गांवों में भी कटाव हो रहा है वहां के लिये कोई स्थायी व्यवस्था होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। यह तो वही हुआ कि दिया तले अन्धेरा। माननीय मंत्री जी मिर्जापुर में नारायणपुर ब्लाक में और भी अन्य ब्लाकों में ट्यूबवेल नहीं है। 50 फीसदी ट्यूबवेल इस समय वहां पर काम नहीं कर रहे हैं और चीफ इंजीनियर से डिस्कशन करते हुये साल भर 5 लाख रुपये इन ट्यूबवेल के मेन्टेनेन्स पर आप देते हैं, लेकिन इन ट्यूबवेल्स में अधिकतर मैकेनिकल फाल्ट होते हैं, यह माननीय सुरेन्द्र सिंह जी, राज्य मंत्री यहां पर बैठे हैं, जो हमारे यहां गये हुये थे जनपद मिर्जापुर में, और जब से यह बिजली को अधिक देने के लिये कह कर आये हैं, तभी से हमारे यहां जो पहले 24 घंटे आया करती थी, अब उसी दिन से हमें बिजली कम मिलने लगी है, वह भी आती है और चली जाती है। साथ ही मान्यवर, मैं अपने यहां की गंगा नहर के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसकी 1800 क्यूसेक की क्षमता को करने जा रहे हैं, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देते हुये यह कहना चाहता हूं कि इस नहर के पानी को नियमित काली से पचौरा तक भी पानी पहुंचाने की कृपा करें। इसी प्रकार से सिंगिल लिफ्ट कैनाल से मड़यान तक भी पानी पहुंचाने की कृपा करें और दूसरी बात श्रीमन् हमारे यहां एक बाल सागर परियोजना जो हमारे मिर्जापुर जनपद को दी गयी है, इस सम्बन्ध में अब यह निवेदन करना है कि केन्द्रीय सरकार से बात-चीत कर इस योजना को जल्द से जल्द प्रारम्भ करायें क्योंकि हमारा जनपद मिर्जापुर भी 60 जनपदों में एक बहुत बड़ा जिला है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि बरबो नदी में पानी बराबर हमारे किसानों को देते रहें। अंत में माननीय मंत्री जी ने जो इस ओर कार्य किये हैं, उनमें काफी प्रगति हुयी है, इस ओर उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, इस पर केवल आधे घंटे का ही समय बढ़ा था, जो करीब-करीब पूरा हो गया है, और अभी मुझे बोलना है, ब्रह्मदत्त जी को भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपके जो-जो सुझाव हैं, उन्हें लिखकर भेज दें, समय बहुत कम है। अब ऐसा करते हैं कि सवा 6 बजे तक आप लोग एक-एक मिनट के लिये बोलें और फिर इसमें जो लोग रह जावें, वह अपने सुझाव लिखकर भेज दें, जिसे कार्यवाही का ही अंग समझ लिया जायेगा।

श्री मिही लाल—

मैं मान्यवर, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर हमारे विधान सभा क्षेत्र चरखारी में चरखारी बांध व अर्जुन सहायक परियोजना कई वर्षों से पास है, लेकिन कई प्रार्थना-पत्र भी मैं इस पर दे चुका हूं, लेकिन इसका बजट नहीं मिल पा रहा है, इसलिये इस ओर माननीय मंत्री जी से और अधिकारीगण से अनुरोध है कि वह इसका बजट कृपया इसी साल प्रदान करें। दूसरे हमारे यहां के जो 25 गांव हैं, वह केवल चरखारी बांध से ही सिंचित हो सकते हैं क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में और कोई सिंचाई साधन है ही नहीं, इसलिये और भी जरूरी हो गया है इसका बजट जो इस वर्ष दिया जाये कृपा पूर्वक साथ ही मान्यवर, हमारे यहां कोई ट्यूबवेल नहीं है, कुछ पहाड़ व पनवाड़ी चरखारी, इन्हें भी तहसील में लगवा दिये जायें, इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये सिंचाई बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव—

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से केवल एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर सकता हूं कि हमारे यहां एक केन नहर है। इस नहर के बारे में काफी समय से एक विवाद चल रहा है, इस पर मैं इस सदन के अन्दर तीन बार कार्य-स्थगन ला चुका हूं और माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने इसपर हर बार यही आश्वासन दिया था कि मैं इसे अवश्य देखूंगा, लेकिन माननीय, आज स्थिति इसकी यह है कि 31 मार्च को इस केन के पानी के बंटवारे का समझौता किया गया और उनको पानी दे भी दिया गया लेकिन पहले नवम्बर के पहले से पानी नहीं लेते, जिसके कारण रंगवा का पानी नहीं मिलता है और पानी न मिल पाने के कारण धान की फसल सूख गयी है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप इसमें संशोधन करें, जिससे वहां के किसानों को पानी मिल सके। आपने 25 क्यूसेक पानी का प्रतिबन्ध लगा रखा है, उसको हटाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। अभी और लोगों को भी बोलना है।

श्री देव कुमार यादव—

आपने जो पानी का बंटवारा किया था, मैं खुद देख कर आया हूं। (व्यवधान) बरियारपुर बांध से अनअथारइज्ड नहरें बन रही हैं, इनको आप रोकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने बलजीत सिंह को बुला लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलजीत सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने आज सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गोवर्धन का क्षेत्र केवल नहरों से सिंचित है और नहरें ही वहां की सिंचाई का एक मात्र साधन हैं वहां का पानी जो है, वह खारी है और आगरा लोवर कैनाल तथा आगरा अपर कैनाल के टेल यह क्षेत्र पड़ता है । दो तीन माइनरें ऐसे हैं जिनमें 4 साल से जब से मैं विधायक हूं एक बूंद भी पानी नहीं गया है । यह माइनरें हैं गड़ाया माइनर, जुनसुटी माइनर, हथावली माइनर और ओलमाइनर इनमें एक बूंद पानी नहीं गया है । नहरों की सफाई के लिये जो पैसा दिया जाता है, वह बजट ही कम दिया जाता है । तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पैसा सफाई के लिये दिया जाये वह पर्याप्त दिया जाये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जल प्लावन की बड़ी समस्या है । उसका मेन कारण यह है कि नालियों की सफाई वर्षों से नहीं हुई है जो पटरी टूट जाती है, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाती है । आपने जो रेट रखा है वह 157 रुपया प्रति किलोमीटर रखा है, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, इसमें वृद्धि की जानी चाहिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपने-अपने सुझाव लिख कर भेज दें । मैं उनको कार्यवाही का अंग बनवा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बलजीत सिंह—

एन0 आर0 ई0 पी0 और एल0 आर0 जी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत जो डी0 आर0 डी0 ए0 की मदिंग में जो कार्य पास होते हैं और जिनके लिये धन उपलब्ध कराया जाता है, उन कामों को विभाग कर नहीं पाता है । एक बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । सिंचाई विभाग में आरक्षण कोटे का ध्यान नहीं दिया जाता है । सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता की प्रोन्नति के समय आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है । लालपुर माइनर को जोड़ने के लिये 3 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था, परन्तु उस पर आज तक काम आरम्भ नहीं हुआ है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं....

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह था कि आपने यह कहा था कि आप लिखकर दे दें वह कार्यवाही का अंग बन जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि आप अभी लिखकर दे दें वह कार्यवाही का अंग बन जायेगा ।

माननीय सदस्यों के कुछ वक्तव्यों के लिए देखिए परिशिष्ट 'ग' आगे पृष्ठ 186 पर ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और विशेषतः अपने सत्तापक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये, उनका भी मैं आभारी हूं इसलिये कि परोक्षतः जो बातें मैंने कही थी, उनका समर्थन किया है लेकिन यह बात दूसरी है कि सत्ता पक्ष में बंधुवा मजदूर होने के नाते उन्होंने कहा कि दो और दो चार तो होते हैं लेकिन मैं चार कह नहीं पाऊंगा और इस तरह से आलोचना करते हुये उन्होंने मंत्री जी के बजट का समर्थन किया है।

मान्यवर, मैंने मूलतः दोनों पक्षों के विचार सुने और साफ तौर से कुछ बातें सामने आई। इस बात पर सभी सहमत हैं कि जो सरकार ने ट्यूबवेल की सिंचन क्षमता 100 हेक्टेयर बना रखी है वह इतनी नहीं है। कहीं पर भी प्रदेश में 20 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचन क्षमता नहीं है। निजी नलकूप लगाने की आप अनुमति नहीं देते हैं और सभी चाहते हैं कि उन्हें अनुमति मिले। दूसरे, प्रदेश में जो उपलब्धि माननीय मंत्री जी बता रहे हैं उसमें जो आपने आंकड़े दिये हैं उससे भी यह प्रकट होता है कि इसमें सरकार का क्षेत्र नहीं है निजी नलकूप वालों का ही है। जो पुस्तिका आपने दी है उसमें जो आंकड़े 85 के आपने दिये हैं उसमें निजी सिंचाई के क्षेत्र में 51 लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई है और राजकीय क्षेत्र में 6 लाख 45 हजार ही है। यह आप प्रदेश में क्रांति ला रहे हैं। निजी नलकूप वालों की 8 गुनी क्षमता बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि जो सदन की भावना है ऐसे निजी नलकूप वालों को आप और भी सुविधायें दें। उनका खर्च मेन्टेनेन्स पर आता है। इसलिये आप उनको कम से कम 60 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा करें।

दूसरी बात यह है जिससे कि हम सभी चिन्तित हैं। जब हम किसी विभाग में सुधार की बात करते हैं तो उसके कर्मचारियों की दशा पर भी विचार करें और उस दृष्टि से इस विभाग में एक बड़ी विडम्बना देखने को मिली है कि उनके अधिशासी अभियन्ता 17–18 वर्ष से पड़े हुए हैं अपने उस पद पर। उनका प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं। कब करेंगे, जब वे वृद्ध हो जायेंगे या रिटायर हो जायेंगे। उन्हें जब सेवा का अवसर मिला है तो उन्हें प्रोन्नति का अवसर प्रदान करें। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो हमारे अंशकालिक नलकूप चालक हैं, उनके सम्बन्ध में प्रदेश में बड़ा आन्दोलन हो रहा है। ये अंशकालिक चालक बहुत परेशान हैं। 299 रुपये में आज क्या होता है और इन्हें मात्र 211 रुपये ही मिलते हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उसको बढ़ा रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

कितना बढ़ा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इन अंशकालिक नलकूप चालकों की वेतन वृद्धि भी करें जिससे उनकी स्थिति ठीक हो सके और वे मनोयोग से छूट सकें। यह बात सही है कि जो माननीय सदस्यों की भावना है वह बंदिश लगायें नलकूप चालक गांवों में रहें। ऐसा न हो कि नलकूप चालक की अनुपस्थिति में नलकूप न चल सके।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

एक बात बड़ी विचित्र देखने को मिली है जिससे हमारे शासन की नियत साफ नजर आती है। अभी जो साहित्य बंटा है जहां यह एक ओर कहते हैं कि हम सिंचाई में प्रगति कर रहे हैं उसमें योजनान्तर्गत प्राविधान कम हो रहा है। जो 1988–89 के रिवाइज्ड इस्टीमेट हैं वह 639 करोड़ रुपये के हैं और 1989–90 के लिये जो प्रपोज्ड दिखाया है वह कवल 498 करोड़ का है, इस प्रकार गत वर्ष से यह 141 करोड़ प्लान्ड एक्सपेन्डीचर में कमी हो गयी है तो इससे विकास आगे जाने के बजाय पीछे ही जायेगा। तो शासन इस बात का जवाब दे कि प्लान के खर्च में 141 करोड़ की कमी किन परिस्थितियों में हुई लेकिन दूसरी ओर विचित्र स्थिति यह है कि नान–प्लान में यह खर्चा बढ़ रहा है। गत वर्ष के जो रिवाइन्ड एस्टीमट थे वह 459 करोड़ के हैं और जो खर्चा प्रस्तावित है वह 560 करोड़ का है तो इस प्रकार नान–प्लान में 101 करोड़ ज्यादा दे रहे हैं। इससे

शासन की मंशा साफ जाहिर होती है जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह चुनाव का वर्ष है उसमें आंकड़ों का गोल-माल करके दिखा रहे हैं ताकि चुनावों के लिये पैसा इकट्ठा हो सके। निश्चित रूप से प्लान में खर्चा ज्यादा और नान-प्लान में खर्चा कम होना चाहिये लेकिन यहां उल्टा हो रहा है।

दूसरी बात जो आमतौर से माननीय सदस्यों की भावना है और माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि जो ट्यूबवेल आप लगाते हैं उनमें खारा पानी निकलता है और सारा खर्च आपका बेकार हो जाता है। पैसा तो बेकार हुआ ही उसके साथ अगर किसी में पानी दे दिया तो खेत की फसल चौपट हो गयी। तो जब भी आप कुयें बनायें उससे पहले भू-गर्भ जल सर्वेक्षण से उसका सर्वेक्षण अवश्य करा लें कि वहां पानी खारा निकलेगा या मीठा अगर यह करा लेंगे तो उससे आपका पैसा भी बचेगा और जो फसल को नुकसान होता है वह भी बच जायेगा। इसी संबंध में मैं कहना चाहूंगा माननीय सदस्य आगरा बदन सिंह जी ने कहा कि उनके यहां एक नदी ही खारी नदी कहलाती है। उस नदी का पानी जहां-जहां जाता है खेत में फसल चौपट हो जाती है तो उसके लिये एक सुझाव दिया गया है कि जगह-जगह तटबन्ध बना दें ताकि बरसात का पानी, इकटठा होकर धीरे धीरे उसमें एबजार्ब हो जाय जिससे वह खारा पानी मीठे पानी में कभी न कभी बदल जायेगा। मेरे बगल माननीय मैनेजर सिंह जी बैठे हैं उनका कहना है कि उस खारी नदी को स्वीटी नदी कर दें (व्यवधान) रघुवर दयाल वर्मा जी को भी स्वीटी से बहुत लगाव है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

रघुवर दयाल जी को तो चूड़ियों का ध्यान रहता है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

विशेष बात यह देखने की है कि आज जो नहरें हैं या ट्यूबवेल हैं, उनकी मूलों और नालियों पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। आप ट्यूबवेल में नालियों को ठीक नहीं रखेंगे तो भले ही बिजली मिले और वह ट्यूबवेल चले भी, तो भी सिंचाई नहीं हो सकती है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि आपको एक ट्यूबवेल की क्षमता 100 हैक्टर है, जिसे आप मानते हैं, तो आपको किसी भी ट्यूबवेल में इतनी बनी हुई नाली नहीं मिल सकती है। मैं इसलिये आपसे चाहूंगा कि जो आज आपने समिति बनाने की बात कही है, उससे इस बात की भी जांच करा लें कि क्या किसी भी ट्यूबवेल में 100 हैक्टर नाली बनी है। आपके अधिकारी और कर्मचारी उपकरण खरीदने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें कमीशन मिलता है।

मेरे पास फैजाबाद जनपद की एक सर्वे रिपोर्ट है, जो अभी 21 फरवरी, 1989 को प्रकाशित हुई। उसमें दिया हुआ है कि 90 परसेन्ट पैसा इन उपकरणों की खरीद में खर्च हो गया। तो मूलों और नालियों को बनाने पर जो खर्च करना चाहिये था वह उपकरण खरीदने पर खर्च हो गया। तो इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि आप वर्ल्ड बैंक के पैटर्न पर अन्डरलाइन नालियां बनवाए तो एक सुविधा हो जायगी। एक बात यह है कि हमेशा से किसान इस बात के लिये लड़ाई लड़ता रहा है कि आप उसको सींच-बही दिलवाए इसके न होने से उनका बड़ा शोषण होता है। पानी उसे मिलता नहीं और उसके पास बिल पहुंच जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें शासन को कोई व्यय भार नहीं होगा, उन्हें इसे अवश्य करा देना चाहिये। एक बात और यह है कि कैनाल ऐक्ट हमारी बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की बनी है और यह सामान्य नियम के विपरीत भी है। कहीं नहर कट जाए और न कट जाए तो शरारती तत्व किसानों को परेशान करने के लिये उसे काट दे तो पानी चला गया तो जुर्माना सब पर होता है श्रीमन, सिद्धान्त दुनियां का यह है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए, किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता है, उसे दंडित नहीं किया जा सकता है।

किन्तु आप एक तरफ से सबको दंडित करते हैं तो कैनाल ऐक्ट में संशोधन करने की बड़ी आवश्यकता है। यह गुलामी के जमाने का बना हुआ है। इसमें आप निश्चित रूप से संशोधन करें और सामूहिक जुर्माना की प्रथा को खत्म करावें।

अन्त में यह कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चिन्ता की बात है, जो उधर से भी कही गयी और वह है बाढ़ नियंत्रण के संबंध में चीन में "चीन का शोक" कहलाने वाली ह्वांगहो जैसी भयानक नदी पर उसने नियंत्रण पा लिया। अमेरिका ने एक योजना बनाई और उसके माध्यम से टैन्स बैली स्कीम लागू करके उसने अपने यहां बाढ़ लाने वाली नदियों को बांध दिया, तो मैं मंत्री जी से और शासन से अपेक्षा करता हूं कि अगर आप बाढ़ को रोकना चाहते हैं तो आप नदियों को गहरा करा दें। अगर आप नदियों को गहरा करा देंगे जो वर्षों पुरानी नदियां हैं जो छिछली हो गई हैं, अगर उनको गहरा करा देंगे तो जो करोड़ों रुपयों की बर्बादी राहत के नाम पर होती है, जो रुपया बाढ़ के नियंत्रण में खर्च होता है तो वह बच जायगा। और आप दूसरे प्रदेशों के समकक्ष आ जायेंगे। मान्यवर, हाथरस फिरोजाबाद से कैनाल आती है उसका टेल एन्ड फिरोजाबाद में है, जिसकी वजह से पानी वहां पहुंचता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत समय हो गया है, 20 मिनट आपको दे दिए।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

अन्त में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को जो सुझाव दिए हैं वह उसको स्वीकार करेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने सिंचाई विभाग के रखे अनुदान में भाग लिया और बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय द्विवेदी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वस्तुस्थिति से अलग हटकर टेहरी बांध की परियोजना जो 1973-74 में इस सदन के पटल पर आई थी उस समय 300 करोड़ की थी और इस वर्ष इस सदन में पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट एक हजार करोड़ का पास किया गया, तो टेहरी बांध में विलम्ब का कारण हमारे संसाधन थे, किसी ने उस बांध को रोकने का प्रयास नहीं किया, तो जैसे-जैसे हमें संसाधन मिलते रहे वैसे वैसे कार्य होता रहा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जो साहित्य दिया वह क्या गलत है? इसमें 197 करोड़ लिखा है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैं 1973-74 की बात कर रहा था। आपने कहा श्रीमन् 40 वर्षों में सिंचाई विभाग ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है तो मैं कहना चाहूंगा कि विगत वर्ष सूखा और बाढ़ 1987-88 में या श्रीमन् यह सिंचाई की व्यवस्था का ही परिणाम था कि 1976 की स्थिति नहीं आई किसी वजह से मेलों नहीं आया और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक ने 1987-88 के सूखे में गेहूं खाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व यह देश आजादी के पहले सन् 1947 के पहले सारे उत्तर प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था थी। 1985-86 के अन्त तक सारे उत्तर प्रदेश में 131 लाख सिंचाई की व्यवस्था हुई।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, आज जो साहित्य दिया गया है, आय-व्ययक उसके पृष्ठ 13 को देखने की कृपा करें। उसमें टिहरी बांध परियोजना के कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष 1978-79 दिखाया गया है और मूल लागत 197 करोड़ रुपये दिखायी गयी है। तो कौन सी बात को मैं सही मानूं। आपने जो अभी सूचना दी है या जो इस पुस्तक में कहा गया है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जो आपको किताब मिली है उसको सही मानें जो मैंने जानकारी दी है वह मेरी जानकारी है। मैं उस समय सदस्य था ।

एक सदस्य—

आप उस समय इधर बैठते थे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वह सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है । जब तक मैं रहूंगा इधर ही बैठूंगा । यह भाग्य-भाग्य की बात है । हम तो अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुये हैं । माननीय मैनेजर सिंह भी उस समय 1972-73 में सदस्य थे और इस कोने में बैठते थे जहां पर तिवारी जी बैठे हुये हैं ।

श्रीमन्, बाढ़ की जहां तक बात है माननीय द्विवेदी जी ने जो दली पट्टी के बारे में कहा तो उसका निर्माण चल रहा है । यह 19 लाख की परियोजना थी इस वर्ष पूर्ण होने वाली है। मैं मान्यवर, अगर कुछ ऐसा-वैसा संभाषण करूंगा तो कान पकड़ कर खड़े हो जाना पड़ेगा । हमारे माननीय मित्र राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने मुझे कई बार फंसाने का प्रयास किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो साहित्य वितरित हुआ है, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, आय-व्ययक, 1989-90 मैंने उसको देखा है । उसके पृष्ठ 13 पर लिखा है टिहरी बांध परियोजना के बारे में जिसको माननीय द्विवेदी जी ने अभी बताया है । लेकिन आप अपनी बात को सही साबित कर रहे हैं । आप जैसे वरिष्ठ संसदीय विधाओं के जानकार व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिये । आप कह सकते हैं कि छपाई की भूल हो गयी है । जानकारी तो एक ही सही होगी। इस पर मान्यवर, अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जानकारी आपकी ही सही है लेकिन इसकी बाध्यता नहीं है कि मैं अपनी जानकारी को हटा दूं । मैंने जो बताया वह भी इस सदन का अंग रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

आपकी बात से भ्रम हो रहा है । 78-79 की बात सही है या जो आपने कही थी वह सही है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैंने आपकी बात मान ली । अगर सदन का निर्णय हो तो मैं अपने हृदय से जानकारी हटा दूं । कर्नाली बांध की बात उठायी गयी, शारदा सहायक, सरयू नहर की बात हुई । यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जिस पानी का प्रयोग जो देश करता है वह जल उसका सुरक्षित रहता है । कर्नाली का जल आगरा का नेपाल से आता है इसमें कोई दो राय नहीं है । जितना जल का प्रयोग भारत कर रहा है वह भारत का सुरक्षित है । कर्नाली बांध बनेगा या नहीं यह तो भविष्य जानता है लेकिन सरयू नहर बनेगी और घाघरा के किनारे बसे हुये लोग उसका लाभ उठायेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, यह सूचना गलत है जो साहित्य दिया है और जो उसमें सरयू नहर परियोजना के सम्बन्ध में है, यह जो आपका साहित्य है उसे देखें । उसमें यह है कि आपने प्रारम्भ में कहा, और प्रारम्भ करने के बाद इसमें यह आपने कहा कि बनेगी-बनेगी । लेकिन मेरी निश्चित

जानकारी है कि नेपाल को 350 मिलियन डालर वर्ल्ड बैंक ने दिया था और कर्नाली के ऊपर कर्नाली प्रोजेक्ट को नेपाल बना रहा है उसके नाते बहुत पानी रुक रहा है । कर्नाली से ऊपर घाघरा प्रोजेक्ट और घाघरा के ऊपर कर्नाली प्रोजेक्ट बन रहा है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, माननीय विधायक जी से यह अनुरोध है कि टिहरी हरिद्वार के ऊपरी बनी है ऋषिकेष के ऊपर बनी है टिहरी का बांध बनाने से क्या गंगा की धारा बन्द हो जायेगी जहां से घाघरा भारतवर्ष में प्रवेश करती है, जहां से इसका नाम घाघरा होता है, उसी से पहले इसको सीसा पानी कहते हैं । वहां क्या हो रहा है वह औचित्य नहीं है न पड़ सकता है । मैं तो अपनी बात जानता हूं कि विश्व का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जितना जल जो प्रयोग करता है उतने जल पर उसका अधिकार हो जाता है । कब वह कर्नाली का बांध बनेगा यह मैं नहीं जानता, कल उनका एग्रीमेन्ट हुआ यह मैं नहीं जानता, मैं यह अवश्य जानता हूं कि शारदा सहायक परियोजना सरयू नहर परियोजना ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

आपने नेपाल से वार्ता की ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

एक कमेटी बनी हुई है जो भारत सरकार के माध्यम से जब कर्नाली की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी जाते हैं ।

उस योजना के अन्दर तो आप सबको एक विवाद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है यह विवाद की बात नहीं है । इतना विश्वास है कि भारत सरकार में प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जो भय आपको है वह नहीं आ पायेगा ।

मान्यवर, बाढ़ कार्यों के लिये गंगा, यमुना, रामगंगा, टोंस, घाघरा, गंडक, गोमती आदि नदियां जो हैं उनका एक मास्टर प्लान बना हुआ है और यह प्लान गंगा कमीशन की बैठक में है उनके सहयोग से बनता है, वह प्रोजेक्ट पास है । आठवीं पंचवर्षीय योजना बाढ़ के लिये 670 करोड़ का प्राविधान किया जा रहा है । आपने बाढ़ नियंत्रण की बात कही । जब मैंने शुरू किया था तभी मैंने अनुरोध किया था कि जो बाढ़ गंगा यमुना के माध्यम से आती है, जो बाढ़ गोमती के माध्यम से आयेगी, जो बाढ़ राम गंगा के माध्यम से आयेगी तो जो नदी जब भारत में है और उत्तर प्रदेश में है उसके आधार पर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम हो रहा है लेकिन जो नद हमारे देश के बाहर हैं । उसके ऊपर हम बाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम नहीं बना सकते। बाढ़ से सुरक्षा का कार्यक्रम बना सकते हैं । उनकी सुरक्षा का कार्यक्रम उन नदियों के किनारे चल रहा है । प्रति वर्ष चल रहा है। बाढ़ सुरक्षा में दो मुख्य बातें हैं। एक तो बांध का निर्माण, जो भारत वर्ष के अन्दर और उत्तर प्रदेश के अन्दर नदियां हैं, वहां बांध के निर्माण का जो कार्यक्रम है। जो हमारी सीमा के बाहर की नदियां हैं, वहां यह कार्यक्रम नहीं है । दूसरे नदियों के तट-बन्धों पर वृक्षारोपण तटबन्ध बने हैं, तटबन्ध क्या होता है ? नदी की धारा को ऊंचा करने को तटबन्ध कहते हैं । हमारी नदियां बड़ी विशाल हैं और साधन हमारे सीमित हैं। हम उन नदियों की खुदाई का काम नहीं कर सकते हैं। जो भी नदियों पर तटबन्ध बने हैं, गंगा के किनारे तटबन्ध का काम कम हो रहा है। माननीय हरीश जी ने राप्ती की बात कही, उसका काम अधूरा है, पूरा किया जा रहा है। जहां मरम्मत होनी है, मरम्मत होगी और जो नये हैं उनको अगले वर्ष की योजना में लिया जायगा । अगले वर्ष का अर्थ 1989-90 नहीं है । आठवीं योजना में उनको सम्मिलित करने पर विचार किया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, तब तक तो बह जायगा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बहने नहीं पाएगा। बहने से रोका जायगा। माननीय द्विवेदी जी अधीक्षण अभियन्ता को बात कर कह रहे थे। उनका मसला विजिलेंस देख रहा है। उसका परीक्षण हो रहा है। जो डायरेक्शन दिये हैं तदनुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

बलिया के बारे में कुछ कह दें।

श्री मैनेजर सिंह--

कौन इंजीनियर है। आपकी भ्रष्टाचार के बारे में क्या नीति है। विजिलेंस ने एक अभियन्ता के खिलाफ रिपोर्ट दे दी, आप उसको कहते हैं कि शासन में परीक्षण हो रहा है क्या मतलब है, घालमेल। जब रिपोर्ट आ गयी तो क्यों कार्यवाही नहीं करते। अधीक्षण अभियन्ता माजिद अली के खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा चलाने के लिये कहा। पूर्व मंत्री ने दबाया, आप आए, उसने कोशिश की और आप भी प्रभावित हो गये? मंत्री प्रभावित हो जायेंगे, सरकार प्रभावित हो जायगी तो कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा क्यों नहीं कार्यवाही करते? समय बांध दें। मंत्रि-परिषद् में निर्णय कर लें कि विजिलेंस की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 3 माह में, एक माह में, कार्यवाही करेंगे। भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आ जाय और दो-एक साल तक परीक्षण करेंगे। यानी भ्रष्टाचार का संरक्षण देकर बढ़ावा देंगे। आप भ्रष्टाचारी को संरक्षण देंगे। ऐसे बीसियों मामले हैं। जिन-जिन अभियन्ताओं के खिलाफ, रिपोर्ट आ गयी हो, चाहे के0 डी0 सिंह हों, डी0 डी0 सिंह हों या माजिद अली हों, आप कहें कि उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेंगे अविलम्ब करेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इनके बारे में जो भी रिपोर्ट आ जायगी, उस पर कार्यवाही की जायगी और विलम्ब नहीं किया जायगा और रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, कुछ खारे पानी के बारे में कह दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

खारे पानी के बारे में क्या अनुरोध करूं। जिस क्षेत्र में खारा पानी है वहां शुद्ध जल को लाये जाने का प्रयास होगा। मैंने कहा कि टेहरी बांध योजना जैसे ही बनेगी, उसके पूर्ण होने के पूर्व जैसे ही पानी का स्रोत बढ़ेगा, आगरा कैनाल के माध्यम से आपके यहां मीठा जल ले जाया जायगा। इसका यही इलाज है। यही कहना है कि भूगर्भ के अन्दर कोई केमिकल डालकर पानी का स्वरूप बदल दें अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आयी है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग है, आपके ट्यूबवेल की बाबत कहना चाहता हूं कि जहां पानी का लेविल नीचे चला गया है या केमिकल डिफेक्ट है जहां केमिकल डिफेक्ट है उसकी वजह से दो कमियां आ जाती हैं जो छिद्र होते हैं वह भरने लगते हैं, चारों तरफ मिट्टी आ जाती है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह बात माननीय बदन सिंह जी ने नहीं कही, वह दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय समाप्त करें, स्पष्टीकरण समाप्त हो गये।

श्री बदन सिंह—

खारी नदी में बरसात में पानी को रोकने के लिये लघुबांध बनायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय बदन सिंह जी मैं यही कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं मेरे पास प्रस्ताव लिखकर के भिजवा दें, मैं उसकी जांच करा लूं अभी कैसे कह दूं कि क्या हो सकता है। पहले आप मुझे प्रस्ताव लिख करके दे दें। बुन्देलखन्ड, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, आपके चम्बल और बेतवा के बीहड़ क्षेत्र जहां पर धरती के अन्दर पत्थर मिलता है और नलकूप का छिद्रण कठिन होता है जहां पानी का डिस्चार्ज कम मिलता है इन क्षेत्रों में नलकूप अगर लगभग 5 हजार गैलन तक इनसे जल का डिस्चार्ज मिलेगा तो उस नलकूप को स्थापित किया जायेगा। इन स्थानों पर जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है जैसे सीकरी, जो मीठी नदियां हैं या छोटे नाले हैं जहां जल उपलब्ध है वहां पर छोटे एम्प कैनाल दो क्यूसेक ढाई क्यूसेक के उनका निर्माण कराके उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

आप पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं मध्य क्षेत्र में फर्रुखाबाद आता है उसको क्यों छोड़ रहे हैं, वह कमजोर हो जायेगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मध्य क्षेत्र में मध्य गंगा नहर आ रही है। कौशिक जी ने अभी बताया कि वहां मध्य गंगा नहर आ रही है। उसके सेकेन्ड फेज का कार्य प्रारम्भ हो रहा है। फर्रुखाबाद में आलू है, इत्र है, सिंचाई संबंधी क्या है ?

श्री देव कुमार यादव—

अध्यक्ष, एक स्पष्टीकरण पूछ लूं। मान्यवर, जब आप सिंचाई मंत्री हुए थे आप झांसी गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

सिंचाई मंत्री जी आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री देव कुमार यादव—

बुन्देलखन्ड की आपने चर्चा की, मैं इसलिये कह रहा हूं। जो 25 क्यूसेक का प्रतिबन्ध है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उसको मैंने हटा दिया, यही कह रहा हूं कि 25 क्यूसेक का प्रतिबन्ध हटा दिया। मान्यवर, आपकी आज्ञा हो तो एक चीज और कह दूं। माननीय द्विवेदी जी ने नलकूपों को डायरेक्ट लाइन देने की बात कही, पहले नलकूपों पर डायरेक्ट फीडर दिया गया था, बाद में उन्हीं फीडरों से ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया। शनैः शनैः जैसे हम लोगों ने भारत सरकार में दिया है कि हमको बिजली का डायरेक्ट फीडर देना है। मैंने धन मांगा है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जो क्षेत्र आते हैं, वहां नलकूपों को डाइरेक्ट फीडर कर दे रहे हैं। इसके अलावा जो नये नलकूप बनेंगे, उनको भी विश्वबैंक पैटर्न पर लिया जा रहा है और उनको भी डाइरेक्ट फीडर से जोड़ा जायगा। इसके अलावा 19 हजार जो पुराने नलकूप हैं, उनको एक साथ तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन समयबद्ध योजना के अन्तर्गत उनमें भी इस कार्य को प्रारम्भ किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विद्वतापूर्ण कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें

क्योंकि उन्होंने कहा कि एक रुपया भी नहीं देना चाहिये। लेकिन जब योजना के तहत काम होगा, तो वह कैसे होगा। वह स्वयं जानते होंगे कि एक नलकूप की लागत 8 लाख रुपये आती है। जहां तक सुझाव देने की बात थी, तो एक रुपया कटौती रखकर उन्होंने सुझाव दे दिये, लेकिन अब कार्य प्रारम्भ करने की बात है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल की इजाजत आपको दूंगा, तो बहुत हो जायगा।

श्री सुखपाल पान्डेय—

मान्यवर, मैं भी एक जानकारी चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी जब घाघरा के दौरे पर गये थे, बस्ती जिले में, उस समय उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि घाघरा के कटान को रोकने के लिये, इसका सर्वेक्षण कराकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा और जो पत्थर या गिट्टी डालने का रास्ता है, उसको रिंग रोड करवाकर, जिससे आवागमन सुचारु रूप से हो जायं, इस कार्य को कब से चालू करवाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आज मैंने प्रस्ताव रखा है, यह पहली अप्रैल, 1989 से लागू होगा, तभी से कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी नम्रतापूर्वक यह बात जानना चाहता हूं कि अंशकालिक नलकूप चालक जो हैं, जिनके संबंध में मैं अपने एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ आपके कक्ष में भी मिला था क्या उनके संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मानदेयों के संबंध में शासन क्या विचार कर रहा है और आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि अंशकालिक नलकूप चालक जो हैं, वह गांव सभा के अन्तर्गत कर्मचारी होंगे और उनके मानदेय में पुनः वृद्धि करने का विचार शासन के विचाराधीन है और शीघ्र ही उस पर निर्णय कर लिया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में स्थानान्तरण के मामले हैं वह भी भ्रष्टाचार की जड़ में हैं। तो क्या आप यहां पर ऐसी किसी नीति की घोषणा करेंगे, जो नीतिसम्मत हो और जिसके अन्दर ऐसा प्राविधान हो कि 3 साल तक एक स्थान पर ही कोई अभियन्ता रहेगा या इतने दिन अवधि के बाद उसे अनिवार्य रूप से सर्वे या प्राक्कलन में जाना पड़ेगा। क्योंकि आज जब स्थानान्तरण में छूट देते हैं तो [illegible] पता है, शिकायतें [illegible] हैं, कुछ [illegible] करने का भी [illegible] होता है। [illegible] विभाग बहुत बदनाम है पहले के [illegible] मंत्री जी के [illegible] कुछ [illegible] तो उनके [illegible] वे भी स्थानान्तरण कराया करते थे। अब आपके जो कारीगर अभियन्ता हैं, वे आये दिन स्थानान्तरण आदेश जारी करवाते हैं, इसलिये क्या आप स्थानान्तरण के लिये कोई नीति बनायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पहली बात तो यह है कि इस समय मेरे विभाग में किसी अभियन्ता का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। दूसरा, यह कि 15 मार्च तक सभी माननीय सदस्यों के पास नीति की प्रतिलिपि पहुंच जायेगी। अप्रैल के महीने में विद्यालय खुल जाते हैं, इसलिये 15 मई तक जितने स्थानान्तरण किये जाने होंगे, वे कर दिये जायेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री देव कुमार को बुलाये जाने पर)

(मेजों पर थपथपाहट की आवाज से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री देव कुमार जी अब आप कृपा करके बैठ जायें। श्री द्विवेदी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,28,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,39,19,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कर-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस आर्डीनेन्स के अननुमोदन का प्रस्ताव मैंने दो कारणों से दिया है । एक तो यह सिद्धान्ततः बात सही मानी जानी चाहिये और जैसा कि हमारे संविधान में भी है कि आर्डीनेन्स उसी समय निर्गत किये जायेंगे जिस समय कोई अपरिहार्य आवश्यकता शासन के सामने पड़ जाय । टैक्सेशन मेजर, जिसमें कराधान बढ़ाने की व्यवस्था है, वह अध्यादेश के माध्यम से नहीं होना चाहिये । इन दोनों नीति सम्बन्धी मामलों को लेकर मैंने अननुमोदन का प्रस्ताव पेश किया है । हमारे सामने जो विधेयक आया है इसको देखने की कृपा करें, सरकार ने यह कहा है कि हम आमदनी बढ़ाने के लिये यह काम करने जा रहे हैं । जब बजट पेश किया जायगा उस समय तो कहा जायगा कि कोई नया टैक्स लगाने वाले नहीं हैं लेकिन वर्ष के अन्त में आर्डीनेन्स के माध्यम से और स्टेच्युटरी आर्डर्स के माध्यम से टैक्स बढ़ा दिये जायें, यह सरकार की दोहरी नीति का परिचालक है ।

इस बार के बजट में भी कहा गया है कि नये टैक्स नहीं लगाये जायेंगे । इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि वर्ष के अन्त में टैक्स लगा दिये गये । जहां तक यह बात है कि शासन को इस बात का अधिकार दें कि संसाधन बढ़ायें, इसमें कोई बहस नहीं है लेकिन इसके लिये किसकी जेब में हाथ डाला जायगा, इस बात पर भी विचार करना चाहिये । अगर उससे गरीब आदमी और निर्बल वर्ग के आदमी पर असर पड़ रहा है, किसान की अर्थ व्यवस्था चौपट हो रही है, तो ऐसे कराधान का विरोध होना चाहिये । तीन कारण इसके दिखायी पड़ रहे हैं । टैक्स बढ़ा दिया, वह भी उन पर बढ़ाया है जो आम आवश्यकता की वस्तु है मोटर स्प्रिट है, डीजल आयल है तथा एल्कोहल है । अभी तक क्या होता था, एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को माल भेजती थी, दूसरी कम्पनी तीसरी कम्पनी को माल भेजती थी । या तो कम्पनी रेट पर माल बेचते । फुटकर व्यापारी को माल के दाम बढ़ा कर भेजे जायेंगे । इन चीजों पर प्राइस कंट्रोल है । लोकल आवागमन और ट्रान्सपोर्ट का जो पैसा है, उसको बढ़ाकर अलग-अलग जिलों में भेद होता है । जब व्यापारी तीन स्तर के बाद चौथी जगह जायगा तो उसका प्रतिशत ज्यादा टैक्स के रूप में आयेगा । इस बात पर शासन ने विचार नहीं किया कि इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा । अगर टैक्स बढ़ा तो डीजल की कीमत, मोटर स्प्रिट की कीमत बढ़ जायगी, माल भाड़े पर भी प्रभाव पड़ेगा, किसान पर भी प्रभाव पड़ेगा । यह गरीब विरोधी टैक्सेशन मेजर है । सरकार की बिक्री कर वसूलने की जो विधि है, उसको ठीक नहीं करती है, टैक्सेशन मेजर बढ़ाते चले जाते हैं । सरकार ने स्वयं आदेश दिया है, भ्रष्टाचार कहां तक होता है, व्यापारी बिक्री कर उगाहने की एक एजेन्सी है, उसकी सुख-सुविधा का भी ध्यान रखें । इसका असर उपभोक्ता पर पड़ता है । एस0 डी0 ओ0 जब एसेसमेन्ट का जजमेन्ट लिखेंगे तो उसमें पिछला बकाया भी उल्लिखित कर देंगे जिससे व्यापारी को मालूम हो कि कितना बकाया है । क्या उत्तर प्रदेश में जबसे विधि व्यवस्था लागू हुई है, एक भी एसेसमेन्ट में पिछला बकाया लिखा गया है ? अगर पिछले बकाये नहीं लेखाग्रस्त हुए तो शासन ने इस बात पर क्या ध्यान दिया कि आदेश होने के बावजूद भी बकाये लेखाग्रस्त क्यों नहीं किये गये ? वह क्यों नहीं लिखे जाते हैं ? जब आदमी रिटर्न लेने जाता है तो उसे रिटर्न मिल नहीं पाता है । इसमें अन्तर्राज्यीय व्यापार को सन्दर्भित किया गया है । आज उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से चोरबाजारी हो रही है, इसको रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यगति का प्रयास नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी, बहुत छोटा सा तो है, आप बस भी करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे यहां सीतापुर में नाजायज तरीके से 18 हजार रुपया रिटर्न का देना है, वह नहीं मिल पा रहा है । तीसरी बात यह कि बिक्रीकर अधिनियम 48 की धारा 3 ए की 4 धारायें हैं जो कि 2 परसेन्ट टैक्स लेते हैं लेकिन अगर कन्साइनमेन्ट हो जाय तो उसे दुगुना कर दिया जाता है

तो इस तरह से बिक्रीकर की व्यवस्था का सरलीकरण करने की जरूरत है । टैक्स की तादाद बढ़ाने के नाम पर आपने इसमें संशोधन किया है, ऐसा नहीं करना चाहिये । इसके साथ ही मैं बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं ।

*न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान(संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है । इसमें टैक्स के दोहरे मापदण्ड थे कि जो आयल कम्पनियां हैं जैसे कि ए0एस0एस0ओ0, वर्मा तेल, इण्डियन आयल तथा भारत पेट्रोलियम इनके डिपो से दो तरह का सेल होता था । एक तो सीधे डिपो से डीजल और पेट्रोल बेचा जाता था और शार्टेज होने पर ये डिपो से डीलर को न देकर सीधे तेल सेल करते थे । इसमें व्यवहारिक कठिनाई थी कि एक होल सेल वाले भारत पेट्रोलियम से डाइरेक्ट डीलर को बेच देते थे उसमें जो टैक्स लगा फिर उसने जो ट्रांसफर किया इण्डियन आयल को तो उसमें फर्क रखना चाहिये था, टैक्स कम हो जाता, इसका नियमित किया गया है । जो दोहरे माप-दण्ड की व्यवस्था थी उसे ही व्यवस्थित किया गया है । इसमें पहला बिन्दु है कि सेल डिपो से डीलर को दिया गया तथा इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं है, किसी टैक्स को नहीं बढ़ाया जा रहा है न ही टैक्स बढाने की कोई मंशा ही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी, क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं ।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान(संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, बिलम्ब होने के कारण माननीय सदस्यों के मन में यह उत्सुकता है कि यह बहुमत से पास हो जायेगा और इस पर अनावश्यक रूप से माननीय गुप्ता जी और मैंने समय लिया है । मान्यवर, यह बात समझने की है कि यह सरकार अनावश्यक रूप से चीजों में हस्तक्षेप कर रही है जिसकी कि कोई आवश्यकता नहीं है । इसी सदन में मिलकर उन बातों पर विचार कर सकते थे, बहस हो सकती थी, कोई समय नहीं बीता जा रहा था, कोई और परेशानी नहीं थी, इसीलिये मैंने कहा कि शासन की कुछ आदत ठीक होनी चाहिये, मान्यवर इसी नाते मैंने यह संशोधन पेश किया है । माननीय मंत्री जी का कहना है कि राजस्व में बृद्धि के लिये यह विधेयक लाया गया है । मान्यवर, इस प्रकार से राजस्व में किसी प्रकार की बृद्धि नहीं होगी, लेकिन इतना अवश्य होगा कि किसान व अन्य आम लोग जो डीजल इस्तेमाल करते हैं, इस डीजल के दाम अवश्य बढ़ जायेंगे यह लोग सीधे इससे प्रभावित होंगे, डीलर्स अवश्य इस विधेयक से इसके दाम बढ़ाने का अवसर निकाल लेंगे । इस-लिये इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे फिर उसके बाद जो भी आप निर्णय लें, फिर मैं समझता हूं कि यह उचित होगा ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, विधेयक जिसका मैंने जिक्र किया है, दूसरे प्रदेशों में भी कर रहे हैं और वहां पर कोई अंतर व्यापारियों पर नहीं पड़ा है । और न ही कोई अधिक भार किसी पर आया है । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नवम्बर, 1988 से वहां पर लागू है, लेकिन अब तक इसके कोई प्राइस कहीं पर नहीं बढ़े हैं और यही नहीं पंजाब व हरियाणा दोनों ने संशोधन किये हैं, इसलिये आज इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने की कोई बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्ता जी क्या इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अब तक कई कमेटियां इस प्रकार की बनी हैं, जिसमें इन पर विचार हुआ है और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है फिर उस पर शासन ने अमल किया है । इसलिये वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 ई0

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान(संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा ।

(2) यह 3 नवम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2--संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन--संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान अधिनियम, 1939 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा में, पद "प्रथम बिक्री" का तात्पर्य--

(क) मेसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और मेसर्स इण्डो बर्मा पेट्रो-

लियम कारपोरेशन लिमिटेड के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों की स्थिति में, उस प्रक्रम पर बिक्री से है जब उक्त व्यापारियों से भिन्न किसी व्यापारी को उत्तर प्रदेश राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की बिक्री ऐसे व्यापारी पहली बार करते हैं; और

(ख) किसी ऐसे अन्य व्यापारी की स्थिति में जिसमें इस स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में नाम से निर्दिष्ट किसी व्यापारी से उक्त माल क्रय नहीं किया है उस प्रक्रम पर बिक्री से है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की बिक्री ऐसा व्यापारी पहली बार करता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, सन् 1988

3--(1) निरसन और अपवाद-- उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3,1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 27 फरवरी, को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य स्वीकार किया गया था, किन्तु अब हड़ताल समाप्त हो गयी है । अतः इस पर अब वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है ।

आज नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना जो माध्यमिक शिक्षा-परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आचार्य नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद के वर्ष 1983-84 में उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण-पत्र न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है और बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

सूचनायें श्री शारदा नंद अंचल, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री राम आसरे वर्मा और श्री रघुवर दयाल वर्मा व श्री मैनेजर सिंह की सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है ।

आबकारी अधिकारियों को प्रभावित करके जनपद लखनऊ से 5 लाख लीटर अल्कोहल निकलवाकर बाराबंकी, फैजाबाद तथा आजमगढ़ जनपदों को भेज जाने से लगभग 1.50 करोड़ रुपये बचाने तथा जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

न्याय एवं विधायिकी राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर,..

एक सदस्य—

पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

*श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

[प्रदेश में देशी मदिरा अनुज्ञापियों को देशी मदिरा की निकासी बंधित गोदामों से की जाती है, जिस पर आबकारी अभिकर देय होता है। यह मदिरा दो प्रकार की होती है, सादी तथा मसालेदार। यह मदिरा आसवनियों से बंधित गोदामों को आपूर्ति की जाती है, जिसमें मसालेदार मदिरा बन्द बोतलों में होती है और सादी मदिरा ओवर प्रूफ स्प्रिट के रूप में होती है, जिसे बंधित गोदाम स्तर पर आबकारी निरीक्षक की निगरानी में उसकी तीव्रता घटाकर उसकी निकासी हेतु तैयार की जाती है। उल्लेखनीय है कि एक लीटर ओवर प्रूफ स्प्रिट से लगभग ढाई लीटर सादी देशी मदिरा तैयार होती है।

2—आबकारी अभिकर बचाने की दृष्टि से मदिरा में मिलावट तथा अवैध स्रोतों से मदिरा प्राप्त कर बेचने की सम्भावना रहती है। इसके निदान हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 1985 से न्यूनतम निर्धारित कोटा प्रणाली लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत देशी मदिरा की प्रत्येक दुकान के लिये वर्ष में बिक्री हेतु निर्धारित न्यूनतम कोटे पर आबकारी अभिकर की गणना की जाती है जिसे निर्गम मूल्य की संज्ञा दी गई है। इस निर्गम मूल्य की वसूली अनुज्ञापी से मासिक किस्तों में की जाती है, जिसके विरुद्ध अनुज्ञापी सादी मदिरा तथा मसालेदार मदिरा आदि ले सकता है। यदि अनुज्ञापी द्वारा न्यूनतम कोटे से अधिक मदिरा की निकासी ली जाती है, तो उस पर अतिरिक्त अभिकर देय होता है।

3—प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद लखनऊ के अनुज्ञापियों की सामान्य बिक्री से अधिक उनके कोटे के विरुद्ध 5 लाख बल्क लीटर ओवर प्रूफ स्प्रिट निकालने और उसे जनपद फैजाबाद, आजमगढ़ तथा बाराबंकी के अनुज्ञापियों को अवैध रूप से आपूर्ति करने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है। माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना पर उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ चार्ज के माध्यम से जांच कराने पर शिकायत सही नहीं पायी गयी।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि लखनऊ में मौजूदा वित्तीय वर्ष 1988-89 में कितने लीटर शराब का कोटा निर्धारित किया गया है और उसमें से जनवरी, 1989 में कितने की बिक्री हुई अनुज्ञापी जो लखनऊ के हैं, ओवर प्रूफ स्प्रिट जब से कोटा मिला है, तब से कितनी निकाली गई है और दिसम्बर और जनवरी के महीनों में उसकी क्या हालत है ?

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

लखनऊ में जो ठेका हुआ था वह 80,05,000 लीटर का हुआ था और 27 फरवरी, 1989 तक 54,97,324 लीटर निकाला गया, जो आपने मन्थली पूछा है, वह यह है कि अप्रल में 3,12,680 मई में 5,97,321, जून में 5,23,756, जुलाई में 6,37,600, अगस्त में 4,31,850, सितम्बर में 4,23,317, अक्तूबर में 6,11,400, नवम्बर में 5,25,200, दिसम्बर में 6,20,000, जनवरी में 6,10,200 और फरवरी में 2,04,000 लीटर की लिफ्टिंग हुई है ।

शुगर मिल, नवाबगंज, जिला गोण्डा के बन्द कर दिये जाने से लगभग 1,500 मजदूरों के बेरोजगार हो जाने एवं गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन ।

श्री उपाध्यक्ष—

सुखपाल पाण्डे जी के अनुरोध पर इसको स्थगित कर दिया गया है ।

जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में 6 माह पूर्व भर्ती श्रीमती शकुन्तला पाण्डे के प्रति डाक्टरों और नर्सों के अमानुषिक व्यवहार तथा लापरवाही से उनकी मृत्यु के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमती शकुन्तला पाण्डे अस्पताल में एडमिट थीं, उनकी मृत्यु डाक्टरों के नेग्लीजेन्स के कारण हो गयी । कलेक्टर महोदय ने लोगों की शिकायत पर एक मैजिस्टीरियल जांच बिठा दी तो सिटी मैजिस्ट्रेट ने उसकी जांच की और उनकी जांच के आधार पर डाक्टरों की नेग्लीजेन्स पायी गयी और उसी आधार पर ज्वाइन्ट डाइरेक्टर ने तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया है । फैजाबाद में यह पहली मौत नहीं है, कई मौतें इसी प्रकार हो चुकी हैं । पिछली बार जब मैंने जांच रिपोर्ट को सदन में रखने को कहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना उचित नहीं प्रतीत होता है । श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस तरह की जांच रिपोर्ट छिपाई जाय तो जो अपराधी लोग हैं जिनकी लापरवाही से लोगों का जीवन समाप्त होता है, उनको संरक्षण मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा । इसलिये मैंने नियम 49 में आधे घंटे की चर्चा की मांग की है । इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी को जो जांच रिपोर्ट सिटी मैजिस्ट्रेट ने दी थी उसमें किसकी लापरवाही पायी गई ? साथ ही यह भी बतायें कि ज्वाइन्ट डाइरेक्टर ने क्या अनुशंसा की थी ?

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

सिटी मैजिस्ट्रेट जो जांच कर रहे थे उन्होंने तीन डाक्टरों को दोषी पाया था । दो डाक्टर थे और 1 नर्स थीं । एक डाक्टर श्रीमती श्रीवास्तव थीं और दूसरी श्रीमती सरोज थीं और उनके साथ उप प्रबंध जो ड्यूटी पर नर्स थीं वह श्रीमती अख्तर निशा थीं । दोनों डाक्टरों को वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो सिटी मैजिस्ट्रेट ने दी थी और निदेशक ने जो आख्या दी थी जो नर्स है उनके ट्रान्सफर के बारे में कठिनाई है क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय से स्टे ले रखा है उसको समाप्त करने के लिये कार्यवाही हो रही है ।

*श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि एक महिला शकुन्तला नामक की जो है, उसकी मृत्यु हो हो गई और आप अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बजाय उनका ट्रान्सफर कर दिये । ट्रान्सफर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होने के बाद क्या दूसरी जगह पर वे इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे ? उनकी मृत्यु से जो उनके परिवार को क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिये आप कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध 302 का मुकदमा कायम करके उन लोगों की विवेचना करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जहां तक शिकायत का सवाल है वह शिकायत जो रोगी थे श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय, उनके परिवार की तरफ से नहीं आयी थी और कोई मांग उन्होंने नहीं की है । यदि इस तरह की कोई मांग उनकी होगी तो उनको दिया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

जब आपके यहां ऐसी दुर्घटना होती है तो आप उनके परिवार वालों को कोई धनराशि देते है और जब आपके डाक्टरों और नर्सों की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना घटी है तो आपका दायित्व है कि आप लाल बहादुर शास्त्री जैसे किये थे, कि उनके समय में ट्रेन दुर्घटना हुई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था । तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी इस तरह का एक आदर्श स्थापित करें कि एक डाक्टर ने एक महिला की हत्या की है तो आप भी इस्तीफा दे दें ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के मुख से ऐसी हल्की और छोटी बात सुनकर निराशा हुई । कभी यह कह देंगे कि ट्रान्सफर कोई पनिशमेन्ट नहीं है और जब कि मैजिस्ट्रेट की जांच से साबित हो गया कि सम्बन्धित डाक्टर और नर्स दोषी हैं और एक महिला की इन लोगों ने जान ले ली तो ट्रान्सफर कोई पनिशमेन्ट नहीं है । मैं चाहूंगा कि ट्रान्सफर के अलावा कोई और दूसरा विभागीय पनिशमेन्ट न देने का क्या कारण था । दूसरी बात यह है कि जो महिला मरी उसके घर वालों ने कोई प्रथम सूचना पुलिस में नहीं करायी और क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की । क्या इसमें शासन का दायित्व नहीं है जब कि सी०आर०पी०सी० में क्रिमिनल आफेन्स में प्राविधान है, क्या यह शासन का दायित्व नहीं था ? अगर था तो क्या शासन आश्वासन सदन को देगा कि उनके खिलाफ प्रथम सूचना पुलिस में अंकित की जायेगी और नियमानुसार कार्यवाही करेगी... सरकार इस बात को ध्यान में रख कर व्यवस्था करेगी अगर क्षतिपूर्ति शब्द का प्रयोग न भी करें तो उस मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो पाण्डेय जी ने पूछ लिया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे प्रश्न का उत्तर तो आना चाहिये कोई इररेलीवेंट प्रश्न तो मैंने पूछा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आधे घंटे की चर्चा है सब प्रश्न पूछ लें जवाब एक साथ दे देंगे ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट कर लें तो उनके उत्तर दे दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या किसी अधिकारी की लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर उसके घर के लोग मुकदमा दर्ज न करायें तो कार्यवाही करने का प्राविधान नहीं है।

श्री बदन सिंह—

माननीय गुप्ता जी ने प्रश्न पूछा था कि डाक्टरों और नर्स की लापरवाही से श्रीमती शकुन्तला पाण्डे की मृत्यु हुई उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही न करने का क्या कारण है? जहां डाक्टरों और नर्स की लापरवाही से यह हुआ वहीं उस महिला चिकित्सालय की सुपरिन्टेन्डेन्ट की भी लापरवाही रही कि उसने ठीक से निरीक्षण नहीं किया तो उसके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही करेंगे।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

माध्यवर, जहां तक प्राथमिक कार्यवाही की आवश्यकता थी उसको मैंने सूचना दे दी। विभागीय कार्यवाही हो रही है उनको आरोप पत्र दिये गये हैं। प्रारम्भिक कार्यवाही होने के बाद जांच रिपोर्ट जून में मिली थी और एडीशनल डायरेक्टर ने अभी अगस्त में रिपोर्ट दी है। शासन द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षक के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 27 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, 28 फरवरी, 1989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, विधायक द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र 1989 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का संलग्नक

थाना इब्राहीमपुर में स्थित दुर्गापुर ग्राम के एक नवयुवक का अपहरण करने संबंधी अभियोग थाने पर दिनांक 6 जुलाई, 1988 को मु0 अ0 सं0 116/88, धारा 384/365, भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। लाश मिलने पर इस अभियोग में लिप्त सातों अभियुक्तों का चालान दिनांक 20 अगस्त, 1988 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

ग्राम गौरा, बसन्तपुर थाना गोसाईगंज में विगत ग्राम सभा चुनाव में उक्त ग्राम के सवर्णों एवं हरिजनों के बीच आपस में कहा सुनी हो गयी थी, जिसे ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कर दिया गया था। कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, स्थिति सामान्य है अब कोई विवाद नहीं है।

श्री सूर्य नारायण द्विवेदी ग्राम बतासपुर द्वारा मु0 अ0 सं0 111/88, धारा 147/148 308/382 भा0 द0 वि0 हरिजनों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है, जो अभी विवेचनाधीन है। विवादित जमीन का मुकदमा न्यायालय मुन्सफ हवेली, फैजाबाद में चल रहा है, जिसमें दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 तक स्थगन आदेश प्रभावी था। इसकी विवेचना की जा रही है।

श्री राम बोध हरिजन निवासी भगवान पट्टी के प्रार्थना-पत्र पर थाना भीटी में मु0 अ0 सं0 85/88, धारा 147/148 342/392/323 504/506 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना से यह अभियोग धारा 323/504/506 भारतीय दन्ड विधान की हद तक पाया गया जिसमें आरोप-पत्र तीन अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

ग्राम बोबीपुर में एक नवयुवती के साथ बलात्कार के संबंध में थाना भीटी पर मु0 अ0 सं0 96/88 धारा 376 भारतीय दन्ड विधान का पंजीकृत करके विवेचना की गयी विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

श्री देवेन्द्र कुमार पान्डेय नामक नौजवान की नृशंस हत्या के संबंध में मु0 अ0 सं0 101/88 धारा 302/323 भारतीय दन्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस मुकदमें में अभियुक्त शिवकुमार को दिनांक 10 अगस्त, 1988 को व अभियुक्त देवेन्द्र कुमार को दिनांक 11 अगस्त, 1988 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभियुक्त राजकुमार दिनांक 20 अगस्त, 1988 एवं अभियुक्त चतुरी चौबे दिनांक 23 अगस्त, 1988 को हाजिर अदालत होकर जेल भेजे गये। इस मुकदमें में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

बुधई को ही भदई भी कहा जाता है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मृतक के पिता करिया के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस जनों के विरुद्ध धारा 304 भारतीय दन्ड विधान का अभियोग दिनांक 6 अगस्त, 1988 को ही पंजीकृत किया गया था। विवेचना क्षेत्राधिकारी इनायत नगर द्वारा की जा रही है। इस मामले में दो पुलिस कर्मियों को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया और थानाध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया। इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि अवैध शराब की बिक्री केन्द्रों और हथगोले के निर्माण को कुटीर उद्योग का रूप दे दिया गया है। विधान सभा क्षेत्र कटहरी स्थित अशरफपुर धरवा गांव में देशी शराब की दुकान जिलाधिकारी, फैजाबाद के आदेश दिनांक 12 अगस्त, 1988 के अनुसार खोली गई है। इस संबंध में लाइसेन्स फीस रु0 25000 ट्रेजरी चालान सं0 43, दिनांक 27 अगस्त, 1988 को जमा किया गया है।

दिनांक 21 अगस्त, 1988 को श्री शीतला सिंह पर प्राण घातक हमला के संबंध में थाना कोतवाली में मु0 अ0 सं0 812/88 धारा 307 भारतीय दन्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना से श्री राम जन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद का प्रकरण इस घटना से संबंधित नहीं पाया गया। इस समय इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

विधान सभा प्रदेश उत्तर

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित प्रतिलिपि
श्री राम सागर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर

प्रश्न

11--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नलेरीकोट, परगना व तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ में जमीन के पट्टे ऐसे व्यक्तियों के नाम आवंटित किए गये हैं जिनके मकान उक्त भूमि से काफी दूरी पर हैं तथा उनके पास पहले से भी काफी जमीन है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उसे निरस्त कर उन व्यक्तियों के नाम उक्त भूमि का आवंटन किया जायेगा, जिनके मकान मौके पर हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

11--ग्राम नलेरी, परगना व तहसील घोसी में भू0 प्र0 स0 के प्रस्ताव दिनांक 20 मार्च, 1987 ई0 तथा उस पर भू0 नि0/तहसीलदार की आख्या के अनुसार परगनाधिकारी की स्वीकृति दिनांक 26 नवम्बर, 1987 द्वारा 9 व्यक्तियों में आवासीय भूमि का पट्टा उनके मकान के समीप उपलब्ध भूमि का किया गया है। आवंटियों के पास आवासीय भूमि की कमी थी। यह कहना गलत है कि पट्टेदारों को उनके मकान से काफी दूर भूमि का आवंटन किया गया है। यह भी कहना गलत है कि उन व्यक्तियों को पट्टा किया गया जिनके पास पहले से पर्याप्त भूमि है। पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। आवंटित भूमि पर पट्टेदारों के मकान झोपड़ी बन चुकी हैं। आवंटित भूमि आवंटन के समय रिक्त थी। आवंटित भूमि में आवंटियों से भिन्न व्यक्ति का मकान न कभी था और न इस समय है।

राजस्व मंत्री।

नत्थी "ग"

(देखिए पीछे पृष्ठ संख्या 164 पर)

सिंचाई विभाग के आय-व्ययक पर माननीय सदस्यों के सुझाव

1--श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सिंचाई के बजट में मंत्री जी ने कई इन्कलाबी दावे किये हैं, मगर हमें तो यह देखना है कि हमको कितना बूंद पानी मिल सका । कभी-कभी तो यह सोचना पड़ता है कि आजादी से पहले सिंचाई का जो इन्तजाम था वह आजादी के बाद कायम रखना तो दूर की बात उसकी बुरी तरह बर्बादी हो रही है, स्टाफ तो चीटियों की फौज की तरह बढ़ गया, कमीशन और रिश्वत का प्रकोप फैशन बन गया । नहरें सूखती चली गयीं, बन्द होती गयीं । आज हालत यह है कि एक चौथाई नहरें भी चल नहीं रहीं हैं ।

कई नये प्लान अगर कोई बदनसीबी से अच्छा अधिकारी आ गया तो उसने शासन को भेजा मगर शासन ने हमेशा सौतेले निगाह से काम लिया है । सबको शहद बांटते हुये भी सरकार शर्माई है मगर हमें जहर भी ढिठाई से दिया गया है ।

शर्म आती है कैसा जमानाए कहर है । पानी भी मांगना पड़ रहा है ।

मेरे शहर रामपुर में सिंचाई का इन्तजाम करने के लिये ट्यूबवेल और नहरों का खास इन्तजाम करें । शुक्रिया ।

2--श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको धन्यवाद ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र लखना, इटावा जो बीहड़ी क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है । विड़वाकला से पिपरौली, गढ़िया, सिंडौस से सहसो के बीच कोई भी ट्यूबवेल नहीं है । चकरअर में 27 ट्यूबवेल है जो लगभग खराब पड़े हैं ।

(1) लिस्ट कैनाल योजना लागू की जाय ।

(2) ट्यूबवेल ठीक कराये जायं ।

(3) अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा किया जाय । भोगनीपुर डिवीजन, इटावा में कार्यरत श्री सुमित नरायन छागला, जे0ई0 का प्रमोशन शीघ्र कराया जाय ।

3--श्री महेन्द्र भाटी--

मान्यवर, दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा के निर्धारण न होने के कारण दिल्ली प्रशासन अपनी सीमा में यमुना पर ठोकर लगवा कर उत्तर प्रदेश की सीमा जो गाजियाबाद से लगती को बढ़ कर नोएडा एवं यमुना तटबंध को नुकसान पहुंचा रहा है यदि तटबंध घटा तो सारा नोएडा तहस-नहस हो जायगा यमुना कमेटी ने भी ग्राम जैतपुर (दिल्ली) पर बनी ठोकर को हटाने के लिये मना किया किन्तु दिल्ली प्रशासन ने इन ठोकरों को नहीं हटाया ।

यमुना के बालू रेत को नीलाम किया जाता है और बालू ले जाने वाले ट्रक अनवरत रूप से चला रहे हैं । जिससे तटबधों के टूटने का खतरा है ।

दादरी क्षेत्र गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है । यहां पर विश्व बैंक की सहायता से नलकूपों का कलस्टर लगवाने का कष्ट करें ।

4--श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, वर्ष 1987-88 व 1988-89 में लखावरी ब्रांच जो मध्य गगा नहर से निकली है । वह अभी तक पूर्णतः निर्मित भी नहीं हुई है । लेकिन उसकी भराई के तावान किसानों पर

लगा दिये गये हैं जो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है । कृपया भराई के तावान वापस लिये जायं वर्ना किसान आन्दोलन करने के लिये बाध्य होंगे ।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाय ।

5--श्री मूल चन्द्र--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र की तरफ से अवगत कराना चाहता हूं ।

(1) दुर्गागंज से होते हुए सुरियावां से भदोही नहर नियमित चाल की जाय और नहर से नाली निकाली जाय ताकि किसानों की फसल को सिंचाई हो सके ।

(2) गडोरा माइनर में नाली बनवाई जाय और चालू करायी जाय ।

(3) वरुना नदी में पानी बहाया जाता है नहर के कार्य में बहुता घाट पर पुल और अमिया घाट पर पुल ।

(4) ट्यूबवेलों की नाली व सब खराब हैं । मेरे क्षेत्र के सुरियावां व भदोही सानपुर औराई ब्लाकों के सब बनवाय जायं ।

(5) जो नलकूप खराब हैं उसका सर्वेक्षण कराकर उसको बनवाया जाय ।

6--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मान्यवर, जनपद सीतापुर शारदा कैनाल प्योला माइनर जहां पानी के स्थान पर बैलगाड़ी चलती है उस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं :

(1) जनपद में रोस्टर के अनुसार पानी नहीं दिया नवम्बर में जब पानी देना था तब सफाई कराई जा रही थी ।

(2) नहरों की सफाई नाम मात्र करके धंस की सफाई पूरी कर ली है ।

(3) जनपद की लिस्ट कैनाल फेल है उसे समाप्त करके वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवेल लगावा जावे ।

(4) परसेंडी, लहरपुर ब्लाक में पानी सिंचाई हेतु आवश्यकतानुसार ट्यूबवेल द्वारा दिया जावे ।

(5) तालगांव के पास साइफन बनाया जावे और इटारी के निकट ब्लाक परसेंडी का साइफन बड़ा किया जावे ।

(6) निःशुल्क बोरिंग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पाइप कम देकर बोरिंग कराते हैं और पाइप देने हेतु किसानों से धन वसूलते हैं और पूरे जिले में जब पानी का स्तर बराबर नहीं, तो फिर पाइप सब स्थानों पर बराबर-बराबर क्यों दिया जाता है ?

(7) लकुटहा नहर पर नहर के किनारे की शीशम सिंचाई विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने काट कर लगभग 7 लाख रुपये का लाभ उठाया है ।

(8) शारदा सहायक लखीमपुर सीतापुर में शारदा सहायक में लाईनिंग कराने में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार मौन है । महमूदाबाद की एक कम्पनी ने पिछले वर्ष मनमाने ढंग से कार्य कराया । किया गया कार्य ठीक नहीं है । उच्च स्तरीय जांच कराई जावे और उन्हें कार्य से अधिक भुगतान कर दिया है जब कि कार्य अभी हुआ नहीं है ।

लाईनिंग हेतु धन 10 करोड़ रुपया शासन सदन में मुख्य मंत्री की घोषणानुसार जनपद सीतापुर को दिया जावे ।

लखीमपुर शारदा सहायक खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराई जाय ।

7—श्री फूल सिंह सौदाई—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र चरथावल (मुजफ्फरनगर) में पुरड्रेन (जो ग्रकाजी से छपार तक बहता है) से लगभग 500 एकड़ भूमि वर्षा में अधिक पानी आने से जलमग्न हो जाती है जिससे करोड़ों की फसल नष्ट हो जाती है। यह पुरड्रेन राजबाहा रास्ता मोहम्मदपुर के नीचे से ग्राम छपार के पास गुजरता है। पुरड्रेन का मखरज तंग होने के कारण पानी नहीं निकल पाता है। मेरा सुझाव है कि इस मखरज को किसानों के हित में डबल कराने की कृपा करें।

(2) मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजबाहा खिदड़या टूट कर गावों के खेतों में भर जाता है। कृषकों पर तावान लगाया जाता है। इस राजबाहे की पटरी खिदड़या गांव में पक्की कर दी जावे।

(3) राजबाहे लुहारी में ग्राम लुहारी तथा दघेड़ू में पटरी टूट जाने से गांव में पानी भरता है। इन गावों में पटरी पक्की कर दी जावे।

(4) राजबाहा डी0 बी0 डाउन की दाईं पटरी पर बसे गांव घिस्सूखेड़ा, महावलीपुर तथा कुल्हेड़ी में पटरी पक्की कर दी जावे ताकि इन गावों में पानी भरना बन्द हो सके।

मैं आपका आभारी हूं। सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं।

8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सिंचाई विभाग सम्भालने के बाद माननीय मंत्री जी यह पहला बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें मेरी अपेक्षा थी कि जिसके लिये मंत्री जी भी पहले से प्रयासरत थे कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के जिलों के लिये लिफ्ट सिंचाई एवं ट्यूबवेल स्थापित किये जाने में सीमा घटा कर क्रमशः 5 क्यूसेक और 5000 गैलन किये जाने की घोषणा करेंगे। झांसी जिले की गुरसराय नहर प्रणाली पूरी गरोठा तहसील का एक मात्र सिंचाई का साधन है यह भी तहसील के एक चौथाई को सींच पाती है। जब यह पूरी क्षमता से चले। नहरें अब इस स्थिति में हैं कि पूरी क्षमता से चलाई नहीं जा सकती; अतः रख-रखाव हेतु अधिक धन दिया जाये। इस वर्ष नहर विभाग के अधिकारियों ने पहले रोस्टर बनाया मार्च में पानी देने का फिर बुवाई के बाद मार्च के पानी से इंकार कर दिया। क्षेत्र में अधिक गेहूं बोया गया है जिससे नब्बे प्रतिशत नुकसान है, क्षेत्र में सूखा पड़ने की स्थिति है, पानी तुरन्त उपलब्ध करा दिया जाये। गुरसराय मुख्य नहर का आधुनिकीकरण कराया जाये तथा नहर चौड़ी कराई जाये। इसी नहर पर सेरिया ग्राम के पास फुट ब्रिज बनवाया जाय, जिले से प्रस्ताव आया हुआ है। परीक्षा बांध में बहुत बालू जमा हो गई है जिससे वह पूरी क्षमता भर जल समेट नहीं पाता है। कृपया बांध की बालू की सफाई कराई जाये या पास में ही दूसरा बांध बनवाया जाय। निर्माण खण्डों के नाम पर जो खण्ड कार्यहीन पड़े हैं और अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल वेतन दिया जा रहा है, को कार्यकारी खण्डों में विलीन करा दिया जाये।

ग्राम करही में हजारों एकड़ भूमि पानी से डूबी रहती थी व डी0 आर0 डी0 ए0 ने पैसा देकर नाला बनवाया सिंचाई विभाग से जिसका अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया है जांच कराकर कार्यवाही की जाये।

जो ठेकेदार बिना विभाग की अनुमति के गुण्डागर्दी, गोली-बन्दूक के बल पर जबरदस्ती बिना विभाग की देख-रेख के कार्य करा देते हैं फिर जबरदस्ती भुगतान के लिये दबाव डालते हैं, उन्हें भुगतान कतई न किया जाये बल्कि काली सूची में दर्ज किया जाये और भविष्य में उन्हें विभाग में कहीं भी ठेकेदारी न करने दी जाये चाहे वे शासक दल के कितने ही प्रभावशाली नेता क्यों न हों।

इन शब्दों के साथ मैं श्री द्विवेदी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

9—श्री घनराज यादव—

मान्यवर, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय कल्पदत्त द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मेरा आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से कहना है कि सरजू नहर परियोजना की राप्ती भाग (फरेन्दा) को 1989–90 के वर्ष में धन देकर खुदाई करवा दें। इस छोटे से कार्य से बानगंगा नहर एवं जमींदारी सिस्टम की नहर पानी के अभाव से फेल हो जाने के करीब है। पानी के सम्भरण से भरपूर कार्य करने लगेगी।

मान्यवर, राप्ती–बूढ़ी राप्ती के दो भराव टरिया इत्यादि सैकड़ों गांव को बचाने के लिये राप्ती के बायें एवं बूढ़ी राप्ती नदी के दाये के बने बंधों को पूरा करा दें जिससे उत्तर क्षेत्र में बनाये गये बंधों का उपयोग बाढ़ सुरक्षा हेतु हो सके। श्रीमान्, इन्डोडच स्कीम में बस्ती जिले के अन्दर 250 नलकूप लगने वाले हैं उसमें से एक–एक कलस्टर 25 नलकूपों का लोटन, ककरा, मेलौनी, पननी इत्यादि क्षेत्र में लगवा दिया जाये।

क्षेत्र के अन्दर छितरापार संगलदीप, चमरिया, रीवां दगहिया, हायदलहा, महथादल, तिघरा गांव नदियों के कटान में हैं उनकी सुरक्षा करवा दें। धन्यवाद।

10—श्री अवधेश राम शास्त्री—

मान्यवर, सिंचाई के बजट पर बोलने का जो आपने अवसर दिया उसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं और सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन कर रहा हूं तथा कटौती के बजट का विरोध कर रहा हूं।

गाजीपुर जनपद में जमानियां पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ा दी गयी। लेकिन नहरों की संख्या नहीं बढ़ायी गयी मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि बकसड़ा माइनर में तथा त्रिलोकपुर माइनर में तथा टीसौरा माइनर को शीघ्र बढ़ाया जाय। साथ ही साथ टेवल, मिश्र बलिया तथा मुख्य कैनाल 25 किमी0 से नीचे सर्विस रोड पक्का बनाया जाय।

दिलदार नगर टाउन एरिया के पास सिंचाई विभाग की ड्रेन है, शीघ्र खोदवाया जाय। नगसर ड्रेन के लिये 164 लाख रुपये का 87–88 में जो स्वीकृति मिली शासन से वह शीघ्र दिलाया जाय और कार्यरूप में परिणित किया जाय।

नगसर ड्रेन 25 किमी0 लम्बी है जो गांवों की कृषि योग्य भूमि को दो भागों में बांटती है। नगसर और बड़ौरा गांव पर पुलिया भू0 पू0 राज्य मंत्री सीताराम जी स्वीकृति दे चुके हैं। शीघ्र बनवाया जाय तथा पट्टी ड्रेन अट्हठा गांव के वहां भी पुल बनाया जाय। त्रिलोकपुर माइनर बमनौविया गांव के समीप होती जाती है वहां शीघ्र पुल बनायी जाय।

नन्दगंज शुगर मिल के इर्दगिर्द सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां सिंचाई की व्यवस्था की जाय जिससे गन्ना का उत्पादन बढ़ सके।

हमारे क्षेत्र में नलकूप अठहठा, मगरखादी बसुक, बडौरा, उर्धरनदर मदनीपुर इत्यादि क्षेत्रों में लगाये जायं। कम से कम 6 नलकूप हमारे क्षेत्र में दिलाने का कष्ट करें।

11—श्री जगवीर सिंह—

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर जनपद अलीगढ़ के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना है।

(1) जेवर राजवाहे में पानी नहीं आता।

(2) कजौता राजबाहे में पानी चार साल से नहीं आया है।

(3) किसानों पर मराई लगा दी जाती है। जनता में आक्रोश है कृपया पानी किसानों को दिलाने की व्यवस्था करें।

12—श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, सिंचाई बजट में प्रदेश के कृषकों को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है । यह बजट किसान विरोधी है ।

(1) हमारे यहां अधिकतर नलकूप बन्द रहते हैं इन्हें पूरी क्षमता से चलाने की व्यवस्था की जाये ।

(2) व्यक्तिगत नलकूपों के कनेक्शन मांग के अनुसार इस वर्ष दो हजार दिये जायं ।

(3) धुसूपुर माइनर जो वर्षों से अधूरी पड़ी है । इसे पूरा कराया जाय ।

(4) राजबहा और माइनरों तथा नहरों की पटरियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं । जिनसे कटाव होता है । फसल बरबाद होती है । इन्हें शीघ्र बनवाया जाय ।

(5) सेंगर नदी से हजारों एकड़ जमीन सींचीं जाती हैं । आबपाशी भी कृषक देते हैं । लेकिन उससे कभी-कभी पानी नहीं पंहुचता । जो लगातार फिरोजपुर से छोड़ा जाना चाहिये और अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो कृषकों से सिंचाई शुल्क न लिया जाय ।

13—श्री हरि शंकर तिवारी"बिलग्रामी" —

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान विधान सभा के बिलग्राम जनपद हरदोई की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में हरपाल पुर ब्लाक में दहेलिया अखल न्याय चंचावल, बछोछपुर चन्द्रमपुर ब्लाक सीएडा में सिंचाई का कोई साधन नहीं है । नहर नहीं, स्टेट ट्यूबबेल नहीं, कलस्टर नहर नहीं वहां की जनता रोटी-रोजी की तलाश में पलायन कर रहे हैं । कृपया उपरोक्त न्याय पंचायतों में कलस्टर द्वारा ही सिंचाई क्षमता बढ़ सकती है और वहां के निवासियों को सिंचने की क्षमता उपलब्ध हो सकती है ।

14—श्री शफीकुररहमान बर्क—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र सम्भल, जिला मुरादाबाद के ब्लाक सम्भल और असमोली में सिंचाई का साधन बहुत कम है जिसकी वजह से किसान बहुत परशान है मेर क्षेत्र में मूड का रकबा भी है न कोई नहर है और न ट्यूबबेल । ऐसी दशा में मेरा सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि ब्लाक सम्भल और असमोली के लिये एक कलस्टर ट्यूबबेल की मंजूरी देने की कृपा करें ।

15—श्री नंगा राम—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र जनपद लखीमपुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । जनपद लखीमपुर की तहसील लखीमपुर में ब्लाक—बिजुवा में शारदा नदी के कटान से हजारों बीघे जमीन हर साल कट जाती है जिससे करोड़ों रुपये की क्षति होती है, तथा असंख्य लोग बेघर हो जाते हैं। मैं शासन से मांग करता हूं कि नदी के कटाव से बचने के लिये ठोकरें (कांव), 2 (बरुवा) 3 (रामनगर) में बनवाई जाय।

(2) तहसील लखीमपुर की ब्लाक—बेहेजन में सिंचाई की व्यवस्था न होने से लगभग 50 हजार एकड़ भूमि बिना सिंचाई के असिंचित रह जाती है। जिससे फसल उपज बिलकुल शून्य है। मैं शासन से मांग करता हूं कि लखीमपुर की तहसील बेहेजम में एक नहर की खुदवाई करवाई जाय ताकि सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके।

3—जनपद लखीमपुर में लगभग 50 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े है नाली टूटी पड़ी है मैं मांग करता हूं कि खराब ट्यूबवेलों की मरम्मत करवाई जाय तथा टूटी नालियों की अविलम्ब मरम्मत करवाई जाय।

16—श्री देवतादीन—

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नानपारा में ट्यूबवेल खराब हैं, कागज में सन् 1987-88 में सूखाराहत में खाली कागज में लिखकर धन निकाल लिया गया है । मौके पर नहीं है जिसकी जांच एवं उचित कार्यवाही की जाय ।

2--मेरे विधान सभा क्षेत्र नानपारा में प्रवर अभियन्ता श्री राम बदन चौधरी की घपला मस्टर रोल में तथा और कार्य की जांच की जाय। मेरे विधानसभा क्षेत्र में चल रही सरजू पम्प कैनाल पर विभाग द्वारा इंजन लगाकर किसानों को पानी दिया जाय।

4- सरजू पम्प कैनाल सूखा राहत में श्री प्रेम सागर वर्मा, अवर अभियन्ता सिंचाई के द्वारा बनाई गई नाली, फर्जी पैसा निकाला है।

5--नानपारा में सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेन पवम नाला काली कुन्डा से रसोती, गलत मसाला, ईंटा एवं आगणन की जांच कराई जाय। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कार्यवाह करने का कष्ट करें की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

17--श्री इकबाल अहमद--

मान्यवर, जनपद मऊ में दोहरी घाट कैनाल है, घाघरा नदी के धारा बदलने की वजह है। दोहरी घाट कैनाल के पम्प के पास बालू आ गया है। जिसके कारण यह नहर बन्द हो गई थी। रबी की बोवाई के समय किसानों की काफी क्षति हुई। उसको बराबर चालू रखने की स्थायी व्यवस्था करें।

2--शारदा सहायक आजमगढ मऊ जनपद में कुस्हा के पास आकर रुकी हुई है उसको दोहरी घाट कैनाल से जोड़ दिया जाय।

3--जनपद मऊ में इन्दारा राजबहा से निकली इन्दारा माइनर की खोदाई कराकर माइनर को गहरा किया जाय अथवा इसमें कुलाबा बनाया जाय।

4--टोंस नदी पर बने बन्धों में रेगुलेटर के लिये छोड़ी जगहों पर रेगुलेटर लगाया जाय ताकि बाढ़ के पानी से फसल को बचाया जा सके।

5--टोंस नदी के उत्तरी किनारों पर बांध बनाये गये हैं उसके दूसरे किनारों पर कटाव बढ़ रहा है। जनपद मऊ के ग्राम सहरोण ग्राम खेदपुरा ग्राम उमापुर में टोंस नदी के कटाव से उन गावों के वजूद को खतरा पैदा हो गया है उनको बचाने हेतु कटावों पर ठोकर बनाकर गावों को बचाया जाय।

18--श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में चूंकि अधिकांश व बड़े जल श्रोत घाटियों में ही बहते हैं और खेती का क्षेत्र ऊंचाई में होता है। ऊंचाई में जो स्रोत होते हैं उनसे सिंचाई व पेयजल के लिये अधिकांशतः एक ही स्रोत से भूतलीय परियोजनायें (ग्रान्टेशनल स्कीमस) बनाई जाती हैं। इस कारण न तो पेयजल योजना और न ही सिंचाई योजना अपनी प्रस्तावित क्षमता के साथ चल सकती है। इस कठिनाई को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत किया जाय। ताकि पर्वतीय क्षेत्र की सिंचन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

2--ऐसे भी उदाहरण बहुत हैं कि एक ही श्रोत (गधेरा नाला आदि) से सिंचाई की ही कई परियोजनायें प्रस्तावित कर दी जाती है। जिससे सभी परियोजनायें निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित परियोजना हेतु पानी पर्याप्त मिलता रहे।

3--मैदानी क्षेत्रों में बाढ नियंत्रण व बाढ राहत जैसी योजनायें है। किन्तु पर्वतीय क्षेत्र हेतु ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां निचासी, नदी घाटियों में बाढ़ भी आती है वहीं ऊंचे स्थानों में व्यापक भूस्खलन भी होते रहते हैं। जिससे जान माल की पर्याप्त क्षति होती है। किन्तु उनको राहत देने या पुनर्वासित करने की कोई योजना नहीं है।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र हेतु बाढ़ भूस्खलन पुनर्वास व राहत योजना अविलम्ब आरम्भ करे। इस हेतु सिंचाई विभाग व्यापक कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वित करें।

4—मैं अपने क्षेत्र व जनपद की कतिपय सिंचाई नहरों की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि उन पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें।

(1) मुकुट नहर (वि, खं, डीडी हाट)।

(2) समकोट नहर, भैंसकोट नहर, क्वीटी नहर (विकास खण्ड मुनस्यारी)।

(3) गोगई नहर, पंचगांव नहर (विकास खण्ड धारचूला)।

(4) उसैल नहर, सुनखोली पंत सेरा नहर, (वि0 ख0 कथली हीना)।

(5) सदन के माननीय सदस्यों की जो कमेटी प्रदेश के नलकूपों की अव्यवस्था के कारणों की जांच कर रही है। उसी कमेटी के जनपद पिथौरागढ़ की सिंचाई परियोजनाओं की भी व्यापक जांच सुनिश्चित कर दें।

(6) पूर्वी रामगंगा में लोकघाटी के समीप प्रस्तावित बांध योजना पर शीघ्र कार्यवाही आरम्भ किया जाय।

(7) काली नदी पर पंचश्वेर बांध परियोजना भी अविलम्ब आरम्भ कर दिया जाय।

(8) टिहरी बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास व प्रभावित परिवारों को रोजगार दिये जाने का कार्य हर स्थिति में पूरा कर लिया जाय। धन्यवाद।

19—श्री बलराम यादव—

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु टाण्डा पम्प कैनाल को पूर्णक्षमता से चलाया जाय।

2—आजमगढ़ के विकास खण्ड अतरौलियों में कंडली ताल में जल निकासी की तुरन्त व्यवस्था करायी जाय।

3—सिंचाई खण्ड टाण्डा, फैजाबाद के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ की नहर पिण्डोरिया माइनर, फटारगढ़ माइनर, भीरा माइनर, मैरोपुर माइनर, करसंडा माइनर, अहरौला माइनर, मठपुरवा माइनर, कबीरपुर माइनर आदि का रख-रखाव ठीक ढंग से कराया जाय।

4—अतरौलिया, कोयलसा तथा अहरौला विकास खण्डों के राजकीय नलकूपों की नालियों को अविलम्ब ठीक कराया जाय।

20—श्री जवाहर सिंह यादव—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद में मड़ियाहूं ब्रांच जो शारदा सहायक नहर की एक प्रमुख शाखा है, लगभग 20 किमी0 बहती है। इस नहर के कारण जोगीपुर, पुरखीपुर, सेमरा बिरभानपुर, सलीमपुर, हरषपुर आदि के किसानों की हजारों बीघा कृषि योग्य जमीन लगभग 15/20 साल से जल भराव से प्रभावित है। सेमरा जोगीपुर के ताल के पानी के निकास का कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। इसके साइफन को निर्माण काल में ही इंजीनियरों और ठेकेदारों की मिली भगत के कारण खराब कर दिया गया था। उसकी जांच लगातार 8-10 साल से चल रही है। सम्भवतः वह कमी पूरी नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि जोगीपुर के सामने तत्काल मड़ियाहूं नहर में एक बड़ा साइफन बनवाकर इस ताल का पानी उत्तर तरफ

बकुसाही नदी में और पूरब तरफ मनसैता नदी में नाला बनवाकर निकाला जाय तथा पहले से चल रही जांच पूरी कर दोषी कर्मचारियों को जनहित में दंडित किया जाय ।

इस मड़ियाहूं ब्रांच पर पश्चिम नाला गांव सभा के मजरा दोड़ी का पूरा के पश्चिम हजारों बीघा जमीन जल भराव से लगभग 10–15 साल से प्रभावित है इसका पानी का नाला बनवाकर बकुसाही नदी में उत्तर तरफ गिराने से इस कृषि योग्य जमीन को खेती के लिये उपलब्ध कराया जा सकता है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के पश्चिमी भाग में एक बिसारिया नाला पश्चिम से पूरब को लगभग 15–20 किमी0 बहकर सुल्तानपुर घासी को पूरा बेलहा, इब्राहीमपुर, सिंगापुर, मेंडारा, सुभुई, मुनैवरपुर आदि गांवों की हजारों बीघा जमीन को जलभराव के कारण बरबाद करता हुआ दक्षिण में गंगा नदी में गिरता है । इधर 2–3 साल के अन्दर जनता की अधिक मांग पर 2–3 पुल बनवाये गये हैं लेकिन अभी कम से कम आठ पुल बनवाया जाना आवश्यक है, जिनमें सुल्तानपुर, सिंगापुर के दक्षिण बिसारिया नाला में एक पुल विकास हेतु अति आवश्यक है ।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के पश्चिमी भागों शारदा सहायक की कई बड़ी नहरें हैं और इसके बड़े व छोटे अधिकारी सभी प्रतापगढ़ शहर में अपना दफ्तर रखते हैं जिससे इलाहाबाद जनपद के इन नहरों तथा नालों से प्रभावित किसानों को प्रतापगढ़ आने–जाने में बड़ी असुविधा होती है । इसके लिये प्रतापगढ़ के अधिकारी महीने में कम से कम दो दिन इस क्षेत्र की नहर की कोठी कस्तूरीपुर में बैठकर वहां के किसानों के कष्टों को जनहित में सुना करें ।

मान्यवर, मड़ियाहूं नहर से दो नहरें सुल्तानपुर माइनर और अलावलपुर माइनर लगभग दो माह से टूटी हुई है, जल-भराव के कारण लगभग 8–10 गांव जैसे अलावलपुर, मानी उमरपुर, सुल्तानपुर, मुहम्मदपुर, मरखामऊ छीतेमऊ आदि गांवों की खेती योग्य जमीन जल मग्न है । लगातार किसानों की शिकायत पर भी अभी तक पानी रोकने व टूटी नहरों को ठीक से बांधवाने का कोई कारगर काम नहीं हुआ है स्थायी रूप से मऊआइमा ड्रेन जो मानीउमरपुर से शुरू होती है और अलावलपुर ताल में गिरकर मरखामई से मसियांव के ताल में गिरती है । इसे यदि ठीक से सफाई करा दिया जाय तो उपरोक्त कई गांवों का उद्धार हो जायगा । पूरे क्षत्र में जिन जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया है उनको तत्काल दिलाया जाय ।

मेरे क्षेत्र के अधिकांश नलकूप खराब पड़े हैं, उनको ठीक करा दिया जाय ।

लगभग सभी नहरों में पुलों का अभाव है सर्वे कर उनमें पुल लगवायें जायं । उन्नाव को जाने वाली सड़क के दक्षिण तथा कछार गंगा नदी के उत्तर बहुत जमीन असिंचित पड़ी हैं । उनको सिंचाई की सुविधा नलकूप लगवाकर दूर किया जाय तथा कम से कम 50 नलकूप इस क्षेत्र में लगवाये जायं ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

पी0 एस0 यू0 पी0—8 विधान सभा—26-7-1989-813 (पी0डी0) ।